खण्ड-366, अंक-7
शुक्रवार, 10 चैत्र, शक संवत् 1906
(30 मार्च, 1984 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 366 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)

1984

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1–5
कोरम के सम्बन्ध मे श्री अध्यक्ष के निर्देश	7
प्रश्नोत्तर	7–59
थाना मूसानगर (कानपुर) की पुलिस द्वारा कमलेश एवं राम दुलारी (हरिजन) की निर्दयतापूर्वक पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	59–60
सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के प्राचार्य के दुर्व्यवहार एवं छात्रों द्वारा की गयी आत्म हत्याओं की सी0बी0आई0 से जाँच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	60–61
राजकीय चिकित्सालय बरही (गोरखपुर) के मुख्य भवन में पुलिस के एक दीवान द्वारा कब्जा किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61
परगनाधिकारी, उतरौला, जिला गोण्डा द्वारा अवैध रूप से पटटे बाँटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	61–62
फर्रुखाबाद–फतेहगढ़ में विद्युत की आकस्मिक कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	62–63
गण्डक नहर में पानी बन्द होने से देवरिया–गोरखपुर में फसलों के सूखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
नजूल विभाग, आगरा के कर्मचारियों द्वारा काश्तकारों को परेशान किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	63
अतिरिक्त मण्डी शुल्क तथा बिक्रीकर अधिभार के सम्बन्ध में उठाए गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय	63–65
विधायक निवास में श्री मान पाल सिंह एडवोकेट के भतीजे का अपहरण एवं पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ..	65–66
औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं	66–67
राज्यपाल अभिभाषण के समय श्री मुहम्मद आजम खां के व्यवहार की जाँच हेतु गठित समिति के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना ..	67–71
शासन द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करके बस्ती में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में अनियमितता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	71–72
विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किए जाने हेतु समय बढ़ाए जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत) ..	72–73
कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें	73–83
1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग (स्वीकृत)	83–105
1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान अनुदान संख्या–32 पर्यटन विभाग तथा अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग (जारी)	105–121

विषय	पृष्ठ-संख्या
'आज का एम0एल0ए0 राम अवतार' नामक फिल्म के सम्बन्ध में सूचना	121
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	121
1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए माँगों पर मतदान अनुदान संख्या 32––पर्यटन विभाग तथा अनुदान संख्या 55––विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग (स्वीकृत)	122–128
प्रदेश के वकीलों पर पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हो रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में वक्तव्य	128–133
जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत कस्बा शिकोहाबाद के मुहल्ला रुकनपुर में तीन बहिनों की हत्या किए जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	133–138
नत्थियाँ	139–142

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

30 मार्च, 1984

विधान सभा की बैठक सभा–मण्डप, लखनऊ में 11 बजकर 15 मिनट पर दिन में अध्यक्ष, श्री धर्म सिंह की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थिति सदस्य 347

अकबर हुसैन, श्री	मुरादाबाद
अजित कुमार सिंह, श्री	कानपुर
अनवार खां, श्री	अलीगढ़
अनवार मुहम्मद खां, श्री	फर्रुखाबाद
अबुल कलाम, श्री	आजमगढ़
अमरनाथ सिंह, श्री (उर्फ अनिल सिंह)	फतेहपुर
अमर सिंह, श्री	सहारनपुर
अमीरुद्दीन, श्री	बिजनौर
अम्बा प्रसाद वर्मा, श्री	बरेली
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अलमेलु अम्माल, कुमारी	बस्ती
अशोक कुमार बाजपेयी, श्री	इलाहाबाद
आजाद कुमार कर्दम, श्री	आगरा
इन्द्रजीत, श्री	फतेहपुर
इन्द्र प्रताप सिंह, श्री (लल्लू)	बहराइच
ईश्वर दयाल त्यागी, श्री	गाजियाबाद
ईश्वर शरण विद्यार्थी, श्री	इलाहाबाद
उदयवीर सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
उमेश्वर प्रताप सिंह, श्री	खीरी
उर्मिला अग्निहोत्री, कुमारी	एटा
ऊदल, श्री	वाराणसी
ए0सी0 ग्राइस, श्री	नाम निर्देशित आंग्ल भारतीय
ओम प्रकाश जिन्दल, श्री	आगरा
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	ललितपुर
कन्हैया लाल, श्री	मथुरा
कन्हैया लाल महेन्द्रू, श्री	लखनऊ
कमला दरियाबादी, श्रीमती	कानपुर
कमला प्रसाद सिंह, श्री	जौनपुर
कमला साहनी, श्रीमती	बस्ती
कल्यान सिंह सोलंकी, श्री	बरेली
कल्लू राम रत्नाकर, श्री	मिर्जापुर
काजी मोहिउद्दीन, श्री	सहारनपुर
काशीनाथ मिश्र, श्री	बलिया
किरनपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशोरी शुक्ला, श्रीमती	गोरखपुर
कुंवर बहादुर मिश्र, श्री	हमीरपुर
कुंवर सिंह नेगी, श्री	चमोली
कुदसिया बेगम, श्रीमती (बेगम एजाज रसूल)	हरदोई
कुबेर भण्डारी, श्री	देवरिया
कृष्ण कुमार शुक्ल, श्री	रायबरेली
कृष्ण दत्त श्री (उर्फ बालराज)	फतेहपुर
कृष्णवीर सिंह कौशल, डाक्टर	आगरा
केदार सिंह, श्री	आजमगढ़
केदार नाथ सिंह, श्री	गोरखपुर
केशरी प्रसाद, श्री	जौनपुर
केशोराम, श्री	बदायूं
कैलाश चन्द्र यादव (एडवोकेट), श्री	एटा
कैलाश प्रसाद, श्री	गोरखपुर
कृष्ण मगन सिंह, श्री	बाराबंकी
खरपत, श्री	वाराणसी
खान गुफरान जाहिदी, श्री	फतेहपुर
खुर्शीद अहमद अन्सारी, श्री	मुरादाबाद
खुर्शेद अहमद, श्री	बहराइच
खुशहाल सिंह राँगड़, श्री	टिहरी गढ़वाल
खैरुल बशर, श्री	आजमगढ़
ख्वाजा हलीम, श्री	अलीगढ़
गंगा सागर शंखवार, श्री	कानपुर
गजेन्द्र सिंह, श्री	इटावा
गजेन्द्र सिंह, श्री	बाराबंकी
गया सिंह, श्री	उन्नाव
गुलाब सिंह, श्री	देहरादून
गुलाम नबी, श्री	आगरा
गेंदा देवी, श्रीमती	बस्ती
गोपी नाथ वर्मा, श्री	फैजाबाद
गोरे लाल शाक्य, श्री	इटावा
गोवर्धन तिवारी, श्री	अल्मोड़ा
गौरी देवी, श्रीमती	गोरखपुर

गौरी शंकर एडवोकेट, श्री	इटावा
गौरी शंकर भैया, श्री	बलिया
चन्दन सिंह, श्री	मथुरा
चन्द्र बली ब्रह्मचारी, श्री	आजमगढ़
चन्द्र भान सिंह, श्री	बाँदा
चन्द्र शेखर त्रिवेदी, श्री	लखनऊ
चन्दर सिंह, श्री	मेरठ
चारु चन्द्र ओझा, श्री	पिथौरागढ़
चेतराम गंगवार, श्री	बरेली
छत्तर सिंह, श्री	बुलन्द शहर
छेदा लाल चौधरी, श्री	खीरी
छेदो लाल, श्री	गोण्डा
जंग बहादुर, श्री	जौनपुर
जगदीश नारायण, श्री	फतेहपुर
जगदीश प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
जगदीश सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
जगदीश सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जनार्दन प्रसाद ओझा, श्री	गोरखपुर
जफर अली नकवी, श्री	खीरी
जसवन्त सिंह विष्ट, श्री	अल्मोड़ा
जावेद अली, श्री	मथुरा
जितेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
चितेन्द्र शाह, श्री	जालौन
जीराज सिंह मौर्य, श्री	मुरादाबाद
तपेश्वर, श्री	आजमगढ़
तेजबहादुर सिंह, श्री	जौनपुर
दयाल कृष्ण, श्री	मथुरा
दलसिंगार, श्री	आजमगढ़
दामोदर शर्मा, श्री	मेरठ
दिवाकर विक्रम सिंह, श्री	बस्ती
दीनानाथ, श्री	बस्ती
दीपक कुमार श्री	मुजफ्फर नगर
दीप नरायन वन महन्थ, श्री	गोण्डा
दीपू उर्फ दीप नारायण श्री,	आजमगढ़
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दूधनाथ राजभर, श्री	आजमगढ़
देवी प्रसाद, श्री	बहराइच
देवेन्द्र पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
देवेन्द्र बहादुर सिंह चन्देल, श्री	कानपुर
धनी राम वर्मा, श्री	इटावा
धनेश्वरी देवी, श्रीमती	वाराणसी
धर्मपाल सिंह, डाक्टर	अलीगढ़
धर्मवीर सिंह, श्री	मेरठ
धर्मवीर सिंह त्यागी, श्री	मुजफ्फरनगर
धर्म सिंह, श्री	बुलन्दशहर
ध्रुव प्रसाद राय, श्री	देवरिया
नत्थू लाल, श्री	हरदोई
नन्द किशोर सिंह, श्री	देवरिया
नन्द राम, श्री	बरेली
नरेन्द्र सिंह भण्डारी, श्री	पौड़ी गढ़वाल
नरेन्द्र सिंह विष्ट, श्री	पिथौरागढ़
नरेश चन्द्र अग्रवाल, श्री	हरदोई
नाजिर अली, श्री	शाहजहाँपुर
नियाज हसन खां, श्री	प्रतापगढ़
निर्भय नारायण सिंह, श्री (उर्फ लाल बाबू)	बलिया
निर्मल खत्री, श्री	फैजाबाद
नेत्रपाल सिंह राघव, श्री	एटा
नौनिहाल सिंह, चौधरी	इलाहाबाद
पन्ने लाल, श्री	गोरखपुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
परमात्मा प्रसाद सिंह, श्री	बस्ती
परागी लाल चौधरी, श्री	सीतापुर
पहलवान, श्री	जौनपुर
पारवती देवी, श्रीमती	बाराबंकी
पुरुषोत्तम, श्री	मिर्जापुर
पुष्पा चौहान, श्रीमती	अलीगढ़
पूरन चन्द्र, श्री	अलीगढ़
प्रताप नारायण द्विवेदी,	हमीरपुर
प्रदीप कुमार यादव, श्री	बाराबंकी
प्रभाकर नाथ द्विवेदी, श्री	प्रतापगढ़
प्रभू नारायण सिंह, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रियदर्शी जेतली, श्री	फैजाबाद
प्रेमवती, श्रीमती	बदायूं
फखरे आलम, श्री	बदायूं
फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री	गोरखपुर
बंशीधर, श्री	रामपुर
बच्चा पाठक, श्री	बलिया
बदन सिंह, श्री	आगरा
बनवारी राम, श्री	वाराणसी
बब्बन सिंह, श्री	बलिया
बलबीर सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बल्देव सिंह आर्य, श्री	उत्तरकाशी
बाबू राम, श्री	पीलीभीत
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल, श्री	हमीरपुर
बाबू सिंह, श्री	अलीगढ़
बिहारी लाल, श्री	नैनीताल
बिहारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
बुद्धपाल सिंह "खुर्जेवाला", श्री	बुलन्द शहर

बृज किशोर मिश्र, डाक्टर	देवरिया
बेनी बाई, श्रीमती	झांसी
बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा, श्री	इलाहाबाद
ब्रह्मदत्त, श्री	देहरादून
भगवती सिंह विशारद, श्री	उन्नाव
भगवान दीन कुशवाहा, श्री	कानपुर
भागीरथ, श्री	झांसी
भानु प्रताप सिंह, श्री	बरेली
भास्कर पाण्डेय, श्री	देवरिया
भृगनाथ चतुर्वेदी, श्री	गोरखपुर
भोला पाण्डेय, श्री	बलिया
मण्डलेश्वर सिंह, श्री	आगरा
मथुरा प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
मन्जूर अहमद, श्री	मेरठ
मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ, श्री	बस्ती
मसरूर जाफरी, श्री (उर्फ शबरोज)	गोंडा
महाबीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महाराज सिंह, श्री	आयरा
महारानी दोहरे, श्रीमती	इटावा
महेन्द्र रिपुदमन सिंह, राजा	आगरा
महेश उपाध्याय, श्री	आगरा
महेश प्रसाद, श्री	देवरिया
माण्डवी प्रसाद सिंह, श्री	वाराणसी
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	बस्ती
माधव प्रसाद, श्री	फैजाबाद
मानपाल सिंह एडवोकेट, श्री	एटा
मान बहादुर, श्री	गोण्डा
मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
मीर मजहर अली, श्री	बदायूं
मुईद अहमद, श्री	सुल्तानपुर
मुख्तार अनीस, श्री	सीतापुर
मुन्शी लाल, श्री	मैनपुरी
मुरलीधर मुनीम, श्री	गोण्डा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मेंहदी असगर, श्री	मुजफ्फरनगर
मोती लाल देहलवी, श्री	कानपुर
मोहन सिंह, श्री	देवरिया
मोहम्मद अबरार अहमद, श्री	बदायूं
मोहम्मद उमर, डाक्टर	गोंडा
मोहम्मद नबी, श्री	बस्ती
मोहम्मद रफी सिद्दीकी, श्री	लखनऊ
मोहम्मद वसीम, हाजी	रायबरेली
मोहम्मद सफीउर्रहमान अन्सारी, श्री	वाराणसी
यदुनाथ सिंह, श्री	मिर्जापुर
यमुना प्रसाद, श्री	बाराबंकी
यशपाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
योगेन्द्र सिंह, कुंवर	फर्रुखाबाद
रईसउद्दीन वारसी, श्री	मुरादाबाद
रघुराज प्रसाद उपाध्याय, श्री	गोण्डा
रघुबीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
रतीराम, श्री	बिजनौर
रमाकान्त मिश्रा, श्री	इलाहाबाद
रमेश चन्द्र शुक्ल, श्री	रायबरेली
रवीन्द्र, श्री	आजमगढ़
राज किशोर राव, श्री	बहराइच
राज कुमार राय, श्री	आजमगढ़
राजपति देवी, श्रीमती	सुल्तानपुर
राजपाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
राजमंगल पाण्डेय, श्री	देवरिया
राजेन्द्र अग्निहोत्री, श्री	झांसी
राजेन्द्र कुमार गुप्त, श्री	सीतापुर
राजेन्द्र त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राजेन्द्र सिंह, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
राधेश्याम पटेल, श्री	इलाहाबाद
राधेश्याम वर्मा, श्री	फर्रुखाबाद
राम अवध प्रसाद, श्री	बस्ती
राम आसरे वर्मा, श्री	हरदोई
राम औतार दीक्षित, श्री	हरदोई
राम करन, श्री	वाराणसी
राम कुंवर सिंह, श्री	आजमगढ़
राम कुमार भार्गव, श्री	सीतापुर
राम कृष्ण उपाध्याय, डा0	जौनपुर
राम कृष्ण माहेश्वरी, श्री	मुरादाबाद
राम चन्द्र, श्री	वाराणसी
राम चरण सिंह, श्री	मिर्जापुर
राम जनम सिंह, श्री	वाराणसी
रामजी राम, श्री	फैजाबाद
राम धनी, श्री	गाजीपुर
राम नारायण सिंह, श्री (एडवोकेट)	गाजीपुर
राम नरेश शुक्ल, श्री	प्रतापगढ़
राम नारायण पाठक, श्री	कानपुर
रामपाल सिंह श्री	मुरादाबाद
राम प्यारे पाण्डेय, श्री	फतेहपुर
राम प्रसाद, श्री	जालौन
राम प्रसाद श्री	मुजफ्फरनगर
राम भजन, लाल, श्री	खीरी
राम लाल, श्री	सीतापुर
राम लाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम सुमुझावन, श्री	जौनपुर

राम शिरोमणि, श्री	जौनपुर
राम सागर, श्री	बाराबंकी
राम सिंह, श्री	सुल्तानपुर
रामसिंह खन्ना, श्री	बरेली
राम सिंह रावल, श्री	एटा
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप निम, श्री	सहारनपुर
राम स्वरूप वर्मा, श्री	कानपुर
राम हर्ष मिश्र, श्री	बहराइच
राम हर्ष राय, श्री	गाजीपुर
रामेश्वर नाथ चौबे, श्री	बरेली
रामेश्वर प्रसाद, श्री	बाँदा
रिजवानुर्रहमान किदवई, श्री	बाराबंकी
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
रियासत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
रूद्र प्रताप सिंह, श्री	देवरिया
रूप राम, श्री	शाहजहाँपुर
रूल्हा सिंह, श्री	सहारनपुर
रेवती रमण सिंह, श्री (उर्फ मणिजी)	इलाहाबाद
ललन सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
लाल प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
लालसा, श्री	आजमगढ़
लोकमणि शर्मा, श्री	मथुरा
वासुदेव सिंह, श्री	प्रतापगढ़
विजय कुमार, श्री	लखनऊ
विजय पाल सिंह, श्री	गाजियाबाद
विजय प्रकाश, श्री	इलाहाबाद
विजय शंकर सिंह, श्री	गाजीपुर
विजय सिंह, श्री	मिर्जापुर
विजय सिंह रैना, श्री	आगरा
विद्या सागर नौटियाल, श्री	टिहरी गढ़वाल
विनोद कुमार तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमल प्रसाद तिवारी, श्री	फर्रुखाबाद
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशन लाल, श्री	बिजनौर
विश्वनाथ, श्री	देवरिया
विश्राम दास, श्री	इलाहाबाद
विष्णु दयाल वर्मा, श्री	मैनपुरी
वीरेन्द्र कुमार चौधरी, श्री	सीतापुर
वीरेन्द्र प्रताप शाही, श्री	गोरखपुर
वीरेन्द्र सिंह ढाना, कुवर	गाजियाबाद
बृद्धि नारायण सिंह, श्री	वाराणसी
शंकर सिंह, श्री	जालौन
शम्भूनाथ, श्री	आजमगढ़
शरीयतुल्ला, श्री	मुरादाबाद
शिरोमणि, श्री	बाँदा
शिव दर्शन, श्री	रायबरेली
शिव नरेश, श्री	बाँदा
शिवनाथ सिंह कुशवाहा, कुंवर	कानपुर
शिव नारायण सिंह नेगी, श्री	नैनीताल
शिवपाल सिंह, श्री	उन्नाव
शिव बालक, श्री	रायबरेली
शिव मंगल सिंह, श्री	मैनपुरी
शिवराज सिंह, श्री	अलीगढ़
शिवानन्द नौटियाल, डाक्टर	पौड़ी गढ़वाल
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	गोरखपुर
शेर बहादुर, श्री	फैजाबाद
श्याम नारायन तिवारी, श्री	गोरखपुर
श्याम लाल वाजपेयी, श्री	बाराबंकी
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रीकृष्ण गोयल, श्री	बदायूं
श्रीनाथ सिंह, श्री	वाराणसी
संकठा प्रसाद शास्त्री, श्री	वाराणसी
सईदुल हसन, श्री	बुलन्दशहर
सच्चिदानन्द, श्री	उन्नाव
सतीश चन्द्र जायसवाल, श्री	इलाहाबाद
सत्यपाल सिंह, श्री	शाहजहाँपुर
सन्त बख्श रावत, श्री	लखनऊ
सन्तोष कुमार, श्रीमती	बदायूं
सरजू प्रसाद 'सरोज', श्री	प्रतापगढ़
सरदार सिंह, श्री	मथुरा
सिकन्दर अली खां नवाब, श्री	शाहजहाँपुर
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुग्रीव सिंह, श्री	देवरिया
सुन्दर सिंह, श्री	बहराइच
सुमन लता, श्रीमती	कानपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र कुमार, श्री (उर्फ मुन्नी)	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप नारायण, श्री	बस्ती
सुरेन्द्र सिंह, श्री	गाजीपुर
सुरेन्द्र सिंह चौहान, श्री	अलीगढ़
सुरेश दत्त पालवाल, श्री	जालौन
सूबेदार सिंह, श्री	मैनपुरी
सूर्यनाथ उपाध्याय, श्री	जौनपुर
सैय्यद जकीउद्दीन, श्री	मेरठ
सोमांश प्रकाश, श्री	मुजफ्फरनगर
स्वरूप कुमारी बख्शी, श्रीमती	लखनऊ
स्वामी नेमपाल, श्री	बुलन्दशहर
स्वामी प्रसाद सिंह, श्री	हमीरपुर

हंसराज सिंह वर्मा, श्री	एटा	हरि सिंह, श्री	बुलन्दशहर
हरगोविन्द वर्मा, श्री	सीतापुर	हरी किशन श्रीवास्तव, श्री	कानपुर
हरदेव, श्री	बलिया	हरीशंकर, श्री	हरदोई
हरिद्वार पाण्डेय, श्री	गोरखपुर	हाफिज मोहम्मद सिद्दीक, श्री	मुरादाबाद
हरि प्रसाद कुरील, श्री	उन्नाव	हेमचन्द निमेष, श्री	मेरठ
हरिवंश सहाय, श्री	देवरिया		

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

कोरम के सम्बन्ध में श्री अध्यक्ष के निर्देश

श्री अध्यक्ष–

यह जो कोरम नहीं हो रहा है, इसके लिये भविष्य में ध्यान रखा जाय और मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि आगे मुझे इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि यदि कोरम नहीं होता है, तो मैं क्या करूं । एक बात यह है कि कुछ माननीय सदस्यों के बारे में, वह अफवाह गलत है। हम सबकी शुभकामनाएं हैं कि वे शतायु हों ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, 30 मार्च, 1984

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

*1–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[9 वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या–3 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में उपलवृष्टि से ग्रामों में फसलों को क्षति तथा राहत सहायता

*2–श्री श्याम लाल वाजपेयी, श्री शेरबहादुर तथा श्री प्रियदर्शी जेतली–

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि 15 जनवरी, 84 को जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर में करीब दो औंस तक की भंयकर उपल वृष्टि हुई है ? यदि हां, तो उससे उक्त तहसील के कितने ग्राम तथा कितनी फसल प्रभावित हुई और शासन द्वारा किसानों को अब तक क्या राहत दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

राजस्व राज्य मंत्री (श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक)–

जी हां ।

दिनांक 15/16-1-84 को जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के 491 ग्रामों में लगभग 2 औंस वजन तक के ओले गिरे थे, जिसमें रबी की फसलों को 60 प्रतिशत तक की क्षति हुई है । फसलों की अनुमानित क्षति एक करोड़ अट्ठावन लाख नवासी हजार पांच सौ रुपया (1,58,89.500/–रुपया) आंकी गई है । उक्त ग्रामों में कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है । अन्य किसी सहायता की आवश्यकता नहीं पायी गयी ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न से पहले तो **मैं आज आपको इस सुन्दर वेशभूषा के लिए बधाई देता हूं** । अब आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से मैं यह जानना चाहता हूं कि जब माननीय मंत्री जी ने फसल नष्ट होने की बात स्वीकार कर ली, ओला गिरना भी स्वीकार किया है, 60 प्रतिशत हानि भी स्वीकार की है । मान्यवर, तो वह कौन से विशेष कारण हैं कि जब उन कृषकों की सारी फसल नष्ट हो **गयी, दाने-दाने को वे मोहताज हो गये, तो** उनको आर्थिक सहायता क्यों नहीं दी गई? दूसरी बात यह कि मान्यवर, जो इन्होंने कहा कि कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गयी, तो वह वसूली कब तक के लिये स्थगित की गयी और उन्हें माफ क्यों नहीं किया गया? यह माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ?

राजस्व मंत्री (श्री बलदेव सिंह आर्य)–

मान्यवर, माननीय सदस्य को यह शिकायत है कि सहायता क्यों नहीं दी गयी। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि जिन गांवों में ओले पड़े हैं, उनमें लगान की **वसूली को और जो कृषि के देय हैं, उनको** स्थगित कर दिया गया है । छूट का प्रस्ताव राजस्व परिषद द्वारा आएगा तो उस

पर शासन विचार करके फैसला लेगा ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि जब उन्होंने यह स्वीकार किया कि फसल नष्ट हुई, ओला गिरा, तो वसूली स्थगित करने का क्या तात्पर्य है? वह कहां से पैदा करके अगली बार दे देंगे? राजस्व परिषद् आपसे है, आप राजस्व परिषद् से नहीं, तो क्या आप उन्हें वसूली माफ करने के आदेश देंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, नियमों के अन्दर जो प्राविधान है, उससे बाहर हम नहीं जा सकते, जब तक कि नियमों में संशोधन नहीं हो जाता । अब तक वहां 27.75 लाख रुपये सहायता के रूप में भेजे जा चुके हैं ।

श्री श्याम लाल वाजपेयी–

मान्यवर, अभी तो माननीय मंत्रीजी ने कहा कि और किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता नहीं समझी गयी, केवल देयों की वसूली स्थगित की गयी । अब किसी सहायता की बात बता रहे हैं, लेकिन यह लिखित उत्तर में नहीं दिया गया है । लेकिन अब उत्तर में बढ़ा रहे हैं कि सहायता दी गयी है । वहां पर 1, 58,89,500 रुपये की हानि हुई है । उसमें 27 लाख रुपए की सहायता देना जलती हुई कढ़ाई में तेल का एक बूंद डाल देना है । क्या माननीय मंत्री जी अतिरिक्त और अधिक सहायता तत्काल भेजने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, जो क्षति आंकी गयी है वह तो 450/–प्रति हेक्टेयर से आंकी गयी है और इस क्षति को पूरा नहीं किया जा सकता है । जो लोग निसहाय और निराश्रित हैं, उनके लिए यह धन दिया गया है । जिन लोगों के मकान गिर गये हैं, उनके मकानों की मरम्मत के लिए यह अनुदान दिया जाता है । मैंने जो 27 लाख 75 हजार रुपए की धनराशि बतलायी, वह इन्हीं कार्यों के लिए दी गयी थी । मान्यवर, मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि कृषि और राजस्व की देय वसूलियां स्थगित कर दी गयी हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित यह जानना चाहता हूं कि शासन की नीति सहायता करना है, लेकिन कुछ नियम आड़े आ रहे हैं । आपको स्मरण होगा कि राजस्व परिषद् सरकार और जनता के बीच दूरी पैदा कर रही है । नियमों, सरकारी नीतियों और निर्णयों का कार्यान्वयन करना सरकार का काम है । अगर सरकार समझती है कि लोगों को सहायता दी जाय, तो जो नियम आड़े आ रहे हैं, क्या माननीय मंत्री जी उन नियमों में संशोधन करने की कृपा करेंगे ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, उचित अवसर पर इस पर भी विचार किया जा सकता है ।

स्वर्गीय श्री जगमोहन लाल की ग्राम मिरचैी तथा ग्राम सोनाठ में अतिरिक्त घोषित हुई भूमि तथा सम्पत्ति का निस्तारण

*3–श्री सूबेदार सिंह तथा श्री विष्णुदयाल वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम मिरचैी परगना भारहरा जिला एटा के श्री जगमोहन लाल (मृतक) की किन-किन ग्रामों की कितनी भूमि सीलिंग एक्ट के अन्तर्गत सरप्लस घोषित की गई है ? क्या यह सही है कि शासन ने उक्त सरप्लस भूमि पर अभी तक कब्जा नहीं लिया है ? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त भूमि का वितरण भूमिहीनों में तुरन्त कराने की व्यवस्था करेगी और उन अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही

करेगी जो भूमि के वितरण में बाधा डाल रहे हैं ?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक–

श्री जगमोहन लाल (मृतक) निवासी ग्राम मिरैची में परगना भारहरा जिला एटा का ग्राम मिरैची में 1-06 एकड़ तथा सोनोठ में 16·33 एकड़ कुल 17·39 एकड़ भूमि उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित हुई।

उच्च न्यायालय के आदेशों द्वारा मामले में अग्रिम कार्यवाही स्थगित है। इसीलिए अतिरिक्त घोषित भूमि पर कब्जा नहीं लिया जा सका । तद्नुसार प्रश्न के शेष भाग पर कार्यवाही अपेक्षित नहीं रह गई है ।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, इस देश में और प्रदेश में अधिकांश स्थानों पर लैण्ड-लार्ड्स के एकाधिकार को समाप्त करने के लिए सीलिंग एक्ट आया, परन्तु वह निष्प्रभावी रहा । ये लोग सीलिंग एक्ट को किसी न किसी ढंग से असफल करने का प्रयास कर रहे हैं । यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है । मैं उन पहलुओं पर कुछ नहीं कहूंगा जो हाईकोर्ट के आदेश से संबंधित है । मैं उन पहलुओं पर कहूंगा जो हाईकोर्ट के आदेश से संबंधित नहीं है। माननीय मंत्री जी को भी शायद मालूम होगा कि लैण्ड-लार्ड श्री जगमोहन की मृत्यु हो गयी है । मृत्यु के बाद उनके जो वारिस हैं, वह हैं उनके दो भतीजे श्री सोमेन्द्र नाथ बाबू और श्री उपेन्द्र नाथ बाबू । कायदे से यह जमीन इनके नाम पर आनी चाहिए । इसके लिए लेखपाल ने संस्तुति भी की है कि यह जमीन उनके वारिस के नाम पर कर दी जाय । परन्तु अभी तक उस पर कार्यवाही नहीं की गयी । पहला तो मैं यह जानना चाहता हूं कि इस पर कार्यवाही अभी तक क्यों नहीं की गयी? दूसरा यह कि उनके मरने के बाद इस सम्पत्ति का निस्तारण जो उनके दो भतीजे श्री सोमेन्द्र नाथ बाबू और उपेन्द्र नाथ बाबू हैं, उनके नाम दाखिल खारिज क्यों नहीं हुई ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, इस मामले में उच्च न्यायालय में याचिका दायर हुई और याचिका दायर होने के बाद यह स्थगित कर दिया गया । तो, जब तक माननीय उच्च न्यायालय का कोई निर्णय नहीं हो जाता, तब तक इस भूमि को किसी के कब्जे में भी देने का प्रश्न नहीं उठता है । वह तो जिसके पास है, उसी के कब्जे में है ।

श्री विष्णु दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसमें जो स्थगन आदेश जारी हुआ है, वह कब हुआ और उसके बाद शासन ने उसमें वेकेट कराने की क्या कार्यवाही की है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, स्थगन आदेश 22-12-81 को हुआ और अभी तक यह मामला स्थगित है।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, पूरे केस में यह मालूम पड़ता है कि माननीय मंत्री जी भी उनसे मिल गये हैं, जो षडयंत्रकारी इसके हिस्सेदार हैं ।

यह बहुत स्पष्ट है । वह हाईकोर्ट के आदेश की बात तो शायद उनकी फाइल में हो । हाईकोर्ट से कोई ऐसा आदेश नहीं है कि इसकी जो विरासत है, उसको तय नहीं किया जा सकता ।

श्री अध्यक्ष–

आप प्रश्न क्यों नहीं करते ?

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जो आदेश माननीय हाईकोर्ट ने किया है, माननीय हाईकोर्ट का वह आदेश क्या है ? क्या उस

आदेश के तहत इस पर रोक है कि दाखिल खारिज नहीं किया जा सकता ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, मेरे पास जो सूचना है, उसमें ऐसा नहीं है । माननीय उच्च न्यायालय ने स्थगन आदेश जारी कर दिया और जब तक उच्च न्यायालय से निर्णय नहीं होगा, तब तक उस पर कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जो इनका प्रश्न था, उसके अनुसार, आप हाईकोर्ट का जो आदेश है स्थगन का, उस को आप पुन: देख लें और स्वयं संतुष्ट हों ।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, हाईकोर्ट का आदेश देख लिया जायेगा लेकिन, मैंने जो कुछ कहा, हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक ही कहा।

श्री विष्णु दयाल वर्मा–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जिन लोगों ने अपने को वारिस घोषित किया है, उसका आधार क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, यह तो उत्तर में ही बता दिया गया है कि यह भूमि जगमोहन लाल जो मृतक हैं, उनकी यह भूमि थी और जो सीलिंग में अधिक घोषित की गयी । उन्ही के परिवार वालों ने इसमें रिट दायर किया था और उस रिट दायर करने के बाद ही यह स्थगन हुआ है ।

श्री सूबेदार सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं और मेरा यह स्पष्ट आरोप है कि इसमें फर्जी वसीयतनामा बनाया गया मैं जानना चाहता हूं कि जगमोहन लाल के मरने के बाद उसमें पार्टी बनाने के लिये, वहां पर किन-किन लोगों ने दरख्वास्त दी है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, इसकी छानबीन करा ली जायेगी और जो स्थिति होगी, उससे माननीय सदस्य को सूचित कर दिया जायेगा ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

ग्राम लालगंज, जिला उन्नाव के माल विभाग का नक्शा अधिकांशत: गलत होने संबंधी शिकायती-पत्र

*1–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें श्री श्रीराम प्रधान, ग्राम लालगंज, परगना मगरायर, तहसील पुरवा, जिला उन्नाव द्वारा दि0 25-11-83 का भेजा हुआ कोई ऐसा शिकायती-पत्र मिला है जिसमें उन्होंने अपने ग्राम लालगंज के माल विभाग का नक्शा अधिकांशत: गलत होने की शिकायत की है ? यदि हां, तो उक्त ग्राम का नक्शा दुरुस्त कराने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक–

जी हां ।

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र पर जिलाधिकारी उन्नाव की आख्या प्रतीक्षित है जिसके प्राप्त होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा ।

श्री भगवती सिंह विशारद–

मान्यवर, इसमें जिस गांव का जिक्र है, मान्यवर, उसका नक्शा बिल्कुल गलत है। टोटली गलत है । वहां के प्रधान ने 25-11-83 को माननीय मंत्री जी को एक पत्र भेजा और उस पत्र के संदर्भ में दिनांक 6-12-83 को मैंने विधान सभा में प्रश्न किया, उस प्रश्न का अंतरिम उत्तर 2-3-84 को प्राप्त हो गया ।

मान्यवर, यह उत्तर दे रहे हैं कि अभी जिलाधिकारी, उन्नाव की आख्या नहीं प्राप्त हुई है । यहां से केवल 54 कि0 मी0 पर उन्नाव है और 4 महीने हो चुके हैं, उनकी अभी तक आख्या नहीं प्राप्त हो सकी है । मैं यह जानना चाहता हूं कि अब तक आख्या न आने का क्या कारण है ? क्या इसमें अधिकारी फंस रहे हैं या कोई और कारण है और कब तक आख्या आ जायगी ?

(श्री काशीनाथ मिश्र द्वारा वित्तमंत्री के बगल में खड़े होकर उन्हें कोई कागज दिखाकर बात करने पर)

श्री अध्यक्ष–

सदन में यह पद्धति पड़ गयी है कि माननीय काशीनाथ जी, अन्य माननीय सदस्य इधर के और उधर के मंत्री लोगों के बगल में खड़े होकर कुछ काम कराते हैं । मैं निवेदन करूंगा कि यदि कोई काम कराना है तो जहां माननीय मंत्री बैठते हैं, उनके सहारे से बैठा करें । यदि स्थान न हो तो नीचे झुककर बैठकर उनसे बात किया करें, खड़े होकर नहीं । भविष्य में इसका ध्यान रखा जाय ।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

इस गांव में चकबन्दी हुई है और धारा 52 के मुताबिक प्रकाशन हो गया है । चकबन्दी विभाग के अधिकार में यह काम नहीं रहा । जिलाधिकारी से आख्या मांगी गयी है, जांच रिपोर्ट यांगी गयी है, जैसे ही आयेगी, उस पर कार्यवाही की जायगी । विलम्ब के लिए मुझे जरूर खेद है कि समय पर रिपोर्ट जिलाधिकारी के यहां से नहीं आई है । प्रयास करूंगा कि जल्द से जल्द रिपोर्ट आ जाय ताकि माननीय सदस्य की शिकायत दूर हो ।

शुक्रवार, 30 मार्च, 1984 हेतु निर्धारित तारांकित प्रश्न

*1–श्री जयदीप सिंह बरार–

[18वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

सहकारी गन्ना विकास समिति, बीसलपुर, जनपद पीलीभीत द्वारा खाद के लिए दिए गए अनुदान का समायोजन

2–श्री मोहन सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्या यह सच है कि सहकारी गन्ना विकास समिति बीसलपुर, जनपद पीलीभीत द्वारा खाद पर वर्ष 80-81 में 10 प्रतिशत, 25 प्रतिशत 33 प्रतिशत अनुदान देने के बाद पुनः वसूला जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(श्री श्याम सूरत उपाध्याय)–

गन्ना विकास एवं चीनी मिल राज्य मंत्री

प्रश्नगत अनुदान का समायोजन संबंधित कृषकों को उनकी खाद की कीमत में करके भुगतान कर दिया गया है, उसकी वसूली नहीं की जा रही है ।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मैंने प्रश्न किया है कि 80-81 में किसानों को 25 प्रतिशत और 33 प्रतिशत अनुदान की घोषणा की गयी और बाद में वसूली की जाने लगी । माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि इसको समायोजित कर दिया गया । मैं यह जानना चाहता हूं कि यह समायोजन कब और किन तिथियों में किया गया ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय सदस्य को स्पष्ट कर दूं । तीन तरह के अनुदान थे –

1–सामान्य वर्ग के कृषकों के लिए 10 प्रतिशत

2–लघु कृषकों के लिए 25 प्रतिशत, और

3—सीमान्त कृषकों के लिए 33.3 प्रतिशत

इसमें समिति को जो रुपया मिला कृषि विभाग से, वह पूरा रुपया मिल गया । सभी किसानों को समायोजित कर दिया गया । लघु और सीमान्त कृषकों के लिए 85,385.18 रु0 था, यह प्राप्त नहीं हुआ था । जिस वजह से इसका समायोजन नहीं हो सका था, लेकिन आदेश दे दिया गया है कि यह रुपया भी कृषि विभाग से मंगा लिया जायगा और इन कृषकों से वसूली न की जाय ।

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, विसंगति का भी पता चल गया । मूल उत्तर में कहा गया कि समायोजित कर दिया गया, वसूली नहीं हो रही है । अनुपूरक में कहा गया कि कृषि विभाग से मंगा लिया जायगा और समायोजित कर लिया जायगा, भविष्य काल हो गया। दोनों का स्पष्टीकरण यह दें कि भविष्य में होगा या भूतकाल में हो गया?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

जो रुपया प्राप्त हुआ था, इसको समायोजित कर दिया गया, वसूली का सवाल नहीं है । जो खाद किसानों ने उधार ली थी, उसमें समायोजित कर दिया गया जो रुपया प्राप्त हुआ था जो प्राप्त नहीं हुआ है। उसमें आदेश है कि खाद की कीमत की वसूली अनुदान की राशि कम करके की जाय ।

सहायता तथा पुनर्वास विभाग के स्टाफ में कटौती

*3—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या सहायता पुनर्वास मंत्री कृपया बतायेंगे कि सहायता एवं पुनर्वास विभाग, लखनऊ द्वारा 1 फरवरी, 83 को जारी किए गए "सहायता तथा पुनर्वास विभाग में कार्य करने वाले कर्मचारियों में कमी" विषयक पत्रांक सं0 सप 273/31-43/82 के जरिए इस विभाग के कुछ कर्मचारियों की छटनी की जा रही है? यदि हां, तो क्यों तथा इन्हें सेवा में कहीं समायोजित न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक—

(क) जी हां ।

(ख) पुनर्वासन संबंधी कार्य में कमी हो जाने के कारण भारत सरकार ने स्टाफ में कटौती करने को कहा है । इसलिए कुछ कर्मचारियों की छंटनी करना जरूरी हो गया है

(ग) संबंधित कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित करने की कार्यवाही करने पर विचार हो रहा है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

मान्यवर, इस बात को ध्यान में रखते हुए कि यह जो कर्मचारी हैं, राज्य सरकार के कर्मचारी हैं । यह ठीक है कि यह योजना भारत सरकार की है और इसका संपूर्ण वित्तीय भार भारत सरकार वहन करती है, इसलिए कटौती की बात चल रही है । जब ये उत्तर प्रदेश सरकार के कर्मचारी हैं तो जब तक उनको उनके समान पद पर समायोजित न कर दिया जाय, तब तक उनकी छुट्टी न की जाय, इसका मैं आश्वासन चाहता हूं ।

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, पुनर्वासन योजना में ये कर्मचारी रखे गए थे । अब यह योजना समाप्त हो गयी है, थोड़ा सा काम बाकी है । इसके लिए भारत सरकार शत-प्रतिशत धन देती थी, अब उसने कह दिया है कि कोई धन नहीं दिया जायेगा । हम किसी भी कर्मचारी को या अधिकारी को कहीं न कहीं एडजस्ट करने या समायोजित करने के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं । तब तक

वे अपने काम में उनको बराबर अवसर दिया जायेगा कि वे काम करते रहें, इसका हम प्रयास कर रहे हैं ।

*4–श्री पंचानन राय–

[माननीय सदस्य की प्रार्थना पर स्थगित।]

देवरिया जिला मुख्यालय में तत्कालीन गन्ना अधिकारी द्वारा नियुक्त की गयी सामयिक लिपिकों की समाप्त सेवायें

*5–श्री बलवीर सिंह (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिला मुख्यालय में तत्कालीन गन्ना अधिकारी द्वारा वर्ष 1982 में बिना रोजगार दफ्तर के नाम मंगाये कितनी नियुक्तियां की गयीं और क्यों ?

गन्ना विकास एवं चीनी मिल मंत्री (श्री सुरेन्द्र पाल सिंह)–

वर्ष 1982 में बिना रोजगार दफ्तर से नाम मंगाये तत्कालीन जिला गन्ना अधिकारी द्वारा 4 गन्ना ग्राम सेवक तथा 7 सामयिक लिपिकों की नियुक्तियां की गयीं थीं

यह सभी नियुक्तियां अनियमित थी जिसके कारण नियुक्त कर्मचारियों की सेवायें समाप्त कर दी गयीं।

गन्ना विकास परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति नया वेतनमान दिए जाने की मांग

*6–श्री मोहम्मद नबी खां (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास परिषदों में कार्यरत कर्मचारियों को राजकीय कर्मचारियों की भांति नया वेतनमान 1-7-79 से दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार इन्हें सरकारी कर्मचारियों की भांति सुविधायें देगी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

गन्ना विकास परिषदों में कार्यरत परिषद् वेतनभोगी कर्मचारियों को नया वेतनमान दिनांक 1-7-79 से अथवा उनके द्वारा विकल्प चुनने की तिथि से दिए जाने के आदेश गन्ना आयुक्त के परिपत्र दिनांक 3-9-1982 द्वारा जारी किए जा चुके हैं ।

परिषदीय कर्मचारी राजकीय कर्मचारियों की परिधि में नहीं आते हैं । इनको परिषद् की आर्थिक स्थिति के आधार पर ही सुविधायें अनुमन्य होती हैं ।

*7–श्री सरदार सिंह–

[25वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या-6 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

आयुक्त बिक्री कर कार्यालय का विभागीय आडिट पार्टी द्वारा आडिट तथा कमियों को दूर करने हेतु कार्यवाही

*8–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि आयुक्त बिक्री कर कार्यालय का विभागीय आडिट पार्टी ने वर्ष 80-81 व 81-82 में आडिट किया था और अपनी आडिट रिपोर्ट में कुछ बातों पर एतराज किया था ? यदि हां, तो वह एतराज किस किस्म के हैं और किन पर लगाए गए हैं और क्या एतराज दूर कर दिए गए हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या इस संबंध में उनको विधायक यदुनाथ सिंह का पत्र सं0 765 दिनांक 12-12-83 को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्मदत्त)–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री यदुनाथ सिंह–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने का कष्ट करेंगे कि क्या कोई हमारा भी पत्र उन्हें मिला था 12-12-83 का ?

श्री ब्रह्मदत्त–

हां मान्यवर, पत्र प्राप्त हुआ है ।

वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में उच्च पदों पर रिक्त पद तथा नियुक्तियां

*9–श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या मुख्य मंत्री को जानकारी है कि उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा संवर्ग में अनेक उच्च पद लम्बी अवधियों से रिक्त पड़े हैं ? यदि हां, तो इन पदों पर नियुक्ति न करने का क्या कारण है?

श्री ब्रह्मदत्त–

उ0 प्र0 वित्त एवं लेखा संवर्ग में वेतनमान रू0 1660-2300 तथा उससे उच्चतर वेतनमान के केवल तीन पद रिक्त हैं । इनमें से एक पद अक्टूबर, 83 में, एक पद नवम्बर, 83 में तथा एक पद जनवरी, 84 में रिक्त हुआ है । पहले दो पदों पर प्रशासनिक दृष्टिकोण से अस्थायी व्यवस्थायें की गयी हैं । इन तीनों पदों पर स्थायी व्यवस्था शीघ्र करने पर विचार किया जा रहा है ।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आपने जानकारी दी है लिखित रूप में कि इन तीनों पदों पर स्थायी व्यवस्था शीघ्र करने पर विचार किया जा रहा है, तो कृपया आप यह बताने की कृपा करें कि कितने दिनों में आप इसकी स्थायी व्यवस्था कर देंगे, इन पदों पर नियुक्ति की ?

श्री ब्रह्मदत्त–

बहुत जल्दी कर देंगे ।

जनपद उन्नाव के चकबन्दी अधिकारी, क्षेत्र बिछिया के पेशकार श्री सूर्य बख्श सिंह के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा विभागीय कार्यवाही

*10–श्री भीखालाल

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद उन्नाव के चकबन्दी अधिकारी क्षेत्र बिछिया के पेशकार श्री सूर्य प्रकाश सिंह के विरुद्ध प्रश्नकर्ता के शिकायती पत्र दिनांक 7-9-83 पर जांच करा ली गयी है? यदि हां, तो जांच अधिकारी ने पेशकार के विरुद्ध क्या आख्या दी है? यदि अभिलेखों में जालसाजी करने आदि के आरोप सही पाये गये हैं तो उन पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नही, तो क्यों?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक–

जी हां।

जनपद उन्नाव के चकबंदी अधिकारी क्षेत्र बिछिया के पेशकार श्री सूर्य बख्श सिंह के विरुद्ध माननीय विधायक के शिकायती पत्र दिनांक 7-9-1983 की जांच चकबंदी अधिकारी बिछिया द्वारा की गई है। उनकी जांच आख्या दिनांक 18-1-84 में मुख्यत: निम्न बातें दर्शाई गयी हैं:–

1–ग्राम शाहपुर की धारा 9-क(2) की लगभग 40 पत्रावलियां मिसिलबन्द में गलत दर्ज हैं जबकि इन पत्रावलियों के क्रमांकों पर अन्य ग्रामों के वाद पक्ष एवं सारांशों का उल्लेख है। इसके अतिरिक्त इस ग्राम की कुछ पत्रावलियों का अमलदरामद स0 च0 अ0 के वाद संख्या से ही करा लिया गया है।

2–अनेकों पत्रावलियां एसी पायी गयी हैं जिन पर फर्दअहकाम पर पक्षों के हस्ताक्षर हैं किन्तु कार्यवाही का आदेश लिखा नहीं गया है और न पीठासीन अधिकारी के हस्ताक्षर हैं।

3–अनेकों पत्रावलियां एसी पायी गयी हैं जिन्हें निर्धारित तिथि पर केस डायरी में भरा नहीं गया है।

4–तीन पत्रावलियां ग्राम खालसा की एसी पायी गयी हैं जिन पर पीठासीन अधिकारी के फर्जी हस्ताक्षर बनाये गये हैं और उन पत्रावलियों का सहायक चकबंदी

अधिकारी के कार्यालय में पंजीकरण नहीं है।

5—अनेक पत्रावलियां ऐसी पायी गयी जिनमें चकबंदी अधिकारी के आदेश पारित होने के उपरान्त श्री सिंह ने स्वयं वाद दायर प्रार्थना पत्र लेकर बिना पीठासीन अधिकारी के परिज्ञान में लाये कार्यवाही संचालन करना प्रारम्भ कर दिया तथा अनेकों तिथियां बढ़ाकर पक्षों को दौड़ाया तथा परेशान किया।

6—दो फर्जी परवाना अमलदरामद बिना संबंधित पत्रावली के निर्णित हुए श्री सिंह ने अपने हस्ताक्षर से जारी कर अभिलेखों में अमलदरामद कराया।

प्रथम दृष्टि में अभिलेखों में जालसाजी करना, फर्जी अमलदरामद करने आदि अनियमितताएं सही पायी गयी हैं। श्री सिंह को निलम्बित कर विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दे दिये गये हैं।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

उत्तर में यह लिखा है अंत में कि वह प्रथम दृष्टि में अभिलेखों में जालसाजी फर्जी अमलदरामद आदि में दोषी पाया गया। तो मैं जानना चाहता हूं कि इस मामले में अभी तक विभागीय कार्यवाही ही क्यों हो रही है? जब जांच में साबित हो गया कि वह दोषी है, उसने नियमों का उल्लंघन किया है, तो उसके विरुद्ध जालसाजी और धोखाधड़ी से संबंधित केस क्यों नहीं चलाया जा रहा है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

मान्यवर, जैसे ही सूचना मिली, निलंबन का आदेश भेज दिया गया है। आगे की कार्यवाही जो माननीय सदस्य चाहते हैं कि उस पर तुरंत कड़ी कार्यवाही हो, तो सब छानबीन के बाद ही वह भी कार्यवाही हो सकती है। पहले एक मामले में वह निलंबित हैं और फिर वह निलंबन समाप्त होने वाला था कि एक दूसरा आदेश निलंबन का उनके पास भेज दिया गया है। हम इसको देख रहे हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो वैसे भी कार्यवाही की जायगी जैसा माननीय सदस्य चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष—

इस प्रश्न को मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति को सुपुर्द कर रहा हूं।

थाना जहांगीराबाद, जनपद बुलन्दशहर में श्री दलबीर सिंह अतिरिक्त गन्ना क्रय अधिकारी द्वारा दर्ज करायी गयी एफ0 आई0 आर0

*11—श्री छत्तर सिंह—

क्या गन्ना मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 20-1-83 को अपराध सं0 31 धारा 409, 467, 420 आई0 पी0सी0 के अन्तर्गत थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर पर दलबीर सिंह अतिरिक्त गन्ना क्रय अधिकारी दि किसान सहकारी चीनी मिल बुलन्दशहर ने लिखायी थी? उस संबंध में अब तक केवल लिपिक वर्ग के व्यक्तियों के विरुद्ध ही कार्यवाही की गयी तथा लेखाकार एवं गन्ना क्रय अधिकारी आदि जैसे उच्च वर्ग के कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही न करने का क्या कारण है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी हां, 54196.55 रुपये के गबन से सम्बन्धित सभी संवर्ग के, 14 अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध थाना जहांगीराबाद में दिनांक 20-1-83 को एफ0 आई0 आर0 दर्ज करायी गयी। पुलिस द्वारा जांच कार्य किया जा रहा है।

2. चीनी मिल समिति के संबंधित कर्मचारियों के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की गई। चीनी मिल के अधिकार क्षेत्र में आने वाले कर्मचारियों को निलंबित किया गया है और अस्थायी कर्म-

---

नोट:—तारांकित प्रश्न संख्या 10 श्री विद्या सागर नौटियाल की रुचि पर लिया गया।

चारियों को कार्य पर न लेने की कार्यवाही की गई। प्रतिनियुक्ति पर आये अधिकारियों/ कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया ताकि उनके विरुद्ध जांच ठीक प्रकार से हो सके। प्रतिनियुक्त अधिकारियों के विभागाध्यक्ष को चीनी मिल संघ लखनऊ के माध्यम से रिपोर्ट प्रेषित की जा चुकी है, एवं विभागीय जांच हेतु प्रधान प्रबंधक अनूपशहर चीनी मिल को जांच अधिकारी नियुक्त किया जा चुका है जिनके द्वारा जांच कार्य सम्पन्न किया जा रहा है।

*12–श्री हरगोविन्द वर्मा–

[दिनांक 17-2-84 को अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या-2 द्वारा उत्तरित।]

ग्राम ऊघई के गजट नोटिफिकेशन के बाद किये गये बैनामे को चकबन्दी अधिकारी द्वारा अवैध घोषित किया जाना

*13–श्री रामस्वरूप निम (अनुपस्थित)–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खसरा खतौनी नं0 604 ग्राम ऊघई कव चकबन्दी के गजट नोटीफिकेशन के बाद बैनामा किया गया था जिसे सी0 ओ0 चकबन्दी सहपऊ मथुरा ने अपने निर्णय में चकबन्दी एक्ट के मुताबिक अवैध घोषित कर दिया था तथा जिसने बैनामा कराया था उसे अधिग्रहण के अधिकारों से भी वंचित कर दिया था? यदि हां, तो उसकी मूल्य दर क्यों नहीं लगायी गयी तथा चकबन्दी कार्यालय ग्राम ऊघई में होते हुए भी उसका अवैध निर्माण क्यों कराया गया? क्या इस सम्बन्ध में अवैध निर्माण को रोकने के लिये ए0 डी0 एम0, मथुरा श्री बाजपेई को 31-1-84 को लिखित पत्र दिया गया है? यदि हां, तो क्या अवैध निर्माण रोका गया है? नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम ऊघई को गजट नोटिफिकेशन के पश्चात् गाटा संख्या 604 का बैनामा किया गया था। उक्त बैनामा दाखिल खारिज की आपत्ति चकबंदी अधिकारी द्वारा निरस्त कर दी गई परंतु भूमि अधिग्रहण के अधिकार से वंचित नहीं किया गया। चकबंदी अधिकारी के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपील विचाराधीन है।

गाटा संख्या 604/1, 0,24 डि0 चकबंदी क्रियाओं से पृथक किया गया था जिसका मूल्यांकन लगाना आवश्यक नहीं था जो नियमित है। इसी भूमि का अंश 604/2, 0,16 डि0 का मूल्यांकन लगाया गया है जो चकबंदी क्रियाओं के अंतर्गत है।

चकबंदी स्टाफ द्वारा कोई अवैध निर्माण नहीं कराया गया।

अवैध निर्माण रोकने संबंधी लिखित पत्र दिनांक 31-1-1984 बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी को दिया गया था। जिस पर सर्वश्री कल्याण सिंह, सौदान सिंह तथा बाबू लाल पुत्र श्रीमती धनवंती को नोटिस देकर बुलाया गया जिन्होंने दिनांक 3-2-84 को लिखित रूप में चकबन्दी अधिकारी/सहपऊ को दिया है कि उन्होंने निर्माण रोक दिया है।

सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) के पदों की छटनी तथा नायब तहसीलदार के पद हेतु चुने गये छंटनीशुदा कर्मचारियों की ज्येष्ठता का निर्धारण

*14–श्री मलिक मुहम्मद कमाल यूसुफ (अनुपस्थित)–

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1968 में राज्य सरकार ने सहायक विकास अधिकारी (उद्योग) के पदों की छंटनी की थी? क्या उस समय या उसके पूर्व छंटनीशुदा कर्मचारियों को खपाये जाने एवं खपाने जाने वाले विभाग में "इन्टर सी सीनियारिटी" देने का भी शासनादेश किया गया था? यदि हां, तो वर्ष 1967 से 1971 तक नायब तहसीलदार के पद पर नियुक्त किये गये छंटनीशुदा कर्मचारियों की इन्टर सी सीनियारिटी आज तक क्यों नहीं निर्धारित की गयी जबकि वे भी लोक सेवा आयोग से चुने गये एवं

समकक्ष वेतनमान के कर्मचारी थे? यदि इन्टर सी सीनियारिटी देने का मामला लम्बित है तो कब तक हल हो जाने की सम्भावना है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

जी हां।

वर्ष 1967 से 1971 तक नायब तहसीलदार के पद हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा चुने गये छंटनीशुदा कर्मचारियों की ज्येष्ठता यद्यपि आयोग द्वारा निर्धारित श्रेष्ठता क्रम में नियमानुसार निर्धारित की जा चुकी थी, तथापि सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 14-4-1983 तथा 18-7-1983 के अनुपालन में ऐसी कोटि क्रम सूची को नये सिरे से पुनः तैयार करने की कार्यवाही राजस्व परिषद् स्तर पर की जा रही है।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए मामले में कुछ समय लगना संभाव्य है।

*15–श्री अकबर हुसैन–

[10वें बुधवार में तारांकित प्रश्न संख्या-16 के अन्तर्गत स्थानान्तरित ।]

राजकीय कोषाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन के अनुपात में अन्तर

*16–श्री सिकन्दर अली खां नवाब, श्री अजहर इमाम तथा श्री राम आसरे वर्मा (अनुपस्थित)–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन् 1952 में राजकीय कोषाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के वेतन में क्या अनुपात था और अब क्या है ? यदि इसमें समानता नहीं रखी गयी है, तो क्यों?

श्री दृहमदत्त–

राजकीय कोषाध्यक्ष की नियुक्ति अंशकालिक, अस्थायी तथा उनसे सम्पादित किए गए अनुबंध (कन्ट्रैक्ट) के आधार पर होती है । उनको नियत वेतन दिया जाता है जो उनसे ली गयी जमानत की धनराशि सम्बद्ध रहती है। वर्ष 1952 में उक्त जमानत की तीन श्रेणियां थी तथा तदनुसार नियत वेतन की प्रमुख तीन दरें थीं जो बैंकिंग और नानबैंकिंग कोषागारों हेतु अलग-अलग उपदरों में विभक्त थीं ।

वर्तमान में जमानत की चार श्रेणी एवं तदनुसार नियत वेतन की चार प्रमुख दरें अनुमन्य हैं ।

राजकीय कोषाध्यक्ष के अधीन कैश कर्मचारियों को वर्ष 1952 में नियत वेतन अनुमन्य था किन्तु अब इन्हें वेतनमानों के अनुसार वेतन दिया जाता है । कैश कर्मचारियों के आंगणित औसत वेतन के सापेक्ष राजकीय कोषाध्यक्षों को अनुमन्य नियत वेतन के अनुपातों का विवरण संलग्नक–1 एवं 2 के रूप में संलग्न है ।

2–कोषाध्यक्ष एवं उसके अधीन कैश कर्मचारियों को देय वेतन के स्वरूप अब भिन्न हैं । अतः आनुपातिक समानता रखे जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

(देखिए नत्थी "क" आगे पृष्ठ 139-140 पर।)

देवरिया जनपद की खड्डा चीनी मिल में टरबाइन के जलने के कारणों की जांच

*17–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार बतायेगी कि देवरिया जनपद की खड्डा चीनी मिल 22 दिसम्बर, 83 से बन्द हो गयी है ? यदि हां, तो खड्डा चीनी मिल का टरबाइन जो अभी नया लगा था जल गया है ? यदि हां, तो उसके बन्द होने के कारणों और टरबाइन के जलने के कारण की जांच होगी ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां, खड्डा चीनी मिल के विस्तारीकरण परियोजना के अन्तर्गत जो टर्बो-आल्टरनेटर लगाया गया था उसका ए0सी0 जनरेटर (आल्टरनेटर) प्लान्ट के परीक्षण पेराई काल में दिनांक 22 दिसम्बर,

1983 को जल गया जिसके कारण फैक्ट्री 22 दिसम्बर, 1983 से 12 जनवरी, 84 तक बन्द रही।

आल्टरनेटर की त्रुटियों को मरम्मत करके दूर करने के प्रयास किए गए और आल्टरनेटर के बनाने वालों ने मरम्मत किए गए आल्टरनेटर को बिल्कुल बदलने हेतु एक नए आल्टरनेटर स्टेटर की आपूर्ति भी कर दी है। भारी यंत्र-संयंत्र में किसी प्रकार की यांत्रिक त्रुटि आ जाना कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। उक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं इन परिस्थितियों में जबकि प्लान्ट सप्लायर्स ने त्रुटिपूर्ण यंत्र के स्थान पर नया यंत्र दे दिया है, किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता नहीं रह जाती।

श्रीमती गौरी देवी–

क्या माननीय मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि 22 दिसम्बर से फैक्ट्री बन्द रहने से जो गन्ना नहीं पेरा जा सका अर्थात् जब तक उस क्षेत्र का सारा गन्ना न पिर जाय तब तक मिल न बन्द करने का वादा माननीय मंत्री जी करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जब सभी कृषकों का गन्ना पिर जायगा तभी मिल बन्द होगी।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह खड्डा की मिल पिछली बार पांच करोड़ से आठ करोड़ रुपया व्यय करके लगायी गयी और एक ही वर्ष में इस तरह से विक्षिप्त हो जाय और एक मशीन समाप्त हो जाय तो क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच करायेंगे? मेरी निश्चित जानकारी है कि वहां के सामान्य प्रबन्धक और चीफ केमिस्ट में आपसी झगड़ा है और इस आपसी झगड़े के कारण इस तरह की बदमाशी की गयी है। यह जो वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है उसमें कितना पैसा अतिरिक्त व्यय होने का अनुमान है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जब मशीन बिगड़ी तो तत्काल बनवाने की कार्यवाही की गयी और वैकल्पिक व्यवस्था में एक मशीन जिसे उसी कम्पनी ने बनाया है लगाने की व्यवस्था है लेकिन तब तक मशीन बन गयी। अगर यह मरम्मत होने के उपरान्त भी ठीक से काम नहीं करती है तो उसको बदल दिया जायगा। अल्टरनेटर को लगाने में 10–15 दिन और लग जाते लेकिन अगर फिर भी कोई खराबी होगी तो नयी मशीन लगा दी जायगी।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि सामान्य प्रबन्धक के विरुद्ध भ्रष्टाचार के गम्भीर आरोप शासन को मिलते रहे हैं, और जो वह सामान खरीदते हैं, उस पर भारी कमीशन लेकर माल रद्दी किस्म का खरीदा जा रहा है? मान्यवर, यह बीमारी अकेली नहीं है, इसके पहले भी यह फैक्ट्री बन्द हो चुकी है। तो क्या माननीय मंत्री जी यह आश्वासन देंगे कि इस पर जो रुपया खर्च हुआ है और धन का अपव्यय हुआ है तथा फैक्ट्री आज भी नहीं चल रही है तो क्या इसकी जांच कराने के लिए एक सदन की कमेटी बनायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जो जनरल मैनेजर के विरुद्ध शिकायत की बात है उसके लिये सूचना की आवश्यकता है। इनमें मशीन के बदलने की जरूरत है। नई मशीन लगाने का प्रश्न नहीं है। जिस कम्पनी की यह मशीन है, उसकी यह मशीन परीक्षण काल में बिगड़ गयी है तो

उसको रिप्लेस किया जा रहा है। लिहाजा नये खर्च का सवाल नहीं है और न ही कोई जांच की आवश्यकता है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, शायद माननीय मंत्री जी को इस बात की जानकारी नहीं है कि जब एक बार चीनी मिल में लगी आग बन्द हो जाती है तो उसको फिर से जेनरेट करने के लिए 10 हजार रुपये का खर्च आता है। 12 दिन तक यानी 36 शिफ्ट हो गई, इसके बन्द रहने से लगभग साढ़े तीन लाख रुपये खर्च हो गये और इतने का नुकसान हो गया। मजदूरों को वेतन नहीं दिया गया और किसानों को परेशानी अलग से हो गई। यह मशीन नई आयी और तुरन्त बिगड़ गई और काम करने के लायक नहीं रह गई तो इससे स्पष्ट होता है कि वह मशीन घटिया किस्म की थी। जो शिकायतें मैंने बताई वह तो आपकी पत्रावली में होगी, क्या आप उनको देखेंगे? अनेक प्रकार की शिकायतें मशीनों की खरीद-फरोख्त में हुई हैं और करोड़ों रुपये की बैंगलिंग हुई है। जहां इस तरह से शासकीय धन का अपव्यय हुआ है। इस चीज को देखते हुए उदारतापूर्वक क्या माननीय मंत्री जी इसकी जांच के लिए इस आदरणीय सदन की एक समिति गठित करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, 22 दिसम्बर को यह मशीन बन्द हुई और 12 जनवरी को बड़ी तत्परता से इस पर काम शुरू हो गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय काशीनाथ जी, यह आप किस तरह से जा रहे हैं? दूसरी तरफ से होकर जाना चाहिए था।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह अनुशासनहीन है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय ओझा जी जानते हैं कि जो मशीन है, वह ज्योति लिमिटेड की मशीन है। उसको रिप्लेस करने में मिल का खर्चा नहीं हुआ है। लिहाजा जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह दूसरी चीज है कि मिल का खर्चा नहीं हुआ। मैंने कहा कि जब एक बार मिल की आग बन्द हो जाती है तो उसको फिर से जैनेरेट करने के लिए 10 हजार रुपये लगता है। क्योंकि फिर नये सिरे से उसे चलाना पड़ता है। 23 दिन इसमें लग गये। दूसरी बात यह है कि यह मशीन पीक सीजन में बन्द हुई। बार-बार आग लगने में फ्यूल का खर्चा, होता है। हम उस एरिये से सम्बन्धित हैं और हमें जानकारी है कि अगर मिल एक घन्टा फेल हो जाती है तो किसानों का दम टूटने लगता है। 23 दिनों तक पीक सीजन में यह मशीन बन्द रही। तो माननीय मंत्री जी उदारतापूर्वक इस मामले की जांच करने के लिए एक समिति बनाने की घोषणा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, माननीय सदस्य को जानकारी होनी चाहिए कि किसी भी मशीन में कभी भी कोई खराबी आ जाया करती है। अगर वह खराबी जानबूझकर आयी हो तब तो जांच की आवश्यकता होती है। इसकी जानकारी नहीं थी कि केबुल इंसुलेशन खराब हो जायेगा। इसलिये इसकी जांच की क्या आवश्यकता है।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, 22 दिन तक पीक सीजन में यह फैक्ट्री बन्द रही। जिससे गन्ने की सप्लाई और चीनी के प्रोडक्शन में अन्तर

आया। यह किसी न किसी टेक्निकल फाल्ट की वजह से खराब रही। तो किसी की आप जिम्मेदारी फिक्स करेंगे कि चीनी के प्रोडक्शन का लास किस कारण से हुआ? इसकी जांच करने में आपको क्या आपत्ति है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, 23 दिन नहीं, 20 दिन बन्द रही लेकिन कोई ऐसी चीज नहीं थी कि जानबूझकर बन्द रही हो या खराब की गयी हो। यदि जानबूझकर किया गया होता तो कहा जा सकता था कि मशीन क्यों बिगड़ी, कैसे बिगड़ी। इसलिये इस पर जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, यह बहुत खेद का विषय है। जिस मिल के संचालन के लिए चीफ इंजीनियर, चीफ केमिस्ट और एक तकनीकी स्टाफ स्थाई रूप से रहता है। उस मिल के बारे में माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें कि एक साधारण गड़बड़ी हो गयी, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। इसकी जांच का महत्व इसीलिए है कि इन सारे तकनीकी विशेषज्ञों के रहते हुए एक नयी मशीन जो लगाई गयी थी, जिस पर आरोप यह है कि या तो मशीन खराब थी या फिर सेकिंड हैण्ड मशीन आई या फिर उसको चलाने वाले ठीक नहीं हैं। जो तकनीकी विशेषज्ञ इसके लिए वेतन पा रहे हैं या फिर वह विशेषज्ञ नहीं कोई बेवकूफ विशेषज्ञ हैं, जिनके रहते यह गड़बड़ हो गयी। फैक्ट्री साल में 90, 95 या 100 दिन चलती है उसमें से 23 दिन वह बन्द हो जाय और किसान परेशान हो जायं तो इसको माननीय मंत्री जी कोई अहमियत नहीं दे रहे हैं। तो क्या इन बिन्दुओं पर वह जांच करायेंगे कि क्या मशीन ही तो पुरानी नहीं थी जो इतनी जल्दी कमीशन करने के बाद ही खराब हो गयी या इन लोगों को तकनीकी जानकारी न होने के कारण मशीनें खराब हो गयी और उन्होंने तकनीकी गड़बड़ी को ठीक से जांच नहीं की और वह लापरवाही के कारण खराब हो गयी? तो इन बिन्दुओं की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, एक कम्पनी ने उसकी सप्लाई की और मरम्मत की। उसके बाद एक और एजेन्सी ने जो इंडिपेन्डेंट एजेन्सी है, नेशनल फेडरेशन आफ कोआपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज नई दिल्ली परीक्षण करती है। इन्होंने, प्लांट जब लगाया गया, परीक्षण किया और परीक्षण रिपोर्ट दी कि मशीन ठीक है, ठीक लगाई गयी है। तो इसके बाद जब मिल चालू हुई तो बीच में गड़बड़ी आ गयी। तो कैसे समझें कि मशीन में कोई गड़बड़ी थी। मैं समझता हूं कि इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है।

घुघली गन्ना समिति क्षेत्र में गन्ने का पड़ताल कर समिति के कर्मचारियों द्वारा धन कमाने के विरुद्ध शिकायती पत्र तथा जांच

*18–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि जनवरी, 84 में श्री रामाश्रय प्रसाद जायसवाल, अध्यक्ष जिला युवा जनता गोरखपुर ने इस आशय की शिकायत उनसे की है कि घुघली गन्ना समिति क्षेत्र में विभागीय निदेश के बाद भी 30-6-83 के बाद गन्ना का पड़ताल कर समिति के कर्मचारियों ने भारी धन

उगाहा है? यदि हां, तो इस शिकायत की क्या जांच कराई गई? यदि हां, तो कब एवं किस अधिकारी द्वारा? यदि नहीं, तो क्यों और जांच कब तक हो जायेगी।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

जी हां।

मामले की जांच गन्ना आयुक्त के जांच दल अधिकारी मुख्यालय से कराई जा रही है। जांच प्रगति पर है और शीघ्र पूर्ण करा ली जायेगी

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि शिकायत किस तारीख को प्राप्त हुई और जांच दल केन कमिश्नर साहब के यहां से कब गया और जांच की प्रगति पर कोई इंटेरिम रिपोर्ट आई है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जनवरी, 1984 में शिकायती पत्र प्राप्त हुआ और जांच दल यहां से 25 मार्च, 1984 को भेजा गया है। अभी कोई इंटरिम रिपोर्ट नहीं आई है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी परस्पर विरोधी बात बता रहे हैं। मूल प्रश्न के उत्तर में कहा कि जांच प्रगति पर है। फिर अनुपूरक प्रश्न में कहते हैं कि जांच की कोई रिपोर्ट नहीं आई है। जब रिपोर्ट नहीं आई तो जांच प्रगति पर कैसे है। मेरी सुनिश्चित जानकारी है कि यहां से कोई जांच दल गया ही नहीं, बल्कि वहीं अधिकारी जांच कर रहे हैं जिन पर आरोप है। तो क्या माननीय मंत्री जी आश्वासन देंगे कि जो जांच दल गया है, वह शिकायतकर्ता से और अगर संभव हो तो क्षेत्रीय विधायक होने के नाते मुझसे भी संपर्क स्थापित करेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जो सूचना मुझे मिली है, जांच दल यहां से 25 मार्च को रवाना हो चुका है। अभी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। जहां तक माननीय ओझा जी से संपर्क की बात है, मैं आदेश दूंगा कि अवश्य ही उनसे भी बातचीत कर लें।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि शिकायती पत्र में मुख्य-मुख्य कौन सी शिकायतें हैं और उनमें से कितनी शिकायतों की जांच हो गयी है और उसके क्या परिणाम निकले हैं?

श्री अध्यक्ष–

उन्होंने बताया कि अभी जांच चल रही है।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

शिकायतें तो माननीय सदस्य श्री जनार्दन प्रसाद ओझा ने अपने प्रश्न में किया है कि 30 जून, 1983 के बाद गन्ना का पड़ताल कर उगाहा गया है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

आरोपों की गंभीरता की तरफ मंत्री जी का ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक एसे अधिकारी के पास, जिसके पास आधा एकड़ भी जमीन नहीं है, उसको 80 हजार रुपया कर्ज दिया गया है। जबकि गन्ना समिति के नियमानुसार 80 रुपये भी नहीं मिलना चाहिये, उस अधिकारी का नाम दीनानाथ है जो वहां मैनीपुलेट कर रहा है और नियमानुसार वहां एक टायर गन्ने का भी पड़ताल कर नहीं होना चाहिये। जबकि करीब 100 टायर गन्ने का पड़-

ताल किया गया है। श्री दीना नाथ जिम्मेदार अधिकारी हैं। जो इस प्रकरण के जिम्मेदार हैं। और प्राइमा फेसाई मैंने उदाहरण दिया कि उनको 80 रुपये भी कर्ज नहीं मिलना चाहिये, चूंकि जमीन कम है। यह बंजरिया का मामला है, जो घुघली गन्ना समिति के क्षेत्र में पड़ता है। इसलिये क्या मंत्री जी जांच ठीक से हो और ऐसे गम्भीर आरोप हैं, तो उस अधिकारी, श्री दीना नाथ, को वहां से हटाकर जांच करवायेंगे?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, मुख्यालय से जांच दल गया हुआ है शिकायतों की जांच करने हेतु और यदि शिकायतें सही पायी गयीं तो उनका स्थानान्तरण ही नहीं उनको मुअत्तल किया जायेगा। लेकिन जांच रिपोर्ट तो आने दें।

रामपुर जिले में बाढ़ का कारण तथा जिलाधिकारी को रेडियोग्राम से दी गयी सूचना एवं आर्थिक सहायता

*19श्री मुहम्मद आजम खां–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि 23/24 सितम्बर, 83 की रात को रामपुर में आई भयानक बाढ़ का क्या कारण था? क्या इसकी सूचना जिलाधिकारी को किसी रेडियोग्राम द्वारा हुई थी? यदि हां तो, इसे रोकने हेतु क्या उपाय किये गये तथा वह जाने वाले लगभग 200 गांवों को क्या राहत दी गई तथा समाप्त हो जाने वाले गांवों को अभी तक न बसाये जाने का क्या कारण है?

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक–

दिनांक 23/24 सितम्बर, 1983 को रामपुर जिले में अतिवृष्टि होने तथा नैनीताल जिले में स्थित जलाशयों से पानी छोड़े जाने के कारण रामपुर जिले में बाढ़ आ गई थी।

जलाशयों से पानी छोड़े जाने की पूर्व सूचना जिलाधिकारी रामपुर को समय से प्राप्त नहीं हुई थी। इस सम्बन्ध में हरिपुरा जलाशय का रेडियोग्राम संदेश दिनांक 23-9-83 रामपुर जिले में दिनांक 4-10-83 को प्राप्त हुआ था।

बाढ़ से जनपद का कोई भी गांव पूर्ण रूप से नहीं बह गया किन्तु जनपद के 6 ग्रामों में आबादी के कुछ भाग कट गये। इन ग्रामों के प्रभावित व्यक्तियों को सुरक्षित स्थानों पर बसाया गया। बाढ़ विस्थापितों को पुर्नवासन हेतु 5 एकड़ भूमि भी रिक्यूजीशन कर ली गई है।

जिले के बाढ़ प्रभावितों को 4,45,919 रुपया अहेतुक सहायता, 34,36,800 रु0 गृह अनुदान तथा 8,000 रु0 अनुग्रह अनुदान के रूप में वितरित किया गया।

श्री मुहम्मद आजम खां–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर प्रश्न है। मैं यह जानकारी मंत्री जी से चाहूंगा कि 23 और 24 तारीख को जो बाढ़ आयी थी, उसकी सूचना 23-9-83 को रेडियोग्राम द्वारा भेजी गयी। मैं यहां पहले भी कह चुका हूं। महिला जिला अधिकारी हैं। यह रेडियोग्राम उनको 4-10-83 को मिला, यह सूचना यहां गलत आयी। रेडियोग्राम 23 तारीख को शाम को 5 बजे ही मिल गया था और यह रेडियोग्राम जिलाधिकारी की टेबिल पर रखा रहा। लेकिन वह न तो जनता से मिलती हैं और न कोई दिलचस्पी ही लेती है। इसलिये 23 तारीख का आया रेडियोग्राम शाम के 5 बजे डी0 एम0 की टेबिल पर रखा गया। उसको देखने के बाद अगले दिन व्यवस्था और दौड़ भाग की गयी। लेकिन यह दौड़ भाग तब की गयी जबकि आधा शहर डूब गया था। इसलिये यह रेडियोग्राम की सूचना गलत है कि 4-10-83 को

प्राप्त हुआ। यदि यह सूचना सही है कि 23 तारीख का चला हुआ रेडियोग्राम, बाढ़ के सम्बन्ध में, जिससे 250 ग्राम बह गये, हजारों जानवरों और करोड़ों रुपये की संपत्ति बरबाद हो गयी, 11 दिन बाद क्यों पहुंचा और इस देरी के लिये जिम्मेदार अधिकारियों को क्या सजा दी गयी? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि यह रेडियोग्राम तनहा नहीं आया था, टेलीफोन पर टेलीफोन आये थे, बार-बार आये थे, मैसेंजर आया था। लेकिन जिलाधिकारी को हम तो समझते थे कि इस तबाही के बाद उसको सस्पेन्ड कर दिया जायेगा। और हाई लेवेल कोई कमेटी फार्म करके इंक्वायरी हो रही है, किन्तु ऐसा कुछ नहीं हुआ है, लिहाजा वह मैसेंजर जो डी0 एम0 से मिलने आया, उससे मिलने से क्यों इंकार किया गया? जो रेडियोग्राम आया उसको तुरन्त क्यों नहीं दिया गया, उस पर तुरन्त कार्यवाही क्यों नहीं की गई? और वह कौन जिम्मेदार अधिकारी थे, जिन्होंने उस रेडियोग्राम को दबाया?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

माननीय सदस्य ने बहुत लम्बा प्रश्न पूंछा है एक तरह का वह उनका भाषण है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे पास जो सूचना है रेडियोग्राम पहुंचने की, वह 4/10 की है। परन्तु जो माननीय सदस्य कहते हैं कि उसी दिन आ गया था तो उसकी छानबीन कर ली जाएगी और जहां तक बाढ़ पीड़ितों की सहायता का सवाल है तो वह हमारी तरफ से उसी वक्त जैसे बाढ़ आई, कार्य शुरु हो गया था। मैं पढ़े देता हूं कि कितना धन उनको दिया गया था..

(व्यवधान)

आप बात तो सुन लें। 72 लाख 8 हजार रुपया एक दिया है और 50 हजार रुपया कल ही भेजा है। यह गृह अनुदान है और अहेतुक सहायता भी दी गई है।

(व्यवधान)

असहाय व्यक्तियों को सहायता दी गई

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी, जो जिलाधीश रामपुर को यह मिला है कागजात, रेडियोग्राम आदि, इस बात की आप जांच करायेंगे कि वह जिस दिन बाढ़ आयी उससे पहले ही उनको मिल गया था, जैसा आजम खां कह रहे हैं। साढ़े पांच बजे के करीब वह उनको, प्राप्त हो गया था। इस पर आप विशेष जांच करवा लें।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

पता कर लेंगे।

श्री मुहम्मद आजम खां–

इस हिसाब से 11 दिन लगा है। तो क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि रेडियोग्राम तो उनको 11 दिन बाद मिला, तो फिर जिलाधिकारी को उससे पहले कैसे मालूम हो गया कि रामपुर में बाढ़ आ गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

मान्यवर, यह तो साधारण समझ की बात है। जिस गांव में पानी आया, गांव-वालों को पानी का मालूम हो गया और उन्होंने जिलाधिकारी और तहसीलदार को सूचना भेजी और वहां से राहत कार्य आरम्भ हुआ।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस प्रश्न को स्थगित करता हूं। इसलिए स्थगित करता हूं कि आप इसमें जो पूरे कागजात हैं कि कब वहां से चला, कब आया और कब जिलाधीश को मिला, यह सब जानकारी आप सही रूप से प्राप्त कर लें। क्योंकि इसमें

ढाई सौ के करीब गांव डूब गए हैं । सब जानकारी करने के बाद आप यहां पर उत्तर देंगें। (व्यवधान) अब आप लोग बैठिये, यह सब मामले की जांच करायेंगे और यह दुबारा सवाल आयेगा।

*20–श्री प्रभूनारायण सिंह–

[25वें मंगलवार में तारांकित प्रश्न संख्या-8 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

अतारांकित प्रश्न

जनपद बिजनौर के शक्ति चालित क्रेशरों के मालिकों पर देय लाइसेन्स शुल्क

1–श्री सूबेदार सिंह–

क्या गन्ना मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बिजनौर के शक्ति चालित क्रेशरों के किन-किन मालिकों पर 1981-82 और 83 के लाइसेन्स शुल्क देय हैं?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

सत्र 81-82 व 82-83 में जनपद बिजनौर के किसी भी शक्ति चालित क्रेशर के मालिक पर लाइसेंस शुल्क देय नहीं है।

बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी एवं चकबन्दी अधिकारी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायती पत्र

2–श्री बाबूराम–

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी एवं चकबन्दी अधिकारी, प्रतापगढ़ के विरुद्ध शिकायती-पत्र वहां के कर्मचारियों, ग्राम देहगरी, जमालपुर के ग्राम प्रधान एवं ग्राम भुवालपुर डोमनीपुर के निवासियों ने सम्बन्धित अधिकारियों को माह मई, जून,, 1982 में दिए थे ? यदि हां, तो इन पत्रों में मुख्य शिकायतें क्या थीं तथा उन पर बिन्दुवार अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम देहगरी जमालपुर के प्रधान गांव सभा श्री शिवमंगल प्रसाद द्वारा दिनांक 25-5-1982 का शिकायती पत्र प्राप्त हुआ इस शिकायती पत्र में मुख्य शिकायत यह थी कि चकबंदी अधिकारी श्री रामशंकर त्रिपाठी ने गांव सभा की भूमि पर वाद संख्या 7378 व 7379 तारीख फैसला 26-12-1981 द्वारा नाजायज ढंग से आदेश कर दिये।

उक्त आरोप के सम्बन्ध में जांच कराई गयी जांच से प्रश्नगत वादों का निस्तारण अभिलेखीय प्रमाण एवं मौखिक साक्ष्य के अनुसार गुण दोष के आधार पर करना पाया गया।

ग्राम भुवालपुर डोमीपुर के निवासियों का गुमनाम प्रार्थना पत्र दिनांक 24-5-1982 श्री लक्ष्मी सिंह सहायक चकबन्दी अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं ग्राम में चक निर्माण कार्य में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ था इस शिकायती पत्र की जांच करायी गयी । जांच से शिकायती पत्र के कथन सारहीन पाये गये।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का ग्राम बाहरपुर जिला सुल्तानपुर के चकबन्दी समिति के सदस्यों के विरुद्ध शिकायती-पत्र

3-श्री बाबूराम तथा श्री दूधनाथ राजभर-

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का शिकायती-पत्र दिनांक 3-1-84 ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के चकबन्दी समिति के सदस्यों के विरुद्ध प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?

नोटः–तारांकित प्रश्न संख्या 19 के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र बन्दोबस्त अधिकारी चक-बन्दी सुल्तानपुर को आवश्यक जांच कर उचित कार्यवाही करने तथा कृत कार्यवाही से अवगत कराते हुए जांच आख्या भेजने के निर्देश दिये गये हैं।

वैसे सर्वश्री दयाराम व राम आसरे आदि निवासी ग्राम बाहरपुर परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुलतानपुर का शिकायती पत्र दिनांक 20-9-83 चकबन्दी समिति के विरुद्ध बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी मुसाफिरखाना सुलतानपुर को प्राप्त हुआ था जिसे अपील मानकर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी मुसाफिरखाना जनपद सुल्तानपुर ने आदेश दिनांक 16-1-1984 द्वारा निर्णय दिया है, जिसके अन्तर्गत चकबन्दी कमेटी के सदस्यों की सूची में सर्वश्री राम सरन सुत बदल तथा दयाराम सुत राम फली का नाम अंकित किये जाने का आदेश हो चुका है।

4–श्री बाबू राम–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद गोरखपुर के ग्राम लालगंज व कोड़ईया सहित अनेक गांवों के किसानों की एयर फोर्स हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि तथा ग्रामवासियों द्वारा आवागमन के रास्ते की मांग

5–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद तह0 सदर, ग्राम लालगंज व कोड़ईया सहित अनेक गांवों के किसानों की जमीन एयर फोर्स के लिये अधिग्रहीत कर लिये जाने के बाद चारों ओर से दीवार खड़ी कर दी गयी है, जिससे उपरोक्त गांवों की जनता को किसी ओर से निकलने का रास्ता नहीं रह गया है? यदि हां, तो उपरोक्त गांवों की जनता को रास्ता देने की सरकार क्या कार्यवाही कर रही है? क्या इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता सहित ग्रामीणों ने जिला अधिकारी, गोरखपुर को 10 पत्र जुलाई, 81 से अब तक दे चुके हैं? परन्तु कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों और कब तक उनके लिये रास्ता बना दिया जायगा?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

मामले से सम्बन्धित ग्रामवासियों के दो आवेदन पत्र दिनांक 23-8-82 तथा 30-8-83 प्राप्त हुए थे, जिस पर जिला अधिकारी ने विंग कमान्डर एयर फोर्स से सम्पर्क किया। विंग कमान्डर ने अपने पत्र दिनांक 3-9-82 में उल्लेख किया है कि ग्रामवासियों के परम्परागत रास्ते को अवरोधित नहीं किया जायेगा। उक्त ग्राम वर्तमान समय में चकबन्दी प्रक्रियाओं के अन्तर्गत है। चकबन्दी में ग्रामवासियों को आने-जाने हेतु रास्ता निकालने का प्रयास किया जा रहा है।

जिला जालौन में प्यारे लाल आदि द्वारा अराजदराग्द सरकारी कागजात में होने हेतु दिया गया प्रार्थना पत्र

6–श्री सुरेशदत्त पालीवाल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला जालौन में प्यारे लाल आदि द्वारा मु0 नं0 3536, 3540 अन्तर्गत धारा 8 का, जो चकबन्दी अधिनियम मौजा बोहदपुरा, परगना उरई, उन्नाव मुकदमा रामस्वरूप सिंह आदि बनाम नत्थू सिंह आदि मौजा मोहदपुरा में आदेश च0अ0 अन्तिम अभिलेख उरई तारीख फ0 16-3-83 ई0

का अमलदरामद सरकारी कागजात में होने हेतु प्रार्थना-पत्र दि0 7-9-83 को उन्हें दिया गया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

प्रश्नगत प्रार्थना-पत्र बन्दोबस्त अधिकारी, चकबंदी, जालौन को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजा गया परन्तु न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण अभी तक अमलदरामद सम्भव नहीं हो सका है।

गांव सभा लखनपुर, जिला वाराणसी में आने जाने के आम रास्ते में श्री मेवा लाल इबलाल वगैरह द्वारा बैलों की नाद तथा दीवार बनाने के सम्बन्ध में मुकदमा

7–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा लखनपुर उर्फ अभयनपुर, परगना भदोही, तह0 ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में आने-जाने के आम रास्ते में मेवा लाल इबलाल वगैरह ने बैलों की नाद तथा दीवार बनाने के सम्बन्ध में गांव सभा के प्रधान विजय नारायन एवं आम जनता ने परगनाधिकारी, ज्ञानपुर, वाराणसी को 31-7-82 को प्रार्थना-पत्र दिया था और जिलाधीश, वाराणसी को अगस्त, 82 में प्रार्थना-पत्र दिया? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

जांच थानाध्यक्ष भदोही द्वारा कराई गई और उनकी चालानी रिपोर्ट के आधार पर परगना मजिस्ट्रेट ज्ञानपुर के न्यायालय में सरकार बनाम मेवालाल व देवनाथ आदि का मुकदमा धारा 133 द0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत विचाराधीन है।

जनपद गोरखपुर की सदर तथा बांसगांव तहसील के ग्रामों में बाढ़ सहायता का वितरण

8–श्रीमती गौरी देवी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि गोरखपुर जनपद के सदर एवं बांसगांव तहसील के कितने गांवों को क्या-क्या बाढ़ सहायता गत वर्ष की बाढ़ में बांटी गयी है? क्या नाविकों एवं नाव की सम्पूर्ण मजदूरी व किराया भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं तो क्यों? भुगतान एवं बाढ़ सहायता में वितरण में विलम्ब का कारण क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

गत वर्ष 1982-83 की बाढ़ में जनपद गोरखपुर की सदर तथा बांसगांव तहसील के 455 ग्रामों में 13619 क्विंटल गेहूं, 190 क्विन्टल नमक, 27,706 लीटर मिट्टी का तेल, 34,954 अदद दियासलाई, 138 कम्बल तथा 439 खेस तथा 6 मृतक परिवारों के आश्रितों को 5300/- रुपया नकद सहायता के रूप में वितरित किया गया। 274 ग्रामों में 8,76,800/- रुपया गृह अनुदान का वितरण किया गया।

तहसील बांसगांव में नाव का किराया तथा नाविकों की मजदूरी का सम्पूर्ण भुगतान किया जा चुका है। तहसील सदर में केवल 952/- रुपया नाव का किराया भुगतान किया जाना शेष है। जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जनपद बाराबंकी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से प्राप्त हुए मुकदमे व उनका निर्णय

9–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा

करेंगे कि अति0 जिलाधिकारी, वित्त एवं राजस्व, जनपद बाराबंकी ने जनपद के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 26-1-84 तक यू0 पी0 लैण्ड रेवैन्यू एक्ट की धारा 28 तथा जेड ए एण्ड एल आर एक्ट की धारा 122–बी तथा 198(4) के अन्तर्गत कुल कितने मुकदमें जरिये ट्रांसफर जिला अधिकारी के यहां प्राप्त किये तथा कितने में निर्णय सुना दिया गया तथा कितने मुकदमें ऐसे हैं जिनमें बहस सुने हुए 4 महीने 3 महीने, 2 महीने व एक माह से अधिक हो चुका है, परन्तु निर्णय अवशेष है, क्यों?

बल्देव सिंह आर्य–

अतिरिक्त जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, जनपद बाराबंकी के कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक 11-7-83 से 26-1-84 तक यू0 पी0 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट की धारा 28 के अन्तर्गत कोई मुकदमा जिलाधिकारी के यहां से ट्रांसफर होकर प्राप्त नहीं हुआ। जेड0 ए0 एण्ड एल0 आर0 एक्ट की धारा 122 बी/333 के अन्तर्गत कुल 37 निगरानियां तथा धारा 198 (4) के अन्तर्गत कुल 45 मुकदमें प्राप्त हुए हैं। इनमें से धारा 122 बी/333 के अन्तर्गत 28 निगरानियां तथा धारा 198 (4) के अन्तर्गत 2 वादों में निर्णय किया जा चुका है। आलोच्य अवधि का कोई मुकदमा ऐसा अवशेष नहीं है जिसमें बहस सुनने के उपरान्त निर्णय सुनाया जाना अवशेष हो।

जनपद बदायूं के बिक्री-कर कार्यालय में पंजीकृत फर्मों पर बकाया बिक्री-कर तथा वसूली हेतु कार्यवाही

10–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

द्वितीय सत्र 81 के 1ले शुक्रवार के लिए अता0 प्र0 सं0 184 के सम्बन्ध में क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री सिंह कोल ट्रेडर्स सिंह, कोल मर्चेन्ट शिव पूजन कोल एजेन्सी तथा प्रेम नरायन कोल एजेन्सी पंजीकृत फर्म से संबंधित बिक्री-कर कार्यालय, जनपद बदायूं के सम्बन्ध में जांच सम्पन्न हो चुकी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि इस मामले में दोषी कर्मचारी के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बृह्मदत्त–

वांछित सूचना एकत्रित की जा रही है।

मेसर्स गिरीश चन्द्र, शेष चन्द्र किराना सहसवान, जनपद बदायूं को कर-निर्धारण पत्रावली में अधिक जमाराशि का रिफंड प्राप्त न कराये जाने के संबंध में कार्यवाही

11–श्री मोहम्मद अबरार अहमद–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मेसर्स गिरीश चन्द्र, शेष चन्द्र किराना सहसवान, जनपद बदायूं को बिक्रीकर अधिकारी बदायूं ने वर्ष 73-74 को कर निर्धारण पत्रावली में अधिक जमा राशि का रिफंड निर्धारित अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं कराया है? यदि हां, तो इस मामले में कौन-कौन कर्मचारी एवं अधिकारी दोषी थे? क्या सरकार यह भी बताने की कृपा करेगी कि आयुक्त बिक्री-कर उ0 प्र0 लखनऊ के कार्यालय से इस सम्बन्ध में कोई पत्र सं0 न्याय–2-वापसी-बदायूं-2-(80-81) – 357 बिक्री-कर दिनांक 2-5-83 जनपद बदायूं के बिक्री-कर कार्यालय को भेजा गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई?

श्री बृह्मदत्त–

सूचना एकत्र की जा रही है।

विधायक श्री नन्द किशोर सिंह, तथा श्रीमती प्रेमवती तिवारी का राजस्व अभिलेखों की नकलों के सम्बन्ध में पत्र

12–श्री सरदार सिंह तथा श्री दूधनाथ राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नन्द किशोर सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 26-10-83 एवं श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का पत्र दिनांक 3-1-84 क्रमशः राजस्व अभिलेखों की नकलों के सम्बन्ध में है, अभिलेखपाल तथा जिलाधिकारी, सुल्तानपुर की जो राजस्व अभिलेखों की नकलों के संबंध में है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। श्री नन्द किशोर सिंह विधायक के पत्र से संबंधित 20 साधारण नकलों में से 17 नकलें दिनांक 22-3-84 को रजिस्ट्री संख्या 4185 द्वारा भेज दी गयी है। शेष 3 नकलों से संबंधित अभिलेख जांच के संबंध में बन्दोबस्त अधिकारी चकबंदी मुसाफिरखाना भेजे गये है, और अभिलेख वापस आने पर नकलें भेज दी जायेंगी । श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका के पत्र से संबंधित समस्त नकलें रजिस्ट्री संख्या 1825 दिनांक 25-1-84 तथा रजिस्ट्री संख्या 4992 दिनांक 21-2-84 द्वारा भेज दी गयी है । अतः कार्यवाही न किये जाने का प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद न होने के सम्बन्ध में पत्र

13–श्री सरदार सिंह तथा श्री दूधनाथ राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती प्रेमवती तिवारी, विधायिका का शिकायती-पत्र दिनांक 3-1-84 जो राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद न होने के संबंध में है, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुख्य शिकायतें क्या है ? उन पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

पत्र में की गई शिकायतों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, सुल्तानपुर को जांच करने के लिए आदेश दिये गये है। जिलाधिकारी की जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है। जांच आख्या प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान नाला बनाने हेतु भूमि आरक्षित किये जाने के संबंध में पत्र

14–श्री सरदार सिंह तथा श्री दूधनाथ राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में चकबन्दी प्रक्रिया के दौरान सार्वजनिक बरसाती पानी निकास हेतु नाला आदि बनाने हेतु भूमि सुरक्षित करने के लिए श्री नन्द किशोर सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 7-1-84 प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो वांछित सार्वजनिक कार्य के लिए भूमि आरक्षित कर दी गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। प्रश्न में उल्लिखित सार्वजनिक कार्य के लिए कोई भूमि आरक्षित नहीं की गई है क्योंकि चकबन्दी समिति द्वारा इस सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव नहीं किया गया है।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर में श्री जैगम अली खां, वसी अली खां तथा अबू तुराक खां के पास जोत सीमा से अधिक भूमि की जांच

15–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में श्री जैगम अली खां, वसी अली खां तथा अबू तुराक खां के पास जोत सीमा से अधिक जमीन है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर उचित कार्यवाही करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री जैगम अली खां तथा अबू तुराक खां के पास अधिकतम सीमा से अधिक भूमि नहीं है। श्री वसी अली खां के पास अधिकतम जोत सीमा से अधिक भूमि थी जो सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत अतिरिक्त घोषित की जा चुकी है।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर के निवासियों का चकबन्दी समिति के विरुद्ध शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही

16–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सर्वश्री दया राम, राम आसरे आदि निवासी ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर का शिकायती पत्र दिनांकित 24-9-83 चकबन्दी समिति के विरुद्ध बन्दोबस्त अधिकारी, चकबन्दी जिला सुल्तानपुर को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

दिनांक 24-9-83 का नहीं वरन् दिनांक 20-9-83 का पत्र प्राप्त हुआ है।

उक्त संदर्भ में नियमानुसार कार्यवाही की गई तथा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी के निर्णय दिनांक 16-1-1984 के अन्तर्गत चकबन्दी कमेटी के सदस्यों की सूची में सर्वश्री राम सरन सुत बदल तथा दयाराम सुत रामफली का नाम अंकित किये जाने का आदेश हो चुका है।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर में ग्राम समाज की भू-सम्पति पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही

17–श्री सरदार सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में ग्राम समाज की कितनी भू-सम्पत्ति है? क्या यह सही है कि कुछ असामाजिक तत्वों ने ग्राम समाज की भूमि पर कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही न किये जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम बाहरपुर परगना जगदीशपुर तह0 मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर की आधार वर्ष खतौनी में ग्राम समाज की भूमि 270 बीघा 19 बिस्वा 1 धुर थी जो चकबन्दी की कार्यवाही के अन्तर्गत बाद पैमाईश अब 270 बीघा 4 धुर है।

ग्राम समाज की उक्त भूमि पर 60 व्यक्तियों ने अनधिकृत कब्जा कर रखा था जिनके विरुद्ध धारा 122 बी0 उ0 प्र0 जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है।

ग्राम उदयकरनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में श्री राज नारायण तिवारी के चक से निकाला गया रास्ता तथा खाते में दर्ज भूमि

18–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 1837/1 गांव उदयकरनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी रकबा 2 बीघा जो राजनारायण तिवारी का है से चकरोड निकाला गया था जिसको एस0 ओ0 सी0 ज्ञानपुर, वाराणसी ने 12-4-79 को खारिज कर दिया है? यदि हां, तो चकरोड को खत्म कर देने के बाद क्या उसको राजनारायण को दे दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम उदयकरनपुर परगना भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी के गाटा 1837/1 रकबा 2 बीघा राजनरायन तिवारी के नाम अंकित नहीं है बल्कि गाटा सं0 1837 के सम्पूर्ण रकबे में से बीघा 1-17-14 रकबा जो ग्राम समाज के खाते में दर्ज है, में से 1837 मि/1-10-0 पर श्री राजनरायन तिवारी का नाम वर्ग 4 (ग्राम समाज की भूमि पर अनधिकृत कब्जा) करके अंकित है। शेष ग्राम सभा भूमि में से 0-3-16 रकबा पर चकबंदी विभाग द्वारा आ0 पत्र 23 में रास्ता प्रस्तावित किया गया है। इस रास्ते को खारिज कर बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी ज्ञानपुर द्वारा किसी अन्य के नाम अंकित करके आदेश का अमलदरामद अभिलेखों में नहीं है और न 12-4-79 का एसा कोई आदेश है।

प्रश्न नहीं उठता।

19–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 1837/1 रकबा दो बीघा गांव उदयकरनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के 1 1/2 बीघे पर ही वर्ग 4 सन् 82 में दर्ज किया गया और आधा बीघा छोड़ दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

ग्राम उदयकरनपुर तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी में गांव सभा के खाता संख्या 229 आधार वर्ष में गाटा सं0 1837 मि/1-17-14 ही कुल भूमि दर्ज है जिसमें 1837 मि रकबा 1-10-0 श्री राजनारायन के नाम वर्ग 4 (गांव सभा की भूमि पर अनधिकृत कब्जा) करके दर्ज था अतः वर्ग 4 सन् 82 में चकबन्दी विभाग द्वारा दर्ज करने का कोई प्रश्न नहीं उठता है और न तो आधा बीघा भूमि कम देने का कोई प्रश्न नही है। चकबन्दी अभिलेख पूर्ववत श्री राजनरायन के नाम रकबा 1-10-0 करके ही बनाये गये हैं।

गांव हृदय पट्टी, जिला वाराणसी में गांव सभा द्वारा दिये गये पट्टे की जमीन को बैनामा कर दिये जाने के संबंध में प्रार्थना-पत्र

20–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव हृदय पट्टी, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में गांव सभा द्वारा दिये गये पट्टे की जमीन को बैनामा कर दिये जाने के संबंध में एक प्रार्थना-पत्र को प्रश्नकर्त्ता के पत्र के साथ सचिव, राजस्व, उत्तर

प्रदेश को 13-12-83 को दिया था ? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही अब तक की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित तथ्य पर अभी जांच की जा रही है ।

ग्राम सभा रायपुर, जिला वाराणसी के हीरालाल वगैरह के प्रार्थना-पत्र पर कृत कार्यवाही

21–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रायपुर परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के हीरालाल वगैरह की दरख्वास्त को प्रश्नकर्त्ता ने अपने पत्र के साथ सचिव, राजस्व, उत्तर प्रदेश को 12-12-83 को दिया है ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बलदेव सिंह आर्य–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित तथ्य पर अभी जांच की जा रही है ।

तत्कालीन पर्यवेक्षक कानूनगो द्वारा श्री विश्व नाथ के अनधिकृत कब्जे की बेदखली की कार्यवाही करने का निर्देश

22–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आराजी नं0 249 रकबा 4 बिस्वा 14 गांव सभा जमुआं, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी श्री विश्वनाथ पुत्र बाबूनन्दन के नाम वर्ग-4 में दर्ज है ? यदि हां, तो कैसे ? इस संबंध में गांव प्रधान द्वारा एस0डी0एम0 ज्ञानपुर व जिलाधीश, वाराणसी को सन् 83 में दिये गये अनेक प्रार्थना-पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

तत्कालीन पर्यवेक्षक कानूनगो ने श्री विश्वनाथ का अनधिकृत कब्जा पाकर 1386 फ0 में यह तथ्य अंकित कर नियम 115 सी के अन्तर्गत बेदखली की कार्यवाही करने का निर्देश दिया था ग्राम प्रधान द्वारा दिये गये प्रार्थना-पत्रों व पर्यवेक्षक कानूनगो के आदेश के सन्दर्भ में बेदखली का वाद तहसीलदार ज्ञानपुर के न्यायालय में धारा 122 बी के अन्तर्गत विचाराधीन है ।

गांव सभा भोटी, जिला वाराणसी में भूमि आवंटन के संबंध में हल्का लेखपाल श्री महेन्द्र लाल के खिलाफ शिकायत की जांच

23–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव सभा भोटी, परगना पन्द्रह, तहसील वाराणसी व जिला वाराणसी के प्रधान सुखराम एवं कई सदस्यों ने भूमि आवंटन के संबंध में हल्का लेखपाल महेन्द्र लाल के खिलाफ 29-12-83 को जिलाधीश, वाराणसी व परगना हाकिम, उत्तरी वाराणसी को प्रार्थना-पत्र दिया है कि प्रस्ताव के बरखिलाफ उसने सूची बना दी है और गलत तरीके से सादे कागज पर प्रधान का हस्ताक्षर करा लिया है जिस पर आवंटन की लिस्ट बना दी ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां ।

आरोप की जांच करायी गयी । जांच से आरोप प्रमाणित नहीं हुए ।

गांव कुसोड़ा, परगना भदोही, जिला वाराणसी की ग्राम समाज की भूमि को कतिपय व्यक्तियों के नाम किये जाने की जांच

24—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव कुसोड़ा परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के जलाशय गांव, गांव सभा नं0 10 रकबा 5 एकड़ को गांव समाज से निकाल कर राजनरायण उर्फ राम गरीब व हीरा-देवी स्त्री घनश्याम दुबे के नाम कर दिया गया है, ऐसा क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री बेल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कुसोंड़ा परगना भदोही तह0 ज्ञानपुर जिला वाराणसी का गाटा संख्या-10 रकबा 7-4-13 लोलारूक आदि के नाम वर्ग 6 अंकित था और गांव सभा सम्पत्ति थी । सन्दर्भ संख्या 369 फैसला दिनांक 6-3-82 द्वारा उप-संचालक ने प्रधान की सहमति से गाटा संख्या 10 को मालियत लगाकर इस गाटे से रकबा 2-13-5 मालियत 14-35 आना चक संख्या 250 अ श्रीमती हीरावती पत्नी घनश्याम को दे दिया और श्रीमती हीरावती के चक में मिले गाटा संख्या—1103, 1135, 1136, 1140, 1950, 1951 से 14-35 आने की मालियत को निकाल कर बचत घोषित कर दिया । इसी प्रकार सन्दर्भ संख्या-267 ता0फ0 14-10-82 द्वारा उप संचालक ने गाटा संख्या-10 से रकबा 1-5-5. 6. 18 आना मालियत चक संख्या-283 राजनरायण को दिया तथा उनके चक से उतनी ही मालियत की भूमि निकाल कर बचत घोषित कर दिया । यह प्रधान ग्राम सभा की सहमति तथा खातेदारों, गांव सभा की सहूलियत को ध्यान में रखकर दिया गया । इस सम्बन्ध में किसी जांच का प्रश्न नहीं उठता ।

25—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलाशय ग्राम समाज कुसौड़ा नं0 940 रकबा 7 एकड़ के करीब घनश्याम दुबे पुत्र राजनरायण उर्फ राम गरीब दुबे एवं रामसजीवन दुबे पुत्र रास तवंकल को दे दिया गया है और ग्राम समाज का नाम काट दिया गया, ? ऐसा क्यों — क्या यह सही है कि यह आराजी चैक पूरे गांव समाज की थी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम/गांव सभा कुसौड़ा, प0 भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी में गाटा संख्या-940 कुल रकबा 10-5-5 गाया प्रसाद आदि के नाम वर्ग 6 अंकित था तथा ग्राम समाज की सम्पत्ति थी । राम सजीवन को उनके चक में गाटा सं0-940 से कुछ भी नहीं दिया गया है । चक संख्या-75, 63, 297 71, 141, 4, 266 व, 283 को चक बनाते समय कम मालियत दी गयी थी जिसकी पूर्ति सन्दर्भ संख्या-50, 51, 52, । 185 फैसला दिनांक 13-1-83 द्वारा उप संचालक ने किया। पूर्ति सम्बन्धी संशोधन को बनाने में घनश्याम दुबे भी प्रभावित हुए और उनके चक से 16-28 आने को मालियत निकाली गयी और 16-28 की मालियत दी गयी और इस लेन-देन में उन्हें गाटा संख्या-940 रकबा 4-15-0 देना पड़ा। गाटा संख्या-940 गांव सभा सम्पत्ति थी।

26—श्री उग्दल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जलाशय गांव समाज कुसौड़ा प0 भदोही, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी नं0 2014 रकबा 4 एकड़ घनश्याम दूबे पुत्र राज नरायण व राम लीलारक दूबे पुत्र राम वरन दूबे को दे दिया गया और गांव समाज का नाम काट दिया गया है, ऐसा क्यों ? क्या जलाशय नं0 31 रकबा 8 एकड़ कुसौड़ा कड़ीदीन व राज पति उपाध्याय को दे दिया गया है और गांव समाज का नाम खारिज किया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कुसौड़ा प0 भदोही तहसील ज्ञानपुर जिला वाराणसी का गाँटा संख्या-2014 का कुल क्षेत्रफल 4-18-0 तालाब गांव सभा सम्पत्ति दर्ज था । इस गांव के चक सं0 75,63,297,71, 141,4,266 ब, 283 को कुछ मालियत कम दी गयी थी । सन्दर्भ संख्या-50,51,52 । 185 ता0फ0 13-1-83 द्वारा उप संचालक चकबन्दी ने इस कमी मालियत की पूर्ति किया । इस पूर्ति सम्बन्धी संशोधन में घनश्याम दूबे का भी चक प्रभावित हुआ । यद्यपि इनके चक में कोई कमी नहीं थी। इस संशोधन द्वारा गाटा संख्या-2014 रकबा 3-9-0 घनश्याम दूबे के चक में देना पड़ा । राम लोलारख चक संख्या-297 को 9—09 आने की मालियत कम दी गयी थी इसकी भी पूर्ति उंप-संचालक ने आदेश दि0 13-1-83 द्वारा ही किया और इन्हें गाटा 2014 से 1-9-0 रकबा देना पड़ा । गाटा संख्या 31 का कुल क्षेत्रफल 10-4-0 था और गांव सभा सम्पत्ति थे । मु0 धनराजी को 9-10 आने की मालियत कम मिली की जिसकी पूर्ति उप संचालक ने सन्दर्भ संख्या-246 ता0फ0 27-8-83 द्वारा किया । उपरोक्त पूर्ति सम्बन्धी संशोधन तैयार करते समय बड़ेदीन और राजपति का चक भी प्रभावित हुआ और उनमें से प्रत्येक को गाटा संख्या-31 से 3-14-6 अर्थात कुल 7-8-12 देना पड़ा । गाटा संख्या-2014 तथा 31 इसके पूर्व तालाब गांव सभा सम्पत्ति थी । सभी परिवर्तन न्यायिक प्रक्रिया में किये गये और इसकी अन्य जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

27—श्री उग्दल—

क्या राजस्व मंत्री जलाशय नं0 1772 गांव कुसौड़ा, प0 भदोही, तहसील ज्ञानपुर, वाराणसी जिसका रकबा 10 एकड़ है उमाशंकर पुत्र भुसई व कालीदास पुत्र महादेव गांव कुसौड़ा के नाम कर दिया गया है और गांव समाज कुसौड़ा का नाम काट दिया गया है, क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? क्या सरकार चारागाह गांव समाज नं0 1347, 1378 की भी जांच करायेगी जिसे घनश्याम पुत्र बलिभद्र को दिया गया है तथा ग्राम समाज के चारागाह 8 एकड़ को कैलाश नाथ व अनन्ता के नाम कर दिया गया है? क्या सरकार इसकी रक्षा करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम कुसौड़ा, प0 भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी में गाटा संख्या 1772 उमाशंकर पुत्र मुसई व कालीदास पुत्र महादेव के चक में नही प्रदिष्ट किया गया है। गाटा संख्या 1347 रकबा 15 बिस्वा 5 धुर, 1378 रकबा 6 बिस्वा 5 धुर चारागाह की भूमि नहीं है। संदर्भ संख्या 246 सरकार बनाम धनराजी में उप संचालक चकबन्दी के आदेश दिनांक 27-8-83 के द्वारा घनश्याम पुत्र बल-

भदर को गाटा संख्या 1347 रकबा 0-15-5 व 1378 रकबा 0-6-5 कुल रकबा 1-1-10 चक में कम मालियत प्रदिष्ट करने के कारण दिया गया है। इसके अतिरिक्त अनन्ता व कैलाश नाथ को कोई चारागाह की भूमि नहीं दी गयी है।

गांव लखनपुर, जिला वाराणसी में श्री देव नारायण वगैरह द्वारा आम रास्ते में दालान बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर दिये जाने के विरुद्ध दर्ज मुकदमा

28—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव लखनपुर उर्फ अभयनपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के प्रधान एवं पचासों जनता की दरख्वास्त को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ 3 अगस्त, 82 को परगना हाकिम, ज्ञानपुर, वाराणसी को दिया था कि देव नारायण वगैरह आम रास्ते में दालान बनाकर रास्ता अवरूद्ध कर रहे हैं? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गयी? जिसकी जांच थाना भदोही, वाराणसी से करायी गयी है? उसकी रिपोर्ट एस0 डी0 एम0 ज्ञानपुर के यहां 25-8-82 को पहुंच गयी है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां। जांचोपरान्त 133 दं0 प्र0 स0 के अधीन मुकदमा सरकार तनाम मेवालाल व देवनाथ प्रारम्भ किया गया है जो संप्रति परगना मजिस्ट्रेट ज्ञानपुर, के न्यायालय में विचाराधीन है।

ग्राम समाज की भूमि को जूनियर हाई स्कूल कूंडी को दिये जाने का प्रस्ताव

29—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि भूमि प्रबन्धक समिति कूंडी परगना पन्दहा, तहसील व जिला वाराणसी में 24-10-82 व 7-10-83 को अपनी बैठक करके आराजी नं0 924, 144, 1508/2, 1508/3 को जू0 हाई0 स्कूल कूड़ी जिला वाराणसी को देने का प्रस्ताव पास किया है? यदि हां, तो उक्त नम्बरान को जूनियर हाई स्कूल कुंड़ी को दिया गया? यदि नहीं दिया गया, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

जी नहीं।

भूमि प्रबन्धक समिति को गांव सभा की भूमि किसी विद्यालय को दिये जाने का अधिकार नहीं है।

गांव रुद्रपुर, जिला वाराणसी के गाटा संख्या 148 पर श्री लक्ष्मीनारायण के अंकित नाम के सम्बन्ध में जांच

30—श्री ऊदल—

विधान सभा के प्रथम सत्र 83 के 4थे शुक्र के अता0प्र0 सं0 104 के उत्तर के संदर्भ में क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि गांव रुद्रपुर, परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी के गाटा संख्या 148 पर 1371 फ0 में लक्ष्मीनारायण का नाम अंकित है जिसकी दुरुस्ती इसलिये नहीं की जा सकी कि यह इन्द्राज प्रकाश में अब तक नहीं आया था और न ही इस सम्बन्ध में कोई शिकायत की गयी थी? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने राजस्व मंत्री को एक पत्र 12-12-83 को लिखा है उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

31—श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री—

[9वें बुधवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-44 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

ग्राम सभा सरवनपुर खास में चकबन्दी कराने की मांग

32–श्री गौरी शंकर भैय्या–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि ग्राम सुरही व सरवनपुर के श्री द्रोणाचार्य चौबे एवं हीरा लाल ने जिलाधिकारी, बलिया को दिसम्बर, 83 में एक आवेदन पत्र दिया था जिसमें ग्राम सभा सरवनपुर खास द्वारा पारित सर्व सम्मत प्रस्ताव के आधार पर इस ग्राम की चकबन्दी करने की बात कही गयी है? यदि हां, तो आवेदन पत्र का विवरण क्या है? क्या मंत्री महोदय विभाग को आदेश देकर इस ग्राम सभा की चकबन्दी करने का आदेश देंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। शेष का प्रश्न नहीं उठता। ग्राम सूरही एवं सरवनपुर खास परगना गुडहा तहसील व जिला बलिया का जोत चकबन्दी की धारा 4(2) के अन्तर्गत प्रकाशन दिनांक 13-8-60 को हुआ था। ग्राम सुरही में चकबन्दी प्रक्रियायें दिनांक 13-8-60 को प्रारम्भ होकर दिनांक 31-1-1965 के गजट में धारा 52 का प्रकाशन हो चुका है, किन्तु ग्राम सरवनपुर खास का चकबन्दी के योग्य न पाये जाने के कारण जिलाधिकारी की संस्तुति पर धारा 6(1) के अन्तर्गत प्रकाशन कराकर चकबन्दी से बाहर कर दिया गया है।

गन्ना क्रय केन्द्र पसगवां, जंग बहादुरगंज, बेहटी, दूल्हापुर, बरबर को विलम्ब से चलाये जाने का कारण

33–श्री बंशीधर राज–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि पंसगवां जंगबहादुर गंज बेहटी, दूल्हापुर, तथा बरबर गन्ना क्रय केन्द्र सहकारी गन्ना समिति जंगबहादुर गंज जनपद लखीमपुर खीरी पिछले वर्ष काफी विलम्ब से चले थे जिसके कारण गन्ना किसानों को अत्यधिक हानि हुई थी? यदि हां, तो होने वाली हानि का कौन अधिकारी उत्तरदायी है और विलम्ब से चलाये जाने का क्या कारण है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

पिछले वर्ष गन्ना क्रय केन्द्र पसगवां, बेहटी एवं दूल्हापुर गन्ना आपूर्ति हेतु महोली चीनी मिल को आरक्षित किये गये थे, जो मिल चलने की तिथि से 10 दिन के भीतर ही संचालित हो गये थे। गन्ना क्रय केन्द्र जंगबहादुर रोजा चीनी मिल को अभ्यर्पित किया गया था। इस मिल ने दिनांक 9-11-82 को गन्ना पेराई आरम्भ की और केन्द्र को दिनांक 3-12-82 को कुछ विलम्ब से चलाया। गन्ना क्रय केन्द्र बरबर दिनांक 11-1-83 से संचालित हो सका क्योंकि पहले इसे कृषकों की मांग पर गोला चीनी मिल को गन्ना आपूर्ति हेतु सुरक्षित किया गया था पर गोला फैक्ट्री द्वारा इस केन्द्र को संचालित न किये जाने के कारण पुनः महोली मिल को चलाने के आदेश दिये गये।

यह सभी केन्द्र अपने क्षेत्र में पेराई हेतु उपलब्ध गन्ने को क्रय करने के उपरान्त अन्य केन्द्रों के साथ ही गन्ने को समाप्त कर बन्द हुए। इस प्रकार कृषकों को किसी हानि अथवा किसी अधिकारी के उत्तरदायी होने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में उपलब्ध लेखपालों की वरिष्ठता एवं पात्रता के आधार पर चकबन्दी कर्ता के पद पर नियुक्ति के आदेश

34–श्री संत बख्श रावत–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कार्यालय चकबन्दी आयुक्त, उ0 प्र0 लखनऊ के शासनादेश संख्या 11695/ई-1437/78-79 दिनांक 7 नवम्बर, 81

के द्वारा प्रदेश में उपलब्ध लेखपालों को वरिष्ठता एवं पात्रता के आधार पर चकबन्दी कर्ता के पद पर नियुक्ति करने के आदेश एवं सूची प्रकाशित की गई? यदि हां, तो उसमें अंकित अनुसूचित जाति के कितने अभ्यर्थियों को पदोन्नति नहीं दी गई और क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। उक्त सूची में अनुसूचित जाति के 34 चकबन्दी लेखपालों में से 33 लेखपाल प्रोन्नति पा चुके हैं तथा एक लेखपाल श्री मैकू लाल को पदोन्नति की शर्तें पूरी न करने के कारण अभी तक पदोन्नति नहीं दी जा सकी है।

श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी, प्रधान प्रबन्धक, पंजाब शुगर मिल बुधुली के विरुद्ध जांच

35–श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी शासकीय आदाता पंजाब शुगर मिल बुधली (गोरखपुर) के विरुद्ध कोई जांच इस समय हो रही है, जब वे शुगर मिल तिलहर (शाहजहांपुर) में कार्यरत थे? यदि हां, तो आरोप क्या थे? उसकी जांच कब एवं किस अधिकारी द्वारा करायी गयी? क्या मंत्री जी पूरा विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जी हां, आरोप यह थे कि श्री बी0 बी0 चतुर्वेदी द्वारा, जब वे तिलहर चीनी मिल में प्रधान प्रबन्धक के रूप में कार्यरत थे, कुछ नियुक्तियां की गई थीं जिनके लिये निर्धारित प्रक्रिया नहीं अपनायी गयी। इसकी जांच वर्ष 1981 में श्री डी0एस0 वर्मा, तत्कालीन संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा की गयी थी।

सारणीयकों तथा जिला अधिष्ठान के लिपिकों को उपयुक्तता के आधार पर स्थायी किये जाने के निर्देश

36–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि सारणीयकों तथा जिला अधिष्ठान (चकबन्दी विभाग) के लिपिकों की सम्मिलित कोटि क्रम में सूची प्रकाशित कर वरिष्ठता क्रम के अनुसार सारणीयकों को स्थायी कर दिया गया है? यदि नहीं, तो विलम्ब का कारण क्या है तथा कौन अधिकारी उत्तरदायी है और अब कार्यवाही पूर्ण होने में कितनी निश्चित अवधि अपेक्षित है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सारणीयकों तथा जिला अधिष्ठान (चकबन्दी विभाग) के लिपिकों की सम्मिलित कोटिक्रम सूची दिनांक 29 सितम्बर, 1983 को प्रकाशित की गयी तथा संयुक्त वरिष्ठता क्रम के अनुसार दिनांक 28 नवम्बर, 1968 तक की नियुक्ति वाले सारणीयकों तथा जिला अधिष्ठान के लिपिकों को दिनांक 1 मार्च, 1980 से उपयुक्तता के आधार पर स्थायी किये जाने के निर्देश समस्त बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी को दिनांक 31 दिसम्बर, 1983 को भेज दिये गये हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ बिक्री कर कार्यालय में करदाताओं के रिफण्ड का गबन

37–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या वित्त मंत्री जी को ज्ञात है कि लखनऊ बिक्रीकर कार्यालय में करदाताओं के 2-1/4 लाख रिफण्ड का गबन हो गया है और दिनांक 3-2-83 के पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करा दी गयी थी? उनको इस सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र संख्या 1147 (प्रथम किश्त) दूसरी पत्र संख्या 4 (द्वितीय

किश्त) व तीसरा पत्र संख्या 304 (तृतीय किश्त) भेजे हैं जो उनके कार्यालय में क्रमशः दिनांक 8-4-83, 30-8-83 व 1-10-83 को प्राप्त हो गये हैं? यदि हां, तो मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि करदाताओं को रिफण्ड मय ब्याज के कब तक दे दिया जावेगा?

श्री ब्रह्म दत्त–

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद मिर्जापुर के चप-चपकी गांव में राम चरन पुत्र बब्बन को संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किया जाना

38–श्री विजय सिंह–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद मिर्जापुर के दुद्धी तहसील के चपचपकी गांव में रामचरन पुत्र बब्बन को 1978-79 भू-अभिलेख प्रक्रिया के दौरान खाता संख्या 67 में 25 बीघा 4 बिस्वा का क्षेत्रफल जिसमें 39 गोंट हैं को 1385 फसली के अन्तर्गत संक्रमणीय अधिकार वाला भूमिधर घोषित किया गया है? यदि हां, तो उसका आधार क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

इसका आधार राम चरन पुत्र बब्बन के नाम खाता संख्या 87 की भूमि पर अंकित होना तथा खाता संख्या 209, 166, 36/143 तथा 24/125 पर वर्ग-4 को खारिज कर संक्रमणीय भूमिधर अंकित करने का आदेश होना था।

जनपद गोरखपुर के बांसगांव व सदर तहसीलों में गन्ना सहकारी समिति के गठन की कार्यवाही की समाप्ति

39–श्रीमती गौरी देवी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गोरखपुर जनपद के बांसगांव व सदर तहसीलों में गन्ना सहकारी समितियों के निर्माण का कार्य ठप्प कर दिया गया है? यदि हां, तो कारण क्या है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

गोरखपुर जनपद के बांसगांव तहसील के बड़हलगंज में सहकारी गन्ना विकास समिति के स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ था परन्तु इसी बीच आजमगढ़ जनपद में किसान सहकारी चीनी मिल घोसी का स्थापना का कार्य प्रारम्भ हुआ जिसके कार्य क्षेत्र में बांसगांव तहसील के बड़हलगंज, गगहा तथा गोला विकास खण्डों को सम्मिलित कर लिया गया। तदोपरान्त बड़हलगंज में गन्ना समिति के गठन की कार्यवाही समाप्त कर दी गयी।

श्री भुलेसर, ग्राम बसहिया, फैजाबाद द्वारा गांव सभा द्वारा आवास एवं कृषि भूमि आवंटन में की गयी अनियमितताओं के सम्बन्ध में पत्र

40–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि श्री भुलेसर पुत्र सोमई, ग्राम बसहिया, थाना बसखारी, प0 त0 टांडा फैजाबाद द्वारा गांव सभा द्वारा आवास एवं कृषि भूमि आवंटन में की गई अनियमितताओं के सम्बन्ध में दिनांक 24-12-83 को जिला अधिकारी, फैजाबाद को रजिस्टर्ड डाक सं0 1377 द्वारा प्रार्थना-पत्र दिया गया है? यदि हां, तो क्या सम्बन्धित मामले की जांच कराई गई? क्या जांच के समय शिकायतकर्ता से भी लिखित बयान लिया गया है? यदि हां, तो अब तक जांच का क्या परिणाम निकला ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जी हां।

जांचोपरान्त शिकायत आंशिक रूप से सही पायी गयी। अतः आवंटन के प्रस्ताव को निरस्त कर पुनः आवंटन का प्रस्ताव बनाये जाने के आदेश दे दिये गये हैं। आवंटन में दोषी पाये गये लेखपाल के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही भी की जा रही है। जांच के समय शिकायतकर्ता से लिखित बयान नहीं लिया गया।

सीतापुर सर्किल में स्वतः कर निर्धारण योजना के अधीन कर दाताओं के वादों का निस्तारण

41–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि सीतापुर सर्किल में वर्ष 81-82 में स्वतः कर निर्धारण योजना के अधीन (बिना तारीख लगाये) कितने कर दाताओं के वादों का निस्तारण किया गया तथा सर्किल में 81-82 में कुल कितने करदाता थे जो स्वतः कर निर्धारण के क्षेत्र में आते थे?

श्री ब्रह्मदत्त–

सीतापुर सर्किल में वर्ष 81-82 में स्वतः कर निर्धारण योजना के अधीन (बिना तारीख लगाये) 335 करदाताओं के वादों का निस्तारण किया गया है। सर्किल में 81-82 में कुल 374 करदाता थे जो स्वतः कर निर्धारण योजना के क्षेत्र में आते थे।

श्री शिवमूरत लाल, उप निबन्धक, चुनार मिर्जापुर के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही

42–श्री रामचरण सिंह–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने एक शिकायती पत्र दिनांक 27-1-84 को श्री शिवमूरत लाल, उप निबन्धक, चुनार मिर्जापुर के विरुद्ध उन्हें भेजा है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ब्रह्मदत्त–

जी हां।

शिकायती पत्र पर जांच करायी गयी और श्री शिवमूरत लाल, उप निबन्धक के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करने हेतु उन्हें आरोपित कर दिया गया है ।

निबंधन विभाग में सहायक महानिरीक्षक के स्थायी व अस्थायी पदों में नियमित नियुक्तियां

43–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि निबन्धक विभाग में कितने पद सहायक महानिरीक्षक निबंधन के स्थायी व अस्थायी हैं तथा अस्थायी कब से हैं और उन्हें स्थायी किये जाने की कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है, कितने पदों पर नियमित नियुक्तियां की गयीं तथा कितने पदों पर कितने वर्ष से तदर्थ नियुक्तियां चल रही हैं ? तदर्थ नियुक्तियों को नियमित करने हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग को अधियाचन क्यों नहीं भेजा जा रहा है **तथा कब तक भेज दिया जायगा?**

श्री ब्रह्मदत्त–

निबंधन विभाग में सहायक महानिरीक्षक निबंधन के 15 स्थायी पद तथा 5 अस्थायी पद हैं। अस्थायी पद दिनांक 23 जून, 1979 के आदेश द्वारा सृजित किये गये हैं । इन पदों के स्थायीकरण का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

सहायक, महानिरीक्षक, निबंधन, के 15 स्थायी पदों में से 12 पदों पर नियमित नियुक्तियां की गयी थीं और 2 रिक्तियां अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये अग्रणीत की गयीं । एक पद पर चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति से

पूर्व उपनिबंधक के मूल पद पर ही सेवा निवृत्त हो गये थे। अतः इनकी नियुक्ति नहीं की गयी। जिन पदों पर नियमित नियुक्तियां की गयी थीं उनमें से 7 पदों पर नियुक्त अधिकारी सेवा निवृत्त/मृत हो गये। एक पद पर नियुक्त अधिकारी उप-महानिरीक्षक, निबंधन के पद पर तदर्थ आधार पर कार्यरत है। सम्प्रति कुल 16 पदों पर तदर्थ नियुक्तियां विभिन्न तिथियों से चल रही है। इन पदों पर नियमित चयन कराने का प्रश्न शासन के विचाराधीन है।

जनपद गोरखपुर के कोषागार कार्यालय हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति सम्बन्धी शिकायती पत्र

44—श्री फिरंगी प्रसाद विशारद—

क्या वित्त मंत्री को ज्ञात है कि जनपद गोरखपुर के कोषागार कार्यालय हेतु चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति दिनांक 10-10-83 से सम्बन्धित प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती पत्र दिनांक 19-1-84 वित्त मंत्री को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो इस पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री ब्रह्मदत्त—

जी हां।

शिकायती पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जांच करायी गयी और यह पाया गया कि कोषागार कार्यालय, गोरखपुर में दिनांक 10-10-83 को चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति हेतु किये गये चयन में कोई अनियमितता नहीं हुई है।

आजमगढ़ कलेक्ट्रेट में स्थायी तृतीय श्रेणी का रिक्त पद तथा स्थायी किये जाने पर विचार

45—श्री राजकुमार राय—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आजमगढ कलेक्टेट में स्थायी तृतीय श्रेणी की कितनी जगहें 31-1-84 तक रिक्त हैं और इस जनपद में कितने ऐसे कर्मचारी 1975 या उसके पूर्व से निरन्तर कार्यरत हैं? इन कर्मचारियों को स्थायी करने में क्या शासन विचार करेगा? यदि हां, तो कब तक?

श्री बलदेव सिंह आर्य—

आजमगढ कलेक्टेट में स्थायी तृतीय श्रेणी की 31-1-84 तक कोई जगह रिक्त नहीं है, और इस जनपद में ऐसे 7 कर्मचारी 1975 या उसके पूर्व से निरन्तर कार्यरत हैं। इन कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश जिला कार्यालय (कलेक्टरी) लिपिक वर्ग सेवा नियमावली तथा शासन द्वारा समय-समय पर दिये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों के अनुसार औपचारिकतायें पूर्ण करने पर नियमानुसार स्थायी करने पर यथा समय विचार किया जायेगा।

ग्राम लोलापुर, तहसील व जिला गाजीपुर में सीलिंग की भूमि का आवंटन

46—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव लोलापुर तहसील गाजीपुर जिला गाजीपुर में सीलिंग की कितने एकड़ जमीन निकली है और कब निकाली गयी? क्या उक्त जमीन का आवंटन भूमिहीन हरिजनों में कर दिया गया? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम के अन्तर्गत ग्राम लोलापुर तहसील व जिला गाजीपुर में 4.44 एकड़ भूमि दिनांक 31-8-76 को अतिरिक्त घोषित हुई थी। उक्त भूमि का आवंटन भूमिहीन हरिजनों में नही किया गया, अपितु सामुदायिक हित का ध्यान में रखते हुये पौधशाला प्रक्षेत्र की स्थापना हेतु दिनांक 28-10-77 को उद्यान विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई थी। लोक हित में सीलिंग भूमि का उपयोग सार्वजनिक प्रयोजन हेतु किया जा सकता है।

स्वर्गीय श्री मोहम्मद अख्तर को सामूहिक बीमा योजना की धनराशि का भुगतान न दिये जाने का कारण

47–श्री बैजनाथ प्रसाद कुशवाहा–

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि राबर्ट्सगंज जनपद मिर्जापुर के सर्वे लेखपाल मृतक मोहम्मद अख्तर के वेतन की कटौती कर्मचारी जीवन बीमा शासनादेश के अन्तर्गत जून, 1977 से नवम्बर 1977 तक की गई थी? यदि हां, तो जीवन बीमा की धनराशि अब तक न दिये जाने का कारण क्या है? कब तक उक्त जीवन बीमा की धनराशि दिलाने का कष्ट करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

स्वर्गीय श्री मोहम्मद अख्तर की नियुक्ति अस्थायी एवं अल्पकालिक थी। अतएव वह सामूहिक बीमा योजना से आच्छादित नहीं थे। स्वर्गीय श्री अख्तर के वेतन से सामूहिक बीमा योजना के अन्तर्गत कटौतियां त्रुटिवश हो गयी थीं, जिसके तुरन्त वापस करने के आदेश जिलाधिकारी मिर्जापुर को दे दिये गये हैं।

जनपद हमीरपुर में ओलावृष्टि तथा ब्लाकवाइज क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची

48–श्री प्रताप नारायण द्विवेदी–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद हमीरपुर में माह जनवरी, 84 में ओला वृष्टि हुई है? यदि हां, तो ब्लाकवाइज क्षतिग्रस्त ग्रामों की लिस्ट क्या है? वहां के क्षतिग्रस्त ग्रामों के नुकसान का परसेन्टेज क्या है? क्या सरकार इन ग्रामों को सरकारी पैसे की वसूली मगी प्रकार की रोकने के आदेश जिलाधिकारी को देने तथा क्या अधिक नुकसान वाले गांवों की लगान माफी भी करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद हमीरपुर में वर्ष 1984 में माह जनवरी में 14 से 16 तारीख तक तथा माह फरवरी में 15 से 17 तारीख तक विभिन्न स्थानों पर उपलवृष्टि हुई थी। क्षतिग्रस्त ग्रामों की ब्लाकवार एवं तहसीलवार एकीकृत सूची‡ तालिका एक में तथा ब्लाकवार क्षतिग्रस्त ग्रामों की सूची एवं क्षति का प्रतिशत संलग्न तालिका दो में दिया हुआ है। जिन ग्रामों में फसल को 50 प्रतिशत से अधिक क्षति हुई है, उनमें समस्त कृषि देयों की वसूली स्थगित कर दी गई है, तथा जिन ग्रामों में क्षति 50 प्रतिशत से कम है उनमें वसूली में उत्पीड़क कार्यवाही रोक दी गई है।

नियमानुसार लगान में छूट दिये जाने के प्रस्ताव भी जिला स्तर पर तैयार किये जा रहे हैं।

स्टाम्प वेन्डर श्री सालिग राम दुबे के निलम्बन की समाप्ति

49–श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

क्या वित्त मंत्री को जानकारी है कि कोषागार मिर्जापुर के कैश शाखा के

‡(छापी नहीं गयी)

एक्स आफिसियो को स्टाम्प वेन्डर सालिगराम दुबे की सेवायें शासन द्वारा 30 दिसम्बर, 82 को समाप्त कर दी गयी थीं किन्तु यह आदेश अभी तक मिर्जापुर जिलाधिकारी या कोषागार में नहीं पहुंचा? क्या यह कर्मचारी उसके पश्चात् भी अपने पद का वेतन पा रहा है?

श्री बृह्मदत्त–

शासन द्वारा 30-12-82 को ऐसा कोई आदेश प्रसारित नहीं किया गया था। अतः उसके न पहुंचने का प्रश्न नहीं उठता है।

शासन द्वारा 22-1-1983 को जिलाधिकारी, मिर्जापुर को यह निदेश भेजे गए थे कि वे गबन को देखते हुए श्री सालिग राम दुबे की सेवायें समाप्त कर दें। यह निदेश जिलाधिकारी को मिल भी गये थे। जिलाधिकारी ने उक्त निदेश के पालन करने में कुछ विधिक कठिनाइयां व्यक्त की जो शासन के विचाराधीन है।

जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 13-10-82 द्वारा श्री सालिग राम दुबे का निलम्बन समाप्त कर दिया था जिसके फलस्वरूप वे अपने पद का वेतन प्राप्त कर रहे है।

50–श्रीमती गौरी देवी–

[10वें मंगलवार में अतारांकित प्रश्न संख्या-81 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।]

वरिष्ठ लेखा परीक्षकों को सेलेक्शन ग्रेड और समयमान वेतनमान की अनुमन्यता के लिए शासनादेश

51–श्री बनवारी राम–

क्या वित्त मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या यह सही है कि परीक्षक स्थानीय निधि लेखा, उ0 प्र0, इलाहाबाद ने कार्मिक परिचर्या हेतु वरिष्ठ लेखा परीक्षकों को दिनांक 1 जुलाई, 79 से स्वीकृत सेलेक्शन ग्रेड के पदों पर तथा 1 जुलाई, 82 से स्वीकृत समयमान वेतनमानों पर कोई भी नियुक्तियां एक वर्ष से अधिक अवधि बीत जाने के पश्चात् भी एवं सम्बन्धित कार्मिकों को दस वर्ष से अधिक की नियमित सेवा हो जाने के बावजूद भी नहीं की है? यदि हां, तो क्यों? दस वर्ष की नियमित सेवा की गणना स्थायीकरण की तिथि से किये जाने का आधार क्या है?

श्री बृह्मदत्त–

संबंधित कार्मिक सेलेक्शन ग्रेड और समयमान वेतनमान की अनुमन्यता के लिये संगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित दस वर्ष की नियमित सेवा पूरी नहीं कर पाये है, इसलिये अभी तक उन्हें सेलेक्शन ग्रेड तथा समयमान वेतनमान स्वीकृत नहीं किया जा सका है।

नियमित सेवा की गणना स्थायीकरण की तिथि से नहीं की जा रही है।

देवरिया स्थित लक्ष्मीपुर गन्ना शोध केन्द्र में कार्यरत केन्द्र प्रभारी का अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर स्थानान्तरण

52–श्री नन्द किशोर सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया स्थित लक्ष्मीपुर गन्ना शोध केन्द्र में कार्यरत केन्द्र प्रभारी उसके पूर्व 1975 से 1979 तक इसी पद पर कार्यरत थे? क्या यह भी सही है कि इन्हें शिकायतों के कारण उनको 1979 में मुजफ्फरनगर स्थित गन्ना शोध केन्द्र पर स्थानान्तरित कर दिया गया था ? क्या यह भी सही है कि मुजफ्फरनगर में कार्य भार ग्रहण करने के बाद न्यायालय के निर्णयानुसार चरित्र-हीनता के आरोप में शासन ने प्रत्या-

वर्तित कर दिया? यदि हां, तो किस आधार पर इसकी नियुक्ति पुनः लक्ष्मीपुर गन्ना शोध केन्द्र प्रभारी के पद पर कर दी गयी ?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

केन्द्र प्रभारी, उप गन्ना शोध केन्द्र, लक्ष्मीपुर, जो कि वर्ग-1 में वर्तमान समय में कार्यरत हैं, को वर्ष 1970 में श्रेणी-2 में तदर्थ रूप से कार्य करते हुए, वित्तीय अनियमितताओं की शिकायतों के आधार पर, श्रेणी-2 में ही उप गन्ना शोध केन्द्र, मुजफ्फरनगर स्थानान्तरित किया गया था।

यह सही नहीं है कि न्यायालय के निर्णय के अनुसार उनका प्रत्यावर्तन वर्ग-1 में किया गया। अपितु विभागीय जांच के कारण कदाचरण के आरोप में उनका प्रत्यावर्तन कर, वर्ग-1 के पद की उपलब्धता के आधार पर, दिन प्रति-दिन के कार्य संचालनार्थ, लक्ष्मीपुर केन्द्र पर पुनः प्रभारी नियुक्त किया गया है। वित्तीय तथा प्रशासनिक कार्यों के सम्पादन का अधिकार वरिष्ठ गन्ना अभिजनक, गोंदा सिंह गन्ना प्रजनन एवं अनुसंधान केन्द्र सेवरही (देवरिया) में निहित है।

श्री सभापति वर्मा, ग्राम सलाहपुर रजौर का नलकूप एवं कृषि यंत्रों की क्षति-पूर्ति के भुगतान के सम्बन्ध में पत्र

53–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सभापति वर्मा, ग्राम सलाहपुर रजौर टांडा, फैजाबाद द्वारा रजि0 डा0 संख्या 300 दिनांक 19 अगस्त, 81 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, फैजाबाद को कोई आवेदन पत्र भेजा गया है? यदि हां, तो पत्र का पूर्ण विव-रण क्या है और उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

श्री सभापति वर्मा का दिनांक 19-10-81 का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था जो नलकूप एवं कृषि यन्त्रों की क्षतिपूर्ति के भुगतान से सम्बन्धित था।

श्री वर्मा के नलकूप एवं कृषि यन्त्रों का मूल्यांकन सा0 नि0 वि0, फैजाबाद ने रु0 68,355.85 किया है जिसमें से रु0 45,706.85 का भुगतान श्री वर्मा को कर दिया गया है। शेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

श्री आर0 के0 दुबे, उप सचिव द्वारा जिलाधिकारी, फैजाबाद को भेजे गये पत्र पर कृत कार्यवाही

54–श्री गोपीनाथ वर्मा–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि आर0 के0 दुबे, उप सचिव के अ0 शा0 प0 सं0 बी0/78/1-2/82/रा0-2 अनु0 लखनऊ दिनांक 26 जुलाई, 82 को जिला अधिकारी, फैजाबाद को भेजा गया है? यदि हां, तो पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां, उप सचिव का पत्र दि0 26-7-82 को जिलाधिकारी, फैजाबाद को भेजा गया था।

प्रार्थी को उनकी क्षतिपूर्ति का आंशिक भुगतान रु0 45,706.85 दिनांक 27-12-83 को कर दिया गया है और रु0 22,649.00 का भुगतान करना शेष है। इसके भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिकों के आश्रितों को रोजगार देने के सम्बन्ध में पत्र

55—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्हें प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22 फरवरी, 1983 जो कि युद्ध में वीरगति पाने वाले सैनिकों के आश्रितों को रोजगार देने के सम्बन्ध में है, मिला, जिसके पाने की स्वीकृति मुख्य मंत्री कार्यालय अनुभाग-2 के पत्र सं0 एम0 1803/सी0 एम0 2/83, दिनांक 18-3-83 द्वारा दी गयी है? यदि हां, तो उस बारे में अभी तक शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी हां। उक्त पत्र में एक शहीद सिपाही के छोटे भाई श्री रमेन्द्र सिंह को जिसने सखौती टांडा चीनी मिल में अस्थायी रूप से वर्ष 1980-81 तथा 1981-82 में कार्य किया था, सेवा में बनाये रखने की संस्तुति की गयी थी। आवश्यकता न रहने पर उस कर्मचारी की सेवायें वर्ष 1982 में समाप्त कर दी गयीं। बाद में श्री सिंह को छाता शुगर कम्पनी लि0 (मथुरा) में सुरक्षा गार्ड के रूप में कार्य करने का अवसर दिया गया किन्तु निरीक्षण के समय वे ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये। जांच की गयी और जांच के परिणाम स्वरूप उनकी सेवायें समाप्त कर दी गयीं।

श्री सभापति वर्मा, ग्राम सलाहपुर रजौर, फैजाबाद द्वारा कृषि प्रतिकर भुगतान से सम्बन्धित पत्र

56—श्री गोपीनाथ वर्मा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री सभापति वर्मा, ग्राम सलाहपुर रजौर, तह0 टाण्डा, फैजाबाद द्वारा रजिस्टर्ड डाक संख्या 2594 दि0 1-7-82 को कोई पत्र कृषि प्रतिकर भुगतान से सम्बन्धित प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो प्रतिकर भुगतान करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

श्री सभापति वर्मा के नलकूप तथा कृषि यंत्रों का मूल्यांकन सा0 नि0 विभाग, फैजाबाद ने मु0 68,355.85 किया है जिसमें से मु0 45,706.85 का भुगतान श्री वर्मा को दिनांक 27-12-83 को कर दिया गया है। शेष धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

गांव करवंदिया के गायब पुष्टिकृत भूचित्र की बरामदगी

57—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उप संचालक, चकबन्दी, वाराणसी पूर्वी ने एक आदेश संख्या 864/आ0 लि0 उ0 स0 (च) 83 दि0 16 अप्रैल, 83 के द्वारा बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, वाराणसी पूर्वी को निर्देशित किया है कि पुष्टिकृत नक्शा गांव करवंदिया का जो गायब था, जिसे संयुक्त संचालक, चकबन्दी मुख्यालय के समक्ष बरामद किया गया है, इसकी पुलिस में रिपोर्ट की जाय? यदि हां, तो यह नक्शा कितने वर्ष पूर्व गायब हुआ था? उसकी रिपोर्ट क्यों नहीं की गयी? क्या यह सत्य है कि पुष्टिकृत मैप की जगह दूसरा फर्जी पुष्टिकृत मैप धारा 23 व धारा 45 का बनाकर धारा 52 करा दिया गया है? तब से लेकर अब तक क्या कोई कार्यवाही चकबन्दी विभाग ने नहीं की?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

यह नक्शा लगभग 9 वर्ष पूर्व गायब हुआ था।

चूंकि कथित भूचित्र की सत्यता प्रमाणित नहीं की जा सकी जिसके कारण एफ0 आई0 आर0 अभी दर्ज कराना सम्भव नहीं हो पाया।

यह सही है कि तथाकथित पुष्टि-कृत भूचित्र के गायब हो जाने पर आकार पत्र 23 एवं अन्य अभिलेखों की सहायता से इसकी भूचित्र धारा 27 एवं आगे के स्तर के कागजातों के तैयारी हेतु बनाया गया। अब बरामद हुआ भूचित्र जिलाधिकारी/ जिला उप संचालक चकबन्दी, वाराणसी को भेज दिया गया जिस पर चकबन्दी अधिकारी द्वारा कागजातों के मिलान आदि के सम्बन्ध में कार्यवाही सम्पन्न करायी जा रही है।

गांव बबुरी, जिला वाराणसी के अभिलेखों में किये गये जाली अमलदरामद को समाप्त करने के संबंध में कार्यवाही

58–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बबुरी, परगना मझवार, तह0 चन्दौली, जिला वाराणसी के बचाऊ पुत्र नन्हकू, सहदेव पुत्र खेलावन, नन्हे व लाली प्रसाद पुत्र केशव तथा राम नरेश तिवारी आदि की फाइलें चकबन्दी रिकार्ड रूम से बदल कर दूसरे के पक्ष फैसला लिखकर फाइल तैयार कर दी गयी है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि उपरोक्त व्यक्तियों की दरख्वास्तों को मय सबूत प्रश्नकर्ता ने दि0 4-4-83 को राजस्व सचिव, उ0 प्र0 शासन को अपने पत्र के साथ दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

इन शिकायती पत्रों की जांच अन्य शिकायती पत्रों के साथ संयुक्त रूप से संयुक्त संचालक चकबन्दी मुख्यालय द्वारा की गयी। जांच आख्या के आधार पर जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, वाराणसी को निर्देश दिया गया है कि वे श्री आशा सिंह व उनकी माता श्रीमती भवन्ती देवी व उनकी पुत्री नीलम एक अन्य खातेदार श्री शिव कुमार की जमीन की पूरी छानबीन कर अनियमित ढंग से हड़पी जमीन उनके नाम से खारिज करने की कार्यवाही कराये।

ग्राम बबुरी के अभिलेखों में किये गये जाली अमलदरामद को समाप्त कराने व सम्बन्धित एक लेखपाल, एक चक-बन्दीकर्ता व एक सहायक चकबन्दी अधिकारी को निलम्बित करने तथा एक चकबन्दी अधिकारी व दो सहायक चकबन्दी अधिकारियों के स्पष्टीकरण मांग कर विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।

59–श्री ऊदल–

[दिनांक 17-2-84 को अतारांकित प्रश्न संख्या-15 द्वारा उत्तरित।]

श्री विभूति नारायण सिंह, एडवोकेट, वाराणसी के शिकायती पत्रों पर कृत कार्यवाही

60–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री विभूति नारायण सिंह, एड-वोकेट, वाराणसी के 5 शिकायती प्रमाण-पत्रों को प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ सचिव, राजस्व विभाग, उ0

प्र0 को 16-5-83 को दिया है जिसमें गम्भीर आरोप उप संचालक चकबन्दी श्री परमानन्द के खिलाफ लगाये गये हैं? उस पर क्या कार्यवाही की गयी? क्या सरकार, की गयी कार्यवाही का पूरा ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्री विभूति नारायण सिंह एडवोकेट, वाराणसी के 5 शिकायती प्रार्थना पत्रों के स्थान पर शिकायती पत्र 5 निगरानी पत्रावलियों के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ।

श्री जैनेन्द्र कुमार सिंघल, संयुक्त संचालक मुख्यालय द्वारा शिकायती पत्र की जांच करायी गयी। दिनांक **20-2-1984 को प्राप्त जांच आख्या का** परीक्षण शासन स्तर पर किया जा रहा है।

गांव करवंदियां, जिला वाराणसी की चकबन्दी में स्वीकृत भूचित्र बदलने के सम्बन्ध में पत्र की जांच

61–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव करवंदियां, तह0 चकिया, जिला वाराणसी की चकबन्दी में नक्शा बदलने, स्वीकृत भूचित्र बदलने एवं धारा 23 तथा धारा 45 फर्जी भूचित्र के आधार पर बनाकर धारा 52 के प्रकाशन करा देने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता ने किसानों की दरख्वास्त असली एवं बदले हुए भूचित्रों के फोटो स्टेट कापी के साथ राजस्व मंत्री को 16-2-83 को दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां।

प्रश्नगत पत्र पर श्री जैनेन्द्र कुमार सिंघल, संयुक्त संचालक चकबन्दी द्वारा स्थल पर दिनांक 13 अप्रैल, 1983 को जांच की गई। उनकी जांच आख्या दिनांक 20 मई, 1983 पर चकबन्दी आयुक्त द्वारा विचारोपरान्त कुछ बिन्दुओं पर और जांच करके पुनः आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये गये। जिनके सम्बन्ध में जांच चल रही है।

श्री कैलाश तथा श्री रामाश्रय तिवारी द्वारा ग्राम बबुरी के अभिलेखों में किये गये जाली अमलदरामद समाप्त कराने से सम्बन्धित पत्र पर जांच

62–श्री ऊदल–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कैलाश गांव बबुरी, परगना मझवार, तह0 चन्दौली, जिला वाराणसी के चक की पूरी पत्रावली चकबन्दी विभाग, वाराणसी ने बदल दी? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता ने मय सबूत के सचिव, राजस्व विभाग, उ0 प्र0 को कैलाश की दरख्वास्त को अपने पत्र के साथ दिनांक 25-3-83 को दिया था? क्या उसकी जांच ज्वाइन्ट डायरेक्टर, चकबन्दी, हेड क्वार्टर, उ0 प्र0 ने 13-4-83 को की है? यदि हां, तो क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

श्री कैलाश, गांव बबुरी, परगना मझवार, तहसील चन्दौली, जिला वाराणसी के शिकायती पत्र बाबत चक आवंटन एवं जालसाजी के सम्बन्ध में दिनांक 13-4-83 तथा प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 14-4-83 श्री जे0 के0 सिंघल, संयुक्त संचालक चकबन्दी को जनपद वाराणसी में जांच के समय दिये गये। श्री सिंघल द्वारा दिनांक 13-4-1983 को स्थानीय जांच ग्राम की अन्य शिकायती पत्रों के साथ संयुक्त

रूप से की गयी। जांच आख्या के आधार पर ग्राम बबुरी के अभिलेखों में किये गये जाली अमलदरामद को समाप्त कराने व संबंधित एक लेखपाल, एक चकबंदीकर्ता व एक सहायक चकबंदी अधिकारी को निलम्बित करने तथा एक चकबंदी अधिकारी व दो सहायक चकबंदी अधिकारियों के स्पष्टीकरण मांग कर विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।

63—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामाश्रय तिवारी, गांव बबुरी, प0 मझवार, तह0 चन्दौली, जिला वाराणसी की दरख्वास्त प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ राजस्व सचिव, उ0 प्र0 शासन को दि0 25-3-83 को दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यदाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी नहीं।

श्री रामाश्रय तिवारी, ग्राम बबुरी, परगना मझवार, जिला वाराणसी का शिकायती पत्र एवं प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 14-4-83 श्री जे0 के0 सिंघल, संयुक्त संचालक चकबंदी को जनपद वाराणसी में दिये गये। श्री सिंघल द्वारा दिनांक 13-4-83 को स्थानीय जांच ग्राम के अन्य शिकायती पत्रों के साथ की गयी। जांच आख्या के आधार पर ग्राम बबुरी के अभिलेखों में किये गये जाली अमलदरामद को समाप्त कराने व सम्बन्धित एक लेखपाल, एक चकबंदीकर्ता व एक सहायक चकबंदी अधिकारी को निलम्बित करने तथा एक चकबंदी अधिकारी व दो सहायक चकबंदी अधिकारियों के स्पष्टीकरण मांग कर विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।

गांव बबुरी, जिला वाराणसी की चकबंदी में की गयी धांधली के खिलाफ पत्र तथा संयुक्त संचालक चकबन्दी द्वारा जांच

64—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव बबुरी, परगना मझवार, तह0 चन्दौली, जिला वाराणसी की चकबन्दी में की गयी धांधली के खिलाफ सभापति, बबुरी, श्री महानद की दरख्वास्त मय सबूत के प्रश्नकर्ता ने सचिव, राजस्व विभाग, उ0 प्र0 शासन को दिनांक 25-3-83 को दिया था? क्या यह सही है कि उसकी जांच संयुक्त संचालक चकबन्दी उ0 प्र0 श्री जैनेन्द्र कुमार सिंघल ने दि0 13-4-83 को बबुरी गांव में जाकर की थी? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्नकर्ता का संदर्भित शिकायती पत्र दिनांक 25-3-83 का नहीं वरन् दिनांक 26-3-83 का प्राप्त हुआ है।

यह सही है कि इसकी जांच संयुक्त संचालक चकबन्दी, उ0 प्र0 ने दिनांक 13-4-83 को बबुरी गांव जाकर की है।

जांच आख्या के आधार पर जिलाधिकारी/जिला उप संचालक चकबन्दी, वाराणसी को निर्देश दिया गया है कि वे श्री आशा सिंह व उनकी माता श्रीमती भगबन्ती देवी व उनकी पुत्री नीलम तथा एक अन्य खातेदार श्री शिवकुमार की जमीन की पूरी छानबीन कर अनियमित ढंग से हड़पी जमीन उनके नाम से खारिज करने की कार्यवाही कराये।

ग्राम बबुरी के अभिलेखों में किये गये जाली अमलदरामद को समाप्त कराने व सम्बन्धित एक लेखपाल, एक चकबन्दीकर्ता व एक सहायक चकबन्दी

अधिकारी को निलम्बित करने तथा एक चकबन्दी अधिकारी व दो सहायक चकबन्दी अधिकारियों के स्पष्टीकरण मांग कर विभागीय कार्यवाही करने के आदेश दिये गये हैं।

डी0 डी0 सी0 चकबन्दी, वाराणसी के खिलाफ पांच मुकदमों से सम्बन्धित श्री विभूति नारायण सिंह, एडवोकेट, वाराणसी का पत्र

65—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि डी0 डी0 सी0 चकबन्दी, वाराणसी (श्री परमानन्द) के खिलाफ पांच मुकदमों से सम्बन्धित श्री विभूति नारायण सिंह, एडवोकेट, वाराणसी की दरख्वास्त प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र के साथ ज्वाइंट डाइरेक्टर, चकबन्दी श्री जैनेन्द्र कुमार सिंघल को दिनांक 12-4-84 को वाराणसी में दिया था? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

जांच करायी गयी। जांच से कोई ऐसी अनियमितता नहीं पायी गयी जिस पर किसी कार्यवाही की आवश्यकता हो। श्री विभूति नारायण सिंह का व्यक्तिगत मामला रिट नं0 530 विभूति बनाम सुरेन्द्र प्रकाश मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

गांव करबंदिया, जिला वाराणसी की चकबन्दी में फेरबदल करने तथा नक्शा बदल देने के बारे में पत्र पर जांच

66—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गांव करबंदिया, तह0 चकिया, जिला वाराणसी की चकबन्दी में फेरबदल करने तथा नक्शा बदल देने के बारे में प्रश्नकर्ता ने दिनांक 10-3-83 को राजस्व सचिव, उ0 प्र0 शासन को कोई पत्र दिया था जिसकी जांच ज्वाइंट डाइरेक्टर चकबन्दी श्री जैनेन्द्र कुमार सिंघल ने 13-4-83 को मौके पर जाकर किया है? यदि हां, तो अब तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

जी हां।

श्री जैनेन्द्र कुमार सिंघल, संयुक्त संचालक चकबन्दी ने विधायक महोदय के कतिपय पत्र पर जांचोपरांत अपनी आख्या दिनांक 20-5-1983 को प्रस्तुत की थी, जिस पर चकबन्दी आयुक्त ने विचारोपरान्त कुछ बिन्दुओं पर और जांच करके पुनः आख्या प्रस्तुत करने के आदेश दिये थे, जिनके सम्बन्ध में जांच चल रही है।

राजस्व विभाग में लेखपाल पदों पर कार्यरत अस्थायी तथा अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवाओं के विनियमितीकरण हेतु कार्यवाही

67—श्री ऊदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सचिव, राजस्व परिषद्, उ0 प्र0 ने एक आदेश सं0 9051/4-101/82, दिनांक 20 जून, 83 के द्वारा मंडलायुक्तों को राजस्व विभाग में लेखपाल पदों पर कार्यरत अस्थायी तथा अप्रशिक्षित लेखपालों की सेवाओं के विनियमितीकरण हेतु भेजा है और लिखा है कि 8 मई, 80 से पूर्व नियुक्त अप्रशिक्षित लेखपालों को प्रशिक्षण में भेजा जाय? क्या यह सही है कि 3 वर्ष तक लगातार काम करने वाले अप्रशिक्षित लेखपालों के लिये जो विशेष लेखपाल परीक्षा, 81 में करायी गयी थी उसको अब क्यों बन्द कर दिया गया है और प्रशिक्षण-सत्र 1 अगस्त, 83 से अस्थायी लेखपालों के लिये चालू

करने का निर्देश क्यों दिया गया है? इसके लिये विशेष लेखपाल परीक्षा का आयोजन न करने का क्या कारण है ? क्या ऐसे भी लेखपाल हैं जिनकी ट्रेनिंग चकबन्दी में एक वर्ष हुई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी हां। 8 मई, 1980 तक नियुक्त किये गये अप्रशिक्षित लेखपालों को विनियमित किये जाने के उद्देश्य से प्रशिक्षण हेतु निर्धारित चयन प्रक्रिया से मुक्त करके प्रशिक्षण पर भेजे जाने के आदेश दिये गये हैं।

वर्ष 1981 में विशेष लेखपाल परीक्षा, विशेष परिस्थितियों में करायी गयी थी और यह आदेश दिये गये थे कि भविष्य में किसी व्यक्ति को विशेष परीक्षा का लाभ मांगने का अधिकार न होगा। अतः विशेष परीक्षा को बन्द किये जाने का प्रश्न नहीं है।

जी हां। चकबन्दी विभाग द्वारा चलाये जा रहे प्रशिक्षण विद्यालयों से प्रशिक्षण प्राप्त चकबंदी लेखपाल, जिनकी छटनी हो गयी थी, को राजस्व विभाग में खपाये जाने के सम्बन्ध में वर्ष 1975 में ही निर्णय लिया गया था और तदनुसार उन्हें खपाया भी जा चुका है।

68–श्री मित्रसेन–

[छठे शुक्रवार के लिए स्थगित।]

ग्राम सभा रसूलपुर में कुल आवंटित भूमि का क्षेत्रफल तथा खेतिहर तथा अखेतिहर भूमि

69–श्री दूधनाथ राजभर–

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 2रे शुक्रवार के अता0 प्रश्न संख्या 145 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर में आवंटित कुल भूमि में से 13 बीघा, 19 बिस्वा 7 धुर भूमि ऐसी है जिस पर आज तक कोई काश्त नहीं की जा सकी है? यदि हां, तो उक्त भूमि किन लोगों को आवंटित की गयी है ? उसका विवरण क्या है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम सभा रसूलपुर में कुल आवंटित भूमि का क्षेत्रफल 13 बीघा, 19 बिस्वा 8 धुर है। जिसमें से 3 बीघा 5 बिस्वा 12 धुर पर खेती की जा रही है शेष 10 बीघा 13 बिस्वा 16 धुर पर अब भी खेती नहीं की जाती है। आवंटित व्यक्तियों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 141-142 पर।)

70–श्री दूधनाथ राजभर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में गाटा संख्या 598 पर कुएं का इन्द्राज तथा अंकित नाम

71–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर, परगना जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में गाटा संख्या 598 बन्दोबस्त अव्वल एवं वर्तमान समय में इस पर स्थित कुआं का इन्द्राज है? यदि हां, तो किसके नाम अंकित है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम दाहरपुर, जिला सुल्तानपुर के ग्राम समाज की भूमि पर असामाजिक तत्वों द्वारा कब्जा किये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

72–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दाहरपुर, परगना

जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में ग्राम समाज की कितनी भू-सम्पत्ति है तथा क्या इस पर असामाजिक तत्वों ने कब्जा कर रखा है? यदि हां, तो सरकार इनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

73–श्री दूधनाथ राजभर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

ग्राम कुसमौरी, जिला लखीमपुर-खीरी में भू-सम्पत्ति पर असामाजिक तत्वों द्वारा अनधिकृत कब्जा

74–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम कुसमौरी, ग्राम सभा रोशन नगर, परगना मूड, तह0 व जिला लखीमपुर खीरी में ग्राम समाज की भू-सम्पत्ति पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा अनधिकृत कब्जा कर लिया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही करने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान न देने का कारण

75–श्री दूधनाथ राजभर–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चकबन्दी विभाग के कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान आज तक न देने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

चकबन्दी विभाग में जिन-जिन श्रेणी के कर्मचारियों को समयबद्ध वेतनमान दिनांक 1-7-1982 से शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है उसका कार्यान्वयन प्रत्येक स्तर पर कराया जा रहा है।

कुछ श्रेणियों के कर्मचारियों/अधिकारियों के सम्बन्ध में अभी समयबद्ध वेतनमान निर्धारित होना शेष है।

सहायक चकबन्दी अधिकारियों की सेवाओं के स्थायीकरण की मांग

76–श्री दूधनाथ राजभर –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 288 सहायक चकबन्दी अधिकारियों को जिनकी सेवाकाल 15 साल तक की हो चुकी है, उनका स्थायीकरण आज तक न किये जाने का क्या कारण है? क्या उनको स्थायी करने के आदेश पारित करने की कृपा करेंगे? यदि हां, तो कब? यदि नहीं तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

15 वर्ष तक की सेवाकाल वाले सहायक चकबन्दी अधिकारी 280 हैं इनमें से 103 सहायक चकबन्दी अधिकारी का अभी तक स्थायीकरण नहीं हो सका है जिनमें से 30 सहायक चकबन्दी अधिकारी जो लोक सेवा आयोग से अनुमोदित हैं को स्थाई घोषित करने योग्य नहीं पाया गया है। शेष 73 सहायक चकबंदी अधिकारी स्थायीकरण हेतु ऐसे शेष हैं जिनका अनुमोदन लोक सेवा आयोग से अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। लोक सेवा से अनुमोदन प्राप्त होने पर ही उनके स्थायीकरण के संबंध में कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।

ग्राम औरंगजेबपुर शाहली, जनपद बिजनौर के भूमिहीन कृषकों को आवंटित भूमि पर कब्जा दिलाए जाने के संबंध में कार्यवाही

77–श्री जसवन्त सिंह बिष्ट –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम औरंगजेबपुर शाहली, तह0 नगीना

थाना बढ़ापुर, जनपद बिजनौर के भूमिहीन कृषकों को 1980 में भूमि आवंटित हुई है ? यदि हां, तो उसमें कितने भूमिहीन कृषकों को कब्जा दिया गया है, कितनों के नाम भूमि आवंटित हुई है, जिनको कब्जा नहीं दिया गया है? जिनको कब्जा नहीं मिला है, उनको कब तक कब्जा दिला देगी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य –

ग्राम औरंगजेबपुर शाहली, तहसील नगीना, थाना बढ़ापुर के भूमिहीन कृषकों को 1980 में कोई भूमि आवंटित नहीं की गई है ।

वर्ष 1978 में दिनांक 15-4-78 को सीलिंग भूमि आवंटित की गई थी जिनमें से 92 आवंटियों को कब्जा दिया जा चुका है ।

इस ग्राम में कुल 136 व्यक्तियों को भूमि आवंटित हुई है जिनमें से 44 आवंटियों को कब्जा नहीं दिया गया है।

इन 44 आवंटियों की भूमि धारा 145/146 सी0 आर0 पी0 सी0 के अन्तर्गत कुर्क है । वाद परगनाधिकारी नगीना के न्यायालय में विचाराधीन है। वाद निर्णीत होने पर कब्जा दिया जाना सम्भव होगा।

78–श्री शेर बहादुर, श्री जियाराम शुक्ल 'विकल साकेती' तथा श्री प्रियदर्शी जेतली–

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

ग्राम कुसमौरी, जिला लखीमपुर खीरी में भूमि आवंटन में अनियमितताओं, ग्राम प्रधान एवं लेखपाल के विरुद्ध कार्यवाही

79–श्री दूधनाथ राजभर –

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री मकबूलपुर इमामी दर्जी व मन्नापुर हसमत बेहना, निवासी ग्राम कुसमौरी, ग्राम सभा रोशन नगर, विकास खण्ड वांके-गंज, परगना भूड, तह0 व जिला लखीमपुर खीरी का शिकायती प्रार्थना-पत्र भूमि आवंटन में अनियमितताएं किए जाने के विरुद्ध ग्राम प्रधान एवं लेखपाल ग्राम सभा रोशननगर, ग्राम कुसमौरी के विरुद्ध दि0 15-9-82, 4-11-82 तथा 1-11-83 को मुख्य मंत्री, राजस्व मंत्री, एवं जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो अब तक कोई कार्यवाही न किए जाने का क्या कारण है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

80–श्री दूधनाथ राजभर –

[पुनर्विचार पर निरस्त ।]

श्रीमती अहमदी बेगम का नाम गलत तरीके से खारिज कराकर उनके अंश का बंटवारा सहखातेदारों में कराये जाने के विरुद्ध कार्यवाही

81–श्री दूधनाथ राजभर –

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 1ले शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 74 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती अहमदी बेगम का नाम तथ्यों को छिपाकर गलत तरीके से खारिज कराकर उसके अंश का बंटवारा सहखातेदारों में कराये जाने के लिए उत्तरदायी प्रधान एवं सदस्यों का क्या नाम है तथा जिलाधिकारी के निर्देश उपरान्त बन्दोबस्त अधिकारी एवं परगना अधिकारी द्वारा इस मामले में कब और क्या कार्यवाही की गई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

श्रीमती अहमदी बेगम निवासी ग्राम मंगरौरा के पाक राष्ट्रिक होने पर खाता संख्या 51 में उसके अंश को शत्रु संपत्ति न घोषित करके सहखातेदारों में बंटवारे के उत्तरदायी प्रधान का नाम श्री मोहम्मद

नईम खां तथा सदस्यों के नाम सर्वश्री दाता राम तथा नूर मोहम्मद हैं।

जिलाधिकारी के निर्देश के उपरान्त श्री नूर मोहम्मद, भू0 पूर्व सदस्य चकबन्दी समिति के विरुद्ध बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी की ओर से थाना जगदीशपुर में प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 22-3-84 को अंकित करायी गई । श्री मोहम्मद नईम खां प्रधान तथा श्री दाता राम सदस्य ग्राम सभा का स्पष्टीकरण परगनाधिकारी द्वारा दिनांक 17-8-83 तथा 17-9-83 को मांगा गया था । उक्त के स्पष्टीकरण तथा अभिलेखीय सदस्यों के अवलोकन के उपरान्त परगनाधिकारी की आख्या दिनांक 23-3-84 से यह विदित होता है कि श्रीमती अहमदी बेगम का नाम तत्कालीन जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 28-8-47 द्वारा नामांकन संबंधी अपील में खारिज हो गया था । इसके अतिरिक्त वर्तमान समय में एक वाद जिलाधिकारी बनाम मोहम्मद नईम खां चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत चकबन्दी अधिकारी 3 मुसाफिरखाना के न्यायालय में विचाराधीन है। इस कारण उक्त वाद के निर्णय के पूर्व इनके विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करना उचित नहीं है।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर में कतिपय गाटा संख्याओं में अंकित नाम तथा इन्द्राजों का आधार

82—श्री दूधनाथ राजभर—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गाटा संख्या 1353, 1354, 1357, 1637, 1640, 1711, 1712, 1713, 1714, 1715, 1731, 1344, 1732, 751 स्थित ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर का इन्द्राज राजस्व अभिलेख के खाता खतौनी भाग 1 तथा 2 एवं खाता एक्ट बन्दोबस्त सोयम 1356 फ0, 1359 फ0, 1360 फ0, 1362 फ0 1363-1365 फ0 में तथा चकबन्दी आकार पत्र संख्या 6-7-23-24-45 एवं वर्तमान वर्ष में किन-किन के नाम अंकित हैं तथा इन्द्राजों का आधार क्या है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

प्रश्न में मांगी गई सूचना विस्तृत है और जिसे नियमानुसार जिला कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है ।

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर के गाटा संख्या 1732 पर सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेशानुसार श्री जेगम अली का अंकित नाम

83—श्री दूधनाथ राजभर —

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर के वर्ष 1362 फ0 के खाता खतौनी संख्या 62 पर गाटा संख्या 1732 पर सहायक चकबन्दी अधिकारी ने दि0 23-5-1955 को आदेश पारित किया है कि इस आराजी से मो0 हसन खां पुत्र करमशेर खां का नाम खारिज करके जेगम अली आदि का नाम भूमिधरी में अंकित हो, तो उसका आधार क्या है ? तथा इसी में सह खातेदार का नाम किस आधार पर 1363-65 फ0 में दर्ज नहीं किया गया है ? क्या इस संबंध में दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बाहरपुर परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर के वर्ष 1362 फ0 के खाता खतौनी के संख्या 62 के गाटा संख्या 1732 पर सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेश दिनांक 23-5-55 जो मुकदमा संख्या 353 में पारित किया गया है, के द्वारा मो0 हसन

खां सुत करमशेर खां का नाम खारिज करके जेगम अली का नाम सहायक चकबन्दी अधिकारी के आदेशानुसार अंकित किया गया है तथा उसी में 1363-65 फ0 में सहखातेदारी गलत रूप से बसी अली खां जड़ संरक्षक बाबू जैगम अली खां के नाम अंकित है। इसके निमित्त श्री कालीचरन अमीन दोषी पाए गए परन्तु मृत्यु हो जाने के कारण उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही संभव नहीं है ।

84—श्री दूधनाथ राजभर —

[6ठे शुक्रवार के लिए स्थगित ।]

ग्राम बाहरपुर, जिला सुल्तानपुर में तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी के न्यायालयों में मिसिलबन्द रजिस्टर गायब होने के विरुद्ध कार्यवाही

85—श्री दूधनाथ राजभर —

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी के न्यायालयों के मिसिलबन्द रजिस्टर को राजस्व अभिलेखागार, सुल्तानपुर में आज तक दाखिल नहीं किया गया है ? यदि हां, तो राजस्व अभिलेखपाल एवं तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी की कोई जिम्मेदारी रजिस्ट्री को दाखिल कराने की थी ? यदि हां, तो इस पर कोई कार्यवाही करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में तत्कालीन बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी के न्यायालयों में मिसिलबन्द रजिस्टर राजस्व अभिलेखागार सुल्तानपुर में दाखिल नहीं है । मिसिलबन्द रजिस्टर के रख रखाव का समस्त दायित्व संबंधित लिपिक का होता है उसको दाखिल कराने के निमित्त अभिलेखपाल एवं बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी एवं उप संचालक चकबन्दी पर कोई दायित्व नहीं है । चूंकि मिसिलबन्द रजिस्टरों के रख रखाव का सारा दायित्व संबंधित लिपिक का ही है इसलिए बन्दोबस्त अधिकारी चकबन्दी, राजस्व अभिलेखापाल व उप संचालक चकबन्दी के विरुद्ध कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम रसूलपुर में व्यक्तियों को भूमि का आवंटन

86—श्री दूधनाथ राजभर —

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 2रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 144 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर में अब तक किन-किन व्यक्तियों को कब-कब कौन-कौन से भू-खण्ड मय क्षेत्रफल के आवंटित किए गए हैं ? आवंटन के समय उनके पास पहले से कितनी भूमि थी ?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर, जनपद सुल्तानपुर में वर्ष 1970-71 में आठ व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी । इसके अतिरिक्त दूसरा आवंटन 1976 में हुआ था जिसमें 20 व्यक्तियों को भूमि आवंटित की गई थी । दोनों आवंटन में भूमि आवंटियों का विवरण अलग-अलग †संलग्न है। समस्त आवंटियों के पास आवंटन से पहले कोई भूमि नहीं थी ।

†छापा नहीं गया।

ग्राम दौलतपुर, जिला सुल्तानपुर में कतिपय भूखंडों के प्रतिकर की राशि का भुगतान

87—श्री दूधनाथ राजभर —

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के दूसरे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 142 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर निसूरा, परगना जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1359 फ0 में स्थित भूखण्ड संख्या 130, 131, 133, 134, 158, 316, 326, 326/1, 326/2, 333, 445, 567, 847 के मालिकान कौन-कौन थे और प्रत्येक का कितना-कितना भाग का तथा प्रत्येक भूखण्डों के प्रतिकर की राशि किन-किन मालिकान को कितनी-कितनी और कब दी गई है?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

ग्राम दौलतपुर निसूरा परगना जगदीशपुर तहसील मुसाफिरखाना जिला सुल्तानपुर में स्थित गाटा संख्या-130, 131, 133, 134, 158, 316, 326, 326/1, 326/2, 333, 445, 567 तथा 847 के मालिकान वर्ष 1359 फ0 में श्रीमती लिहाजन बीबी जौजे अब्दुल वहीद खां तथा श्री अब्दुल कादिर खां सुत मुस्तफा खां कौम भाले सुलताना निवासी ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर थे ।

श्रीमती लिहाजन का भाग नौ आना तीन पाई तथा श्री अब्दुल कादिर का भाग छः आने नौ पाई अंकित है । श्रीमती लिहाजन बीबी को उक्त भूखंडों का प्रतिकर 326-3-0 निर्धारित किया गया । उक्त धनराशि में से रुपये 300-00(रुपये तीन सौ मात्र) का बाण्ड श्रीमती लिहाजन को दिनांक 5-5-1955 को दिया गया है तथा रुपये 26:/3/-जिसका ब्याज रू0 1/15/6 होता था कुल नकद रुपया 28/2/6 का भुगतान नवम्बर 1955 में होना रजिस्टर में अंकित है । इसी प्रकार उक्त गाटों का प्रतिकर दूसरे मालिक श्री अब्दुल कादिर खां को दो सौ रुपये का बांड 27-10-1955 तथा नकद रुपये 44/8/9 दिनांक 20-12-1957 को देना अंकित है।

चकबन्दी विभाग में कर्मचारियों को स्वीकृत समय बद्ध वेतनमान

88—श्री दूधनाथ राजभर —

क्या राजस्व मंत्री को जानकारी है कि जुलाई, 82 से कर्मचारियों को निर्धारित सेवाओं को पूर्ति के पश्चात् शासन द्वारा समयवद्ध वेतनमान (सेलेक्शन ग्रेड) देने का निर्णय लिया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रदेश के सुदूर चकबन्दी विभागों में इसका कार्यान्वयन हो रहा है ?यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन इस पर कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां । चकबन्दी विभाग में जिन जिन श्रेणी के कर्मचारियों को समयवद्ध वेतनमान दिनांक 1 जुलाई 1982 से शासन द्वारा स्वीकृत किया जा चुका है उसका कार्यान्वयन प्रत्येक स्तर पर कराया जा रहा है । शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

89—श्री दूधनाथ राजभर —

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

90—श्री दूधनाथ राजभर —

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त ।]

91—92—श्री दूधनाथ राजभर—

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

ग्राम दौलतपुर, जिला सुल्तानपुर में चक-बन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत लिए गए कतिपय भूखण्डों के प्रतिकर का भुगतान

93–श्री दूधनाथ राजभर –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम दौलतपुर बिसरा, परगना जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1362 फ0 में भूखण्ड संख्या 130, 131, 133, 134, 158, 316, 326/1, 326/2, 333, 334, 445, 567, 847 में किसके नाम अंकित हैं तथा चकबन्दी प्रक्रिया के अन्तर्गत असल मालिकान को कौन-कौन से भूखण्ड बदले में दिये गये हैं? यदि हां, तो इसका इन्द्राज 1363 फ0 में अंकित किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

प्रश्न में मांगी गई सूचना विस्तृत है और जिसे जिला कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त किया जा सकता है ।

94-95–श्री दूधनाथ राजभर –

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त ।]

ग्राम बाहरपुर, परगना जगदीशपुर, जिला सुल्तानपुर में भूखण्ड के मालिकान को देय प्रतिकर

96–श्री दूधनाथ राजभर –

विधान सभा के द्वितीय सत्र 83 के 2रे शुक्रवार के अता0 प्र0 सं0 140 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खाता खेवट संख्या 2 आला पर 34 भूखण्ड है ?प्रत्येक भूखण्ड का प्रतिकर प्रत्येक मालिकान को कितना-कितना तथा कब दिया गया है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

विवरण एकत्र किया जा रहा है ।

ग्राम रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर में वृक्षों का इन्द्राज न किये जाने का कारण

97–श्री दूधनाथ राजभर –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम रसूलपुर परगना जगदीशपुर, तह0 मुसाफिरखाना, जिला सुल्तानपुर में वर्ष 1359 फ0 में गाटा संख्या 774, 800 तथा 852 के कौन से मालिकान हैं तथा उस पर वृक्ष मौजूद हैं ? यदि हां, तो वर्तमान समय में वृक्षों का इन्द्राज न किए जाने का क्या कारण है ?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

98-99–श्री दूधनाथ राजभर –

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

ग्राम सभा रसूलपुर, जिला सुल्तानपुर के अभिलेख में ग्राम समाज की मिल्कियत

100–श्री दूधनाथ राजभर –

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा रसूलपुर, वि0 खं0 शुकुल बाजार, जिला सुल्तानपुर में ग्राम अभिलेख के अनुसार कितनी भूमि है तथा जिन गाटों में कृषि भूमि कब्रिस्तान, शमशान, मस्जिद शिवालय, मंदिर, आबादी एवं रास्ते चारागाह स्कूल हैं उनमें से कौन से गाटे मय क्षेत्रफल ग्राम समाज की मिल्कियत हैं ?उनमें कितने पर पेड़ अथवा खेती है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

ग्राम गोपालपुर, तहसील फरीदपुर, जनपद बरेली के निवासी श्री बुद्धपाल सिंह को मृतक दर्ज करने तथा अन्य का नाम दर्ज किये जाने के विरुद्ध प्रार्थना पत्र

101–श्री नन्दराम–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम गोपालपुर, तह0 फरीदपुर, जनपद बरेली निवासी श्री बुद्धपाल सिंह पुत्र

हप्पू सिंह को तहसीलदार ने मुकदमा सं0 561 दि0 3-7-81 के अनुसार मृतक दर्ज करते हुए खतौनी के खत नं0 19 में उक्त बुद्पाल सिंह के स्थान पर सुखपाल सिंह, हरपाल सिंह, गुन्जू सिंह व नन्हें सिंह, गुलफाम सिंह पुत्रगण पूरन सिंह का नाम दर्ज किए जाने के आदेश दिये गये हैं। क्या यह सही है कि वास्तव में और बमुताबिक जारी नकल खतौनी द्वारा हल्का लेखपाल दि0 27-12-82 एवं खतौनी ग्राम गौसगंज तराई के खेत नं0 286 व 162 व खतौनी ग्राम गोपालपुर के खेत नं0 202 तथा 275 उक्त श्री बुद्धपाल सिंह जीवित हैं और उन्होंने इस अदैधानिक गलत कृत्य के विरुद्ध कार्यवाही की मांग करते हुए दि0 20-1-83 को जिलाधिकारी, बरेली को प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया फिर भी सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध अब तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है? यदि हां, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जी नहीं।

जी हां। श्री बुद्धपाल सिंह जीवित हैं। प्रार्थना-पत्र दिनांक 20-1-83 निराधार होने के कारण किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम सरोता तथा तप्पा एखिन, जिला बस्ती में ग्राम समाज की पट्टे पर दी गयी भूमि

102–श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

क्या राजस्व मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला बस्ती तह0 एवं परगना नौगढ़ के ग्राम सरोता तथा तप्पा एखिन में किन-किन हरिजनों को ग्राम समाज की भूमि पट्टे पर प्राप्त है तथा सभी को कब्जा मिल गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

सूचना एकत्र की जा रही है।

103–श्री दूधनाथ राजभर–

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त।]

जनपद देवरिया में रूद्रपुर को नया तहसील बनाये जाने की मांग

104–श्री नन्दकिशोर सिंह–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले की बढ़ती आबादी तथा भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए रूद्रपुर में नया तहसील बनाने का कष्ट करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

तहसील पुनर्गठन समिति ने अपने प्रतिवेदन में जनपद देवरिया में रूद्रपुर को तहसील बनाये जाने हेतु कोई संस्तुति नहीं की है।

जनपद बस्ती की नौगढ़ तहसील के ग्राम रीवां नानकार के मकानों को बाढ़ से क्षति तथा प्रभावित व्यक्तियों को अन्यत्र बसाने की मांग

105–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बस्ती जिले के नौगढ़ तहसील के ग्राम रीवां नानकार के कितने घर विगत बरसात में बाढ़ से कट कर राप्ती नदी में गिर गये हैं?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

वर्ष 1983 की विगत बाढ़ में जनपद बस्ती की तहसील नौगढ़ के ग्राम रीवां नानकार में 47 मकान राप्ती नदी से कट गए थे।

106–श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिन लोगों के घर नदी में कटकर गिर गये हैं उनको दूसरे स्थान पर बसाने का सरकार ने प्रबन्ध किया है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

उपरोक्त 47 मकानों में से 10 मकानों के स्वामियों के पास गांव में ही भूमि अथवा मकान उपलब्ध था। अतः

केवल 37 प्रभावित व्यक्तियों को आवास हेतु भूमि का आवंटन किया गया परन्तु उक्त आवंटित भूमि पर कब्जा देने के पूर्व ही भूतपूर्व जमींदार ने उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था एक्ट की धारा 198 (4) के अन्तर्गत वाद दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया जिसके कारण अब स्थगन आदेश समाप्त होने पर ही आवंटियों को कब्जा दिलाया जा सकेगा।

107—श्री मथुरा प्रसाद पाण्डेय—

क्या सरकार को यह जानकारी है कि ग्राम रीवां नानकार में जो ऊंची जमीन लोगों के गिरे हुए मकान बनाने लायक थी उस जमीन को गांव के कुछ सरकश लोग जबरदस्ती वहां की मिट्टी निकाल कर नीची कर दे रहे हैं या नाजायज कब्जा कर रहे हैं? यदि हां, तो सरकार ने ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्यवाही की? अगर नहीं, तो क्यों?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

लगभग प्रत्येक वर्ष ग्राम रीवां नानकार बाढ़ से प्रभावित हो जाता है जिसके कारण आबादी भूमि की कुछ मिट्टी बह जाती है और बरसात समाप्त होने पर गांव वाले पाटने हेतु खाली जमीन से मिट्टी लेते रहे हैं किन्तु अब मिट्टी खोदने से रोक दिया गया है तथा मिट्टी नहीं खोदी जा रही है।

परगनाधीश ज्ञानपुर जिला वाराणसी द्वारा ग्राम समाज की भूमि का पट्टा बिना उसकी स्वीकृति के न दिये जाने के आदेश

108—श्री उदल—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परगनाधीश, ज्ञानपुर, जिला वाराणसी ने 6-3-79 को गांव सभा बरवां परगना भदोही, तहसील ज्ञानपुर, जिला वाराणसी को आदेश दिया था कि बिना उनकी स्वीकृति के कोई पट्टा गांव समाज की भूमि का न किया जाय? क्या यह सही है कि उक्त वक्त के प्रधान (पंचम) एवं गांव समाज के मंत्री अनन्त प्रसाद श्रीवास्तव, लेखपाल ने 5-7-79, 14-11-79, 21-3-80, 5-7-81 व 17-10-81 तथा 5-1-82 को 8 बार पट्टा अनियमित तरीके से किया है और परगना हाकिम के आदेश की अवहेलना की है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी? क्या यह सही है कि गांव सभा बरवां के प्रधान मेवालाल वर्मा ने एक प्रार्थना पत्र परगनाधीश, ज्ञानपुर वाराणसी को दिनांक 6-2-84 को इस संबंध में दिया है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

सूचना एकत्र की जा रही है।

ग्राम मुडेरी, विकास खण्ड बिसवां, जिला सीतापुर के गन्ना ग्राम सेवक द्वारा किये जा रहे सट्टा में अनियमितताएं बरतने के संबंध में पत्र पर जांच

109—श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 15 मार्च, 1983 जो ग्राम मुडेरी, वि0 खं0 बिसवां, जिला सीतापुर के गन्ना ग्राम सेवक द्वारा किये जा रहे सट्टा में अनियमितताएं बरतने के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है (जिसके पाने की सूचना आपके पत्र सं0 333 दिनांक 21-3-83 द्वारा प्रश्नकर्ता को भी दी गयी) जिसे आपने आयुक्त के पास जांच हेतु भेजा है, इस संबंध में शासन द्वारा अभी तक क्या कार्यवाही की गयी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

जी हां। गन्ना आयुक्त द्वारा प्रश्नगत शिकायती पत्र की जांच जिला गन्ना अधिकारी, सीतापुर से करायी जा रही है। उनकी जांच आख्या अभी शासन को प्राप्त नहीं हुई है।

उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर के कार्यालय का स्थानान्तरण तथा किराये के रूप में किया गया भुगतान

110—श्रीमती गौरी देवी—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि विगत तीन सालों में कार्यालय उप गन्ना आयुक्त, गोरखपुर 4 स्थानों पर स्थानान्तरित किया गया है? यदि हां, तो इसका क्या कारण है और किन-किन भवनों को कितना धनराशि भुगतान करके कार्यालय चलाया गया है और वर्तमान समय में कितना भुगतान हो रहा है?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह—

प्रश्नगत कार्यालय विगत 3 वर्षों में 3 स्थानों पर स्थानान्तरित हुआ। प्रथम भवन की अनुबन्ध अवधि 2 वर्ष की थी और उसके समाप्त होने पर मकान मालिक की नोटिस पर उसे खाली कर दिया गया। कार्यालय इस भवन में दिनांक 1-4-81 से 28-2-83 तक स्थित रहा और सरकारी दर 1/-रुपया प्रति वर्ग फुट की दर से कुल रु0 1872/- प्रतिमाह किराये के रूप में भुगतान किया गया। कुल जितनी अवधि में कार्यालय उक्त भवन में स्थित रहा था, उसके लिये 43,056/- रु0 का किराये के रूप में भुगतान किया गया।

कार्यालय भवन 1-3-83 से 29-2-84 तक दूसरे भवन में स्थित रहा। इसका अनुबंध एक वर्ष के लिये था। इस भवन का किराया भी सरकारी दर 1/- रु0 प्रति वर्ग फीट की दर से 1872/- रु0 प्रति माह की दर से कुल रु0 22464/- का भुगतान किया गया। यह भवन कार्यालय के लिये उपयुक्त नहीं समझा गया और अनुबन्ध की समाप्ति पर कार्यालय के लिये उपयुक्त भवन मिल जाने पर उसे दिनांक 1-3-84 से स्थानान्तरित कर दिया गया है। जो भवन अब किराये पर लिया गया है उसका किराया भी सरकारी दर रु0 1/- प्रति वर्ग फीट की दर से दिया जाना है।

भूमि अध्याप्ति अमीन, राजस्व परिषद् कार्यालय के विरुद्ध शिकायती पत्र की जांच

111—श्री जनार्दन प्रसाद ओझा—

क्या राजस्व मंत्री कृपया यह बतायेंगे कि भूमि अध्याप्ति अमीन, राजस्व परिषद् कार्यालय (श्री नासिर हुसैन) वर्तमान स्थान पर वर्ष 76 से ही कार्यरत है? क्या यह सच है कि इनके विरुद्ध प्रश्नकर्ता के अतिरिक्त श्री उताउल्ला खां सद्दीक, पुरानी तहसील मेरठ का भी कोई शिकायती पत्र गत वर्ष 1983 में प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या इन्हें तत्काल स्थानान्तरित कर आरोपों की जांच करायेगी?

श्री बल्देव सिंह आर्य—

जी हां।

श्री नक्वी दिनांक 19-6-1976 से राजस्व परिषद् कार्यालय में कार्यरत है। जी हां। प्रश्नकर्ता के अतिरिक्त श्री अताउल्ला खां सद्दीक पुरानी तहसील मेरठ का शिकायती पत्र 1983 में प्राप्त हुआ है।

मेरठ तथा गोरखपुर मण्डल का कार्य 21-11-1983 से श्री नकवी से हटा लिया गया तथा जांच की जा रही है। जांच के बाद ही आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

सहकारी शुगर मिल सुल्तानपुर के खिलाफ कथित जांच

112—श्री ऊदल—

क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री प्रथम सत्र 84 के 1ले

शुक्र के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 15 के उत्तर के सन्दर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि यदि सहकारी शुगर मिल सुल्तानपुर के मैनेजर के खिलाफ कोई जांच तत्कालीन मैनेजिंग डाइरेक्टर श्री लाली ने नहीं किया था तो क्या उक्त मिल के बारे में कोई जांच की थी ? यदि हां तो क्या यह सही है कि उक्त मिल में जब तक जनरल मैनेजर श्री परमानन्द श्रीवास्तव थे 11 लाख का गबन दुरुपयोग आदि हुआ है? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उस रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करेगी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जी नहीं, इस प्रकार की कोई सूचना शासन को नहीं है । अतः जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

बड़ौत जनपद मेरठ सहकारी क्षेत्र में गन्ना मिल की स्थापना के संबंध में कार्यवाही

113–श्री नरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी मिल्स मंत्री को ज्ञात है कि माननीय मुख्य मंत्री ने दिनांक 2-2-84 में कस्बा बड़ौत मेरठ में एक जनसभा में यह घोषणा की है कि बड़ौत जनपद मेरठ सहकारी क्षेत्र में गन्ना मिल स्थापित की जायेगी? यदि यदि हां, तो कब तक उक्त चीनी मिल की स्थापना की जायेगी?

श्री सुरेन्द्र पाल सिंह–

जी हां । चीनी मिल की स्थापना के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु भारत सरकार को प्रार्थना पत्र भेजा जा रहा है । लाइसेन्स प्राप्त होने के पश्चात् चीनी मिल की स्थापना सम्बन्धी अग्रेतर कार्यवाई की जाएंगी ।

माधो महेश चीनी मिल मुंडेरवा, बस्ती के रिसीवर के विरुद्ध जांच रिपोर्ट

114–दुर्गा प्रसाद मिश्र–

विधान सभा 84 के प्रथम सत्र के 1 ले बुध0 के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0 79 के सम्बन्ध में क्या चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माधो महेश चीनी मिल मुंडेरवा बस्ती के रिसीवर के विरुद्ध जो जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसमें कौन से तथ्य प्रकाश में आये तथा उस पर कौन सी कार्यवाही की गयी बाकी जिन बिन्दुओं पर जांच हो रही है वह कब पूरी हो जायेगी? इस जांच को उ0 प्र0 राज्य चीनी निगम के कौन अधिकारी कर रहे हैं?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह–

संदर्भित प्रश्न पहले बुद्ध को नहीं बल्कि पहले शुक्रवार को निर्धारित था । जांच पूरी हो गयी है । जांच रिपोर्ट में यह तथ्य प्रकाश में आया है कि चीनी मिल के रिसीवर द्वारा लकड़ी की खरीद में अनियमितता की गयी है। इस संबंध में आवश्यक अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी । यह जांच उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के उप प्रधान प्रबन्धक श्री आर0 के0 दुबे द्वारा की गयी है।

श्री दीनानाथ खेतान, संयुक्त महामंत्री, भारतीय चीनी उद्योग कर्मचारी संघ, छितौनी द्वारा चीनी मिल के रिसीवर द्वारा की जा रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में की गई शिकायतों की जांच

115–श्री दुर्गाप्रसाद मिश्र–

विधान सभा 1984 के प्रथम सत्र 84 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अता0प्र0सं0 84 के संबंध में क्या चीनी उद्योग एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जांच अधिकारी कौन थे ?

जांच अधिकारी को जांच आदेश की तिथि एवं जांच रिपोर्ट क्या है?

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह–

जिलाधिकारी, देवरिया द्वारा श्री प्रभुदयाल श्रीवास्तव, अपर जिलाधिकारी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। जांच आख्या दिनांक 21-10-83 को प्रस्तुत की गयी। शासकीय धन के दुरूपयोग फर्जी भुगतान, मिल में अनियमित नियुक्तियां तथा पदोन्नतियां करना पर्चों में अनियमितता तथा मजदूरों का उत्पीड़न आदि विषयक शिकायतों की जांच की गयी और जांच से आरोप निराधार पाये गये।

जनपद देवरिया में तमकुहीराज को नई तहसील बनाने का प्रस्ताव

116–श्री विश्वनाथ–

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि देवरिया जिले में कितनी और तहसीलें बनाने की योजना है? यदि हां तो तमकहीराज को इसके लिये चुना गया है?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

जनपद देवरिया में तमकुहीराज, जिसका मुख्यालय कसिया में होगा, को एक नई तहसील बनाने का प्रस्ताव है।

ग्राम तरसांवा, तहसील मिश्रिख, जनपद सीतापुर में अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही

117–श्री मित्रसेन–

क्या राजस्व मंत्री को ज्ञात है कि जिला सीतापुर तहसील मिश्रिख स्थित ग्राम तरसांवा में कुछ लोगों ने गांव के अन्दर आम रास्तों पर इतना अत्यधिक अवैध निर्माण कर लिया है तथा रास्तों पर गन्दी नालियां निकाल दी है कि पूरे गांव के सभी रास्ते लगभग बन्द से होते जा रहे हैं? क्या माननीय मुख्य मंत्री जी आम जनता को राहत देने के उद्देश्य से उक्त रास्तों से तुरन्त अवैध कब्जे हटवाने का कष्ट करेंगे?

श्री बल्देव सिंह आर्य–

ग्राम तरसांवा, तहसील मिश्रिख, जनपद सीतापुर में आबादी के भीतर के मार्ग पर 21 व्यक्तियों ने अपने मकानों के सामने अतिक्रमण कर लिया है। उपरोक्त 21 व्यक्तियों में से 4 व्यक्तियों ने कमरे व दीवालें बना ली है तथा शेष 17 व्यक्तियों ने अपने मकान के सामने ऊंचे चबूतरे बनाकर मार्ग पर अतिक्रमण कर लिया है जिससे रास्ता कम चौड़ा रह गया है।

मार्ग में कहीं गन्दी नाली नहीं बनी है केवल मार्ग पर पड़ने वाले कुंआ व नाबदानों का गन्दा पानी निकलने के कारण सर्वश्री राम खेलावन, महावीर तथा नन्दराम के मकानों के सामने रास्ते में कीचड़ बना रहता है।

अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध अंतर्गत धारा 115 सी, ज0 वि0 अ0 तथा कुंआ व नाबदान की वजह से कीचड़ पैदा करने वालों के विरुद्ध 133 सी0 आर0 पी0 सी0 की कार्यवाही करने के निर्देश जिलाधिकारी द्वारा अधीनस्थ अधिकारियों को दे दिये गये हैं।

थाना मूसानगर (कानपुर) की पुलिस द्वारा कमलेश एंव राम दुलारी (हरिजन) की निर्दयता पूर्वक पिटाई के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अध्यक्ष–

नियम 301 के अन्तर्गत आज 12 सूचनायें प्राप्त हुयी हैं। मैंने श्री मोती लाल दहेलवी, श्री राजेन्द्र कुमार

गुप्त, श्री मसरूर जाफरी, श्री फिरंगी प्रसाद विशारद, श्री विमल प्रसाद तिवारी, श्री नन्द किशोर सिंह, श्री ओम प्रकाश सिंदल की सूचनाओं को स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है ।

सरोजिनी नायडू मेडिकल कालेज आगरा के प्राचार्य के दुर्व्यवहार एंव छात्रों द्वारा की गई आत्महत्याओं की सी0 बी0 आई0 से जांच के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मोती लाल दहेलवी–

महोदय, विगत 5 मार्च, 84 को बिबियापुर थाना मूसानगर कानपुर निवासी, 14 वर्षीय हरिजन बालक कमलेश को मूसानगर की पुलिस द्वारा पेड़ पर उल्टा लटका कर निर्दयता पूर्वक पीटा जाने लगा । उसकी विधवा बुआ रामदुलारी ने बालक को मार से बचाने का प्रयास किया तो सिपाही ने उसे पटक दिया और उसके पेट पर खड़ा होकर कूदता रहा। तत्पश्चात् पुलिस विधवा के घर घुसी। उसके मटकों आदि को तोड़कर खाद्यान्न बिखरा दिया तथा उसके चांदी के लच्छे और सुतिया हथिया ली । फिर पुलिस उस बालक को थाने लेकर चली गयी। घटना की जानकारी होने पर शिवराम सिंह सचान अन्य लोगों के साथ रामदुलारी को लेकर थाने रिपोर्ट लिखाने गये। विधवा रामदुलारी ने थानाध्यक्ष को सम्पूर्ण घटना बताई। थानाध्यक्ष ने विधवा से कसम खिलाने के बाद लिखित मांगा। लिखित दिया गया किन्तु विधिवत् रिपोर्ट नहीं लिखी गयी। विधवा को रात भर थाने में रोके रखा । दूसरे दिन जब हरिजन विधवा को खून की कई उल्टियां हुईं तो थानाध्यक्ष ने घबराकर डाक्टर के पास भेज दिया । अभियोग से बचने के लिए थानाध्यक्ष ने कमलेश को जेल भेज दिया । थानाध्यक्ष द्वारा लोकदल कार्यकर्ताओं को मरवा देने अथवा फंसाने की धमकी दी जा रही है । सी0 आई0 डी0 जांच ही अपेक्षित है।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

माननीय, आपकी आज्ञा से सदन और शासन के संज्ञान में महत्वपूर्ण तथ्य लाना चाहता हूं। सरोजनी नायडू मेडिकल कालेज, आगरा के प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार अनियमितताओं तथा छात्रों के उत्पीड़न से वहां घुटन का वातावरण उत्पन्न हो गया है। इसके शिकार होकर विगत 4 माह में क्षुब्ध 3 छात्रों ने आत्महत्या कर ली। सुरक्षित सीट के एक छात्र सुरेशचन्द्र की आत्महत्या का सिलसिला अप्रैल 81 से शुरू हुआ । इसके बाद डा0 यादव (जनवरी, 83), पवनगर्ग (नवम्बर, 83), विजय तिवारी (30 जून, 1983) तथा 6 मार्च को अनुकूल खरे ने आत्महत्या की । आत्महत्याओं के पीछे वर्तमान प्राचार्य द्वारा नियम विरुद्ध आचरण करने से छात्रों के हितों पर हुये कुठाराघात से उत्पन्न हताशा तथा कुंठा है । डा0 खरे की आत्महत्या का कारण यह रहा कि मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया द्वारा एम0 पी0 सी0 की परीक्षायें जुलाई, 84 में करने के बजाये 3 माह पूर्व करायी जा रही है । छात्रों ने इसके लिए प्राचार्य का निहित स्वार्थ का कारण बताया है । परन्तु आश्चर्य यह है कि आत्महत्याओं के बाद भी न तो भ्रष्टाचार के कारणों की जांच हुयी न कोई सुधार ही दिखाई दिया । अपने हितों की रक्षा के लिये छात्र आंदोलित हैं । मेडिकल कालेज बचाओ संघर्ष समिति गठित की गयी है । छात्र नेताओं पर उत्पीड़न तथा

*वक्ता ने भाषण का पनवीक्षण नहीं किया।

दमन का दुधारा चल रहा है । निष्कासन की धमकी से स्थिति गम्भीर हो गयी है । मैं छात्रों की मांगों कि, आत्म-हत्याओं के कारणों की सी0 बी0 आई0 से जांच हो, समय से पूर्व स्नातकोत्तर परीक्षायें न हों तथा प्रशासन में व्याप्त भ्रष्टाचार की उच्चस्तरीय जांच तथा छात्र नेताओं को उत्पीड़न से बचाने की मांग पर बल देकर त्वरित हस्तक्षेप की मांग करता हूं ।

राजकीय चिकित्सालय, बरही (गोरखपुर) के मुख्य भवन में पुलिस के एक दीवान द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अति अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर इस सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । जनपद गोरखपुर के थाना झंगहा अन्तर्गत पुलिस चौकी बरही बाजार के पुलिस दीवान राजकीय चिकित्सालय बरही की मुख्य भवन में प्रवेश के साथ-साथ परिवार कल्याण व महिला अस्पताल से सम्बन्धित भवन को अनधिकृत रूप से कब्जा करके प्रशासन को चुनौती दे रहा है । एक में सामान भरे पड़े हैं दूसरे में निवास बना लिया है । सम्बन्धित डाक्टर को अपनी पत्नी के दवा कराने के बहाने रख कर इसे कब्जा किया । डाक्टर के बार-बार कहने के बाद भी हट नहीं रहा है और गम्भीर धमकियां दे रहा है।

गम्भीर रूप से पीड़ित व कराहते मरीज भर्ती न होकर वापस चले जाते हैं । इनके घरों पर स्थिति गम्भीर है और मरणासन्न हैं ।

अतः इस पूरे मामले में शासन से शीघ्र प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं ।

परगनाधिकारी, उतरौला जिला गोंण्डा द्वारा अवैध रूप से पट्टे बांटे जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मसरूर जाफरी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, जनपद गोंडा तहसील उतरौला में सीलिंग व गांव समाज की निकली भूमि को एस0 डी0 एम0 पट्टे की संस्तुति के आधार पर बच रहा है। इसी प्रकार से गांव सभा की भूमि का धन के बल पर वर्ग बदल रहा है । मेरे विधान सभा क्षेत्र के बड़हरा भिटौरा गांव सभा में गांव समाज की भूमि गाटा संख्या 208 पर बड़े लोगों ने जबरदस्ती कब्जा करके मकाम बना लिया और सरकारी कागज में पानी अंकित है । उसका वर्ग बदलने के लिए उक्त अधिकारी ने धन लेकर एक समय में दो काम करने का प्रयास किया । गाटा सं0 218 जो एक किसान की भूमि थी, उसको 208 सरकारी कागजात में लिखाने का लिखित प्रयास किया । जब इसकी सूचना सम्बन्धित गांव सभा के सदस्यों को मिली और उस सूचना पर तहसीलदार से संबंधित कागजात सील करा दिये । परन्तु परगनाधिकारी, तहसीलदार के ऊपर दबाव डाल कर अपनी गलतियों को छिपाने का प्रयास कर रहा है । इस गलत कार्य से हजारों खेत मजदूर व हरिजनों में एक असन्तोष व्याप्त हो गया है। जिला प्रशासन उक्त अधिकारी के गलत कार्य में मूक दर्शक बना हुआ है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना को सदन के संज्ञान में लाकर

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

एस0 डी0 एम0 उतरौला के निलम्बन की मांग करता हूं एवं उक्त मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करता हूं ।

फर्रूखाबाद- फतेहगढ़ में विद्युत की आकस्मिक कटौती से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री विमल प्रसाद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में एक अत्यधिक लोक महत्व के प्रश्न को लाना चाहता हूं, जिसके फलस्वरूप फर्रुखाबाद-फतेहगढ़ का जन जीवन त्रस्त है । सम्पूर्ण प्रदेश की विद्युत आपूर्ति की स्थिति संतोषप्रद है, परन्तु विगत 15 दिन से निरन्तर फर्रुखाबाद की विद्युत आपूर्ति में जबर-दस्त अनधिकृत आकस्मिक कटौती की जाती है, जबकि शासन के आदेश शीत-गृहों को प्रतिदिन अट्ठारह घंटे बिजली देने का है ।

इस भारी आकस्मिक कटौती के फल-स्वरूप न केवल नागरिक त्रस्त हैं, बल्कि उद्योग धन्धों को भारी क्षति हो रही है तथा परीक्षा देने वाले छात्र-छात्राओं को भी भारी कठिनाई हो रही है, साथ ही शीतगृहों में रखे आलू के ठीक से रख-रखाव की भी समस्या है ।

इस भारी आकस्मिक प्रति दिन होने वाली कटौती का कारण शीतगृह स्वामियों के सम्मुख भारी कठिनाई उत्पन्न कर, उन्हें विभागीय अधिकारियों को मासिक धनराशि देने के लिए विवश करना है । जो एक अभिशाप सबके लिए बन रहा है ।

मैं इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न को शासन के संज्ञान में लाते हुए अनुरोध करता हूं कि तत्काल जनहित में विद्युत विभाग के अधिकारियों को फर्रुखाबाद शहर में नियमित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के आदेश दें ।

*श्री मोहन सिंह–

माननीय, यह जो नियम 301 की सूचनाएं हम लोग देते हैं, यह सरकार उसको रद्दी की टोकरी में फेंक दे रही है । माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, पूरे फर्रुखाबाद के इलाके में बिजली की आपूर्ति न होने के कारण आलू सड़ रहा है । यह बहुत महत्वपूर्ण है । माननीय विमल प्रसाद तिवारी शासक दल के होने के नाते, विवशता के कारण इसे नियम 301 में लाये हैं, यह कार्य-स्थगन में आना चाहिए था यह केवल फर्रुखाबाद की ही बात नहीं है, यह पूरे प्रदेश की समस्या है । माननीय, माननीय वित्त मंत्री जी यहां पर बैठे हैं, इनसे कुछ कहलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय बिहारी लाल जी, आप किधर जा रहे हैं? यह कोई तरीका नहीं है । जो भी माननीय सदस्य संसदीय नियमों का पालन नहीं करेंगे, उनको सदन से बाहर निकाल दूंगा । रोज-रोज बताना और कहना पड़ता है । चार वर्ष से अधिक हो गये, अभी तक आपको यह सब सिखाना पड़ रहा है कि कैसे उठें और कैसे बैठें । इसका भविष्य में ध्यान रखा जाय ।

श्री फिरंगी प्रसाद विशारद–

आप निकालते नहीं हैं, इसीलिये तो ऐसा करते हैं।

*वित्त मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

मोहन सिंह ने जो बात कही, ऐसा नहीं है । कोई साधारण पत्र या परचा भी रद्दी की टोकरी में नहीं जाता है । मैंने चीफ इंजीनियर हाइडिल को आदेश दे दिये हैं, विस्तृत रिपोर्ट

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मांगाकर, जो आलू उत्पादन के क्षेत्र हैं, कार्यवाही करें।

गण्डक नहर में पानी बन्द होने से देवरिया गोरखपुर में फसलों के सूखने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री नन्द किशोर सिंह–

गंडक नहर दिनांक 15-3-84 से बन्द है। पूरे गण्डक नहर इलाके में गन्ने की बुआई तथा जायद फसलों की बुआई बन्द पड़ी हुई है और गंगा फ्लड कन्ट्रोल बोर्ड पटना ने इस नहर को 15 जून तक बन्द करने का आदेश दिया है। देवरिया गोरखपुर जिले में हजारों एकड़ गन्ने की फसल तथा हजारों एकड़ जायद की फसलें पानी की कमी के कारण सूख रही हैं। और पूरे इस इलाके में अकाल की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी तथा खरीफ के लिए पानी समय से नहीं मिल पाने के कारण खरीफ की फसल भी नुकसान हो जायेगी।

अस्तु इस माननीय सदन एवं सरकार के संज्ञान में लाकर माननीय सिंचाई मंत्री जी से मांग करता हूं कि नहर बन्द न होने के लिए कार्यवाही करें ताकि नहर इलाके में गन्ना जायद तथा खरीफ की फसल हो सके।

नजूल विभाग, आगरा के कर्मचारियों द्वारा काश्तकारों को परेशान किए जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री ओम प्रकाश जिन्दल–

निवेदन है कि आगरा के काश्तकारों की भूमि नम्बर 303, 304, 305, 306, 307, 308 व 309, मोहल्ला कटरा यमुना ब्रिज, आगरा का इन्द्राज नजूल विभाग के अधिकारी सर्वश्री विनय मोहन गढ़वाल, श्रीमती हिमांशु एवं कर्मचारी श्री प्रभाकर व श्री गुलाब सिंह नहीं कर रहे हैं और आये दिन काश्तकारों को परेशान कर रहे हैं। इस सम्बन्ध में काश्तकारों ने अनेक बार नजूल अधिकारी, आगरा को प्रार्थना-पत्र दिये कि उनकी भूमि नजूल विभाग के कागजातों में दर्ज की जाय, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यही नहीं, श्री विशम्भर दयाल के एतमादौला, फार्म के अन्दर उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों ने घुसकर तोड़-फोड़ की और हजारों रुपयों का माल लूट कर ले गये। इस घटना की रिपोर्ट 31 जनवरी, 1984 को थाना एतमादौला, आगरा में दर्ज करा दी गयी है किन्तु उक्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की गयी। काश्तकारों में काफी रोष व्याप्त हो गया है।

अतः आपके माध्यम से मेरा अनुरोध है कि उक्त काश्तकारों की भूमि का नजूल विभाग में इन्द्राज कराया जाय और उक्त घटना की जांच कराई जाय ताकि सही स्थिति सामने आ सके।

अतिरिक्त मंडी शुल्क तथा बिक्री कर अधिभार के सम्बंध में उठाये गये औचित्य के प्रश्न पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष–

वित्त मंत्री से औचित्य के प्रश्न के रूप में श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त का दो दिन से स्थगित है, तो क्या आप इस वक्त कोई स्पष्टीकरण देंगे?

*वित्त एवं ऊर्जा मंत्री (श्री ब्रह्म दत्त)–

मैं अभी देना चाहता हूं, क्योंकि हमें विधान परिषद् में जाना है। माननीय सदस्य का कहना ठीक है। लेकिन मुझसे उस दिन भूल हुई, मैं स्वीकार करता हूं। भूल का प्रमाण यह है कि मैंने उस दिन कहा था कि जो 500 रुपये की जमानत 10 लाख से 20 लाख की बिक्री के लिए

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

लिया जाता था उसे नहीं लिया जायेगा जबकि वास्तव में 500 की जमानत की छूट 10 लाख बिक्री के लिये है और 10 लाख से ऊपर बिक्री पर 1000 हजार की जमानत ली जायेगी। 1000 की जमानत कैश भी ली जा सकती है और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के रूप में भी ली जा सकती है। यही व्यवस्था की गयी है। मेरा निवेदन है कि यह भूल सुधार कर लें।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक बात भूल के बारे में मंत्री जी ने कहा और खेद प्रकाश किया। मैं इसे भूल नहीं मानता। जहां तक मेरी जानकारी है, जो आन्दोलनकारी प्रतिनिधि थे, इन्हीं के दल के एक वरष्ठ सांसद हैं, जो बीच में पड़े थे, उन्हीं के सामने इन्होंने वादा किया था कि 20 लाख तक के छोटे व्यापारियों को छोड़ा गया है। लेकिन अध्यादेश निकाले तो परिस्थिति बदल गयीं। मैं तो शासन की केवल भर्त्सना कर सकता हूं। जो वादा किया था उस वादे को बदल कर, अध्यादेश में प्रतिकूल व्यवस्था की गयी है ---

दूसरी आपत्ति यह थी, उत्तर प्रदेश के करोड़ों करोड़ों तो किसान है । इन पर जो अतिरिक्त मंडी शुल्क लगाया गया था यह सरकार ने वापस लिया। यह तो संतोष की बात है लेकिन यह प्रावधान नहीं है कि गरीब काश्तकारों से मंडी शुल्क छः माह में वसूल कर लिया जाए। क्या माननीय मंत्री जी को जानकारी है कि यह अध्यादेश जारी किया गया था कि जिन काश्तकारों से अतिरिक्त मंडी शुल्क की वसूली कर ली गई है वह व्यापारियों के पास जमा हो गई तो यह काश्तकारों को वापस कराने की कोई कार्यवाही करेंगे? जो अनुशासित काश्तकार थे उन्होंने दे दिया और जो नहीं थे, वह कहते रहे कि हम नहीं देंगे और कन्धे से कन्धा मिलाकर आन्दोलन करते रहे कि यह काश्तकार पर अत्याचार है लेकिन जो अनुशासित काश्तकार थे उन्होंने मंडी शुल्क जमा कर दिया। मान्यवर, मैं सम्पूर्ण काश्तकारों की भावना प्रकट करना चाहता हूं कि उनकी मांग है कि जिन मंडी काश्तकारों से अतिरिक्त मंडी शुल्क लिया गया है चाहे वह किसी के पास जमा हो वह एक-एक पैसा दिया जाना चाहिए। मान लीजिए एक सामान्य काश्तकार ने एक गाड़ी गेहूं बेचा होगा तो जमा किया होगा। तो क्या माननीय मंत्री जी इस बारे में स्पष्टीकरण देंगे?

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जो वायदे किए गये थे, उनको पूरा करेंगे। मैं कहना चाहता हूं कि कहने में गलती हो गई, पांच सौ दिया गया। जो 10 लाख से 20 लाख की बात कही उसको ठीक कर दें। जहां तक किसानों से जो मंडी कर वसूल किया गया, वह इसलिए किया गया था कि इस टैक्स का उपयोग ग्रामीण इलाकों में किया जाए। मैंने निर्देश दिया है कि जिन मंडियों का शुल्क वसूल हो गया है उसी जगह उसका इस्तेमाल विकास कार्यों में कर दिया जाए। जैसे पुलिया बनाना है इस तरह से उस पैसे का इस्तेमाल किया जाए।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, एक काश्तकार से ले लिया, एक का माफ कर दिया, यह भेद है। मैं इस बात पर बल देता हूं। जो अतिरिक्त शुल्क काश्तकारों से लिया गया है उसको वापस किया जाए।

श्री ब्रह्म दत्त–

मान्यवर, मैं ऐसी व्यवस्था कर रहा हूं कि जिन मंडियों में लिया गया है

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

उसी के विकास कार्यों में इसको खर्च किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष–

मैंने वित्त मंत्री और गुप्ता जी की बातों को सुना आपने आश्वासन दिए हैं, जो निर्णय सदन को बताए हैं, उसके आधार पर जो गुप्ता जी ने औचित्य का प्रश्न उठाया है, उसको मैं अस्वीकार करता हूं।

विधायक निवास से श्री मानपाल सिंह एड-वोकेट के भतीजे का अपहरण एवं पुलिस निष्क्रियता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

*श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मैं आपको लिखित सूचना नहीं दे पाया हूं, लेकिन यह कानून व्यवस्था का मामला है।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इस आदरणीय सदन के सत्ता-रूढ़ दल के माननीय सदस्य के भाई का लड़का दारूलशफा से अपहृत कर लिया गया।

श्री अध्यक्ष–

माननीय अग्निहोत्री जी क्या कहना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी विशेष रूप से सुनें। एक विधायक का लड़का अपहृत हो गया है दारूलशफा से।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, पुराना विधायक निवास में एटा क्षेत्र के माननीय सदस्य श्री मानपाल सिंह का भतीजा, प्रदेश कुमार, जिसकी आयु करीब 10 वर्ष की थी, वह सायंकाल 5.00 बजे के बाद अपहृत हो गया उसकी थाने में रिपोर्ट की गयी। सभी विधायक निवास के विधायक उपस्थित थे, लेकिन पुलिस की जो कार्यवाही है.....

श्री अध्यक्ष–

यह औचित्य प्रश्न नहीं है यह तो आप सूचना दे रहे हैं।

श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री–

मान्यवर, इसमें अभी तक पुलिस की निष्क्रियता के कारण पुराने विधायक निवास के विधायकों में क्षोभ है। आपको स्मरण होगा कि आपके कक्ष में जब विधायकगण कार्य मंत्रणा समिति की बैठक के समय उपस्थित थे, सभी ने आपको जानकारी दी थी कि आज विधायक निवासों में अपराधी तत्वों की जो भरमार हो रही है, उसके कारण हर प्रकार की व्यवस्था अपंग हो गयी है। हम सभी विधायक श्री मानपाल सिंह और उनके परिवार के दुख से दुखी हैं और श्रीमान् जी उनके ऊपर भी गोलियों से हमला हो चुका है। श्रीमान् जी, इन अपराधी तत्वों के द्वारा इसी प्रकार की घटनाएं होती रहेंगी, यह विधायक निवासों में रहने वाले विधायकों के लिये चिन्ता का विषय है। मैं आपके माध्यम से इस सरकार से अनुरोध करता हूं। यह बड़ी अशोभनीय और दुःखपूर्ण घटना है और किसी की कोई सुरक्षा नहीं है। मेरा सरकार से अनुरोध है कि सरकार इस पर सक्रियता के साथ कार्य करे जिससे कि उस बालक का अपहरण करने वालों का पता चल सके।

*श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन्, इस माननीय सदन में विधायक निवासों की सुरक्षा के संबंध में पहले भी प्रश्न उठ चुका है। आपने शासन को निर्देश दिया था कि माननीय विधायकों की सुरक्षा की उचित व्यवस्था की जाय। उसके लिये प्रबन्ध भी किया गया और वहां पी0 ए0सी0 के कैम्प लगाए गये। कुछ दिन वे लगे रहे। मैंने पी0ए0सी0 के टेंट लगे देखकर पूछा भी कि कौन से मंत्री जी के लिये यह पी0ए0सी0 के टेंट लगे हैं तो पता चला कि जो इशू उठाया गया था सुरक्षा

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

के सम्बन्ध में, उसी के तहत विधायक निवासों में ये पी0ए0सी0 के टेंट लगे हुए हैं। वहां पी0ए0सी0 के 5-7 सिपाही रहे। लेकिन एक हफ्ता हुआ ये कैम्प फिर उठ गये और यह घटना अभी हाल ही में हो गयी। श्रीमन्, मैं चाहता हूं कि ये जो कैम्प लगाए गये हैं। पी0ए0सी0 के हर विधायक निवासों में पुनः लगा दें, ताकि विधायक निवासों में रहने वालों की सुरक्षा हो सके।

*श्री श्याम लाल वाजपेयी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका ध्यान इन विधायक निवासों में फैली हुई कु-व्यवस्था की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। वहां माननीय विधायक श्री रिजवानुर्रहमान किदवई को पीटा गया। वहां बाहर के गुण्डे आकर शरण पाते हैं। वहां लाण्ड्री और होटल खुले हुये हैं। कई बार निवेदन किया गया कि होटल में गुण्डे आते हैं, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं हुई और विधायक असुरक्षित रहते हैं। रात 12 बजे, 2 बजे शराब पीकर लोग गालियां देते हैं, चाकू चलाने की आवाजें आती हैं और कोई सुनवाई नहीं होती है। मान्यवर, हम सभी विधायक आपका संरक्षण चाहते हैं कि एक प्रभावकारी आदेश दें क्योंकि विधायकों का जीवन सुरक्षित नहीं है।

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

मान्यवर, मैं एक सुझाव देना चाहता हूं। मान्यवर, यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सारे प्रदेश से सम्बन्धित विधायक निवासों में जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, वह शर्मनाक है। इनको देखते हुए सारे नेता लोग और आप बैठकर और मुख्य मंत्री जी को बुलाकर इसकी व्यवस्था कर लें। यह मेरा सुझाव है।

श्री अध्यक्ष–

यह मुझे खेद है कि इस प्रकार का प्रकरण इस सदन में आया और यह भी सही बात है कि इस आदरणीय सदन के माननीय सदस्यों ने जो बातें यहां कहीं कुछ ऐसी बात होती है तो हमारे लिए बड़ी दुखदायी बात है। मैं शासन का विशेष रूप से इसकी तरफ ध्यान आकर्षित करता हूं। जहां तक बैठक बुलाने का सवाल है, मैं जल्दी ही एक बैठक बुलाऊंगा माननीय नेताओं की। उसमें इस बात का निर्णय लिया जायेगा कि किस प्रकार सुरक्षा की जाये और जो निर्णय होगा उससे आप सभी लोगों को अवगत कराया जायेगा। शासन इस मसले पर जो कार्यवाही करे, उससे मुझे भी अवगत कराया जाय।

औचित्य के प्रश्नों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

नियम-300 के अन्तर्गत मुझे 4 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। जैसा कि मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि जो सूचनायें होती हैं उन्हें मैं अपने कक्ष में पहले देखता हूं और नियमों को देखता हूं और उन सभी सूचनाओं का परीक्षक्ष करता हूं। कल भी मैंने कहा था कि यह पद्धति बढ़ती जा रही है। माननीय श्री ओझा जी की सूचना जो प्रश्न के बारे में सुनने की बात बिल्कुल नहीं है, का मैं परीक्षण कर रहा हूं। परीक्षण करने के बाद ही मैं इस पर अपना निर्णय दे पाऊंगा। इसलिए मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं इसी विषय से संबंधित एक सूचना देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप बैठें। मैंने आपको इजाजत नहीं दी है। मैं ऐसी स्थिति में इस

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

समय नहीं है कि कोई निर्णय दे सकूं। बाद में यदि आवश्यक हुआ तो मैं आपको सुनूंगा और सुनने के बाद ही मैं अपना निर्णय दूंगा।

दूसरे जो औचित्य के मामले हैं। मैंने नियम 300 के अन्तर्गत उनको देखा और उनका परीक्षण किया। माननीय श्री राम नारायण सिंह, माननीय श्री गोपी नाथ वर्मा, माननीय श्री बदन सिंह और माननीय श्री सरदार सिंह जी की सूचनायें हैं। माननीय श्री सरदार सिंह जी की सूचना में अध्यक्ष के ऊपर आक्षेप लगाया गया है, जो उचित नहीं। भविष्य में इस प्रकार के मामलों को बरदाश्त नहीं किया जा सकता है। अगर अध्यक्ष के ऊपर आरोप लगाया जायेगा, तो इस सदन की कार्यवाही कैसे चलेगी? मैं इन सभी सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं।

(व्यवधान)

राज्यपाल अभिभाषण के समय श्री मुहम्मद आजम खां के व्यवहार की जांच हेतु गठित समिति के सम्बन्ध में औचित्य के प्रश्न की सूचना

*श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, दिनांक 22-3-1984 को माननीय श्री मुहम्मद आजम खां के बारे में एक कमेटी का गठन करने का निश्चय किया गया। उस दिन मैंने व्यवस्था का प्रश्न उठाने की चेष्टा की थी, लेकिन मुझे अनुमति नहीं मिली। दिनांक 23-2-1984 को मैंने इस मसले को आपके समक्ष प्रस्तुत किया। आपने सुना और सुनने के बाद आपने यह कहा कि आपको मुझे लिखकर देना चाहिए।

मान्यवर, दूसरी चीज आपने यह कही थी कि फिर भी मैं इसे देख लूंगा। उस दिन मैंने करण-91 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करते हुए यह कहा था कि "सदन में राज्यपाल के अभिभाषण पर दिया गया आश्वासन सदन का आश्वासन नहीं माना जायेगा और यह आश्वासन सरकार का नहीं माना जायेगा।

मान्यवर, मैंने यह कहा कि यह अभिभाषण मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार किया जाता है और मंत्रिपरिषद् द्वारा तैयार किए गए अभिभाषण को महामहिम राज्यपाल द्वारा पढ़ा जाता है। मान्यवर, इस अभिभाषण को जो मंत्रिमंडल तैयार करे और उसको राज्यपाल पढ़े, उसको आश्वासन आप नहीं मानेंगे। इसका कारण क्या है? इसका एकमात्र कारण यह है कि जब राज्यपाल भाषण करते हों, तो उस वक्त सदन का चलना नहीं माना जाता है। एक तरफ और आपका ध्यान आकर्षित किया है कि 27 जनवरी को जब राज्यपाल महोदय ने हम लोगों को संबोधित किया और हम लोग सदन में आ गए, सदन में आने के बाद, मार्शल के द्वारा सदन के स्थगन की सूचना महामहिम राज्यपाल की तरफ से दी गयी।

श्री अध्यक्ष–

माननीय केदार नाथ जी, बहुत सी बातें इस सदन में, इस विषय में हो चुकी हैं, जो हो चुकी हैं, उनके बारे में कोई बात आप न कहें, वह बात कहें, जो न हुई हों, जो नई बात हो और जिन पर विचार न हुआ हो।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, इस पर विचार नहीं हुआ है।

श्री अध्यक्ष–

जो बातें आपने अपनी सूचना में लिखी है, आपको उसी पर बोलना चाहिए। यह बातें जो आप कह रहे हैं, यह इसमें नहीं लिखी हुई है।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा । मान्यवर, यह बिन्दु दिनांक 22-2-84 को नहीं उठाया गया था जिस बिन्दु को मैं आज प्रस्तुत कर रहा हूं । मान्यवर, मैं यह कह रहा था कि 27 जनवरी को जब यह स्थगित कर दिया गया और सदन के माननीय सदस्यगण इस सदन में आ चुके थे, उनको भत्ता देना था, लेकिन उस रोज का भत्ता न दिए जाने के क्या कारण हैं ? वह यह कारण है कि राज्यपाल के अभिभाषण के समय सदन को चलना नहीं माना जाता है । दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि मान्यवर, 13 फरवरी को चला सदन 27 तारीख को हम लोगों को हस्ताक्षर करने थे, वह करने को नहीं मिला ।

श्री अध्यक्ष–

यह सदन का निर्णय हो चुका है, इस पर निर्णय हो चुका है आप कोई नयी बात तो कह नहीं रहे हैं ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, इस बिन्दु पर चर्चा नहीं हुई है ।

श्री काशी नाथ मिश्र–

मान्यवर, यह क्या औचित्य का प्रश्न है ? यह किस नियम के तहत बोल रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

अभी तक आपने कोई नयी चीज नहीं कही है ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, उस रोज भी जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हुआ था तो हम लोगों के हस्ताक्षर कराए गए । मान्यवर, जब राज्यपाल महोदय आते हैं, तो पीठासीन अधिकारी कौन होता है ? पीठासीन अधिकारी राज्यपाल होता है । सदन की यह सामान्य प्रक्रिया है कि जब, मान्यवर, आप न हों या आपकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष भी न हों या उनकी भी अनुपस्थिति में अधिष्ठाता मंडल का कोई सदस्य, वहां पीठासीन न हो, तब तक वह सदन का चलना नहीं माना जाता है । उस वक्त पीठासीन अधिकारी राज्यपाल थे और उस वक्त सदन का चलना नहीं माना जाता है। तो यह करण 91 के माध्यम से यह आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। दूसरी चीज मान्यवर, यह जो आल इंडिया के चेयरमेन्स की, जो प्रीसाइडिंग आफिसर्स कांफ्रेंस होती है, यह जो 1967 में हुई थी, उसके दो उद्धरण आपके समक्ष पेश करना चाहता हूं । मान्यवर, विशेष तौर पर यह नयी बात है । मान्यवर इसमें लिखा है, हैडिंग है "गवर्नर एड्रेस" उसके लास्ट में निष्कर्ष निकला ।

श्री काशी नाथ मिश्र–

मान्यवर, यह क्या पढ़ रहे हैं, यह किस नियम के तहत बोल रहे हैं ?

श्री केदार नाथ सिंह–

जरा सुन लें ।

मि0 चेयरमैन –

वी आर नाट ए लीगल बाडी टू एडवाइस दी गवर्नमेंट एज टू ह्वाट दे शुड डू इन दिस मैटर. दे हैव ए लीगल डिपार्टमेन्ट टू विल एडवाइस देम आन कान्सटीट्यूशनल एमेन्डमेन्ट एटसेक्ट्रा. वी से प्लीज डोन्ट पुट अस टू दा इनडिगनिटी आफ रीडिंग दा गवर्नर्स एड्रेस . वी आर नाट गोइंग टू एक्सेप्ट्स दैट ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय केदार नाथ सिंह जी, आप बैठें । एक बात मैं कहूंगा जो माननीय सदस्य या माननीय मंत्री–अंग्रेजी में कोई बात कहना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो पहले ही उसकी हिन्दी बनाकर ले आया

करें । आप अंग्रेजी में कोई चीज नहीं बोलेंगे । आप पहले ही, 4 बजे प्रात: उठकर या 11 बजे रात्रि तक जागकर उसको तैयार कर लिया करें। पहले ही से हिन्दी बना कर लाया करें । मैं अंग्रेजी में कुछ कहने की कोई इजाजत आपको नहीं दूंगा ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मैं यह कह रहा था कि यह नई दिल्ली में 14 और 15 अक्टूबर, 67 को हुआ था । उस पर यह निर्णय लिया गया कि माननीय अध्यक्ष के द्वारा .....

श्री अध्यक्ष–

आप संक्षेप में स्पष्ट रूप से कहिए, क्या कहना चाहते हैं ?

श्री केदार नाथ सिंह–

पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में निर्णय हुआ था । जम्मू और काश्मीर में भी 15-16 तारीख को हुआ था । उसमें भी ऐसा ही निर्णय लिया गया था । पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में यह निर्णय किया गया है कि गवर्नर का "एड्रेस" पीठासीन अधिकारियों द्वारा नहीं पढ़ा जायगा ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा द्वारा सदन में अखबार पढ़ने पर) ।

श्री अध्यक्ष–

आप अखबार पढ़ने की परिपाटी न डालें। अखबार किसी माननीय सदस्य को नहीं पढ़ने दूंगा । अगर अखबार पढ़ना है तो आप प्रात: 4 बजे उठिए ।

(हंसी)

श्री केदार नाथ सिंह–

अभी तक यह परम्परा रही है कि गवर्नर दक्षिणी भारतीय भी हुआ करते थे, अंग्रेजी पढ़ने में कठिनाई नहीं होती थी, हिन्दी पढ़ने में कठिनाई होती थी, लेकिन यह तो हिन्दी भाषी महामहिम राज्यपाल हैं । इसके बाद भी न तो ऐसी स्थिति है कि वह हिन्दी पढ़ नहीं सकते .....

श्री अध्यक्ष–

आप महामहिम राज्यपाल पर कोई टीका-टिप्पणी नहीं कर सकते ।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, मैं तो वस्तुस्थिति बता रहा हूं।

श्री अध्यक्ष–

आपका समय समाप्त हुआ, अब आप बैठें।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, सुन लें। एक लोक सभा के राम देव सिंह के बारे में मामला उठाया गया था, एक सूरज नाथ सिंह का मामला उठाया गया, उसका उद्धरण देना चाहता हूं। इन दोनों मामलों में, जैसा कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा, ऐसी कमेटी का गठन किया गया, लेकिन उस प्रस्ताव में क्या है, कौन सी भाषा लिखी गयी है, उसका अध्ययन करें। मैं पढ़कर सुना देता हूं, प्रस्ताव चार-चार लाइन का है।

श्री अध्यक्ष–

माननीय केदार नाथ सिंह जी, आप अपने स्थान पर बैठें।

श्री केदार नाथ सिंह–

मान्यवर, उद्धरण तो सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

नहीं, अब आप बैठें।

यहां पर सदन में इसकी काफी चर्चा हो गयी है और निर्णय हो गया है। या तो आप मेरे कक्ष में आकर बता देते कि इस पर अभी यह नहीं हुआ है। जो कुछ आप बोल रहे हैं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है और न इससे सम्बन्धित है। मैं निर्णय

दूंगा, इसलिये आपको बहुत संक्षेप में बताना चाहिये था। आपको मालूम है कि एक मिनट में इस सदन में जनता की गाढ़ी कमाई का कितना पैसा खर्च होता है। आपको एक-एक मिनट पर ध्यान देना चाहिये और कम से कम समय लेना चाहिये। मैं आपका आशय समझ गया। आपका लिखा हुआ रखा है, उसके बारे में तो आप एक भी शब्द बोलते नहीं हैं, इधर-उधर की बात कर रहे हैं।

श्री केदार नाथ सिंह–

मैं जिस विषय पर बोल रहा हूं, उसको मैंने लिखित नहीं दिया है। आप सुन लें। माननीय राम जी वाले मामले में जो लोक सभा में उठाया गया... (व्यवधान)

श्री काशीनाथ मिश्र–

मैं जानना चाहता हूं कि माननीय सदस्य क्या कह रहे हैं, किस नियम के अन्तर्गत बोल रहे हैं?

(व्यवधान)

मान्यवर, ये क्या कह रहे हैं कुछ आपकी समझ में आ रहा है?

श्री अध्यक्ष–

मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है।

श्री काशीनाथ मिश्र–

एक बार जब इस विषय पर विचार हो चुका है, तब बार-बार इस पर सदन का समय क्यों बरबाद किया जा रहा है?

श्री केदार नाथ सिंह–

यह सुन्दर लाल दीक्षित का मामला और राम जी का मामला है, इसके सम्बन्ध में जो दो प्रस्ताव आये हैं और तीसरा राज्यपाल के अभिभाषण का मामला जो है वह इन दोनों प्रस्तावों से भिन्न है। इसमें संवैधानिक प्वाइन्ट यह है कि इन दोनों प्रस्तावों में यह कहा गया है कि माननीय राज्यपाल के अभिभाषण के समय जो उन्होंने आचरण किया है, वह उचित नहीं है। उसमें यह नहीं कहा गया है, उन्होंने सदन की अवमानना की है। इसलिये मैं इसका विरोध कर रहा हूं। उन्होंने सदन की अवमानना की है, इसलिये इस प्रस्ताव को लाया गया है। संवैधानिक दृष्टि से यह प्रश्न उठता है।

श्री अध्यक्ष–

जो माननीय सदस्य ने कहा वह बिना तैयारी किये हुए कहा है। आपको मोहन सिंह की शागिर्दी कर लेनी चाहिये थी या आप मेरे कक्ष में आते। मैं आपको कोल्ड डिंक पिलवाता और आपको संतुष्ट करता। जो आपने कहा है, मैं उससे सहमत नहीं हूं।

माननीय केदार नाथ सिंह ने श्री मुहम्मद आजम खां के व्यवहार के संबंध में गठित जांच समिति के बारे में 23-2-84 को इस आधार पर आपत्ति उठायी थी कि राज्यपाल के सम्बोधन में निहित आश्वासनों को सरकार द्वारा किया गया आश्वासन, प्रक्रिया सम्बन्धी-करण संख्या 91 (छठा संस्करण) के अनुसार, नहीं माना जायगा। इस पर मैंने बहुत गहराई से अपने सचिव के साथ बैठ कर अपने कक्ष में विचार किया था। इसलिये मैं इसको अस्वीकार करता हूं। इसमें कोई ऐसा प्रश्न नहीं है–

(व्यवधान)

आपने कोई ऐसा मुद्दा नहीं उठाया है जिसको मैं देख सकूं। इसमें नियमों की कोई अवहेलना नहीं हुई है। माननीय सदस्य ने जो मांग की है इनको सुनने के बाद जो इन्होंने औचित्य का प्रश्न उठाया है तो इसमें कोई औचित्य की बात नहीं। आप कहते

हैं और इधर और उधर की बात करते हैं। इसलिये इसको मैं अस्वीकार करता हूं। फिर भी यदि आपके पास इस सम्बन्ध में कोई तथ्य हैं तो आप मेरे कक्ष में आयें, मैं आपको कोल्ड डिंक पिलवाऊंगा, आपसे बात करने के बाद फिर उस पर विचार करूंगा।

शासन द्वारा निर्धारित मानकों का उल्लंघन करके बस्ती में परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में अनियमितता के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मुझे बड़े दुख के साथ यह बात सदन के संज्ञान में लाते हुए शासन से अपेक्षापूर्ण रूप से कहना पड़ रहा है कि इसी सदन में मैंने 20 फरवरी को परीक्षा केन्द्रों के निर्धारण के सम्बन्ध में बात की थी।

श्री अध्यक्ष–

आप जरा एक मिनट रुकिये। माननीय राम सिंह खन्ना जी, आप क्या संसदीय कार्य मंत्री के आफिसियेटिंग हैं?

नियोजन मंत्री (श्री राम सिंह खन्ना)–

जी हां।

श्री अध्यक्ष –

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी नहीं हैं, आप हैं, आप तीन मंत्रियों को सदन में बुलाए जिनसे संबंधित नियम 56 के अन्तर्गत सूचनाएं प्राप्त हुई हैं एक तो गन्ना मंत्री, दूसरे सहकारिता मंत्री और तीसरे गृह राज्य मंत्री, इनको आप बुला लें। जिससे कि मैं ठीक प्रकार से निर्णय दे सकूं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय –

यह वे विद्यालय हैं, दो साल पूर्व नकल के कारण ब्लैक लिस्टेड यहां पर, परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जायेंगे। लेकिन मान्यवर, अबकी बार माध्यमिक शिक्षा परिषद् के नेतागण जो हैं उन्होंने दबाव डाल कर शिक्षा परिषद् के सचिव ने मिलकर अपने निहित स्वार्थ के कारण इन विद्यालयों को फिर परीक्षा केन्द्र बना दिया है, यह व्यक्तिगत छात्रों के परीक्षा केन्द्र हैं। हमारे चुनाव क्षेत्र डुमरियागंज में दो परीक्षा केन्द्र मोहम्मद नगर और सिट्टा हैं, यहां पर नेपाल से लड़के आते हैं और परीक्षा देते हैं। यह बिना पढ़े ही परीक्षा देते हैं और पास हो जाते हैं। इन लड़कों से 4-4 हजार रुपया लिया जाता है, और उनको नकल कराई जाती है। उनकी कापियां बाहर लिखी जाती हैं और उनसे रुपया लिया जाता है, एक तो यह चीज है ही कि रुपया लेकर नकल करायी जाती है परन्तु मान्यवर, दूसरी ओर और भी भंयकर चीज यह है कि जो लड़के पैसा नहीं दे पाते हैं, गरीब हैं उनके प्रश्नों के उत्तर काट दिये जाते हैं। मेरा निवेदन है कि अगर वहां के परीक्षा व्यवस्थापक को नहीं बदला गया तो वहां के लड़कों के साथ एक बहुत बड़ा अन्याय होगा।

मेरे क्षेत्र के लड़को ने बताया कि वहां पर कलेक्टर गये, जिला विद्यालय निरीक्षक गए और थानाध्यक्ष ने मुकदमा लिखा मोहम्मद नगर के खिलाफ, लेकिन अभी तक न तो परीक्षा व्यवस्थापक बदला गया और न दूसरी कोई अन्य कार्यवाही की गई। मैंने इसी संबंध में एक प्रश्न दिया था, जिसके उत्तर में कहा गया था कि जांच करा ली जायेगी, लेकिन अभी तक जांच नहीं कराई गई है और न आपके निर्देशों का ही पालन हुआ है। यह व्यक्तिगत लड़कों का परीक्षा केन्द्र है और व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के नाम पर उनकी लूट की जा रही है, वहां पर बेईमानी हो रही है, इसलिए मैंने औचित्य का प्रश्न उठाया

आ जाना चाहिए । वह मेरे पास नहीं आया है और न कोई इसकी जांच ही की गई है और न कोई इस पर निर्णय ही हुआ है । इसीलिए मैंने नियम 56 के अन्तर्गत यह औचित्य का प्रश्न उठाया है। आप शासन को निर्देश दें और इसकी जांच करायी जाय । वहां केन्द्र व्यवस्थापक को तुरन्त हटाया जाय और दूसरे केन्द्र व्यवस्थापक की नियुक्ति की जाये और जो यह व्यक्तिगत परीक्षा का केन्द्र है, इसको समाप्त किया जाये ।

श्री राम सिंह खन्ना –

मान्यवर, इनको अंतरिम उत्तर तो मिल गया है और पूरा उत्तर जा रहा है। इसको देख लिया जायेगा, परन्तु यह औचित्य का प्रश्न नहीं बनता है।

श्री अध्यक्ष –

मैंने माता प्रसाद पाण्डेय और संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना । माता प्रसाद पाण्डेय जी कल मेरे कक्ष में आये थे, उन्होंने सारी बात बतायी थी, लेकिन कोल्ड डिंक का इन्तजाम नहीं था, मैंने कहा था कि यह गलत हो रहा है । यह संसदीय कार्य मंत्री जी से संबंधित है, खन्ना जी, आप यहां से किसी उच्च अधिकारी को जो सचिवालय स्तर का हो, या हेड आफ दि डिपार्टमेंट से संबंधित हो, या आपका कोई स्टेट मिनिस्टर हो, उसको आप इसकी जांच के लिए भेजेंगे, क्योंकि वह मेरी कक्ष में रोने लगे थे और कहा कि सदन में बैठने से क्या फायदा, जब न कोई जांच होती है और न कोई कार्यवाही होती है, इसलिए आज आप किसी आदमी को वहां भेज दें । और सोमवार या मंगलवार को मैं पुनः आपसे सुनूंगा कि आपने इस विषय में क्या कार्यवाही की है ? इसकी जांच के लिए आप किसी उच्च अधिकारी को वहां भेजेंगे । माननीय माता प्रसाद जी को आप अपने कक्ष में बुला लें । वे उन स्थानों के नाम बतायेंगे, स्कूलों के नाम बतायेंगे । सेन्टर के नाम बतायेंगे। उनकी पूरी तरीके से जांच करने के बाद सोमवार या मंगलवार को किसी उच्च अधिकारी की रिपोर्ट आने के बाद मैं पुनः इस मामले को इसी सदन में सुनूंगा।

श्री राम सिंह खन्ना –

श्रीमन्, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है।

श्री मसरूर जाफरी –

मान्यवर, आपने माता प्रसाद जी को अकेले खन्ना जी के कमरे में बुलाया ?

श्री अध्यक्ष –

तो क्या सभी सदस्यों को बुलाया जाए? जिसका संबंध हो उसी को तो बुलाया जायेगा ।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, जो विषय मैंने दिया है . .

श्री अध्यक्ष –

आपने कई मर्तबे इसको उठाया है । मैंने माननीय मंत्री जी से कह दिया । मंत्री जी को आने दिया जाय । शिक्षा मंत्री इस समय यहां नहीं हैं । कृपया बैठें ।

विशेषाधिकार समिति में लम्बित कतिपय मामलों के प्रतिवेदनों को प्रस्तुत किये जाने समय बढ़ाये जाने का प्रस्ताव

*श्री काशी नाथ मिश्र–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से यह प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि - चूंकि श्रीमती प्रेमवती यादव, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री खजानसिंह के तत्कालीन तहसीलदार, बदायूं के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 27 अगस्त, 1982 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था,

और चूंकि श्री माता प्रसाद पांडेय, सदस्य, विधान सभा द्वारा अभिसूचित श्री जयपति नाथ, तत्कालीन थानाध्यक्ष, बस्ती तथा उनके सहयोगी श्री पूद्दन मिश्र, बस्ती के विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 21 फरवरी, 1983 को समिति को निर्दिष्ट हुआ था ।

और चूंकि श्री शंकर सिंह, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री उमा शंकर बाजपेयी, तत्कालीन पुलिस अधीक्षक जालौन तथा श्री रामायण सिंह, तत्कालीन थानाध्यक्ष कदौरा, जिला जालौन के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 9 सितम्बर, 1983 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था।

और चूंकि श्री राम आसरे पासवान, सदस्य विधान सभा द्वारा थाना मुंडेरवा जनपद बस्ती के श्री राम नारायण यादव, पुलिस उप निरीक्षक तथा अन्य पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 2 फरवरी, 1984 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था;

और चूंकि उक्त चारों प्रश्नों पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 268 के द्वितीय परन्तुक के अन्तर्गत समय-समय पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय बढ़ाये जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का बढ़ाया गया समय अब वर्तमान सत्र के अंतिम दिन तक है;

और चूंकि श्री जनार्दन प्रसाद ओझा, सदस्य विधान सभा द्वारा श्री योगेन्द्र सिंह (श्री योगेन्द्र नाथ सिंह) तत्कालीन थानाध्यक्ष, बरगदवा (गोरखपुर) के विरुद्ध [illegible] विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न दिनांक 1 मार्च, 1984 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट हुआ था ;

और चूंकि उक्त प्रश्न पर विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 268 के प्रथम परन्तुक के अनुसार समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने का समय 31 मार्च, 1984 तक है ;

और चूंकि उक्त सभी प्रश्नों पर निर्धारित अवधि के भीतर समिति अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की स्थिति में नहीं है;

अतः सदन यह निश्चय करता है कि विशेषाधिकार समिति द्वारा उपर्युक्त सभी मामलों पर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय विधान सभा के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक के लिये बढ़ दिया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीय काशीनाथ जी ने जो प्रस्ताव इस आदरणीय सदन के सामने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ।

ऐसे प्रस्ताव पुरानी परम्परा के अनुसार सर्व-सम्मति से स्वीकृत होते हैं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

कार्य-स्थगन के संबंध में नियम 56 के अन्तर्गत मुझे आज 15 सूचनायें प्राप्त हुई हैं। (व्यवधान) (श्री किरन पाल सिंह के खड़े होने पर) आप बोलेंगे नहीं । यह सूचनायें इस प्रकार हैं-श्री किरन पाल सिंह की बाराबंकी जनपद में तथा विशेष रूप से फतेहपुर में अज्ञात

बीमारी से सैकड़ों लोगों के मरने तथा मुख्य चिकित्साधिकारी, बाराबंकी द्वारा अज्ञात बीमारी का पता लगाने का युद्धस्तर पर प्रयास न किया जाना। दूसरी श्री माता प्रसाद पाण्डेय की प्रदेश में हो रही चकबंदी में भूमिहीन मजदूरों को गृह निर्माण हेतु जमीन न दिये जाने के संबंध में है ।

श्री विजय सिंह राना की सूचना फिरोजाबाद के कोटला चौकी पर असामाजिक तत्वों द्वारा लोकदल के कार्यकर्ताओं पर हमला किये जाने से कई लोगों के घायल होने के संबंध में है ।

श्री केदार नाथ सिंह की फाजिलनगर विधान सभा क्षेत्र, देवरिया के गत चुनाव में मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए माननीय सहकारिता राज्य मंत्री द्वारा 10 हरिजनों को फर्जी चैक देकर धोखा देने के संबंध में है । इसी में माननीय मसरूर जाफरी जी का भी है ।

इसके अलावा माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त, माननीय जनार्दन प्रसाद ओझा, माननीय जसवन्त सिंह विष्ट, माननीय शंकर सिंह, माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री, माननीय कुंवर सिंह नेगी, माननीय नरेन्द्र सिंह भण्डारी, माननीय सरदार सिंह, माननीया गौरी देवी, माननीय राम गोविन्द, माननीय मोतीलाल देहलवी और माननीय गोपीनाथ वर्मा की भी सूचनायें हैं ।

मैंने माननीय किरन पाल सिंह, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय और माननीय विजय सिंह राना की सूचनाओं के विषय को शासन का ध्यान आकर्षित (श्री विजय सिंह राना के खड़े होने पर) ठहरिये सुन लें, करने के लिए, जांच करने के लिये भेजा है और विजय सिंह राना की सूचना में जांच के बाद मुझको सूचित किया जाय । जहां तक माननीय केदारनाथ सिंह की सूचना का संबंध है जांच करके 7 दिन के अन्दर मुझको अवगत कराया जाय । जहां तक माननीय शंकर सिंह और माननीय राजेन्द्र अग्निहोत्री की सूचना का संबंध है मैं नियम 51 में इसके बारे में विचार कर रहा हूं । दूसरी बातों पर भी देखना बाकी है । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने जो सूचना दी है उसके लिए मैं उनको बुलाता हूं ।

(व्यवधान)

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, हमारे यहां बुनकरों के कनैक्शन काट दिये ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त को बुलाया है ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैंने कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो इस सरकार की किसान हित विरोधी नीति है, उसके संबंध में ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है । हमारे उत्तर प्रदेश में 91 चीनी मिलें हैं, जो इस समय चल रही है लेकिन उनकी हालत बहुत खराब है । सब जगह से किसानों का शोषण होने की सूचना मिली है लेकिन जो राज्य चीनी निगम की मिलें हैं । जो सरकार के सीधे मातहत है, मैं उनका मामला सामने रखना चाहता हूं । निगम की 29 चीनी मिलें चल रही हैं और शासन की एक घोषित नीति थी और सदन में घोषणा की थी कि सब चीनी मिलें 15 अक्तूबर, के आसपास

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अपना कार्य, प्रारम्भ कर देंगी । आपको आश्चर्य होगा 29 में से 6 चीनी मिलें नवम्बर आखिर में चली। घोषित तिथि के एक महीने बाद चली, 19 मिलें दिसम्बर, में चली 3 चीनी मिलें जनवरी में चली है और एक चीनी मिल 25 फरवरी को चली । मैं जानकारी देना चाहता हूं कि भटनी, रायबरेली और बुलंदशहर में से भटनी और रायबरेली 19 मार्च को बंद हो गयी और बुलंदशहर 5 मार्च को बंद हो गयी यह 60 दिन भी नहीं चली ।

आज बड़े पैमाने पर हजारों क्विंटल गन्ना किसानों का खेतों में खड़ा है । काश्तकार त्राहि-त्राहि कर रहा है । निगम के अधिकारियों ने कहा है कि बाकी सब मिलें अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बंद कर दी जायेंगी .

इस घोषणा से 29 चीनी मिलें, फेडरेशन की 18 चीनी मिलें जो हैं उनमें आधे से ज्यादा बन्द हो जाने से गन्ना किसानों के सामने गंभीर समस्या पैदा हो गयी है कि उनका गन्ना क्या होगा ? जो हजारों क्विंटल गन्ना खड़ा है उसका क्या होगा ? चूंकि सरकार ने उसको दूसरी मिलों में भी डायवर्ट नहीं किया। मान्यवर, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मिलें बंद हो जायेंगी । इसलिये सरकार की गन्ना किसान विरोधी नीति से संपूर्ण प्रदेश के गन्ना किसानों में असंतोष व्याप्त हो गया है और लाखों किसान परेशान हैं, सरकार उनके हितों के बारे में सोचने के लिये तैयार नहीं है, इसलिये मैं चाहता हूं कि आप चर्चा करायें । यदि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मिलें बंद हो गयीं तो गन्ना काश्तकार बर्बाद हो जायेगा और मैं यह कहूं तो अतिश्योक्ति न होगी कि उत्तर प्रदेश में यह जो चीनी उद्योग है वह किसानों की रीढ़ की हड्डी है चूंकि गन्ना कैश क्राप है और उसकी उचित मार्केटिंग की व्यवस्था न होने से गन्ना किसानों में असंतोष पैदा हो गया है । इसलिये मान्यवर, इस पर आप चर्चा करायें तभी कोई समाधान निकल सकता है और समस्या का समाधान होगा ।

***श्री श्यामसूरत उपाध्याय–**

मान्यवर, यह सही नहीं है कि चीनी मिलें बंद होने से किसानों में असंतोष है । जो भी चीनी मिलें बंद हुई हैं तो वहां का सारा गन्ना जो अभ्यर्पित और सुरक्षित क्षेत्रों का था, उस सब की पेराई के बाद ही चीनी मिलें बंद हुई । मान्यवर, केन आयुक्त के स्पष्ट आदेश हैं कि जब तक चीनी क्षेत्र में कोई भी गन्ना जो अभ्यर्पित और सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना रहेगा और उसकी पेराई नहीं हो जायेगी, तब तक कोई भी मिल बंद नहीं हो सकती है और मिल बंद करने के पहले केन कमिश्नर से आदेश लेना होगा और वह आदेश तभी मिलेगा जबकि अभ्यर्पित और सुरक्षित क्षेत्र का गन्ना शेष नहीं है, सर्टीफिकेट गन्ना अधिकारी के देने के बाद ही आदेश मिलने पर कोई मिल बंद होगी ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि भटनी, रायबरेली और बुलंदशहर से केन कमिश्नर के पास कब पत्र आया है कि पूरा गन्ना पेर दिया गया है?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

मान्यवर, जो चीनी मिलें बंद हुई हैं वह तीन नहीं बल्कि 11 बंद हैं । वह मिलें गन्ने की पेराई करना चाहती हैं लेकिन गन्ने की उपलब्धता न होने के कारण मजबूरन बंद करना पड़ा और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उसकी परमीशन केन कमिश्नर से लेने के बाद बंद की गयीं और आयुक्त ने जांच कराया और सर्टिफिकेट गन्ना अधिकारी से लिया और उसके बाद चीनी मिलें बंद हुई । इसलिये किसी भी क्षेत्र में गन्ना किसानों में असंतोष नहीं है ।

मान्यवर, जहां तक मिलों के देर से चलने की बात है तो मैं बताना चाहता हूं कि पिछले वर्ष 7 फरवरी, 1984 तक 114 लाख 77 हजार टन गन्ने की पेराई हुई और इस वर्ष 7 मार्च, 1984 तक 120 लाख 75 हजार टन गन्ने की पेराई हुई है । इसलिये गन्ने की देर में पेराई हुई तब भी गन्ना किसानों का कोई अहित नहीं हुआ है और सारे गन्ने की पेराई हो रही है । मान्यवर, जो उन्होंने कहा कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में मिलें बंद होने जा रही है तो ऐसी बात नहीं है। जब तक गन्ना उपलब्ध होता रहेगा तब तक पेराई होती रहेगी और कोई भी मिलें बंद नहीं होगी । यह स्पष्ट आदेश है । सारे उत्तर प्रदेश के किसान श्री श्रीपति मिश्र, मुख्य मंत्री, की नीति से खुश हैं और जय जयकार कर रहे हैं ।

(श्री जनार्दन प्रसाद ओझा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री कुंवर सिंह नेगी–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है कि मैंने कार्य स्थगन का प्रश्न दिया था कि हमारे जो विधान परिषद् के सदस्य हैं उनके साथ भी वही व्यवहार होगा ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । जो दूसरे अपर हाऊस के सदस्य हैं, उन पर चर्चा नहीं हो सकती है ।

श्री कुंवर सिंह नेगी–

यह एक गम्भीर मामला है, वह इस प्रदेश के एम0एल0सी0 हैं और . . .

श्री अध्यक्ष–

बैठिये आप, इनको अधिकार है, मैं इनको सुनूंगा ।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, बड़ा गम्भीर मसला है, आप थोड़ा समय दे दीजिएगा ।

श्री अध्यक्ष–

आपको तो सुनूंगा ही नहीं, आप ही तो मुझ पर आक्षेप लगाते हैं । निकालूंगा 6 साल के लिए अभी आपको ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, कार्यस्थगन के माध्यम से मैं आदरणीय सदन का ध्यान भ्रष्टाचार के गर्भ से पैदा हुई इस सरकार के संबंध में, इसके कार्यकलापों के सम्बन्ध में उठाना चाहता हूं । मान्यवर, यह एक अरब रुपये का मामला है, उसकी गहराई में जाया जाए तो यह भ्रष्टाचार का मामला डेढ़ अरब का हो सकता है । सहकारिता विभाग का 30 जून तक जो लेखा परीक्षण हुआ है, उसमें 87 करोड़ का मामला प्रकाश में आया है । पूरे प्रदेश में विभाग की सहकारी समितियों घोर भ्रष्टाचार का अड्डा बनी हुई हैं और मेरा खुला आरोप है, मेरा ही नहीं इस प्रदेश के हर आदमी का, जिसका सत्ता दल से सम्बन्ध नहीं है कि सहकारी समितियां सत्तारूढ़ दल की दुधारू गाय बनी हुई हैं और सत्ता में बैठे लोगों द्वारा उसको दुहा जा रहा है । इनकी सुख-सुविधा के लिए और चुनाव में पैसा प्राप्त करने के लिए । आज स्थिति यह है 13 करोड़ से अधिक का मामला तो केवल मेरे जिले का था ।

इस मामले को जब मैंने यहां उठाया था तो उसका विरोध करते हुए सहकारिता मंत्री ने हमें चुनौती दी थी कि यदि यह आरोप सही हो जायेंगे तो मै इस्तीफा दे दूंगा और यदि यह आरोप गलत पाये गये तो आप सदन से इस्तीफा दे दें । मैंने उनकी चुनौती को स्वीकार किया था । मान्यवर, नियम यह है कि इस सदन में मंत्री जी जब कोई जवाब देते हैं तो वह सरकार का बयान माना जाता है। ऐसी परिस्थिति में जब सरकार एक मामला रखती है कि उनके कथनानुसार कोई भ्रष्टाचार नहीं है और मेरा आरोप फर्जी है, तो उस विभाग द्वारा उसकी जांच कराने का औचित्य क्या है ? शासन जब एक मामले में अपना एक निश्चित मत बना चुका है तो उसके अधिकारी उस मत के खिलाफ कोई प्रतिवेदन दें, तो यह असम्भव है । उस सन्दर्भ में मेरा यह कहना है कि या तो हमारा इस्तीफा स्वीकार कर लिया जाए, जो आपका विवेक कहे.....

श्री अध्यक्ष–

पहले आप दोनों मुझे बिना शर्त इस्तीफा भेज दीजिए ।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

आज दे रहा हूं मैं, यदि मामले की जांच नहीं करायी गयी चूंकि शासन ने एक मत बना लिया है तो उनके कर्मचारियों के द्वारा और खासकर विभाग के कर्मचारियों द्वारा उस पर कोई टिप्पणी करना सम्भव नहीं है ।

(श्री रूपराम दिनकर द्वारा जम्हाई लेने पर)

श्री अध्यक्ष–

दिनकर जी, क्या आप रात को जागे हैं, मालूम पड़ता है आप रात में कई दिन तक जागे हैं । जब जंभाई ले तो मुंह पर रूमाल रख कर ले । इससे सदन का वातावरण दूषित होता है । आपको यह याद रखना चाहिए ।

(व्यवधान)

श्री मोहन सिंह–

आज आबकारी का बजट है यह उसी मुद्रा में है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

इस सन्दर्भ में उच्च न्यायालय के किसी जज के माध्यम से उसकी जांच होनी चाहिए । दूसरे सन्दर्भ में किस प्रकार भ्रष्टाचार होता है, उसका एक उदाहरण मैं आपके सामने देना चाहता हूं कि किस प्रकार और किस हद तक भ्रष्टाचार होता है । मैं बाराबंकी का उदाहरण देता हूं, जब वहां पर आडिट पार्टी लेखा परीक्षण करने गयी तो उन लोगों के साथ बैंकवालों द्वारा मारपीट की गयी और पार्टी को पूरी तरह तंग करने का प्रयास किया गया, और जब उससे भी काम नहीं चला तो बाराबंकी की वेश्याएं जो बड़ी मशहूर होती हैं, उनसे . . .

श्री अध्यक्ष–

क्या कभी आप उनके पास गये हैं ?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

इस काम से नहीं गया हूं, यों बाराबंकी कई बार गया हूं ।

मेरा कहना यह है कि वेश्याओं से आडिटर के खिलाफ यह रिपोर्ट करवायी कि हमसे . . . . मान्यवर, उसके आगे कहना सम्भव नहीं है । मैं इशारा ही करके छोड़े देता हूं । (व्यवधान) 87 लाख का गबन बाराबंकी का है । पूरे देवरिया में 6 करोड़ का गबन का मामला है । फैजाबाद मंडल की भी यही हालत है । सहकारिता का जन्म लोगों की सेवा करने के लिये हुआ था, अगर इसी तरह के मामले होते रहे तो सहकारिता के प्रति लोगों को आस्था ही खत्म हो जायेगी ।

मान्यवर, जो लोग सहकारिता के सदस्य ही नहीं हैं उनके नाम कर्जे चढ़ा दिये गये हैं और वह उनसे वसूल किया जा रहा है । आखिर इसका निराकरण होगा या नहीं ? अरबों रुपये के घपले का मामला पूरे प्रदेश में फैला हुआ है । आज सारे प्रदेश का किसान आन्दोलित हो उठा है । जिस सिद्धान्त की पूर्ति के लिये सहकारिता को बनाया गया था, उसकी पूर्ति नहीं हो रही है । सरकारी धन का, गरीबों के पसीने की कमायी का, दुरुपयोग हो रहा है । चैक एन्ड बैलेन्स की बात रह ही नहीं गयी है । आडिटर आडिट करने के बाद जो अपनी रिपोर्ट देते हैं, जो आब्जेक्शन उठाते हैं, उन पर ध्यान ही नहीं दिया जाता है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 30 जून, 1983 तक 1 लाख 30 आपत्तियां आयीं उनका निराकरण आज तक नहीं हुआ । 30 हजार से ज्यादा आडिट आब्जेक्शन्स आये, गम्भीर मामलों में आये, एक का भी निराकरण नहीं हुआ । इस तरह से प्रदेश में जो हैव नाट्स हैं, जिनके पास कुछ नहीं है, उनके पसीने की कमायी का कब तक दुरुपयोग होता रहेगा और चन्द लोग उन गरीबों का शोषण करते रहेंगे ?

इसलिये मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस लोक महत्व के, अविलम्बनीय महत्व के प्रश्न पर आप चर्चा करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें । आज सहकारिता विभाग के गलत कार्य कलापों के कारण किसानों की सहकारिता में अनास्था पैदा होने लगी है । आप माननीय सहकारिता मंत्री जी से इन आरोपों के बारे में वक्तव्य दिलवाइये । वरना अगर इस प्रकार के भ्रष्टाचार की गंगा इस प्रदेश में बहती रहेगी, उसे रोका नहीं जायेगा, तो लोगों का न तो सहकारिता में विश्वास रहेगा, न ही जनतंत्र में उनकी आस्था रहेगी । सहकारिता और प्रजातंत्र से ही उनको नफरत होने लगेगी । आखिर यह चिन्ता की बात है या नहीं ? जब गरीब किसानों को यह पता चलेगा कि उनके पसीने की कमाई से चन्द लोग रंगरेलिया मचा रहे हैं, तो उन पर उसका प्रभाव होगा । इसलिये मान्यवर, जनतंत्र की मान्यताओं को मजबूत करने के लिये, लोगों का सहकारिता में विश्वास बढ़े, इसके लिये यह आवश्यक हो गया है कि आप इस महत्वपूर्ण अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर चर्चा करा दें । इससे प्रदेश की जनता में यह विश्वास जगेगा कि उनके पैसा का सदुपयोग हो रहा है । वरना अगर उनका विश्वास उठ गया, तो यह सरकार चल नहीं पायेगी । इस पर, इस लोक महत्व के प्रश्न पर आप कृपया चर्चा करा दें।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सहकारिता राज्य मंत्री जी, आप कुछ कहना पंसद करेंगे ।

*सहकारिता राज्य मंत्री (श्री बच्चा पाठक)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने यह जो प्रश्न उठाया है, मैं अभी आया, लेकिन ऐसा लगता है कि इनके ऊपर सहकारिता का भूत चढ़ गया है और वह इसलिये चढ़ गया है कि पिछले सप्ताह माननीय सदस्य ने एक प्रश्न उठाया था कि गोरखपुर में 9 करोड़ रुपये का रेपसीड आयल और पाम आयल का घपला हुआ है । मैं आपके माध्यम

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

से कहना चाहता हूं कि गोरखपुर में 53 लाख से ज्यादा का पाम और रेपसीड आयल सप्लाई नहीं हुआ तो यह 9 करोड़ रुपये का घपला कहां से हो गया? मान्यवर, सवाल यह है कि सहकारिता के माध्यम से जिस तरह जन-जन में कार्य हो रहा है और जिस तरह से जन मानस को उठाने का काम हो रहा है उसको माननीय सदस्य बर्दास्त नहीं कर पा रहे हैं। मान्यवर, वेश्या की जो बात हो रही है तो मैं कहना चाहता हूं कि दो लोग एक जगह से आ रहे थे। एक गंगा नहा कर आ रहा था और दूसरा अरहर के खेत से आ रहा था। जब दोनों लोग मिले तो जो अरहर के खेत से आ रहा था उसने दूसरे से पूछा, तुम कहां से आ रहे हो? तो उसने जवाब दिया कि मैं गंगा नहा कर आ रहा हूं। तो जो अरहर के खेत से आ रहा था उसने कहा गंगा नहा कर तो मैं आ रहा हूं, तुम अरहर के खेत से आ रहे हो। तो आपने जो बात कही है उसको मैं जानता नहीं हूं, मैं इसकी जांच करा लूंगा। अगर कोई जानकारी कहीं की है तो बतायें कि कहां एसी बात है।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैं एक स्पष्टीकरण देना चाहता हूं। सहकारिता मंत्री जी ने दो बिन्दुओं की तरफ ध्यान आकर्षित किया है। एक तो कहा कि रेपसीड आयल और पाम आयल 53 लाख से ज्यादा का आया ही नहीं तो मैं कहना चाहता हूं कि किसी न्यायाधीश से इसकी जांच करा लें अगर मेरा आरोप असत्य हो तो मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। नहीं तो मंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिये।

श्री बच्चा पाठक–

मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की चुनौती को स्वीकार करता हूं। अगर गोरखपुर में रेपसीड आयल और पाम आयल का 9 करोड़ रु0 का घपला हो तो मैं इस्तीफा देने के लिये तैयार हूं।

(मेजों की थपथपाहट)

मैं चुनौती देता हूं कि इतना पाम और रेपसीड आयल वहां गया ही नहीं है। मैं माननीय सदस्य की चुनौती को स्वीकार करता हूं।

(शोर)

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया शांत रहें। जैसा कि माननीय मंत्री जी ने आश्वासन दिया है, इस मामले की आपको जांच करानी चाहिये।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट का नाम पुकारे जाने पर।)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मेरा स्पष्टीकरण आपने सुना नहीं है।

श्री अध्यक्ष–

मैं कब तक सुनता रहूं?

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह नहीं चलेगा। मेरा स्पष्टीकरण सुन लीजिये। मैं चुनौती देता हूं, मंत्री जी जांच करवा लें। अगर मंत्री जी ने चुनौती दिया है तो मैं इस चुनौती को अक्षरशः स्वीकार कर रहा हूं। सच वह है जो सर पर चढ़कर बोले। माननीय मंत्री जी को गुस्सा होना स्वाभाविक है। मंत्री जी को बड़े नजदीक से मैं जानता हूं। इनके विभाग का मामला है। मैं इस चुनौती को फिर स्वीकार करता हूं, लेकिन मेरा कहना यह है कि जब एक बयान कोई भी मंत्री सदन में देता है तो वह सरकार का बयान माना जाता है।

(घोर व्यवधान होने पर)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग शान्त रहिये।

(व्यवधान के मध्य)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

चूंकि माननीय मंत्री जी ने सदन में इस बात को स्पष्ट रूप से कहा है कि गोरखपुर में पाम आयल और रेपसीड आयल के वितरण में कोई गड़बड़ी नहीं है। इसलिए विभाग या शासन के खिलाफ कोई यंत्र रिपोर्ट नहीं दे सकता। इसलिए मेरी मांग है कि इसकी जांच किसी न्यायाधीश से करायी जाय। माननीय मंत्री जी की चुनौती को मैं स्वीकार करता हूं। मैं अभी अपना त्यागपत्र दे रहा हूं। माननीय मंत्री जी भी अपना त्यागपत्र दे दें। इसकी जांच किसी न्यायाधीश से करा ली जाय। अगर मेरा आरोप सत्य है, तो माननीय मंत्री जी का इस्तीफा स्वीकार कर लें और अगर माननीय मंत्री जी की बात सही है, तो मेरा त्यागपत्र स्वीकार कर लें। 1981-82, 1982-83 और 1983-84 में कुल करीब 8 करोड़ के रेप सीड आयल और पाम आयल गोरखपुर जिले में आया है, जिसकी काले बाजार में कीमत 13 करोड़ की होती है। मंत्री जी का यह कहना बिल्कुल निर्मूल है कि केवल 53 लाख का आया है। दूसरी बात यह कह रहा हूं कि 30 जून, 1983 की आडिट रिपोर्ट मंगा लीजिये, 87 करोड़ रुपये का उसमें घोटाला है। इसको आप देख लीजिए, तो आपका भ्रम दूर हो जायगा।

(कई सदस्यों के खड़े होने पर व्यवधान)

(व्यवधान के कारण सुनाई नहीं दिया)

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिये। कोई शब्द नहीं लिखा जायगा। आप बिना आज्ञा के बोल रहे हैं यह कोई शब्द नहीं लिखा जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, यह छोटा मोटा काम नहीं है। मान्यवर, हमारे जैसा आदमी राजनीति में कुछ मान्यता के लिए आया है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं। इससे बड़ा बलिदान और इससे बड़ा त्याग कोई दे नहीं सकता। मैं अपने बल पर चुनकर विधान सभा में आया हूं। आप किसी जज से इसकी जांच करा लीजिए मैं इस्तीफा आज ही आपके चेम्बर में सहर्ष भेज दूंगा, मैं यह चाहता हूं कि इसकी जांच किसी न्यायाधीश से करा ली जाय, मेरी बात सही है या माननीय मंत्री जी की बात सही है?

श्री अध्यक्ष–

आप लोग बैठिए। आप कड़ुआ न बोलिए। आप रोज़ाना गन्ने का रस पी करके आया करें।

(कई सदस्यों के साथ खड़े होने से व्यवधान)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

मान्यवर, मैंने आचार्य नरेन्द्र देव के चरणों में राजनीति की दिशा ली है और कुछ राजनैतिक मूल्यों में मेरा विश्वास है। मेरा इस्तीफा आज आपके चैम्बर में चला जायगा। इसकी जांच मान्यवर, आप किसी न्यायाधीश से करा लीजिए। मान्यवर, आप इस मामले की जांच किसी न्यायाधीश से कराने के लिए शासन को निर्देश दें।

(श्री जसवन्त सिंह विष्ट के नाम पुकारे जाने पर)

(व्यवधान)

(कई सदस्य एक साथ खड़े हो गये)

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[* * *]

श्री अध्यक्ष–

मैं आपको आज्ञा नहीं दे रहा हूं। यह कोई शब्द नहीं लिखा जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

(शासक दल की तरफ इशारा करते हुए)

[* * *]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कोई शब्द नहीं लिखा जायगा।

श्री जनार्दन प्रसाद ओझा–

[* * *]

श्री रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, इस पर चर्चा करवा दीजिए

श्री अध्यक्ष–

आप लोग राजनीतिक व्यक्ति हैं। आप सभी माननीय सदस्य चुनकर इसी प्रकार से यहां पर आये हैं, जिस प्रकार से आप आये हैं। बैठिये आप।

आप लोगों को इतना भावुक नहीं होना चाहिए, जितना भावुक हो रहे हैं। आप बैठिए। आपको मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं। बहुत बोल लिये आप। मैं इसका बाद में निर्णय दूंगा। आप लोग बैठिये।

(श्री केदार नाथ सिंह के खड़े होने पर)

माननीय केदारनाथ सिंह बैठिये।

श्री केदार नाथ सिंह–

व्यवस्था का प्रश्न है, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष–

कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है। व्यवस्था के नाम पर बहुत दिनों से अव्यवस्था चलाई जा रही है। आप बैठिए।

श्री गोपी नाथ वर्मा–

मान्यवर, दोनों विधायकों ने जब यह स्वीकार कर लिया कि दोनों इस्तीफा दे देंगे और न्यायिक जांच कराई जाय, अध्यक्ष जी, मैं यह आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि दोनों के इस्तीफे लेकर न्यायिक जांच करायी जाय। इसमें आपको क्या आपत्ति है?

श्री अध्यक्ष–

आप बैठिए। मैंने जसवन्त सिंह बिष्ट को बुला लिया है।

*श्री जसवन्त सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैंने 21 मार्च को नियम 56 और 51 के अन्तर्गत कामरोको प्रस्ताव दिया था। जिसमें मैंने यह निवेदन किया था कि पंजाब से आतंकवादी नैनीताल के तराई क्षेत्र में आकर आतंक कर रहे हैं। इन्होंने बरेली कार्मशियल बैंक को रुद्रपुर में लूटा। रानीबाग में जो नैनीताल जनपद में है, काठगोदाम के पास एच0ए0एल0 की फैक्ट्री बन रही है, वहां से 9 टन लोहा उठा ले गए। 5 मार्च को हल्द्वानी बन्द हुआ। जिन लोगों ने हल्द्वानी बन्द का आह्वान किया था, उनको कुछ दिनों के अन्दर जान से मार देने की धमकी दी गयी। इसी बीच स्टेट बैंक के मैनेजर को टेलीफोन हुआ कि तुम्हें जान से मार दिया जायेगा। तीन लोग बन्दूक लेकर स्टेट बैंक को लूटने के लिए गए लेकिन किसी कारण वश नहीं लूट सके। तराई भाभर की ऐसी स्थिति है कि वहां पर पंजाबियों के बड़े-बड़े फार्म हैं। पिछले वर्ष 2 करोड़ रुपया पंजाब में आन्दोलन चलाने के लिए गया। हमारे जो बिहारी लाल जी मौजूद हैं, इनके क्षेत्र में नानकमत्ता गुरुद्वारा है उसमें इन आतंकवादियों को संरक्षण मिलता है। यहां पर कुछ पूर्व. . . .

(श्री आजाद कुमार कर्दम द्वारा मंत्री जी के बगल में खड़े होकर बात करने पर।)

श्री अध्यक्ष–

श्री कर्दम, बात करना है तो बैठ जायं।

नोट:–[* * *] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मैं यह कह रहा था कि वहां कांग्रेस समर्थित कमेटी थी लेकिन उसको जबरदस्ती 27 लोग आये और स्टैनगन दिखाकर चार्ज ले लिया । यहां पर आतंक फैला हुआ है जिसको चाहे लूट रहे हैं । हमारी जो सरकार है, उसके यह कृपा पात्र हैं। जो फार्म इनको दिया गया था उससे अधिक यह पहाड़ के लोगों से, थारू लोगों से छीन लिए हैं । जब वहां पर आन्दोलन की बात आयी तो पंजाब से दरबारा सिंह हमारे यहां के मुख्य मंत्री के पास आये और कहा कि जो पंजाब से शरणार्थी आए हुए हैं इनके फार्म की सुरक्षा करें । इनके फार्म को लोग अधिग्रहण करना चाहते हैं, जबकि ऐसी बात नहीं थी । हमारे जो महामहिम राष्ट्रपति जी हैं, वह भी उत्तर प्रदेश आये थे और उनकी जमीन की सुरक्षा की बात कही थी ।

श्री अध्यक्ष–

आप लाल बत्ती की तरफ देखें ।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

लाल बत्ती तो देख रहा हूं लेकिन स्थिति ऐसी है कि तराई क्षेत्र में...

(व्यवधान)

श्री बिहारी लाल–

मैं उस क्षेत्र का विधायक हूं, जसवन्त सिंह को सुनने के बाद मुझे जरूर सुनें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर जितने सरदार हैं वह सब सम्पन्न हैं । जिन्होंने जबर्दस्ती फार्मों पर लोगों को हटाकर कब्जा कर रखा है और कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया। मेरे कई मित्रों ने कहा कि इस मामले को विधान सभा में उठाया तो तुमको भी मार देंगे । अभी मैंने अखबार में भी पढ़ा पंजाब में जो नेता हैं, उनको परिवार सहित मार दिया ।

श्री अध्यक्ष–

इनका समय समाप्त हो गया है । इसलिए एक शब्द भी नहीं लिखा जायेगा।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

[* * *]

(श्री बिहारी लाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

क्या आप चाहते हैं कि काम रोको प्रस्ताव जो जसवन्त सिंह विष्ट जी ने पेश किया है आप उसके बारे में कह रहे हैं।

श्री बिहारी लाल–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जो जसवन्त सिंह विष्ट जी ने मेरा नाम लिया, उस विषय में कहना चाहता हूं कि सबसे पहली बात यह है कि माननीय जसवन्त सिंह विष्ट जी नैनीताल से डेढ़ सौ किलोमीटर दूर के विधायक हैं । इनको अपने क्षेत्र की बात मालूम नहीं रहती, मेरे क्षेत्र की क्या मालूम होगी । नानकमत्ता मेरा निर्वाचन क्षेत्र है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नानकमत्ता गुरुद्वारा में कोई मतभेद नहीं है, वहां कोई झगड़ा फसाद नहीं है । मेरे क्षेत्र में न तो कोई अकाली है न अकाली बनकर आता है । चूंकि नानकमत्ता मेरा निर्वाचन क्षेत्र है तो यह मेरी ड्यूटी हो जाती है । यह हमारी पार्टी को बदनाम करते हैं ।

(सत्तापक्ष के कुछ सदस्यों ने शेम-शेम कहा)

इस संबंध में जो माननीय सदस्य ने बयान दिया, वह बिल्कुल निराधार है। मेरे क्षेत्र नानकमत्ता में शान्ति है अगर वहां कोई चोरी-चपाटी होती है तो पुलिस सतर्क है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[***] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री अध्यक्ष–

जिन्होंने नियम–56 के अन्तर्गत सूचना दी, उसमें मैंने माननीय केदारनाथ जी का जहां तक संबंध है, एक हफ्ते की जांच के आदेश दे दिए हैं । यदि शासन से मांग हुई, किसी कारणवश वह एक हफ्ते में जांच पूरी न करा सके तो मैं इस पर विचार करूंगा । वह जांच मुझको प्राप्त होगी अगर मैं सन्तुष्ट होता हूं कि जांच ठीक है तो मैं आपके मामले पर विचार करूंगा । जनार्दन प्रसाद ओझा जी की सूचना का जहां तक संबंध है, मैं इसको फिलहाल वक्तव्य के लिए स्वीकार कर रहा हूं और वक्तव्य आ जायेगा तो जैसा वक्तव्य होगा, जैसा सदन का वातावरण होगा, उसके अनुसार कार्यवाही की जायेगी । माननीय विजय सिंह राना जी के मामले को मैंने शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए और जांच के लिए भेज दिया है और जांच करने के बाद जब मैं यह देखूंगा कि उसका कोई सार है तो उसके बाद मैं निर्णय लूंगा । जांच से मुझको अवगत कराया जाए । जितनी सूचना हैं नियम–56 के अन्तर्गत मैं उनको अस्वीकार करता हूं और राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की सूचना की जहां तक बात है, उसको आप (मंत्री जी) पूरे तरीके से जांच करायेंगे ।

श्री विजय सिंह राना–

मान्यवर, आगरा में लोकदल के कार्यकर्ता आ रहे थे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आज्ञा नहीं दे रहा हूं । मैं सुनने को तैयार नहीं हूं ।

1984-85 के आय-व्यक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग

आबकारी मंत्री (श्री वासुदेव सिंह)–

मान्यवर, मैं आपका अत्यन्त अनुग्रहीत हूं कि आबकारी . . .

श्री अध्यक्ष–

पहले आप इस अनुदान को पढ़ दीजिये।

श्री मोहन सिंह–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जिस दिन, जिस विभाग का बजट होता है, उस दिन उस विभाग की ओर से कुछ व्यवस्था रहती है। आज इनके विभाग का बजट है, अतः इनकी ओर से कुछ व्यवस्था होनी चाहिये।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, इन सदस्यों को एक-एक बोतल इनके घरों पर पहुंचा दीजिये।

(हंसी)

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, चाहे इधर के माननीय सदस्य हों या उधर के, आपकी मध्यस्था बगैर एक भी बोतल इधर-उधर नहीं जा सकती है।

श्री अध्यक्ष–

मैं इस बोतल के चक्कर में नहीं रहता।

(हंसी)

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से तथा श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,78,74,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(इस समय 1 बजकर 37 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री यशपाल सिंह पीठासीन हुए।)

मान्यवर, आपके माध्यम से इस सदन में, अपने विभाग के सम्बन्ध में जो मांग मैंने रखी है, उसका ब्योरा रखने की चेष्टा करूंगा। समय कम है इसलिये पूरा भाषण देना सम्भव नहीं है, लेकिन मैं उन नीतियों को, जिनका अनुसरण कर मैं विभाग को नयी दिशा देना चाहता हूं, उनकी ओर आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट करूंगा। जो बातें इस पुस्तिका में हैं, उनको माननीय सदस्यगण ने पढ़ लिया होगा, या नहीं पढ़ा होगा तो उनको पढ़ लेंगे। उसमें ब्योरे की सूचना है और जो नयी बातें, योजना के रूप में, नये रूप में मुझे कहने की इच्छा है, वह यह है कि मद्य निषेध संविधान के अनुच्छेद 47 के अधीन लागू करना शासन का कर्तव्य है। यह जरूर है कि व्यावहारिक कठिनाइयों को देखते हुए और अनुचित उपयोग और उपभोग के वातावरण से हमारा अभीष्ट है कि नुकसान न पहुंचे। इस पर विचार करते हुए इस क्रम में शनैः-शनैः मद्य निषेध की ओर बढ़ें और पूरे प्रदेश और शासन के साथ समरस हो सकें। यह जरूर है कि विचार और विचार के साथ आचार और आचरण में कुछ समय लगता है।

गांधी जी को मैंने माननीय सदस्यों से बहुत नजदीक से आपसे ज्यादा देखा है। आप गांधी जी के नीचे विराजमान हैं। मालूम पड़ता है कि उनकी हर बात को लागू कर रहे हैं, बस इसी में कुछ कोताही है। गांधी जी युग-पुरुष थे और युगद्रष्टा थे। उन्होंने दिशा दी, देश को स्वाधीनता दिलायी, मानवता को स्वाधीनता का पाठ पढ़ाया और लोगों को अभयदान दिया। उन्होंने बुराइयों को दूर करने के लिए दो काम किये। शायद माननीय सदस्य नहीं जानते हों। सत्याग्रह आन्दोलन का आखिर उनका मकसद क्या था। गांधी जी आन्दोलन करते थे अच्छाई की ताकत को बल देने के लिये और सत्याग्रह आन्दोलन द्वारा बुराई की ताकत से लड़ने के लिये। हमारे विभाग में अच्छाई और बुराई दोनों हैं। मद्य निषेध होना चाहिए। हमारे संविधान में पंडित जवाहर लाल नेहरू और श्री राजेन्द्र बाबू तथा अन्य महापुरुष, जिनकी हार्दिक इच्छा थी कि मद्यनिषेध इस देश में पूर्ण रूप से लागू होना चाहिये। लेकिन कुछ व्यावहारिक कठिनाइयां भी हैं। मानव के स्वभाव को किस तरह से बदला जाय उसके हृदय को किस तरह से परिष्कृत किया जाय, यह एक महत्वपूर्ण बात है।

मान्यवर, दुनिया के इतिहास को बदलने में 3 औजारों का प्रयोग किया गया है। पहला औजार तो बल है, जैसे तलवार आदि का बल। दूसरा है कानून का बल, जो हम लोग इस सम्मानित सदन में करते हैं। और तीसरा महात्मा गांधी जी का सत्याग्रह आन्दोलन। आपके एक माननीय सदस्य ने महात्मा गांधी जी की बात को कह कर उन्हें स्पर्श करने की चेष्टा की, वह चेष्टा नहीं कुचेष्टा की है, उस समय आप लोगों को उनसे कहना चाहिए था। माननीय श्री मोहन सिंह जी तो समझने के बाद भी नहीं समझना चाहते हैं, इसलिए उनको समझाया नहीं जा सकता है।

श्री उदल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने तो मद्यनिषेध की बात कह दी है, और अब वह मद्य-पिलाई की बात कब करेंगे?

श्री मोहन सिंह–

यह काम उन्होंने अपने राज्य मंत्री के सुपुर्द कर दिया है।

श्री वासुदेव सिंह–

यदि माननीय श्री मोहन जी इसके लिए लालायित हैं तो मैं उन्हें भी कुछ सुपुर्द कर सकता हूं। मैं कह रहा था कि मद्यनिषेध को लागू करने के लिए हमें सामान्य रूप से सोचना पड़ेगा। मैं अफ्रीका गया था, वहां मेरी मुलाकात तीन बड़े नेताओं से हुई, जो गांधी जी के बड़े शिष्य थे। वे लोग भी इस काम में नाकामयाब हो गये। मद्यनिषेध को पूरा लागू करना वस्तुपरक साबित नहीं हो सका।

श्रीमन्, हमारे देश में कुरीतियां, सती-प्रथा आदि कुरीतियां फैली हुई थीं, जिन्हें हमने दूर किया, बल प्रयोग द्वारा। परन्तु लोकतंत्र में बल प्रयोग का कोई स्थान नहीं है और न ही यह होना चाहिए। चाहे वह परिवार नियोजन वाली अच्छी योजना हो, अगर उसे बल प्रयोग द्वारा किया जाता है, तो गलत है। यह सही है कि जहां अमृत होता है वहां विष भी होता है और जहां गांधी जैसे युग पुरुष हैं वहां उनके उल्टे राक्षस भी हैं। इसलिए जो वैज्ञानिक शब्दावली में दिया गया है "अनेकता में एकता"। बहरहाल मैं निवेदन कर रहा था कि शनैः-शनैः मद्य निषेध को लागू करने के लिये दृष्टान्त के रूप में ऋषिकेश को, जो कि हमारा धार्मिक स्थान है, इस पर विचार चल रहा है। पट्टी तहसील, जिला प्रतापगढ़ जो कि पंडित जवाहर लाल नेहरू का कार्यक्षेत्र रहा है, जहां से उन्होंने काम करना शुरू किया था, इस पर हम विचार कर रहे हैं।

श्री उदल–

पंडित जवाहर लाल नेहरू मद्यपान करते थे, इसे आप जान लें।

श्री वासुदेव सिंह–

यह आपका भ्रम है, मैं जानता हूं। पंडित जी के बारे में कहूंगा कि उनका बिल्कुल मद्य निषेध के बारे में विश्वास था। वह मद्यपान नहीं करते थे। विदेश की बात अलग है।

एक सदस्य–

दोहरी बातें न करें।

श्री अधिष्ठाता–

आप लोग माननीय मंत्री जी के भाषण को धैर्यपूर्वक सुनें।

श्री वासुदेव सिंह–

मान्यवर, एक बात और कहूंगा। डाक्टर लोहिया ने एक बार डांट कर कहा था, पंडित जी के बारे में भ्रम की बात कह रहे हो, गलत कह रहे हो। वे बहुत बड़े कठोर आलोचक थे पंडित जी के। अतः भ्रम में न रहें। भ्रम तो बहुत फैला दिये जाते हैं।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

जैसे आपके बारे में है।

श्री वासुदेव सिंह–

अफवाह परस्ती तो चलती ही है।

मैं आपसे कह रहा था कि पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ किया गया है, यह आपको, जो पुस्तक उपलब्ध की गयी है, उसमें मिलेगा, ऋषिकेश में और हरिद्वार और मथुरा को जोड़ा है। दशाश्वमेध घाट के सौ मीटर तक, गंगा जी के किनारे, दुकान न हो, यह भी बात है।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, यह गोवर्धन और बरसाना आदि को भी जोड़ा है।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय मंत्री जी अभी अपना भाषण कर रहे हैं, आप लोग उनको सुनिये, पूरी बात सुन लीजिये और जब आपको बोलने का मौका मिलेगा तो आप सुझाव दे सकते हैं।

श्री वासुदेव सिंह–

पर्वतीय क्षेत्र के जो इलाके हैं, वहां सुरा की बाबत, जसवन्त सिंह विष्ट यहां हैं नहीं, उन्होंने उसकी बाबत बात उठायी थी। उसके बारे में, जो विधिक और प्रशासनिक कठिनाईं या त्रुटियां हैं, उनको दूर करने के लिये कानून का कुछ आश्रय लेना चाहते हैं। हम चाहते हैं, लेकिन वह कानून में नहीं है। यह भी हमारे मन में है कि हम कोई ऐसा संशोधन करें कि जो प्रशासनिक कठिनाई हैं, वह दूर हो जायं। जो विधिक त्रुटि है, उसका परिमार्जन हो जाय।

इसके बाद शीरे की बात कहता हूं। औद्योगिक शीरे का इस्तेमाल, यह औद्योगिक उपयोग के लिये जो है, उसके आवंटन की नीति के बारे में, आपको बताऊंगा कि एक मंत्रि परिषद् की उप समिति गठित हो गयी है, वह उसको देखेगी। इसमें तीन लोग हैं। वित्त मंत्री जी हैं, मैं स्वयं हूं और माननीय उद्योग मंत्री जी हैं। शीरे का कभी-कभी आप देखते हैं, बहुत दुरुपयोग होता है, बहा दिया जाता है। कैसे उपयोग किया जाय– इस नये काम की बाबत यह फैसला हुआ है समिति गठित हुई है। इसके बाद नीलामी की बाबत कहूंगा। नीलामी की प्रक्रिया को बहुत चुस्त करने के लिये कदम उठाये गये हैं। आपने देखा होगा कि एकाधिकार इसमें ज्यादा था।

श्री यदुनाथ सिंह–

आप एक तरफ नीलामी की बात कह रहे हैं और दूसरी तरफ आपने अभी मद्य निषेध की बात कहीं।

श्री वासुदेव सिंह–

आप जब तक पीते रहेंगे, तब तक तो आबकारी का इंतजाम करना ही पड़ेगा और मद्य निषेध की बात भी कहनी पड़ेगी, दोनों ही यह जनजीवन में व्याप्त है। मान्यवर, "आपका" मतलब, मेरा उनसे है।

जैसा कि इसकी बाबत बहुत बार विधान सभा में प्रश्न भी उठे थे, लोक लेखा समिति ने भी इसको उठाया था कि नीलामी के बारे में विचार होना चाहिए। तो, इसमें नये नियम बना दिये हैं, वह प्रख्यापित हो गये और उनका अनुसरण हो गया है। अब मैं कह सकता हूं कि जो नीलामी हुई है, इसमें एकाधिकार की, जहां तक बात है, मैं उसमें समूल नष्ट की बात तो नहीं कह सकता, लेकिन उसे बहुत ही सीमित और संकुचित कर दिया है। सालवेंसी के बारे में, क्षमता का प्रमाण-पत्र है, उसको बहुत कठोर किया गया है। एक मामले में तो गलत कर दिया गया था, तो उसमें एक तहसीलदार को मुअत्तल भी होना पड़ा। जो यह सख्तियां की गयी हैं, सालवेंसी के बारे में और चीजों के बारे में भी, अपने विभाग के सुझाव और अनुभव के आधार पर यह किया गया है। एकाधिकार समाप्त कर रहे हैं और यह जो क्षमता, जिसे सालवेंसी कहते हैं, सम्पन्नता प्रमाण-पत्र और लाइसेंस फीस– इसको चुस्त कर दिया है। इसलिए कुछ आमदनी और बढ़ गयी है। आठ करोड़ की वृद्धि की बात है, पूरे जिले के तो अभी आंकड़े नहीं हैं,

लेकिन जहां-जहां से आंकड़े आये हैं, इसमें 8 करोड़ की वृद्धि हो गयी है।

(श्री नन्द किशोर सिंह के सदन में सोने पर)

श्री अधिष्ठाता–

माननीय नन्द किशोर जी कुछ ज्यादा मग्न हो गये हैं, अगर माननीय मंत्री जी उनसे कह दें तो अच्छा हो।

श्री वासुदेव सिंह–

जो भी वहां बैठता है, ध्यानमग्न हो जाता है।

श्री उदल–

न पीना हराम है, न पिलाना हराम है,

पीकर के होश में आना हराम है।

(हंसी)

श्री वासुदेव सिंह–

अनुबन्ध पत्र पहले भराया नहीं जाता था अब जिन लोगों को नीलामी में दिया जाता है, उनसे "एग्रीमेण्ट" भी कराने का प्राविधान हो गया है। विदेशी मदिरा की दुकानें अलग-अलग की गयीं। जो लोक लेखा समिति और आपके द्वारा व्यक्त की गयी भावना है, उन्हीं के अनुसरण में यह काम किया गया है। फिर यह जो देशी मदिरा की दुकानें हैं, इनको तहसील के आधार पर कर दिया गया है, विकेन्द्रीकरण हो गया है, बजाय जिले के। जो मामूली लोग हैं, तो बेरोजगारी को हटाने के लिये यह विभाग कैसे योगदान करे, यह भी दृष्टि होनी चाहिये, जब तक आबकारी विभाग को चला रहे हैं। एक गुण इस विभाग का यह है कि आमदनी जो है, राजस्व, नीलामी की आमदनी है, लेकिन अधिष्ठान व्यय आदर्श है, यह कुल राजस्व का मात्र 1.7 प्रतिशत है। अगर हम कहें कि आमदनी का 5 प्रतिशत खर्च होना चाहिये अधिष्ठान पर, तो अगर 3 प्रतिशत तक भी कर दिया जाय तो कोई मोटर, आवासीय व्यवस्था आदि हो जाय ताकि स्टाफ के लोगों को काम में सहायता मिले। प्रशासनिक स्टाफ कालेज, हैदराबाद, वहां भेजकर नई विधि, नई प्रणाली का प्रशिक्षण दिलाने की योजना है, कम्प्यूटराइजेशन यानी कम्प्यूटर के जरिये से योजना है। दण्डात्मक ब्याज की भी योजना है। जो नहीं देते हैं, उनके लिये अब दण्ड के रूप में ब्याज देने का प्राविधान कर रहे हैं। धार्मिक स्थलों–मस्जिद, मन्दिर, गिरजाघर आदि जगहों से दुकानें दूर करने की बात आपकी तरफ से आयेगी, लेकिन मैं पहले ही कह रहा हूं कि आप अपना समय नष्ट न करें, हम खुद करना चाहते हैं। मोटे तौर पर यह नीतियां हैं।

श्री अधिष्ठाता–

क्या विद्यालय और बस स्टैण्ड का भी ध्यान रखा गया है?

श्री वासुदेव सिंह–

विद्यालय इत्यादि के बारे में आदेश पहले ही कर दिये गये हैं, अब हम कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायेंगे।

श्री अधिष्ठाता–

बस स्टैण्ड जैसे है, उसके बारे में ?

श्री वासुदेव सिंह–

जो-जो आप कह रहे हैं, सारे मामलों में हमारी दृष्टि गयी है और हम सतर्क हैं। उपलब्धियां हम बाद में देंगे। मैंने मोटे तौर पर अपनी बात संक्षेप में कह दी है। मैं अब बड़ी उत्सुकता से बलवती इच्छा से माननीय सदस्यों के भिन्न-भिन्न सुझावों को आमंत्रित करता हूं और फिर अन्त में मेरा जो उत्तर होगा, तो मैं प्रयत्न

करूंगा कि जो सदन की भावना हो, उसे इस विभाग में कैसे समायोजित किया जाय या कैसे कर सकेंगे, इस पर हम विचार करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपकी आज्ञा से यह बजट आपके माध्यम से रखता हूं और आशा करता हूं कि माननीय सदस्य रचनात्मक ढंग से इस पर अपने सुझाव देंगे।

*श्री श्याम लाल बाजपेयी–

कटौती के प्रस्ताव के पूर्व मेरा एक व्यवस्था है। मान्यवर, माननीय आबकारी मंत्री जी राष्ट्रीय स्तर पर हिन्दी के समर्थकों में से माने जाते हैं या माने क्या जाते हैं, वह अपने को मानते हैं और अपने को उन्होंने साबित किया है। तो मान्यवर, मैं आपके माध्यम से या आप स्वयं अपनी व्यवस्था दें कि जो प्रदेश भर में नाम पट्टिकायें लगी हुई हैं "देशी शराब", "अंग्रेजी शराब" या "विलायती शराब" लिखा रहता है तो यदि आपके कार्यकाल में देशी शराब और विलायती शराब की नाम पट्टिकायें नहीं हट पायेंगी तो यह कभी नहीं हट पायेंगी। इसलिये आप यहां घोषणा करें कि ये नाम पट्टिकायें आप हटवा देंगे?

श्री अधिष्ठाता–

यह कोई व्यवस्था नहीं है, यह सुझाव है। तो जब आप बोलें तब आप ये सुझाव दें।

*श्री रामधनी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 1–आबकारी विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं बहुत बड़े विद्वान प्रोफेसर साहब की बात को बड़े गौर से सुन रहा था। आपने आबकारी का बजट रखते हुए आबकारी की जो उपलब्धियां हैं, इससे समाज को जो देय होता है, उस पर आपने प्रकाश डाला। आपकी बातों को सुनते हुए मुझे पुरानी बात याद आ गयी कि जैसे कि महाभारत में युधिष्ठिर महाराज से पूछा गया कि आपके राज्य में यह अन्याय कैसे हो रहा है? तो उन्होंने बड़ी गम्भीरता पूर्वक जवाब दिया कि "यह मेरा दोष नहीं है, जिस मालिक का हम अन्न खाते हैं, उसका असर पड़ता है. उसी की वजह से मेरी बुद्धि बदल गयी है।" तो मुझे लगता है कि विद्वतापूर्ण प्रोफेसर साहब की इसी तरह से कांग्रेस हुकूमत के शासन में उसका अन्न खाने से उनकी बुद्धि बदल रही है। इसलिये इन्होंने अपने विवेक को खो दिया है। इससे मुझे बड़ा कष्ट है, मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि वे समाजवादी खेमे के, समाजवादी कारखाने की उत्पत्ति हैं। जहां डाक्टर लोहिया ने बताया था कि हिन्दुस्तान को आजादी मिलने के बाद पहला यह मुख्य काम होगा कि भारत से शराब खत्म हो जायेगी। शराब, आबकारी विभाग समाप्त हो जायेगा, लेकिन मान्यवर 36 साल हो गये हैं और उसके बाद भी शराब समाप्त नहीं हो सकी है।

प्रोफेसर साहब आपने इस विभाग को अपनी इच्छा से नहीं लिया है, आपको इच्छा के विरुद्ध यह विभाग आपको

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

दिया गया है। आपके ऊपर दबाव डाला गया है। मैं जानता हूं कि डाक्टर लोहिया ने कहा था कि जबरदस्ती बरदास्त नहीं की जा सकती है, मेरा निवेदन है कि जिस तरह से आपने हिन्दी के सम्बन्ध में गर्जना की थी, उसी प्रकार से आप इसी सदन में शराब बन्दी की भी गर्जना करें और यह भी कह दें कि आबकारी विभाग को समाप्त कर दिया जायेगा और सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में मद्य निषेध हो जायेगा, तो मुझे खुशी होगी। लेकिन मान्यवर, मुझे दुख होता है कि जिस प्रकार से समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे और उसमें से एक रत्न सुरा भी निकली थी और वह राक्षसों के जिम्मे आ गयी। मुझे ऐसा लगता है कि वही हाल प्रोफेसर साहेब का इस राज्य में हो गया है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि महात्मा बुद्ध ने शराब का विरोध किया था और महात्मा गांधी ने शराब बन्दी के लिये कहा था, आप महात्मा गांधी की फोटो के नीचे बैठे हैं, वहीं प्रोफेसर साहेब ने आबकारी के बजट को प्रस्तुत किया है। इसीलिये मैंने यह प्रस्ताव किया है कि इस बजट को कम करके एक रुपया कर दिया जाये। मेरी मंशा यही है कि आबकारी विभाग को समाप्त कर दिया जाये जिससे इस पर जो गरीब लोगों का पैसा खर्च होता है, वह बच जाये और जो मेहनत का उनका धन है उसका अपव्यय न हो। उनका भला हो।

मान्यवर, प्रोफेसर साहब ने राजस्व की बात कही कि इससे बहुत भारी इनकम होती है, और होती है। मैं जानना चाहता हूं कि जब जनता पार्टी का शासन था तो उसने 41 जिलों में पूर्ण नशाबन्दी कर दी थी, तो क्या उससे प्रदेश की आमदनी घट गयी थी। मेरी जानकारी में तो कोई ऐसी बात नहीं है, मुझे अफसोस है कि प्रोफेसर साहेब ने इनकम और राजस्व की बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के और भी प्रदेश हैं, दक्षिण के प्रदेश हैं, बात कही है। मैं कहना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के और भी प्रदेश हैं, जहां पर शराब बन्द है, आबकारी समाप्त है। अब मैं एक दूसरी बात और कहना चाहता हूं कि डकैती और चोरियों से आमदनी ज्यादा होती है, लेकिन वह अच्छा काम नहीं है, उससे प्रदेश के लोगों के चरित्र का हनन होता है। आप को वही काम करना चाहिए, जिससे राष्ट्रीयता की झलक आवे और नैतिकता को बल मिले और प्रदेश की छवि उज्जवल हो, न कि आपको ऐसा कहना चाहिए कि शराब से और आबकारी विभाग द्वारा इनकम होती है।

मान्यवर, ठेके की बात कही गई। मेरी जानकारी है कि जिलों में शराब का ठेका उन्हीं बड़े-बड़े लोगों को दिया जाता है जो हर तरह से गुंडा-गर्दी करते हैं या जिनके पास काफी धन होता है। उन्हीं बड़े-बड़े लोगों के हाथों में इसके ठेके दिये जाते हैं। इसके बारे में मैं सुझाव देना चाहता हूं कि अगर ठेके का काम विभिन्न लोगों के हाथों विभिन्न दुकानों को दिया जाता तो मैं समझता हूं कि प्रदेश की जो इनकम है, जो राजस्व है, वह ज्यादा बढ़ती। क्योंकि मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि पूरे एक जिले का ठेका केवल एक व्यक्ति के हाथ में ही जाता है और उसको वह विभिन्न दुकानों में विभिन्न लोगों के हाथ में बिचौलियों के माध्यम से देकर ज्यादा इनकम लेता है। अगर मान लीजिए 10 लाख की नीलामी हुई तो वही व्यक्ति विभिन्न दुकानों के माध्यम से, विभिन्न

लोगों के माध्यम से जहां उसकी 10 हजार की आमदनी होती है वहां 20 हजार का मुनाफा वह कमा लेता है, और इस आधार पर दुकानें चलाता है। इसलिए मेरा सुझाव है कि अगर विभिन्न दुकानों के और विभिन्न लोगों के हाथों में इसकी बिक्री की जाती तो राजस्व भी आपका बढ़ता और इससे जो भ्रष्टाचार फैलता है, वह भी न होता।

ताड़ी की बात माननीय मंत्री जी ने कही। पिछले वर्ष इस के बारे में प्रदेश के अन्दर बहुत बड़ा आन्दोलन हुआ था। ताड़ी का पेशा, ताड़ी का कारोबार एक विशेष जाति के हाथ में है जिसे पासी या बिन्द लोग कहते हैं। इसका हर जिले में प्रदर्शन हुआ, सभायें की गईं और हाई कोर्ट से उनके पक्ष में एक फैसला भी हुआ था। लेकिन बड़े दुख की बात है कि हाई कोर्ट का फैसला होते हुये भी यह सरकार उसको लागू नहीं कर पायी। इसलिए मैं इस सम्मानित सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि जो हाई कोर्ट का फैसला हुआ है, उन गरीबों के और छोटे लोगों के हक में हुआ है जिनका जातीय पेशा है, उन लोगों को ही इस कार्य को करने का ठेका देने की सदन में घोषणा करेंगे।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आप रोज अखबारों में देखते हैं, रोज सदन में चर्चा होती है कि ट्रकों में, बसों में जो ड्राइवर होते हैं वे नशीली हालत में उनको चलाते हैं और आये दिन दुर्घटनायें होती हैं। कई बार सदन में इस बारे में चर्चा हुई कि शराब की वजह से हजारों लोगों की जानें जाती हैं लेकिन आज तक माननीय मंत्री जी ने, माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस पर ध्यान नहीं दिया और न ही इस पर कोई प्रतिबन्ध लगाया।

मान्यवर, मैं एक दूसरी बात कहना चाहता हूं। आज सामूहिक डकैती की बात होती है, बलात्कार की बात होती है, तो ऐसा देखा जा रहा है और सुना जा रहा है कि लोग मांस और मंदिरा पीकर इस तरह की दुर्घटनाएं करते हैं। अगर हमारे सम्मानित मंत्री जी मंदिरा के ऊपर दृष्टि डालते तो आज जो समाज में भ्रष्टाचार और आतंक फैला हुआ है, उस पर प्रतिबन्ध होता। हजारों लोग जो गरीब हैं, शहरों में काम करते हैं, रिक्शा चलाते हैं, वे शाम के वक्त इन दुकानों पर लाइन लगाकार खड़े रहते हैं उनकी गाढ़ी कमाई का पैसा इन शराब के कारखानों में चला जाता है, जिसकी आप तारीफ कर रहे हैं। इसलिए मैंने निवेदन किया कि प्रदेश में शराब बन्दी हो जाती तो जो मेहनतकश लोग हैं, उनको मेहनत और गाढ़ी कमाई उनके बच्चों की परवरिश में और उनकी पढ़ाई-लिखाई में लगती और जो आज उनके फटे हाल हैं, वह न हो पाते।

मान्यवर, आजकल रोज अखबारों में आता है कि शराब पीकर इतने व्यक्तियों की मृत्यु हो गई। अभी 20 मार्च की घटना है, हमारे गाजीपुर में नशीली दवाओं के खाने से लोगों की मृत्यु हो गई। पूरे वर्ष में वहां पर 55 आदमी मरें हैं, जिसमें से 32 आदमी गाजीपुर शहर के हैं बाकी देहात के हैं, जो नशीली दवायें खाकर मर गये हैं। लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने इसकी कोई जांच नहीं की और न कोई प्रतिबन्ध लगा सकें हैं। मान्यवर, जनपद गाजीपुर में बड़ी चर्चा है...

श्री अधिष्ठाता –

आपको बाद में समय मिलेगा, केवल आधा दिन इसके लिए है इसलिए आप जल्दी समाप्त करें।

श्री राम धनी–

मैं बहुत जल्दी समाप्त करता हूं । गाजीपुर में अफीम की खेती होती है वहां पर कारखाना लगा हुआ है । अफीम के डंठल, पत्तियों, लकड़ियों को लोग जमा कर नशीली दवायें बनाते हैं, उसे मैनडेक्स में मिलाकर छोटी-छोटी गोलियां बनाते हैं, जिसको 1.25 पैसे में बेचते हैं। जिसको खाने से लोग मर रहे हैं लेकिन उस पर कोई प्रतिबंध वहां नहीं है।

श्री श्याम लाल बाजपेयी–

क्या आप भी उसका सेवन करने लगे हैं?

श्री राम धनी–

वहां के अधिकारियों की मिली भगत से वह बिक रही है । पूरे जिले में यह छाया है । यह गाजीपुर में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में जाता है, यह एक अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार के रूप में हो गया है । जर्मनियां में एक करोड़ रुपये की अफीम पकड़ी गयी, जिसमें कोकीन, हेरोइन और मरफिया आदि बनते हैं लेकिन उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ । माननीय प्रोफेसर साहब को पता नहीं होगा, उनके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी बहुत कमाई कर रहे हैं । इसका सारा पैसा उनकी पाकेट में चला जाता है । इस भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से एक और बात कहना चाहता हूं । गत वर्ष भी मैंने इस बात को यहां सदन में उठाया था । नन्दगंज में एक शराब मिल है, जिसका पानी खुले आम बहता रहता है । कभी माननीय मंत्री जी गाजीपुर गये होंगे तो उनको पता चल गया होगा । उसका गंदा पानी 15 किलोमीटर तक बहता रहता है और उसकी बदबू बहुत दूर-दूर तक चारों तरफ फैलती है। जिसकी वजह से गाजीपुर जनपद में भयंकर संकट पैदा हो गया है । मच्छर पैदा हो गये हैं और प्रदूषण की स्थिति पैदा हो गयी है । जिससे अनेकों बीमारियां पैदा हो रही हैं। इसके विरोध में वहां की जनता ने उस फैक्ट्री के सामने प्रदर्शन किया और अनशन किया लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि जिनकी यह फैक्ट्री है, उनकी यहां के एक सम्मानित मंत्री जी से रिश्तेदारी है। खुलेआम वह फैक्ट्री वर्षों से चल रही है और लोग तरह तरह की बीमारी के शिकार हो रहे हैं । मुझे उनका नाम बताने में कोई एतराज नहीं है । आप कहते हैं तो बता देता हूं, माननीय लोकपति त्रिपाठी जी के रिश्तेदार हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आप समाप्त करें, बाद में भी आपको समय मिलेगा बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं ।

डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल –

मान्यवर, कितनी देर और बोलेंगे ?

श्री अधिष्ठाता –

बाद में आप समय ले लीजियेगा।

श्री रामधनी –

मान्यवर, 5 मार्च को दूसरी घटना हुई जिसमें दो आदमी गाजीपुर जेल में बंद किये गये और वहां शराब पिलायी गई और 11 बजे रात को दोनों की मृत्यु हो गई जनपद में आक्रोश हुआ लेकिन प्रशासन एकदम कान में तेल डालकर खामोश हो गया । इसी तरह की रोज घटनाएं पेपर में आती हैं । मान्यवर, मद्य निषेध तो कर ही नहीं सकते हैं क्योंकि इनके दिल और दिमाग और इनकी नीतियां साफ नहीं हैं, इसलिए मद्य निषेध की बात करना बेकार है। मान्यवर, इस प्रदेश का धन जो हजारों रुपये में हर साल बरबाद किया जाता

है, मद्य निषेध के प्रचार में, वह एकदम बेकार है और यदि उस धन से जनपद में कोई काम होता तो उससे जिले और प्रदेश को फायदा होता। इन शब्दों के साथ मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री बिहारी लाल –

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। मान्यवर, मैं इस संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं। हमारे पर्वतीय क्षेत्र के आठों जिलों में लिक्विड, मैंडेक्स और सुरा टिंचर, जिंजर एवं नशीली चीजें ऐसी बिखरी है कि उसको आबकारी मंत्री जी पता नहीं किस तरीके से आपके अधिकारी इसको रोक पायेंगे। पर्वतीय क्षेत्र में आज मैंडेक्स की गोली हमारे विद्यार्थी नौजवान छात्रों ने खाना शुरू किया है, जिससे काफी नुकसान हुआ है। मान्यवर, पहाड़ के आठों जिलों में मैंडेक्स की गोलियां और लिक्विड पीकर ड्राइवर जो गाड़ियां चलाते हैं, जिससे एक्सीडेन्ट होते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि यह चीजें लिक्विड, मेनडैक्स और सुरा को हर हालत में रोका जाये। पहाड़ में जो कच्ची शराब बनती है, मेरी निश्चित जानकारी है कि इसमें आबकारी विभाग के अधिकारियों का निश्चित हाथ है और बिना उनकी सलाह मशविरा के यह नहीं बनाई जाती है। मान्यवर, हमारे क्षेत्र खटीमा और सितारगंज में यह धंधा तेजी पर है। जिसके संबंध में हमने सरकार को कई पत्र लिखे और अधिकारियों से जांच के लिए लिखा लेकिन उसका उत्तर तक नहीं मिला। इसलिए इसको कैसे रोका जाय क्योंकि कच्ची शराब देशी शराब के ठेकों में पहुंचती है। मान्यवर, मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में बाहर से बहुत टूरिस्ट आते हैं जो देश के कोने-कोने से और विदेश से आते हैं। वहां सर्दी काफी होती है। इसलिए मेरा सुझाव है और मैं चाहूंगा कि वहां बार लाइसेंस दिये जायं और ए0, बी0, सी0, क्लास के बार लाइसेंस दिये जायं ताकि जो ओपेन में छोटे परिवार के लोग इस्तेमाल करते हैं वह उससे बच सकें और पैसा बचा सकें।

मान्यवर, आबकारी मंत्री जी से मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैंने कर्नाटक और कई छोटे-छोटे प्रान्तों में देखा कि वहां पर जो भी दुकानें खोलते हैं तो उसमें हरिजनों और जनजाति के लोगों का कोटा होता है तो उस कोटे के आधार पर लाइसेंस दिये जायं लेकिन पहले तो मेरा सुझाव है कि इसको रोका जाय। चूंकि इसको रोकना संभव नहीं है और इस पर हमने विचार किया है, इसलिए इसको इस तरह से किया जाए। नैनीताल से जब हम दिल्ली आते थे तो संबंधित विभाग के अधिकारी इसमें मिले रहते थे और पेटियों की पेटियां उसमें तस्करी की चलती थी और उसमें हमारे प्रदेश की आमदनी मारी जाती थी। एक मेरा सुझाव यह है कि सरकार माने या न मानें, लेकिन कहना चाहूंगा कि पर्वतीय क्षेत्रों में बार के लाइसेंस दिये जाएं और और जो देशी शराब होती है, तरह-तरह के विदेशी नामों से बिकती है और जो विदेशी शराब होती है यह अपने यहां ही सारा माल बना करे और देशी नामों के साथ ही बिका करे। साथ ही पर्वतीय क्षेत्र में सुरा, लिक्विड और मैंडेक्स की गोलियों की बिक्री को रोका जाय इन सब बातों के साथ मैं मंत्री जी के बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री मोहन सिंह –

मान्यवर, रामधनी जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसके समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं । मंत्री जी ने अभी मद्य निषेध की चर्चा की, मद्यनिषेध होना चाहिए, इसके हम लोग पक्षधर हैं। लेकिन मद्यनिषेध कुछ इलाकों में करके, बाकी इलाके में जो शराब पिलाने की जो प्रथा है, उसमें पूरी छूट दे दी जाए उससे हम सहमत नहीं हैं। ऐसा करने से समझता हूं कि उस इलाके विशेष में हम तस्करों को और ज्यादा प्रोत्साहित करते हैं इसके अलावा कुछ नहीं । हमें जातीय अनुभव है, जब हमारे लोगों के समय में कुछ खास इलाकों में मद्य निषेध हुआ था तो यहां ही सिधौली और सीतापुर के बीच में लाखों रुपये की शराब तस्करी नियमित रूप से होती थी । इसलिए यदि वास्तव में मंत्री जी दृढ़परिकर हैं और उनको मद्य निषेध लागू ही करना है तो यह उसे सम्पूर्ण प्रदेश में एक साथ लागू करें । अन्यथा अपने निर्वाचन क्षेत्र या तहसील में, पट्टी में लोगों को रोजगार मुहय्या कराना है तो हमें कुछ नहीं कहना है इससे इसके अलावा कुछ नहीं होगा। हरिद्वार और पट्टी में वह कभी सफलतापूर्वक लागू ही नहीं किया जा सकता है। आज जहरीली और हानिकारक शराब पीकर इस प्रदेश में जो लाखों लोग अकाल काल-कवलित हो रहे हैं, वह सारी शराब पुलिस के संरक्षण में बन रही है । जहां कहीं भी आबकारी संबंधी अधिकार पुलिस वालों को मिले हुए हैं, वहां छोटे कस्बे से बड़े कस्बे तक कोई ऐसा नहीं है, जहां पुलिस वालों की माहवारी न बंधी हो।

हम सब शराब बन्दी के समर्थक हैं और मद्यनिषेध चाहते हैं, लेकिन यह चीज भी अपनी जगह बिल्कुल सही है कि यह हमारे राज्य की आय का एक महत्वपूर्ण स्रोत है, बिक्री-कर के बाद सबसे ज्यादा आय का यह साधन है । और जब तक हम इस चीज को मानते हैं और इसकी आवश्यकता समझते हैं, यह आय सरकारी खजाने में न जाकर, पुलिसवालों और फर्जी ढंग से दूसरे लोगों की जेबों में, जिन्हें हम बम्बई वालों की भाषा में मटकावाले कहते हैं, चली जाए, तो उससे हमारी आय के साधन कम होते हैं और इसे हमें हर कीमत पर रोकना होगा । इस तरह से हमारे जनधन की जो क्षति होती है उसे हमें चेक करना होगा। अभी फर्रुखाबाद की जो घटना हुई, जिस पर पूरा वक्तव्य सदन में आने वाला है, उसमें हमें निजी जानकारी है कि उस समय पुलिसवाले नाच रहे थे, जब लोग नशीली और जहरीली शराब पीकर मर रहे थे । अतः पहले तो आप इस मामले में अपने विभाग को ही चुस्त कीजिए और इस कार्य को पूरी तरह से छीनकर पुलिसवालों की मातहती में रखने की कोशिश कीजिए, तभी आप इसमें कारगर ढंग से कुछ कर सकते हैं ।

पर्वतीय मंत्री जी ने सदन में एक बार एक बात कही थी कि चूंकि बाहर से प्रदेश में तस्करी हो रही है और हमारे प्रदेश में अन्य राज्यों की अपेक्षा कर अधिक है, इसलिए उसकी कीमत मुकाबले में ज्यादा होती है। इसी कारण से तस्करी होती है। राज्य सरकार शराब के दामों में कटौती करने जा रही है। सारी चुस्त व्यवस्था के बावजूद आज नेपाल के तराई के जो क्षेत्र हैं वहां से विलायती शराब के नाम पर यहां पर वह आकर बिकती है। मेरा सुझाव यह है कि आप केन्द्रीय

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

सरकार से बात करके पूरे देश में इस पर लगने वाले कर को समान बनायें। अगर आप कीमतों में कमी भी कर दें, तब भी आप तस्करी को रोक नहीं पायेंगे। यह तभी सम्भव होगा जब गोआ, पान्डिचेरी तथा उत्तर प्रदेश में हर जगह शराब की कीमतें एक समान होंगी।

ठेकों की नीलामी के बारे में एक महत्वपूर्ण फैसला दो साल पहले भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह के समय में लिया गया था कि इस मामले में ठेकेदारों के एकाधिकार को खत्म किया जायेगा। मगर वह हुआ नहीं क्योंकि फर्जी सालवेंसी सर्टिफिकेट दाखिल करके आज भी करोड़ों रुपयों का घोटाला हुआ, जो धन सरकारी खजाने में जमा होना चाहिये था, वह नहीं हो पाया और जिनकी आर्थिक हालत बिलकुल अच्छी नहीं थी, कुछ भी नहीं थी, उन पर पुराना कर माफ कर दिया जाय. इस प्रकार की संस्तुति आ रही है। इसका मान्यवर, कोई हल नहीं है सिवाय इसके कि जो काम दिल्ली की सरकार ने किया है वही आप भी करें। सरकारी क्षेत्र में इसको बिकवायें। सहकारिता मजबूत हो, यह माननीय मंत्री जी भी चाहते हैं और यह सरकार भी चाहती है, इसलिये इसे किया जाये। आज एक ही ठेकेदार भिन्न-भिन्न फर्जी नामों से भिन्न-भिन्न जिलों में ठेके ले लेते हैं। एक ही व्यक्ति मोहन सिंह, भिन्न-भिन्न जगहों पर दूसरा मोहन सिंह बना हुआ है और वह दस-दस जिलों में ठेके लिये हुए है। यह बात जो कही गयी कि एक ही दिन में, नीलामी होने से एकाधिकार की बात समाप्त हो जायेगी। मैं इसको चुनौती देना चाहता हूं क्योंकि एक ही आदमी आज भिन्न-भिन्न जिलों में भिन्न-भिन्न नामों से ठेके लेता है।

मान्यवर, एक और बात कहना चाहता हूं। 4 करोड़ की नीलामी हुई तो 80 लाख रुपया उसी दिन जमा हो जाना चाहिये। मगर वह जमा नहीं होता है। जो मुकामी स्तर पर आफिसर्स होते हैं, उनकी सांठगांठ से यह से यह सब चलता है और गड़बड़ी होती है। प्रदेश के खजाने से जो लाखों रुपया आना चाहिये, वह उनकी सांठगांठ के कारण नहीं आ पाता है। इसलिये मैंने सुझाव दिया है कि जो व्यवस्था दिल्ली में है, वही यहां पर भी होना चाहिये। आपको इस पर विचार करना चाहिये कि क्या दिल्ली वाली व्यवस्था को हम यहां लागू नहीं कर सकते।

अपने प्रदेश में आज विलायती शराब के नाम पर सड़ा हुआ शीरा काम में लाया जाता है और उससे शराब बनती है। मैं पीता तो नहीं हूं, मगर पियक्कड़ों से सम्पर्क रहता है, इसलिये उनकी व्यथा को रखना पड़ता है.....

श्री अधिष्ठाता–

आप इस्तेमाल करके देखिये। (हंसी)

श्री मोहन सिंह–

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी जर्मनी और आस्ट्रेलिया में वाइन की खेती होती है और मैंने स्वयं वहां जाकर इसको देखा है और उससे उनकी काफी आमदनी होती है। पहाड़ी इलाकों में यह ज्यादातर होती है। जिस प्रकार अपने यहां आलू और गन्ने की फसल खाप होती है उसी प्रकार वहां पर वाइन की खेती होती है। विचार यह करना चाहिये कि क्या उसे हम

अपने प्रदेश में, कृषि विभाग की मंत्रणा से, जहां पर इस प्रकार की जलवायु है कि यह खेती हो सकती है, इसको कर सकते हैं या नहीं। अगर यह चीज होती है तो इससे हम अपने प्रदेश के किसानों की हालत को भी सुधार सकेंगे।

हमारे यहां कुछ इलाकों में अफीम की खेती होती है। देहरादून में होती है, केन्द्रीय सरकार की सहमति से बाराबंकी में होती है। मान्यवर, पूरे देश में एक ही अफीम का कारखाना है। अफीम से हमको विदेशी मुद्रा मिलती है। लेकिन अफीम की खेती करने वाले जो किसान हैं तो जो केन्द्र सरकार का महकमा है, उसको देखने वाले किसान के साथ बड़ी ज्यादतियां करते हैं। आपकी सरकार में जो अब मंत्री हैं, उनके ऊपर एक इल्जाम लगा था कि वह अफीम की खेती बिना लाइसेंस के कर रहे थे। वह मामला मैंने सदन में उठाया था और सरकार ने स्वीकार किया था कि अदालत में चार्जशीट दे दी गयी है। मैं सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जितने अवैध काम करने वाले लोग हैं, उनको मंत्रि-मण्डल में जगह दे दी जाती है। यह ठीक है, यह आपका विषय है लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अफीम की खेती किसानों की आमदनी का जरिया है। अफीम को देश से बाहर भेज कर विदेशी मुद्रा भी मिलती है तो सरकार इसके बारे में विचार करे और एक अफीम का कारखाना सरकारी क्षेत्र में खोले। इन चंद शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

*डाक्टर कृष्णवीर सिंह कौशल—

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये समय दिया। माननीय आबकारी मंत्री जी ने जो आबकारी का बजट प्रस्तुत किया है उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, इसमें दो राय नहीं है कि आज जो सबसे बड़े प्रदेश के राजस्व के स्रोत हैं, उसमें आबकारी विभाग का नम्बर सबसे आगे आता है। माननीय सदस्य ने कहा कि डाक्टर साहब आबकारी के बारे में क्या जानें। तो मान्यवर, दवा से दारू का सम्बन्ध होता है। लेकिन मान्यवर, रेवेन्यू के बढ़ाने के चक्कर में जो एक अंधी होड़ हो रही है और उसके जो दुष्परिणाम आये हैं और आयेंगे, कभी शासन ने उस पर गम्भीरता पूर्वक विचार नहीं किया है। मैं अनुरोध करूंगा कि इन दुष्परिणामों के बारे में गंभीरता से विचार किया जाय।

मान्यवर, क्या विभाग ने और शासन ने यह सोचा है कि नीलामी से जितना रेवेन्यू शासन को मिलता है, क्या उतनी निकासी हुई है या नहीं हुई। अगर उतनी निकासी नहीं हुई तो वह शराब प्रदेश के अन्दर कहां से आयी और कैसे बिकी? निश्चित रूप से वह शराब दूसरे प्रदेशों से आयी जिससे रेवेन्यू का नुकसान हुआ और नकली शराब बिकी। आज मान्यवर, प्रतिदिन अखबारों में देख लें, रोजाना दो-चार आदमियों की नकली शराब पीकर मरने की खबर मिलेगी। कहीं भी विभाग ने यह कोशिश नहीं की कि हमारा कन्जम्पशन कितना है। प्रदेश के अन्दर कितनी खपत है और कितनी निकासी हो रही है। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी की जो मशीनरी है उसको चुस्त करें और

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इसको देखें कि रेवेन्यू जितना मिलता है उतनी निकासी हुई कि नहीं।

अभी हमारे माननीय मंत्री जी ने बताया कि एकाधिकार समाप्त करने के लिये क्या-क्या प्रयास किये गये हैं। सालवेंसी सर्टीफिकेट के सम्बन्ध में व्यवस्था को चुस्त बनाया है, उसके लिये मैं बधाई देता हूं। लेकिन इस आदेश का पालन एकाधिकार समाप्त करने के सम्बन्ध में नहीं होता है, यह कहने में मुझे कोई हिचक नहीं है। मैं आगरे की मिसाल देता हूं। यह नियम है कि प्रत्येक दूकान की नीलामी अलग-अलग हो। लेकिन वहां पर एक व्यक्ति विशेष को, सिंडीकेट आगरे में जो है, उसको पूरे जिले की देशी शराब का ठेका दिया गया है। यह आगरे में ही नहीं बल्कि प्रदेश में बहुत सी जगहों पर हुआ है। यह कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है। आज प्रदेश में एक ऐसा सिंडीकेट बना हुआ है, जो फर्जी नामों से जगह-जगह ठेके लेता है। 8–10 व्यक्ति उत्तर प्रदेश आबकारी विभाग के संचालक और संरक्षक बने हुए हैं। जिसकी वजह से न केवल रेवेन्यू का नुकसान होता है बल्कि नकली और फर्जी शराब पीने को मिलती है जिससे नागरिक मरते हैं। मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इसकी जांच करा लें और इस पर कार्यवाही करें। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करें। हमारे यहां का जो जिलाधीश है, वह ईमानदार और बहुत सुशील व्यक्ति है। श्रीमन्, लेकिन जो नीचे के अधिकारी हैं, उनकी जो सांठ-गांठ होती है, शराब के ठेकेदारों व सिन्डीकेट से उसकी जांच करा लें।

श्रीमन्, मैं बधाई देता हूं माननीय मंत्री जी को और उनके विभाग को और उनके अधिकारियों को कि पिछले साल लखनऊ में कई करोड़ रुपये की नकली व जहरीली शराब पकड़ी तथा आगरे में 50 हजार लीटर 1 वर्ष में नकली शराब पकड़ी गयी, लेकिन हुआ क्या? आज तक उस पर कार्यवाही क्या की गयी? आपकी प्रासीक्यूशन प्रक्रिया इतनी लचीली व ढीली है कि बड़े-बड़े तस्कर साफ बच जाते हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि इक्साइज की धारा 60 जो है, इसको अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता है, ताकि जो स्मग्लर्स हैं, जो नकली शराब बेचते हैं, उनको आप कानून के शिकंजे में ला सकें। दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो स्प्रिचूअस लिकर, जिनका अल्कोहल बेस है, जैसे स्प्रिट, ईथरिस, नाइट्रोस स्प्रिट, क्लोरोफार्म स्प्रिट, अमोनिया ऐरोमैटिक, टिंचर जिंजर, मृत संजीवनी सुरा, पुदीना हरा इनको लोग शराब के रूप में प्रयोग करते हैं और जिससे कितने लोगों की असामयिक (अकाल) मृत्यु हो गयी। इससे कितने लोगों के जीवन बर्बाद हो रहे हैं। इनको मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स न दिए जायं। रोजाना अखबार में विषैली व जहरीली शराब पीने से मृत्यु के समाचार आपको पढ़ने को मिलते हैं। मैं आपसे यह आग्रह करता हूं कि इस तरह के स्प्रिचुअस लिकर के मैन्यूफैक्चरिंग लाइसेन्स दिए ही न जायें।

आपके विभाग को जो टोटल रेवेन्यू प्राप्त होती है उसके मुकाबिले आपका खर्च एक प्रतिशत आता है। विभाग को चुस्त करने के लिए इसको बढ़ाना अत्यन्त आवश्यक है। जबकि अन्य डिपार्टमेंट का खर्चा 3–4 से लेकर 5 परसेंट तक है। आपके विभाग के जो कर्मचारी सिपाही हैं उनको केवल एक डंडा पकड़ा देते हैं और उम्मीद करेंगे कि वह इतने बड़े स्मग्लर्स को पकड़ें। मैं कहता हूं कि उनको फायर आर्म्स दे दिए जायं और उनकी ट्रेनिंग मुरादाबाद पुलिस ट्रेनिंग कालेज में होनी चाहिए। विभागीय

कर्मचारियों व अधिकारियों को आवास की व्यवस्था होनी चाहिए। जो आपके इंस-पेक्टर्स हैं, उनको ज्यादा अधिकार प्रदान करें, ताकि वह जो लाइसेन्स फीस की वसूली है या स्मगलर्स को पकड़ने की बात है, उन पर प्रभावी ढंग से कार्यवाही कर सकें।

दूसरा श्रीमन् यह आपके विभाग में जो इंडस्ट्रियल लाइसेन्स मेथीलेटेड स्प्रिट को दिए गये हैं, उसका बड़ा दुरुपयोग हो रहा है। यह जो इंडस्ट्रीज हैं, वह सब कागज पर हैं और अपने कोटे को मेथलेटेड स्प्रिट खुले आम बाजार में बेंच रहे हैं, जिसके कारण आपके रेवेन्यू का बड़ा नुकसान हो रहा है। श्रीमन, इन शब्दों के साथ मैं, माननीय मन्त्री जी के इस बजट का समर्थन करता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने कुछ क्रांतिकारी घोषणाएं जो आज की हैं, उन पर अमल करायेंगे। मैं कामना करता हूं कि वे अपने प्रयास में सफल हों।

श्री ऊदल—

श्रीमन्, स्वयं पट्टी के रहने वाले हैं। पट्टी तहसील का इन्होंने जिक्र किया, नाम तो ले लिया जवाहर लाल जी का, लेकिन यह खुद वहीं के रहने वाले हैं। मन्त्री जी ने बहुत अच्छी बात कही। चित्रकूट में, हरिद्वार में ये शराब बन्द करना चाहते हैं। पहाड़ के बारे में सोच रहे हैं। लेकिन कहीं ये बन्द होगी? माननीय मोहन सिंह जी ने कहा कि 13 जिलों में नशाबन्दी चालू हुई थी और जितने अवैध शराब के धंधे लोगों ने शुरू कर दिया। तो नशाबन्दी बहुत अच्छी चीज है, यदि बन्द हो जाय। एक जगह, एक स्थान, एक तहसील में बन्द करेंगे तो लोग दूसरी जगह से लाकर चोरी से बेचेंगे और पियेंगे। आप कभी कामयाब नहीं हो सकते।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, पहाड़ पर उत्तरकाशी में शराब बन्दी की गयी थी। मैं वहाँ गया था तो लोगों को जिंजर, टिंचर और मैनडेक्स की गोलियों को खाकर पागल होते हुए देखा। लोग पागल हो रहे थे। जैसा बिहारी लाल जी ने कहा। नशाबन्दी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन वह होगा नहीं। जब तक कि और लोगों का विचार न बदल जाय। तुलसी दास जी ने कहा है और आप तो तुलसी दास के भक्त हैं उन्होंने लिखा है 'होइ न दुई एक संग गुआलू हंसब ठठाई फुलाउब गालू।" यह आप बेकार मद्य निषेध का ढकोसला कर रहे हैं। मान्यवर, यह तो होश में हैं नहीं।

"न पीना हराम है न पिलाना हराम है,
पीपी के मगर होश में आना हराम है।"

नकली शराब बड़े पैमाने पर बन रही है। आपका विभाग तो नहीं बनवाता है लेकिन पुलिस वाले बनवाते हैं। उनसे पैसा लेते हैं। आप इस पर कैसे कन्ट्रोल करेंगे? आपने रोकने के लिए उड़ाका दल बनाया है। उनके पास न हथियार हैं न जीप है। मैं एक दिन घर जा रहा था। बाबतपुर हवाई अड्डे पर उड़ाका दल वाले पहुंचे न उनके पास जीप है जिले में एक जीप है। आपका विभाग पुलिस का सहारा माँगता है वह पैसा लेते हैं कैसे रद्दी और नकली शराब बनाने वालों से आप लड़ पायेंगे। उस दल को आप मजबूत कीजिए साधन दीजिए। ट्रेंड कीजिए। आपके मुर्दा सिपाही जेलखाने के वार्डन की तरह हैं। माननीय मोहन सिंह ने फर्रुखाबाद की घटना का जिक्र किया दर्जनों लोग जहरीली शराब पीकर मारे गए और मर रहे हैं। इसलिए इसको रोकिए।

भारत सरकार के मन्त्री जी ने कहा कि यदि कोई प्रदेश नशाबन्दी लागू करता है तो जो आमदनी है, उसका 50 प्रतिशत भारत सरकार कम्पेंसेट कर सकती है 50 प्रतिशत का घाटा लगेगा। यह आबकारी विभाग जैसा आपने कहा दुधारू गाय है। इस पर एक प्रतिशत का खर्च है। एक प्रतिशत खर्च से यह मजबूत नहीं होगा। रद्दी शराब जिंजर टिंचर और मैनडेक्स न खिलायें इसमें आप सुधार करें। आपको डिप्टी कमिश्नर और चाहिये आपने प्राविधान न किया हो तो 3-4 उनको बना दें, असिस्टेंट कमिश्नर चाहिये, अधीक्षक चाहिये, पुलिस चाहिए, स्कूल चाहिए आर्म्स चाहिए, जीप चाहिए, फोर्स तादाद में ज्यादा चाहिए, एक ट्रेनिंग स्कूल जैसे मुरादाबाद में है पुलिस वालों का उसी तरह से इस विभाग का होना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि नवरत्नों में जो यह एक रत्न

मथकर निकाला गया है आप पिलायें लेकिन शुद्ध पिलायें ताकि लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर न पड़े, लोग मरने न पायें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। इस आशा के साथ कि जो नकली और रद्दी शराब बनाने के धंधे चल रहे हैं और रद्दी शराब लोगों की जान ले रही है इसको आप समाप्त करायेंगे।

श्री राम कुमार भार्गव ---

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है। श्री फखरे आलम साहब बोलने के लिए खड़े हुए थे उनको बोलने का मौका नहीं दिया। यह उपभोक्ता यहाँ बैठ हुए हैं, उपभोक्ता का अधिकार है।

श्री अधिष्ठाता---

यह व्यवस्था का सवाल नहीं है।

श्री माधव प्रसाद---

मान्यवर, आपने मुझे आबकारी के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, आबकारी विभाग और मद्य निषेध विभाग उत्तर प्रदेश का बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। माननीय आबकारी मन्त्री जी ने जो बजट पेश किया है, उनका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका मैं विरोध करता हूं। इन्होंने युधिष्ठिर से अब तक 14 रत्नों की बात कही। इन 14 रत्नों में से शराब (सुरा) भी एक रत्न है। आपके शासन में नशाबन्दी का कानून लागू हुआ था यह 21 जिलों में लागू हुआ जिसमें 1978 में नशाबन्दी कानून 12 जिलों में लागू हुआ। मान्यवर, उस समय शराब की जो तस्करी हुई, उसके आँकड़े हैं। 1978-79 में विदेशी शराब की खपत 2 करोड़ 73 लाख की हुई है। 50 लाख बोतल की विदेशी शराब की खपत होती थी। उसको नकारा नहीं जा सकता है। पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त ने 1935-39 में नशाबन्दी कानून लागू करने की कोशिश की थी। द्वितीय महायुद्ध में यह पुनः लागू हुआ और आपके शासन में मोरार जी ने पूरी नशाबन्दी लागू की लेकिन आपके जमाने में बाहर से इतनी शराब मंगाई गई, जिसको पीकर बहुत से लोग मरे।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी को दो तीन सुझाव देना चाहता हूं। नशाबन्दी के तीन चार दोष हैं। करेप्शन, अनइम्प्लाइमेंट, राजस्व की हानि आदि। मैं बधाई देना चाहता हूं पिछले वर्ष की अपेक्षा 13 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। आप के विभाग के अधिकारी श्री राजेश्व कुमार को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। जिन्होंने प्रदेश की प्रगति में योगदान दिया है। लाभ प्रदेश के हित के लिए होता है। मैं सुझाव देना चाहता हूं कि नीलामी प्रणाली में परिवर्तन किया जाय। चक्रवर्ती नीलाम एकाधिकार को समाप्त किया जाय। नीलामी की प्रक्रिया को बदला जाय इससे देश में काफी लास हुआ है। यह चक्रवात करते हैं तो निश्चित ही रेवेन्यू बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त मैं यह कहना चाहूंगा कि यह जो आबकारी निरीक्षक हैं, इनको पुलिस के समान सुविधायें दी जायें। जिस प्रकार पुलिस कर्मचारियों को हथियार, आवासीय सुविधा दी जाती है, उसी प्रकार इनको भी सुविधा दी जाय। इनको स्थानान्तरण होने पर कोई आवासीय जगह नहीं मिलती है तो मैं चाहूंगा जैसे पुलिस वालों को आवासीय सुविधा दी जाती है, उसी तरह से इन्हें भी आवासीय सुविधा उपलब्ध कराई जाय।

इसके अलावा मैं चाहूंगा कि प्रदेश स्तर पर एक आबकारी कमेटी गठित की जाय। क्योंकि इसमें ठेकेदारों की बहुत मिलीभगत रहती है और आबकारी निरीक्षकों द्वारा पकड़ी गयी शराब पुलिस के थाने के मालखाने में ही जमा करनी पड़ती है क्योंकि आपके पास कोई गोदाम नहीं है तो विभाग द्वारा गोदाम बनवाया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

*श्री फखरे आलम---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव को बल देते हुए कुछ सुझाव रखना चाहूंगा और कुछ बातें रखना चाहूंगा, जिन को माननीय मन्त्री जी अगर गौर से सुनें तो शायद भला हो सके और कुछ बातें हो सकें। मैं समझता हूं कि मन्त्री जी इस समय होशो-हवास में होंगे।

*वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता--

आप समय का ख्याल रखें ।

श्री फखरे आलम--

मान्यवर, मुझे समय का अन्दाज है। समय के अन्दर ही बोलूंगा। मुझे बोलना आता है। कितनी बात किस तरह से कहें हमें आता है, इसमें दखल न करें। मान्यवर, मैं कुछ सुझाव रखना चाहता हूं। मैं एक शेर अर्ज करता हूं--

"अच्छी पी ली, खराब पी ली,
जैसी पाई शराब पी ली ।"

मान्यवर, मैं कुछ कम्परेटिव फिगर्स रखता हूं। हमारे यहाँ शराब पीने से एक्सीडेंटल मौतें ज्यादा होती हैं। और जिन-जिन मुल्कों में होती हैं अपने यहाँ के मुकाबले में उनको भी देख लें। मैं माननीय मन्त्री जी को आपके जरिए से बताना चाहूंगा कि एक्सीडेंटल मौतें शराब पीने से यू0के0 में 3 फीसदी होती हैं, यू0एस0ए0 में साढ़े चार प्रतिशत होती हैं, जर्मनी में आधा परसेंट होती हैं और रशा में 5 प्रतिशत होती हैं। शराब पीने की यह हालत है कि यू0के0 में 75 प्रतिशत शराब पी जाती है, मन्त्री जी के पास ये फीगर्स होंगी, यू0एस0ए0 में 80 फीसदी, रशा में 70 फीसदी आबादी शराब पीती है और जर्मनी में 78 फीसदी आबादी शराब पीती है। हमारे यहाँ यह हालत है कि जो शराब पीने से ऐक्सीडेंटल मौतें होती हैं उनमें से 18 प्रतिशत खराब शराब पीने से, एडल्ट्रेटेड शराब, ज्यादा शराब पीने से होती हैं। शराब पीने की मात्रा ज्यादा नहीं है, तो फिर जो मौतें होती हैं, शराब पीने से उनकी संख्या क्यों ज्यादा है ?

श्री अधिष्ठाता--

आपने माननीय सदस्यों का भी कोई परसेंटेज निकाला है ।

श्री फखरे आलम--

माननीय सदस्यों का निकालता तो, लेकिन आप माननीय अधिष्ठाता की जगह पर बैठे हैं, इसलिए कुछ नहीं कह सकता। (हंसी)

मान्यवर, हालत यह है कि-

"रात को मय पी, सुबह को तोबा कर ली,
रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत न गयी।"

उसका परसेंटेज कैसे निकल सकता है। शराब खराब चीज है। आज आजादी के 37 साल हो गये। कहा जाता है, गाँधी जी ने इस बात की कसम खाई थी कि इस मुल्क में शराब बन्दी हो जायगी, शराब खत्म हो जायगी, नशाबन्दी कर दी जायगी। अफसोस है शराब बन्द नहीं हुई, बढ़ती चली जा रही है और अब तक 186 परसेंट बढ़ गयी है। इस मुल्क की क्या हालत हो रही है, हम कहाँ जा रहे हैं ? अभी भार्गव साहब ने कहा कि उपभोक्ताओं को मौका दिया जाए और उपभोक्ताओं में मुझे रख लिया, मुझे तो मालूम नहीं, लेकिन जो अमीनाबाद में खुले आम 37 हजार रुपए की शराब पी गयी थी, उसमें मैं कहाँ था ? मुझे बिना मतलब के कोई मतलब नहीं रहता है। मुझे उपभोक्ताओं की सब बातें मालूम हैं, सब का कच्चा चिट्ठा मालूम है। हम छः नस्लों से वकालत कर रहे हैं ।

इन शब्दों के साथ मैं सुझाव देना चाहूंगा कि नशाबन्दी कर दी जाय और शराब को और हर किस्म के नशे को बिल्कुल खत्म कर दिया जाय, मन्त्री जी उसूलों के आदमी बनते हैं। आपने उर्दू की खिलाफत की, आप शराब की खिलाफत करें और इसे समाप्त करने पर अपने जोर का इस्तेमाल करें। आज इस तबाही में मुल्क ऐसी जगह पर जा रहा है, जहाँ से पीछे लौटना मुश्किल है। इस तबाहकार ने मुल्कों को समाप्त कर दिया और बड़े-बड़े बादशाहों को समाप्त कर दिया। इन्हीं अल्फाजों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। और आपसे पुनः कहता हूं कि नशा बन्दी को लागू करें ।

श्री राम कुमार भार्गव--

मान्यवर, जैसा कि अभी माननीय सदस्य ने कहा कि मेरे आवास पर जो मीटिंग हुई थी, उसमें 35 हजार रुपए की शराब पी गयी, यह व्यक्तिगत आक्षेप है। इसे आप सदन की कार्यवाही से निकाल दें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अ.धष्ठाता—

मैं कार्यवाही को देखूंगा। यदि कोई बात सदन की गरिमा के खिलाफ या नियमों के खिलाफ कही गयी होगी, उसे मैं सदन की कार्यवाही से निकाल दूंगा।

* श्री हरदेव—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आप का आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया। श्रीमन्, मेरे जनपद बलिया के रसड़ा तहसील में पिछले साल 20 हजार कुन्तल शीरे को बहा दिया गया। कोआपरेटिव सेक्टर में वहाँ पर यह माँग की जाती रही है कि रसड़ा में एक डिस्टिलरी प्लाँट की स्थापना कर दी जाय ताकि जो शीरा बहाया जाता है, उसका उपयोग हो सके। साथ ही साथ अन्य मिलों से भी जो शीरा बेकार बहाया जाता है उसका उपयोग भी इस प्लाँट में हो सके।

श्रीमन्, शराब को अगर सिपाही या थानेदार पीता है तो वह अपराध नहीं है। अगर कोई गरीब राशन की दुकान खोलता है तो उसे शराबी बताया जाता है, जबकि वह शराब नहीं रखता है। इस कानून पर विचार किया जाना चाहिए। शराब पीने वाला सिपाही और थानेदार, जो लोग शराब नहीं पीते हैं, उनको प्रताड़ित करते हैं, इसको सुधारा जाना चाहिए। और इसकी काननी व्यवस्था होनी चाहिए।

श्रीमन्, मैंने देखा है मेरे यहाँ भुजैनी गाँव में एक व्यक्ति राशन की दुकान खोले हुए था, अभी एक महीना हो रहा है, कुछ शराब पीने वाले सिपाहियों ने और थानेदार, मोपुरा बलिया ने उस गरीब का चालान यह कह कर, कर दिया कि इसने शराब पी थी। जबकि वह शराबी नहीं है। इसकी आप जाँच करें। आप कानून बनायें, जो जन-हित में हो।

श्रीमन्, ठेके के लाइसेन्सों में बड़ी गड़बड़ी है। एक हरिजन श्री गंगा, ग्राम मन्दा रसड़ा, जिससे 70 हजार रुपए दो साल पहले जमा करवा लिए और वहाँ के जो निरीक्षक हैं, उन्होंने उस ठेके को किसी दूसरे को एलाट कर दिया। वह गरीब बेचारा दो साल से परेशान है। शासन से भी आदेश कराए गये कि इस गरीब बेचारे के 70 हजार रुपए वापस कर दिए जायं, किन्तु अभी तक वापस नहीं किए गये हैं। यह आदेश भूतपूर्व मन्त्री श्री विद्या भूषण जी ने किए थे। मैं चाहूंगा कि इसकी जाँच की जाय और उस गरीब को न्याय दिलाया जाय।

श्रीमन्, जो ताड़ी का काम करते हैं, जैसे पासी, और हरिजन, उन्हें ठेके का लाइसेन्स नहीं दिया जाता है। लाइसेन्स दिया जा रहा है जो गुण्डे हैं और लोफर हैं। हमें जो पुस्तक दी गयी है, उसमें अनुसूचित जाति के कोटे का ब्योरा नहीं दिया गया है। मैं चाहूंगा कि आप अपने विभाग में प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करें। और 20 सूत्रीय कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करें। इसके साथ ही मैं बजट का समर्थन करता हूं और जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका विरोध करता हूं।

(श्री विश्वनाथ के खड़े होने पर)

श्री मोहन सिंह—

मान्यवर, यह सदन में नए सदस्य हैं, उप चुनाव में जीत कर आए हैं। फाजिल नगर से आए हैं। पियक्कड़ों को हराकर आए हैं। यह मद्य निषेध के प्रतीक हैं।

*श्री विश्व नाथ—

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देने का जो मुझे मौका दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हू। मान्यवर, मैं इधर गाँधी जी की प्रतिमा को देख रहा हूं और इधर अपने समाजवादी रहनुमा प्रोफेसर साहब को देख रहा हूं। मान्यवर, प्रोफेसर साहब पूरी नशाबन्दी का प्रस्ताव अगर प्रस्तुत किए होते, तो शायद गाँधी जी की आत्मा उन्हें दुआ देती, लोहिया का दर्शन सामान्य धरातल पर उतरता और मेरे जैसे आदमी इस सदन में उनको लाख-लाख बधाइयाँ देता। ताज्जुब है इतने वर्षों के बाद भी अभी यहाँ नशाबन्दी नहीं लागू हुई। प्रोफेसर साहब जैसे राष्ट्रीय व्यक्तित्व के व्यक्ति को लाकर के यह आबकारी का महकमा दिया गया। जिस प्रकार आपने हिन्दी आन्दोलन में देश को दिशा दी है और आपका एक राष्ट्रीय व्यक्तित्व बना

*वक्तव्य भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, मुखरित हुआ है, हम तो चाहेंगे कि आप अपने प्रस्ताव पर ही अपने बजट को वापस ले लेते और बधाई के पात्र हो जाते।

मान्यवर, यह शराब व्यक्ति को शैतान बनाती है। यह सरकार, शराब का चलन कर, उसे शैतान बनाने की ओर ले जा रही है। मैं तो भुक्तभोगी हू। वह इसलिए कि शराब पीने वालों ने जो तमाशा किया है, फाजिल नगर चुनाव में, 5-5 लोगों को गोलियाँ लगीं। क्या आप इस मुल्क को मौत के घाट उतारना चाहते हैं, और जनता को चलाना चाहते हैं? कहीं जनतंत्र शराब के नशे में चलता है। कुमार्ग पर ले जाने के लिए यह पेय शायद आविष्कार में आया है। इसलिए मैं प्रोफेसर साहब से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे कटौती के प्रस्ताव को मानते हुए, अपने बजट प्रस्ताव को वापस लेते हुए आप अन्तर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व के हो जाय और उस तरह से मुखरित हों। मैं आशा करूंगा कि जैसे आपने राजभाषा विधेयक का विरोध किया था, वैसे ही आप इसका भी विरोध करेंगे।

श्री शिव नारायण सिंह नेगी--

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने मुझे आबकारी के बजट पर बोलने का मौका दिया।

मान्यवर, जहाँ तक आबकारी बजट का प्रश्न है, इसका मैं समर्थन करते हुए, कुछ सलाह देना चाहता हूं।

मान्यवर, कुमायूं, उत्तराखंड यह जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो देव भूमि है, वहाँ बहुत जल्द से जल्द शराब बन्दी कर देनी चाहिए। मुझे इस बात का बड़ा दुख होता है कि 37 वर्ष आजादी के होने के बाद भी हम अपने देश में बापू जी के आदेशों का पालन नहीं कर पाए। क्या कारण है आज भी मैं देख रहा हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में इतनी गरीबी है और बेकारी है, उसके बावजूद भी, शराब का चलन, वहाँ किया जा रहा है, बना हुआ है। जिससे वहाँ का शान्त वातावरण दूषित हो रहा है। मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से यह आग्रह करूंगा कि वहाँ देशी या विदेशी जो भी शराब की दुकानें हैं, उनको यथाशीघ्र बन्द कर दिया जाय। अगर किसी को दवा के रूप में उपलब्ध करना है, तो उसके लिए जैसे और चीजों पर प्रतिबन्ध है, विभागीय कर्मचारियों को उस पर नियन्त्रण करना चाहिए।

मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से आग्रह करना चाहता हूं कि पर्वतीय क्षेत्र में क्या, सारे मैदानी क्षेत्र में भी, आपकी सुरा के अलावा जो आयुर्वेदिक होम्योपैथिक या ऐलोपैथिक दवाओं के रूप में, नशीले पदार्थों का व्यापार हो रहा है जैसे शीरा, टिंचर, जिजंर, लिकुइड और दूसरी चीजें हैं, उन पर बहुत जल्द नियन्त्रण करना चाहिए। ऐसा कानून बनाना चाहिए कि उन पर सख्ती से काम किया जाय, जिससे इनका चलन बन्द हो। साथ ही, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि अगर जैसा मैंने कहा है, किसी प्रकार की भी दवा हो तो आप के विभाग के द्वारा ही वितरण कराने की कोशिश करें। यह भी मैं आपसे कहूंगा कि जितनी जल्द पर्वतीय क्षेत्र में आप नेइसको बन्द कर दिया, उतना ही जल्द वहाँ की आर्थिक हालत ठीक होगी और वातावरण जो दूषित हो रहा है, ठीक होगा। एक्सीडेंट जो हो रहे हैं, उसका भी यही कारण है।

श्री राम धनी--

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे कटौती प्रस्ताव का चाहे इस पक्ष के सम्मानित सदस्य हों चाहे उस पक्ष के सम्मानित सदस्य हों, परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप में उन्होंने जो इसका समर्थन किया है, मैं उन सभी सम्मानित साथियों का आभारी हूं। मैं दो-एक बातें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। आबकारी मैनुअल जो 314/4 है, आपके माध्यम से माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं, इसमें बताया गया है कि ऐसे सारे स्थान जहाँ विद्यालय हों, मन्दिर हों, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, चर्च हो, ऐसे स्थानों पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, लेकिन प्रायः देखने में आता है कि ऐसे ही स्थानों में शराब की दुकानें होती हैं। माननीय मन्त्री जी से स्पष्ट घोषणा चाहता हूं कि ऐसे स्थानों में अब शराब की दुकानें नहीं होंगी। इस

सन्दर्भ में मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिस तरह से हरिद्वार; बद्रीनाथ, वृन्दावन आदि धार्मिक स्थानों में शराबबन्दी है, उसी तरह से मथुरा एक धार्मिक और पवित्र नगरी है, जहाँ भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। मथुरा में बरसाना, नन्दगाँव, गोवर्द्धन आदि स्थान हैं, इन स्थानों के लिए सदन में स्पष्ट घोषणा करें कि वहां नसबन्दी. . .

("नसबन्दी" शब्द के उच्चारण पर हंसी)

श्री अधिष्ठाता—

"नसबन्दी" नहीं "नशाबन्दी" कहें।

श्री राम धनी—

मेरा आशय "नशाबन्दी" से ही था।

ऐसे ही पूर्वांचल में वाराणसी बहुत ही पवित्र धार्मिक नगरी है। वहाँ भी माननीय मन्त्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या इस सम्मानित सदन में इसकी घोषणा करेंगे कि इस पवित्र नगरी वाराणसी में शराब बन्दी हो जायगी। शराब पीना विष से भी भयंकर है। हमारे एक साथी ने कहा कि अंग्रेजी शराब और देशी शराब दो तरह की शराबें हैं। सम्मानित मन्त्री जी, अंग्रेज तो हिन्दुस्तान से बहुत पहले चले गये लेकिन जो शराब है, अंग्रेजी शराब है, आज भी इस प्रदेश में चलती है। माननीय बाजपेयी जी ने इस सम्बन्ध में कि सुझाव दिया है। वह कह रहे हैं कि अंग्रेजी शराब के नाम पर कोई दूसरा नाम रख दिया जाय। मैं तो अच्छा समझता हूं कि अंग्रेजी शराब की बोतलों का लेबिल बदल कर उसकी जगह 'इंन्दिरा शराब' रख दिया जाय। इससे इंन्दिरा गाँधी के नाम का प्रचार भी हो जायेगा।

श्री रियासत हुसैन—

यह सुझाव अच्छा है, इससे प्रचार भी हो जायेगा और वोट भी मिल जायेंगे।

श्री राम धनी—

हमारे कटौती के प्रस्ताव पर हमारे साथियों ने खुले दिल से समर्थन किया है उनका मैं आभारी हूं। मैं पुनः अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और मन्त्री जी से मैं आग्रह करूंगा कि वे अपने आबकारी के बजट को वापस करके घोषणा करें कि इसका पैसा वे मद्यनिषेध में इस्तेमाल करेंगे।

श्री वासुदेव सिंह—

अधिष्ठाता महोदय, मैंने उभय पक्ष के माननीय सदस्यों को सुना। मैं उनका अनुग्रहीत हूं कि उन्होंने अपने सुझावों से मुझे लाभान्वित किया। मैं माननीय सदस्यों के बहुमूल्य सुझावों का स्वागत करता हूं। और उन्हें जो कुछ भ्रम है उसकी मैं विवेचना करूंगा और उनकी जो इच्छा है उसके बारे में अपना मन्तव्य करूंगा।

अभी एफलुयेंट की बात कही गयी तो इसके सम्बन्ध में निर्देश दे दिए गये हैं। उसके विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय का स्टे है। लेकिन स्टे को, स्थगन को शून्य करने की कार्यवाही की जायगी। जो नीलामी के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने कुछ बातें की है, वह बहुत प्रभावी नहीं है। एकाधिकार को सीमित करने की दशा में प्रभावी नहीं है तो मैं उनको आश्वस्त करूंगा कि यह पहला कदम है, अतः है इति नहीं। हमने यह कोशिश की है कि जो भुगतान क्षमता सम्बन्धी सालवेंसी जिसे कहते है, उसका एक ही जगह पर उपयोग करें। जहाँ नीलामी हुई थी, वहाँ बहुत सख्ती की गयी थी। पहले जो धींगा मुश्ती होती थी, वह समाप्त की गयी है। वहां की स्थितियों को देखते हुए लगता है कि थोड़ी बहुत कामयाबी जरूर हुई है। हमारे विभाग का यह आदेश तमाम, सभी जिलाधिकारियों को दे दिया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि देशी शराब, भांग तथा मदिरा की दुकानें किसी पवित्र स्थान पर मन्दिर और मस्जिद के पास न लगावें। जो दुकानें वहाँ होंगी और हमें पता दिया जायगा तो मैं आपसे कहता हूं कि हमें एक सेकेण्ड नहीं लगेगा उस दुकान को वहाँ से हटवाने में।

इसी प्रकार से शैक्षिक सस्थाओं के बारे में जहाँ विद्यालय हों, यही हमारा प्रयास रहेगा। मैं स्वंय आपको बतलाता हूं कि आनादेव में एक छठी क्लास का

बालक मुझ से बात कर रहा था। जब उसका मुंह देखा गया तो वह पिए हुए था क्योंकि दुकान वहीं थी, नजदीक थी। मैं आप को बताना चाहता हूं कि जो शिक्षा सस्थायें हैं उनके निकट शराब की दुकानें नहीं खोली जायेंगी।

श्री कुबेर भण्डारी—

इनकी सरकार शराब बेचने की समर्थक है।

श्री वासुदेव सिंह—

आप मुझे जोश न दिलायें। मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सरकार जब थी, तो उसने कौन सा तीर मार दिया था। आप की सरकार में शराब को लेकर जो मोरार जी देसाई अवतरित हुए वह बिलकुल इस बारे में नाकामयाब हुए। मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने देवबन्द, चित्रकूट जैसे धार्मिक स्थलों पर शराब की बन्दी कर रखी है। पर्वतीय क्षेत्रों में यह 1979 में लागू हुआ था, इसके अलावा हरिद्वार, वृन्दावन, ऋषिकेश, उत्तर काशी, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, चमोली, उत्तर काशी और टिहरी में शराब पूर्ण रूप से बन्द है और गढ़वाल में आँशिक रूप से बन्द है।

मान्यवर, अब मैं ताड़ी की दुकानों के बारे में बताना चाहता हूं। इसमें मान्यवर, एक विशेष जाति के लोग, हरिजन लोग हैं, वह इस काम में लगे हुए हैं, । इस पर शासन विचार कर रहा है। हमारे पास आवेदन पत्र आए हैं। गाजीपुर, बलिया और गोरखपुर में ताड़ी के बहुत अच्छे कार्यकर्त्ता और सामाजिक कार्यकर्त्ता हैं, उन की ओर से आवेदन-पत्र आए हैं, उन पर हम विचार कर रहे हैं। इन पर हम जो वृक्ष कर प्रणाली हैं, उसके आधार पर, निर्णय लेंगे। मैं यह जरूर कहता हूं कि जो कोई बात हो उसको आप हमारे संज्ञान में लायें, मैं उस पर त्वरित कार्यवाही करूंगा, लेकिन हाँ, वह प्रकरण कार्यवाही करने वाला होना चाहिए। मैं बताना चाहता हूं कि जनता शासन में आबकारी शुल्क 51.45 करोड़ रुपए था, यह बढ़कर अब तीन गुना हो गया है। राजस्व में लगभग ढाई गुना वृद्धि हुई है।

मान्यवर, अब मैं नशीली दवाओं के बारे में कहना चाहता हूं यहाँ पर कहा गया, मैं माननीय सदस्यों को बताना चाहता हूं कि यह आबकारी विभाग के कार्य से बाहर है, यह ड्रग विभाग के कार्यक्षेत्र में आता है। स्वास्थ्य मन्त्री जी इन नशीली दवाओं के बारे में कार्यवाही करने में सक्षम हैं। मेंड्रिक्स, अशोकारिष्ट, पुदीन हरा तथा और जो लिक्विड हैं, इन पर हमारे विभाग का कोई नियन्त्रण नहीं है। यह स्वास्थ विभाग के नियन्त्रण में आते हैं, और स्वास्थ्य मन्त्री जी इस पर विचार कर लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी, आप सदन की भावनाओं से स्वास्थ्य मन्त्री जी को अवगत करा देंगे।

श्री वासुदेव सिंह—

मैं पहले ही कह रहा हूं कि स्वास्थ्य मन्त्री जी ने जितने ड्रग इंस्पेक्टर हैं, उनको बुलाकर निर्देशित किया है और कहा है, वह मेरे पास आयेंगे। मैंने पूरी बात बता दी है। मैं स्वयं सचेष्ट हूं क्योंकि गल्ती कहीं भी हो, नशीली दवायें खाकर या औषधीय रूप में या भेषजीय रूप में जहर का इस्तेमाल हो रहा है। इस पर सम्पूर्ण शासन का ध्यान जाना चाहिए। स्वास्थ्य मन्त्री सक्षम हैं, वे मुझसे अलग नहीं है। हम सब एक हैं। एक बात यह कही गयी कि प्रदेश के बाहर से स्प्रिट युक्त दवायें बिना लाइसेन्स के आयीं। मैं बताना चाहता हूं कि ये दवायें बिना लाइसेन्स के नहीं आई हैं। न आ सकती हैं और न बेची जा सकती हैं। इसके लिए इन्टर स्टेट ऐक्ट है।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

कृपया समय का ध्यान रखकर मन्त्री जी अपने बात कहें, क्योंकि दूसरा विभाग भी है।

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, मार्च, 84 में आदेश जारी किए गये हैं कि किसी को 31—3—84 के बाद लाइसेन्स न दिया जाय। माननीय मोहन सिंह जी ने इस विभाग में सुधार करने की बात कही है। जैसे मदिरा पर शुल्क को

दर के बारे में उन्होंने कहा है। उनकी बात ठीक है। इस मामले को मन्त्रि परिषद् के समक्ष रखा गया था। यह स्वीकार नहीं हुई। सम्भवतः अन्य वस्तुओं के भाव जब कम हुए तो शराब के भाव भी उसी से जुड़े हुए हैं। क्योंकि यह मिलाजुला मामला है। जैसे दिल्ली की बात है।

हमारे पास जो विभागीय कार्यकर्ता हैं वे इस प्रकार है—11 आबकारी उपायुक्त हैं, 41 सहायक आबकारी उपायुक्त हैं, आबकारी अधीक्षक 39 हैं, आबकारी निरीक्षक 509 हैं, आबकारी सिपाही 1500 हैं। यह पूरे प्रदेश में है। इससे आप सहमत होंगे कि हमारे यहाँ स्टाफ कम है, अपने 57 जिलों को देखते हुए। इसलिए जो दिल्ली की बात कही गयी, वह कठिन है। हाँ, मैं यह सोच रहा हूं कि महाराष्ट्र की प्रणाली यहाँ लागू कर दी जाय। जैसा आपने कहा कि नीलामी इस तरह से हो। आपने अपने विचार व्यक्त किए। सरकार ने उस पर कोई फैसला नहीं किया। कैबिनट ने उसे हीं किया लेकिन मेरे मन में यह बात जरूर है कि और मैं उसे सदन में व्यक्त करना चाहता हूं। मैं सोच रहा हूं, मेरी रुझान है कि महाराष्ट्र की तरह सब बन्द करके तहसील में लाइसेन्स दे दिए जांय तो ठीक रहेगा। इससे भ्रष्टाचार कम हो जायगा . . .

(व्यवधान)

इससे यह होगा कि भ्रष्टाचार कम हो जायगा और मिलावट भी कम हो जायगी। जो बेचना चाहेगा तो जरूरत भर ही वह लेगा। सरकार बेचने की क्षमता नहीं रखती तो निजी तौर पर एक स्वयं सेवी संस्था के आधार पर इसको किस तरह किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। इस पर विचार मंथन और निर्णय करने की जरूरत हम समझते हैं।

एक बात और माननीय मोहन सिंह जी ने कुछ नयी प्रणाली लागू करने के बारे में कही। विभाग की कार्य प्रणाली को स्टाफ कालेज हैदराबाद से परीक्षण करने की बात कही तो विभाग के अभिनवीनीकरण कराने का विचार सक्रिय रूप से विचाराधीन है। आँकड़ों के रख रखाव आदि के लिए खुले कम्प्यूटरों की व्यवस्था करना हमारे विचाराधीन है। एक लीगल सेल विधि कोष्ठक भी कायम करने का विचार है। कर्मचारियों और अधिकारियों को सर्विस रिवाल्वर, पिस्टल आदि आग्नेयास्त्र उपलब्ध कराने की बात विचाराधीन है। छापों के लिए 24 मोटर गाड़ियों की व्यवस्था हमारे विचाराधीन है। इसी तरह स्टाफ के लिए आवास और कार्यालय की व्यवस्था भी सक्रिय रूप से विचाराधीन है। कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए ट्रेनिंग की व्यवस्था हम चाहते हैं। जैसे मुरादाबाद में पुलिस के लिए है, उसी तरह हमारे यहाँ भी ट्रेनिंग की व्यवस्था हो। और जो अधिकारी हैं, उनके लिए टेलीफून की व्यवस्था हो ताकि यातायात के माध्यम से ज्यादा प्रभावी काम वह कर सकें।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी, साढ़े तीन बजे दूसरे विभाग का बजट लेना है।

श्री वासुदेव सिंह—

तो मान्यवर, जो विचार माननीय सदस्यों ने व्यक्त किए हैं, उन सबका जवाब दे दिया है। इन शब्दों के साथ जो माननीय सदस्य कटौती प्रस्ताव रखे हैं . . . .

श्री कुबेर भण्डारी—

मैं यह जानना चाहता हूं कि देवरिया में गन्ना काफी होता है। वहाँ पर चीनी मिल ज्यादा हैं तो आप वहाँ पर एक शराब फैक्ट्री लगाने का लाइसेन्स देंगे?

बासुदेव सिंह—

यह तो विधान सभा की मर्यादा के विरुद्ध होगा, किसी एक चीज का लाइसेन्स यहाँ देना। आपने तो पहले बड़े आदर्श की बात की और अब यह कह कर उसे कुयें में गिरा दिया है।

श्री लालप्रताप सिंह—

क्या माननीय मन्त्री जी आगे आने वाले समय में प्रतापगढ़ को ड्राइ एरिया घोषित करने पर विचार करेंगे?

श्री वासुदेव सिंह—

सोचा है, देखेंगे। परन्तु पूर्ण वायदा नहीं हो पायगा।

श्री विद्या सागर नौटियाल—

मान्यवर, यह देखते हुए कि केदारनाथ बद्रीनाथ रूट पर गाड़ियों की दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा होती हैं और ज्यादातर दुर्घटनाएं इसलिए होती हैं कि चालक शराब पीकर गाड़ियाँ चलाते हैं। तो क्या माननीय मन्त्री जी आश्वासन देंगे कि यात्रा रूट में पहाड़ों के अन्दर शराब तत्काल बन्द करा देंगे ?

श्री वासुदेव सिंह—

मान्यवर, आँशिक रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में यह कार्य हो रहा है। नौटियाल साहब ने जो प्रश्न किया है, वह शायद वस्तुस्थिति जानते नहीं।

अन्त में माननीय सदस्य ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है। मैं उनसे निवेदन करूंगा वह उसे वापस ले लें। यह कोई अभूतपूर्व दृष्टाँत नहीं होगा और जो उन्होंने इच्छा प्रकट की, उसको दृढ़ता से करने की क्षमता प्रकट कर देगी।

श्री अधिष्ठाता—

क्या वापस ले रहे हैं ?

श्री रामधन —

कोई प्रश्न नहीं उठता है।

श्री श्यामलाल बाजपेयी—

मैंने एक बात कही थी, वह व्यवस्था की सूचना में ही चला गया। मैं पुनः यह जानना चाहता हूं कि जो उनके विभाग द्वारा अंग्रेजी शराब या विलायती शराब के नाम पट लगे हुए हैं, उन नाम पटों को समाप्त करके कोई भारतीय नाम रखेंगे ? जैसे सुरा है या कोई और नाम रख दें। विलायती शराब या अंग्रेजी शराब माननीय प्रोफेसर साहब के अधीन लिखा जाय, यह उचित नहीं लगता।

श्री वासुदेव सिंह—

मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं। अर्द्ध सामन्तवादी, अर्द्ध उपनिवेशवादी व्यवस्था के चलते अंग्रेजियत मानसिकता चलेगी। उसके चलते वह अभी सम्भव नहीं है। हजरतगंज में सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो हमारे मानस में घुसी अंग्रेजी की दासता और अर्द्ध सामन्तवादी व्यवस्था के अन्दर वह सम्भव नहीं है। लेकिन माननीय सदस्य ने जो कहा है। उनके हृदय के उदगार के प्रति मैं जागरूक और सचेत हूं। और उससे हमदर्दी रखते हुए मैं उनका आह्वान करता हूं कि थोड़ी बची खुची अंग्रेजी को समाप्त करने में वह जल्द कार्यवाही करेंगे, तो मैं उनके नेतृत्व में काम करने के लिए तैयार हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय सदस्य क्या अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं कि नहीं ?

श्री रामधनी—

मैं वापस नहीं लेता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 1 आबकारी विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–1 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,78,74,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 32 पर्यटन विभाग तथा अनुदान संख्या 55–विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग

पर्यटन राज्य मन्त्री (कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा)—

श्रीमन् मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–32 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43,28,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55—विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,38,31,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

श्रीमन्, मैं पहले पर्यटन विभाग के बारे में निवेदन करूंगा कि क्योंकि यह विभाग बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है। यह हमारे देश और राष्ट्र की संस्कृति, बोलचाल, रहन-सहन आवागमन, और शिक्षा को एक में जोड़ने का एक महत्वपूर्ण मुख्य माध्यम है। हमारे देश और उसमें विशेषकर उत्तर प्रदेश में हमारे जो विशेष ऐतिहासिक महत्व के स्थान हैं, इसके बारे में उत्तर प्रदेश बड़ा धनी है। हमारे यहाँ अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान और धार्मिक स्थान हैं। देश और प्रदेश में विशेषकर जो हिन्दू और मुसलमान भाई हैं और जो बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं और अन्य सारे धर्मों के अनुयायियों के बारे में हमारे यहाँ हर जगह बड़े-बड़े ऐतिहासिक और तीर्थ स्थान उपलब्ध हैं।

मान्यवर, पर्यटक प्राकृतिक सौन्दर्य के बारे में जो पर्वतीय क्षेत्र हैं और जो मैदानी क्षेत्र हैं साथ ही जो वनों की खूबसूरती और जो बहुत सारे जलाशय व नदियाँ हैं, वह अपने यहाँ हैं। हमारे देश में जो उत्तर प्रदेश की भूमिका आजादी की लड़ाई के लिए रही है, वह अद्वितीय रही है और इसके लिए भी हमारे तमाम स्वतन्त्रता संग्राम वीर सेनानियों ने अपनी अहम भूमिका निभाई है और उन सब को लेकर जो आज हमारी स्थिति है उसे ऐतिहासिक महत्व से आज की पीढ़ी के लोग भूल रहे हैं, भ्रमित हो रहे हैं। आवश्यकता है कि समाज में कैसे चेतना और जागृति पैदा की जाय। इसके लिए आवश्यक है कि हमारा जो पर्यटन विभाग है वह थोड़ा सक्रिय रूप से कार्य और योगदान करे और लोगों में चेतना और जागृति पैदा करने के लिए अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ायें। इस उद्देश्य को लेकर, हमारे जो पर्यटन स्थान हैं वह एकता के प्रतीक हैं। हमारे विद्वानों ने कहा है कि श्री राम ने उत्तर को दक्षिण से जोड़ने का काम किया है और श्रीकृष्ण ने पश्चिम को पूर्व से जोड़ने का सुन्दर प्रयास किया है। हमारी संस्कृति एक है और हम एक होकर चलते रहे हैं। लेकिन आज स्थिति थोड़ा बदली है। हमारा देश और समाज, विशेषकर गुलामी के समय में और उसके बाद भी जब आजाद हुआ, अब हम कुछ भटक गये। उस भटकाव से बचने के लिए आवश्यकता है कि हमारा यह जो पर्यटन विभाग है, हमारे जो धार्मिक और ऐतिहासिक स्थान हैं, उनको जनता के सामने उजागर करें। ऐसा प्रयास किया गया है कि लोग ज्यादा से ज्यादा चलकर इन स्थानों पर जाकर अपना ज्ञानवर्द्धन करें और हम अपने रास्ते से विचलित न हों। इस प्रकार यदि एक विभाग एक उद्देश्य से काम करता रहे तो भी कोई काम नहीं चलेगा।

हमारे प्रदेश के अलावा, कश्मीर और हिमाँचल प्रदेश आदि ऐसे प्रदेश है, जिन्होने पर्यटन विभाग को अपने प्रदेशों में उद्योग के रूप में विकसित किया है और अपनी आमदनी के मुख्य स्रोत के रूप में उसकी आय को प्राप्त किया है। इसी हिसाब से हम चाहते है कि इसकी जानकारी करने के लिए भी आवश्यक है कि लोगों में चेतन और जागृति पैदा की जाय और विभाग इसके लिए पूरी तरह से तैयार है। पुस्तकों, पोस्टरों और विज्ञापनों के जरिए तथा टी0वी0 व फिल्मों के जरिए सभी ऐसे महत्वपूर्ण धार्मिक, ऐतिहासिक और सुन्दर स्थलों को लोगों में प्रचारित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस बात का प्रयास किया जा रहा है कि लोगों को अपने देश की प्रगति की जानकारी हो, ताकि उनमें चेतना और जागृति पैदा हो, ताकि जनसाधारण को ज्ञान हो सके कि शासन के द्वारा कौन-कौन से प्रगति के कार्य और विकास के कार्य हो रहे हैं, उनकी जानकारी भी उनको मिल सके। इसके लिए और भी प्रयास किया जा रहा है, हमारे जो बहुत सारे मेले लगते है, उनमें प्रदर्शनी के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, प्रयास किया जाता है कि लोगो

में जानकारी पैदा हो और लोग प्रोत्साहित होकर पर्यटन का लाभ उठायें। इसके लिए प्रदेश के बाहर भी प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ भी जानकारी दी जाय, जानकारी दिलाई जाय और हमने इस उद्देश्य से बम्बई, मद्रास, कलकत्ता, दिल्ली, चन्डीगढ़, अहमदाबाद आदि में अपने तमाम कार्यालय खोले हैं ।

हमारे यहाँ विदेशियों के लिए पर्यटन का विशेष आकर्षण है, तमाम विदेशी पर्यटक प्रतिवर्ष हिन्दुस्तान में आते हैं। उनको हर तरह की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश के बाहर इस प्रकार के कार्यालय खोले गए हैं ताकि उनको यहाँ आने में किसी प्रकार की असुविधा न हो। इसलिए सोचा गया है कि स्थान-स्थान पर उनके लिए होटलों की व्यवस्था कर दी जाय शासन की ओर से और मार्ग में बीच-बीच में रुकने के लिए जो सुन्दर स्थान हैं वहाँ पर मार्गीय व्यवस्था भी की गयी है और यातायात व्यवस्था भी यथा सम्भव करने का प्रयास किया गया है। किन्तु उसके लिए शासन स्तर पर सारी व्यवस्था करना सम्भव नहीं है, इसलिए जो प्राइवेट होटल हैं उनको भी प्रोत्सहित किया जा रहा है। हम उनको भी ऋण आदि की सुविधाए देते हैं और पर्यटकों के लिए जगह-जगह होटलों की व्यवस्था कराते हैं ।

यातायात की भी समुचित व्यवस्था विभाग के पास नहीं है। इसलिए प्राइवेट बसों की व्यवस्था की जाती है । जिनके पास समय कम है और वे पर्यटक स्थलों को देखने जाना चाहते हैं, तो उसके लिए हवाई जहाज से आने जाने की व्यवस्था मुख्य जगहों के लिए की है। दिल्ली से आगरा, लखनऊ, गोरखपुर, वाराणसी, देहरादून, पन्तनगर आदि सुविधापूर्वक हवाई जहाज से जाया व आया जा सकता है।

आने-जाने की सुविधा के लिए पर्यटक अपनी इच्छानुसार मुख्य-मुख्य स्थानों पर जा सकें यथासम्भव सुविधा उपलब्ध कराने हेतु इस विभाग के पास अपनी भी 6 डोलक्स बसें हैं । एक वातानुकूलित बस है, 6 एम्बेसेडर हैं, और 3 टोयोटा कारें हैं ।

श्री गोपीनाथ मिश्र---

मान्यवर, कोरम नहीं है ।

(कोरम के लिए घटी बजाई गयी तथा गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

कुंवर शिव नाथ सिंह कुशवाहा--

श्रीमन्, पर्यटकों के लिए जो आवासीय सुविधाएं देना चाहते हैं, उसमें छठी पंचवर्षीय योजना में हम 644 शैय्याओं की सुविधा मैदानी क्षेत्र की आवासीय इकाइयों में कर रहे हैं। इसी तरह से पर्वतीय क्षेत्र में 1560 शैय्याओं की सुविधा देना चाहते हैं और 24 स्थानों में मार्गीय सुविधा देने का लक्ष्य तय किया गया है। विकास के काम को, जो अलग-अलग पड़े हुए महत्व के स्थान हैं, जो अब तक साधन की कमी की वजह से किन्हीं कारणों से, जिनका समुचित विकास नहीं हो सका, उसमें कुछ हम कर नहीं सके, तो उन स्थानों को भी विकसित करने का व्यापक पैमाने पर हमारी योजना है और विशेष कर उन योजनाओं के तहत हमारे यहाँ जैसे अयोध्या में एक राम की पौड़ी बनाने के लिए निर्णय किया गया है। उसका कार्य प्रारम्भ हो रहा है। अयोध्या से चित्रकूट तक का जो राम वन गमन पथ है, उसके विकास के लिए भी एक व्यापक योजना है। उसके लिए भी कार्य प्रारम्भ हो रहा है। यात्रा परिपथ की नई व्यवस्था है इसलिए जैसे बौद्ध परिपथ के लोग वहाँ पर आते हैं, वह सभी जगह जाना पसन्द नहीं करते हैं, जैसा कि महात्मा बुद्ध के जहाँ-जहाँ पर मुख्य प्राचीन स्थल हैं, उनके लिए एक योजना बनाई गयी है। बौद्ध पर्यटकों को वहाँ ले जाने की व्यवस्था की गयी है ।

इसी तरह से पहाड़ों में और वनों में भी आने-जाने वाले लोगों के लिए परिपथ की व्यवस्था सरकार की तरफ से की गयी है। रेजीडेंसी लखनऊ और सिकन्दरबाग में प्रकाश की व्यवस्था की गयी है, जहाँ पर लाइटिंग करके वहाँ की व्यवस्था ठीक की जायगी। आगरा में ध्वनि एवं प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है, ताकि वहाँ का ऐतिहासिक महत्व पर्यटकों के लिए बन

रहे। इस पर करीब 50 लाख की लागत आयेगी। यह व्यवस्था पर्यटकों के लिए की गयी है। फतेहपुर सीकरी, ब्रजभूमि श्रावस्ती, कुशीनगर, कपिलवस्तु में भारत सरकार द्वारा विस्तृत योजना विकास हेतु बनाई जा रही हैं तथा पर्यटक आवास गृहों के लिए फतेहपुर सीकरी में भूमि की व्यवस्था हो गयी है। सौंदर्य करण हेतु तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। विशेषकर 11 लाख रुपए की लागत से फतेहपुर सीकरी में पानी ले जाने हेतु जो चार किलोमीटर दूरी से व्यवस्था करना पड़ती थी, उस समस्या को हल करने के लिए एक रूप-रेखा बनाई गयी है। ब्रजभूमि में गोवर्द्धन परिक्रमा के विकास के लिए योजना चल रही है। श्रावस्ती पर्यटन विकास सम्बन्धी योजना की कार्यवाही चल रही है और उसके लिए भूमि प्राप्त कर ली गयी है। कुशीनगर में पर्यटक विकास योजना बनाई जा रही है, विशेष कर वाराणसी में जो घाट हैं, उनमें 30 घाटों का जीर्णोद्धार किया जायगा वहाँ पर रोशनी, शौचालय, बैठने की व्यवस्था कपड़े बदलने का स्थान, सुन्दरीकरण, नालियाँ, खड़ंजे, सुलभ शौचालय वगैरह की एक व्यापक व्यवस्था की जा रही है। दो साल में करीब 30 घाटों के निर्माण की व्यवस्था एवं उनके जीर्णोद्धार करने की व्यवस्था की जायगी। एक विशेष बात है कि आगरा में एक यूथ होस्टल बनाने की व्यवस्था है। अब आगरा में 100 शैय्याओं का एक यूथ होस्टल बनने जा रहे हैं। उसकी भूमि उपलब्ध हो गयी है, इसका कार्यक्रम शीघ्र ही प्रारम्भ कर दिया जायगा।

एक विशेष दिक्कत यह आती है कि पर्यटन विभाग स्वयं अगर इन सारे के सारे निर्माण कार्यों को करना चाहे तो यह कर नहीं सकता, जैसे सिंचाई विभाग, वन विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, नगर विकास विभाग, परिवहन बिभाग और अन्य तमाम सारे विभिन्न विभागों से उनके सहयोग की आवश्यकता है। इन्हीं सब विभागों से मिलजुल कर यह सारी योजनायें हम चला सकेंगे, अन्यथा मुश्किल आती है। यही कारण है कि जो हमारी योजनाओं का समय पर कार्यान्वयन नहीं हो पाता है, जो हमारा विभाग है, जिसको हम चाहते हुए भी समय से नहीं कर पाते हैं। इसका जो विकास कार्य है, वह सब इन विभिन्न विभागों के सहयोग से ही सम्भव है, जैसे हमारे जो निर्माण कार्य हैं उसमें हमें सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। उनके पास समय की कमी के कारण, कार्य की अधिकता के कारण, चाहते हुए भी सारे कार्य पूर्ण नहीं कर पा रहे हैं। प्रयास यह है कि सबसे सामंजस्य स्थापित करके, इन योजनाओं को जल्दी से जल्दी पूरा कराया जाय। ताकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति समय से कर सकें। तमाम जनमानस को इससे लाभान्वित कर सकें। हमारे माननीय सदस्य जो सुझाव देंगे, पर्यटन के बारे में, उसके बारे में शासन सोचेगा और हर सम्भव सुधार करने का भरपूर प्रयास करेगा।

दूसरे जो पर्यावरण विभाग है, विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग, जिसका बजट सदन के सामने पेश किया है, वह बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है। सबसे अधिक विकास के लिए, हमें ऊर्जा की नितान्त आवश्यकता होती है। बगैर ऊर्जा के न उद्योग धंधे चल सकते हैं, न आर्थिक सुधार कर सकते हैं, न विकास कर सकते हैं। हमारी जो मुश्किल आती है, जो योजनाएं हैं, ऊर्जा सम्बन्धी जो हमारी आवश्यकताएं हैं, इसको देखते हुए शासन की तमाम सारी योजनाएं विचाराधीन होने के साथ-साथ 85–86 तक या इससे और आगे सन् 90 तक इनका क्रियान्वयन ऊर्जा की आवश्यक पूर्ति कर सकेंगे, ऊर्जा के स्तर पर।

आज हमारे गाँव की स्थिति क्या है। किस प्रकार से बिजली के अभाव में विकास कार्य अवरुद्ध हैं। इसको कैसे दूर किया जाय, हमारे वैज्ञानिकों की पिछड़े हुए क्षेत्रों का विकास करने के लिए ही शासन के ने वैकल्पिक ऊर्जा संस्थान का गठन 82-83 में किया। इसकी योजनाओं की उपलब्धता अति महत्वपूर्ण है। इसके लिए हमारे वैज्ञानिकों ने जो खोज किया है, जो अतिरिक्त ऊर्जा के स्रोत जुटा सकते हैं,

वह है बायोगैस ऊर्जा, सौर गैस ऊर्जा और पवन ऊर्जा के जरिए से साधारण तौर पर बिजली उपलब्ध करा सकते हैं। इसके लिए प्रारम्भ में जो गाँव की चार दिक्कतें हैं। गाँव में विशेषकर हमारी महिलाएं शौचालयों के अभाव में बाहर जाती हैं और रास्तों, सड़कों की खाली जगह पर पाखाने के लिए बैठती हैं, बराबर लोगों के आने-जाने से उठक-बैठक करनी पड़ती है और उनका पेट खराब होता है। इससे महिलाएं बीमारी का शिकार हो जाती हैं। दूसरी दिक्कत खाना बनाने की है। अब तक खाना बनाने में लकड़ी का ईंधन प्रयोग होता है। लकड़ी का ईंधन इस्तेमाल करने से जो धुंआ निकलता है, वह आँखों को बहुत प्रभावित करता है। हमारे पास जो आँकड़े हैं इसके अनुसार हिन्दुस्तान में जितने अन्धे हैं उनमें 2/3 महिलाएं अन्धी हैं। तीसरी दिक्कत पानी की आती है, अच्छा पानी न मिलने के कारण स्वास्थ्य पर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ता है। इसके लिए ऊर्जा विभाग ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। नमूने के तौर पर हम शुरुआत कर रहे हैं। प्रारम्भ में 9 जिलों में 16 काम्पलेक्स खोलने जा रहे हैं। प्रत्येक काम्पलेक्स पर 8–10 लाख रुपए का खर्च आयेगा। जिसमें एक गाँव को पूरी रोशनी देंगे, पानी पीने को देंगे, खाना बनाने का कनेक्शन देंगे। शौचालय बनायेंगे।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

कहाँ बनाने जा रहे हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

सुझाव दे दीजिएगा, मन्त्री जी उत्तर दे देंगे।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

बायो गैस प्लान से बड़ी सुविधा होगी। धुएं रहित चूल्हे तैयार किए गये हैं। सौर गैस से पानी गर्म करने, अनाज सुखाने का काम करेंगे। यह चूल्हे आपके मीराबाई मार्ग के गेस्ट हाउस में भी लग गये हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मन्त्री जी, जहाँ माननीय सदस्यों के परिवार रहते हैं, वहाँ भी चूल्हे लगवाने की कृपा करें।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

मान्यवर, 33 3 प्रतिशत सब्सिडी केन्द्र सरकार देती है और इतनी ही सब्सिडी प्रान्तीय सरकार देती है। यह एक तिहाई मूल्य में चूल्हे आसानी से मिलते हैं। अब तक 45 सौ चूल्हे वितरित किए गये हैं और अगले वर्षों में पाँच हजार चूल्हों का लक्ष्य है। वायु-पम्प के बारे में कहना चाहूंगा कि हमारी पवन चक्की चलती है, हवा के जरिए पंखे चलते हैं, उसमें हमें कुयें से पानी निकालकर पीने के लिए या सिंचाई के लिए आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं। इसी तरह से सुलभ शौचालय हैं। सुलभ शौचालय बनाने के लिए बायोगैस से इंजन चलाकर थोड़ी बिजली आसानी से पैदा कर सकेंगे। सस्ते दाम पर मकान बनाने की रूपरेखा भी तैयार की गयी है। सस्ते दाम पर मकान बनाने के लिए नया तरीका निकाला गया है। इसके बाद किसानों के लिए बैलगाड़ियों की उपयोगिता की बात है। कृषकों की सुविधा के लिए अब ऐसी बैलगाड़ियाँ तैयार की गयी हैं जो सस्ती होंगी व हल्की चलेंगी। प्रदेश के बहुतायत गाँव अभी भी ऐसे हैं जहाँ महिलाएं चक्की से आटा पीसने का काम करती हैं। उनके लिए ऐसी चक्कियाँ, हल्की चलने वाली तैयार की गयी हैं, जिससे आसानी से आटा पीसा जा सकता है। इसी प्रकार से पानी खींचने का यन्त्र तैयार किया गया है। जो हमारे खेती सम्बन्धी उपकरण हैं, वह विभिन्न प्रकार के आधुनिक ढंग के बनाए गये हैं।

काम्पलेक्स के साथ प्रोद्योगिक इकाई भी है। जैसे पत्ते से प्याली बनाने की मशीन तथा रस्सी बनाने की मशीन। रस्सी बनाने का कार्य मशीन के जरिए किया जायगा। 12 तकुए का चरखा तैयार किया गया है। उसको पैर व हाथ से चलाकर 30–40 रुपए तक की मजदूरी आदमी आसानी से कर सकता है। इसी तरह से ऊन कातने की मशीन और धान कूटने की मशीन है। मान्यवर, इस तरीके से मशीनें तैयार की गयी हैं जो जनसाधारण के लिए विशेषकर लाभकारी होंगी। पिछले दिनों

हमारे मा0 सदस्य आमतौर पर शिकायत करते थे। जैसे खांडसारी यूनिट में रिकवरी 6 प्रतिशत से कम आती है। अब नए सोलर से खांडसारी यूनिटों में .7 की रिकवरी ज्यादा होगी।

इसके अलावा एक विशेष प्रकार की भट्टी तैयार की गयी है। जिससे ईंधन की भारी बचत होगी और तमाम भट्टियों में ईंधन का खर्चा कम आयेगा। इसी तरह से बैल चालित लघ् पम्प तैयार किए गये हैं। जो बैल चलाने से आसानी से अधिक पानी फेंकते हैं। इस प्रकार से 28 किस्म के कृषि औजार तैयार किए गये हैं। यह किसानों को विभिन्न जिलों में उपलब्ध कराए जायेंगे। यह जो 28 किस्म के कृषि यन्त्र विशेष किस्म के तैयार किए गए हैं, जो किसानों के लिए खासतौर पर लाभकारी सिद्ध होंगे। हमारे सोलर कुकर की व्यवस्था जैसा कि माननीय सदस्य ने बताया वर्ष 1983–84 में 4,500 कुकर विक्रय हुए हैं और वर्ष 1984–85 के लिए 5,000 का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें 33 प्रतिशत सब्सिडी भारत सरकार से और 33.3 प्रतिशत प्रान्तीय सरकार से है, इस प्रकार एक तिहाई में आसानी से ये कुकर मिल सकेंगे। उजाला कार्यक्रम के अन्तर्गत एक रूपरेखा बनाई गयी है। जिसमें प्रथम लक्ष्य के अन्तर्गत 100 गाँवों में रोशनी देने की योजना है। इन गाँवों में स्वयं बिजली तैयार करके 100 गाँवों में रोशनी दी जायगी और एक गाँव में 10 खम्भे लगाने की योजना है। इस प्रकार 100 गाँवों के लिए यह योजना तैयार की गयी है।

सोलर पावर हीटर, जैसाकि जिक्र किया गया है यू0पी0 निवास में लगा हुआ है और यहाँ पर भी लगा हुआ है और इसको बड़े शहरों में लगाने की योजना है, जो कायदे से चल रही है। धुंआ रहित चूल्हा के बारे में माननीय सदस्यों से जिक्र किया है। विण्ड पम्प के पंखों से पानी आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें लघु जल विद्युत योजना के अन्तर्गत जैसे पहाड़ों में झरने से बिजली तैयार करने की योजना है। वहाँ से बिजली छोटी-छोटी मात्रा में तैयार करके छोटे-छोटे यन्त्र चलाने का काम प्रगति पर है। इसमें बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। लखनऊ में नक्षत्रशाला के निर्माण की एक योजना चल रही है। ऐसी नक्षत्रशाला अभी तक उत्तर भारत में केवल कलकत्ता व इलाहाबाद में ही थी, प्रसन्नता है कि लखनऊ में लगाई जा रही है। इसके लिए जमीन वगैरह उपलब्ध करा दी गयी है। एक राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय की स्थापना की जा रही है। इसके लिए भूमि का बन्दोबस्त कर लिया है। विज्ञान प्रौद्योगिकी के अन्तर्गत नए उपकरणों के लिए शोध कार्य कर जनता को आधुनिक विज्ञान में स्वावलम्बी बनाने की योजना शासन के विचाराधीन है। इसके लिए वैज्ञानिक शोध पत्रिका का प्रकाशन किया जायगा, जिसमें टैक्नालाजी के बारे में जनता को भली प्रकार जानकारी देने की योजना बनाई गयी है। प्रौद्योगिक परिषद् के अन्तर्गत रिमोट सेंसिंग ऐप्लीकेशन्स सेंटर एक बहुत महत्वपूर्ण यूनिट कार्यरत है।

पिछले दिनों मथुरा में जहाँ तमाम पानी खारी है वहाँ के कुयें खारी हैं। वहाँ नई जगह जहाँ पानी मिलता है, 3–4 साल में वहाँ का मीठा पानी भी खारी हो जाता है। प्रसन्नता का विषय है कि इस विभाग के अन्तर्गत वहाँ 13 कुयें ऐसी जगह निकाले गए हैं, जहाँ का पानी मीठा है। वहाँ वैज्ञानिक ढंग से खोज की गयी। जहाँ मीठे पानी के कुयें मिले हैं इससे, वहाँ की पानी जैसी एक विकट समस्या आसानी से हल हो गयी। इसी प्रकार झांसी, ललितपुर और आगरा में भी पानी की जो समस्या है, इस विभाग द्वारा आसानी से उस समस्या का हल निकाल सकेंगे। साथ ही अन्य जो तमाम आँकड़े क्षारीय भूमि के आते हैं, वह कितने क्षेत्र में प्रभावकारी हैं, पहाड़ों में कितने वन हैं, यह सब आँकड़े आसानी से इस विभाग द्वारा आसानी से उपलब्ध हो सकते हैं, जमीन में किस प्रकार के कितने कंकड़ हैं, किस प्रकार की कहाँ कैसी धातु है, इसकी जानकारी आसानी से मिल सकती है। इसमें आशातीत सफलता मिली है। राजकीय वेधशाला, नैनीताल के

अन्तर्गत सौर भौतिकी एवं तारा सम्बन्धी भौतिकी शोध कार्य प्रगति पर है।

पर्यावरण के बारे में वायु प्रदूषण एवं जल प्रदूषण रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही की जा रही है। नदियों, जलाशयों में सर्वेक्षण हो रहे हैं। गन्दे नालों की दिशा में परिवर्तन करने की रूपरेखा का काम भी चल रहा है। आपके ही लखनऊ में दो नालों की दिशा बदलने की रूप रेखा का काम चल रहा है। आगरा में ताजमहल को प्रदूषण से बचाने के लिए हमें दो कारखाने बन्द करने पड़ा। मथुरा रिफाइनरी के जरिए जो प्रदूषण हो रहा है उसे भी दूर करने के लिए कार्य चल रहा है। जो प्रवाहित पानी है, उसके प्रदूषण को रोकने के लिए कार्य चल रहा है। उद्योग सूची में हमारे 258 उद्योग हैं, इनसे जो तमाम प्रदूषण होता है, उन विभिन्न प्रदूषणों को रोकने के लिए कार्य चल रहा है। ध्वनि से जो प्रदूषण होता है, उसे दूर करने के लिए कुछ योजनाएं बनाई जा रही हैं। इस प्रकार तमाम सारे कार्यक्रम हैं। इन सभी के लिए हमारे वैज्ञानिक सतत प्रयत्नशील हैं। प्रारम्भ में ही हमको सफलता मिली है, वह निहायत ही सराहनीय है। मेरा विश्वास है कि सभी माननीय सदस्य इसके मूलभूत बातों को देखेंगे और गाँवों के विकास तथा उनकी समस्या के निराकरण करने के लिए अपने अच्छे सुझाव देंगे ताकि उनकी समस्याओं का निराकरण आसानी से किया जा सके। और साथ ही साथ अन्य महत्वपूर्ण सुधारों को लाया जा सके।

*श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 32—पर्यटन विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य—विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।!

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 55–विज्ञान एवं प्रोद्योगिक विभाग के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन माँग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जितने भी अनुदान आज तक यहाँ पर आये हैं, वे सभी अरबों रुपए के थे। माननीय मन्त्री जी ने अपने विभाग की बड़ी तारीफ की और इसकी आवश्यकता भी है। यदि सरकार ने इस प्रदेश में विकास के कार्य किये होते तो जो आज यह इतने गुने घाटे का बजट यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं, उसे नहीं करते। इन्हें लाभ होता। 43 करोड़ रुपए इन्होंने माँगें हैं।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। माननीय श्री विष्ट जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है वह 43 करोड़ रुपये का रखा है या 43 लाख रुपए का रखा है ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मान्यवर, 43 लाख रुपए है। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि "चींटी क्या खाएगी और क्या हगेगी"। माननीय मन्त्री जी 43 लाख रुपए में क्या विकास करेंगे। उस पर इन्होंने पर्यटन निगम अलग से बना दिया। अच्छा होता कि इसे पर्यटन विभाग में ही रहने देते। सौभाग्य से मान्यवर, मुझ कुछ वर्ष पहले पश्चिमी जर्मनी जाने का अवसर मिला था। मैंने वहाँ देखा कि किस तरह से इन्होंने अपने यहाँ पर्यटन का विकास कर रखा है। पर्यटन विकास के लिए उन्होंने ज्यादा से ज्यादा गाँव के लोगों को अपने यहाँ पर्यटन गृह आदि बनाने के लिए छूट दी है, उनको पैसा दिया है। उन लोगों ने अपने मकान में उस ढंग से, जैसे उस विभाग ने नक्शा वगैरह बनाया है, नक्शा रखा है, सारी व्यवस्था कर रखी है, नहाने के लिए जगह बना रखी है, सोने का स्थान बना रखा है और तमाम साज-सज्जाएं कर रखी हैं, केवल भोजन करने के लिए लोग होटल में जाते थे। इससे दो आदमियों को लाभ हुआ है। एक तो मकान वाले का, जिसका वह मकान है और जिसने यह सुविधा उपलब्ध की थी, और दूसरे उस गाँव के होटल वाले का, जिसके यहाँ लोग भोजन करने के लिए जाते हैं। इसके

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अलावा वहाँ पक्की सड़कें थीं, कहीं धूल और धुआँ नहीं था ।

एक तरफ तो हम यह कहते हैं अपने यहाँ पर्यटन का विकास करना चाहते हैं। यह जो हमारा विभाग है, पर्वतीय क्षेत्र में माननीय मन्त्री जी आप जाते होंगे, देखते होंगे कि जब यहाँ टूरिस्ट जाता है, तो वहाँ को स्थिति देखकर सोचता है कि हम यहाँ अब दोबारा नहीं आयेंगे। इसका कारण है वहाँ धूल ही धूल है, कच्चे तो आपकी सड़कें हैं, अगर कहीं पक्का भी है, तो वह चौड़ी नहीं है। बाहर का टूरिस्ट वहाँ चलने में डरता है। कुछ तो गिर भी गये थे और उनकी मृत्यु भी हो गयी थी। आपने वहाँ कुछ होटलों को बना रखा है, जिनका आपने जिक्र किया। एक होटल बागेश्वर में मुझे देखने का मौका मिला। बागेश्वर जनपद अल्मोड़ा में है, उसको आपने साढ़े तीन लाख रुपया कर्जा दिया था। आपने उस नौजवान को फुसला लिया, आज उसकी यह दशा हो गयी है कि उसकी घर की कुर्की होने जा रही है। यह बेचारा दुखी है। इसके अलावा एक टूरिस्ट गृह देखने का अवसर मिला पिथौरागढ़ में। वह टूरिस्ट गृह ऐसी जगह बना है, जहाँ कोई टूरिस्ट नहीं पहुंच पाता। कारण, जाने के साधन नहीं है और न उसका कोई व्यापक प्रचार है। मान्यवर, हमारे प्रदेश में कई अच्छे स्थान है, लेकिन आपने वहाँ कोई सुख-सुविधा टूरिस्ट के लिए नहीं उपलब्ध की है। जिसकी वजह से लोग वहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। इसका भी कारण है। कारण क्या है ? 43 लाख का आपका बजट है, उसमें क्या आप विकास कर पायेंगे ? जितने दूसरे विभाग के बजट पेश हुए यहाँ, चाहे आबकारी विभाग का हो, पी0डब्लू0डी0 का हो, सिंचाई विभाग का हो, उसमें अरबों रुपए की माँग रखी गयी। आपका यह 43 लाख का बजट है, उससे क्या पर्यटन का भली प्रकार विकास हो सकता है ।

एक चीज और यह कहना चाहता हूं कि एक तो आपके विभागों में सामंजस्य नहीं है। आपके अल्मोड़ा में एक आवास गृह बना हुआ है। वहाँ सदैव पानी का अभाव बना रहता है। जल संस्थान उनको पानी नहीं देता है। बिजली विभाग जब चाहे वहाँ की बिजली बन्द कर देता है। तो वहाँ टूरिस्ट कैसे आयेगा। टूरिस्ट को आकर्षित करने के लिए यह जरूरी है कि उसके रहने की अच्छी व्यवस्था हो, उसकी सवारी की अच्छी व्यवस्था हो और उसको भोजन अच्छा मिले, शाक सब्जी अच्छी मिले, मनोरंजन की व्यवस्था हो, यह आप कर नहीं पाते हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि हमारे प्रदेश में बहुत से देखने लायक स्थान हैं, जिनके बारे में आपका विभाग कोई प्रचार नहीं करता है, जब तक उन स्थानों का आप भली प्रकार प्रचार नहीं करेंगे, तो पर्यटक आकर्षित उस तरफ कैसे होगा ? काश्मीर के बारे में बताना चाहूंगा कि काश्मीर के बारे में मैंने टेलीविजन में देखा कि वहाँ की स्थिति को इस ढंग से प्रचार करते हैं, चित्रों के माध्यम से और माध्यमों से कि वहाँ जाने की इच्छा होती है। छोटे-छोटे बच्चे भी उन दृश्यों को देखकर कहते हैं, कि पिता जी हमको काश्मीर दिखा लाइये, तो उसके क्या कारण हैं ? क्या काश्मीर से हमारे प्रदेश का वह हिस्सा, पर्वतीय अंचल, कम है ?

जब मान्यवर, मुल्क गुलाम था, तब हमारे स्वर्गीय गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने और कई बड़े-बड़े नेताओं ने कहा था कि जब हमारा मुल्क आजाद हो जायेगा, तो पर्वतीय अंचल को स्विटजरलैन्ड बना देंगे । स्विटजरलैन्ड तो बनना दूर है, उसकी वहाँ की क्या दशा हो रही है, यह आप जानते ही हैं। वहाँ के पर्यटन विकास की बाबत तमाम बातें कही जायेंगी, लेकिन उसे करेंगे नहीं। करेंगे भी कैसे, बेचारे मन्त्री जी का क्या दोष, 43 लाख रुपए में क्या-क्या कर सकते हैं ? आपको तो मन्त्री बना रखा है, अपने को बजट प्रस्तुत करना है। मान्यवर, यह सौभाग्य की बात है, मैं बधाई देता हूं कि यह बजट तो प्रस्तुत हुआ। पहले तो इसका बजट भी प्रस्तुत नहीं हुआ था। बार-बार इसकी बाबत प्रयत्न किया कि पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटन के विकास की बहुत गुन्जाइश है । इसमें हम बोलें, हम लोग बोलना चाहते है लेकिन उसका बजट,

ही प्रस्तुत नहीं हुआ। वैसे ही पास हो गया। आपने बजट प्रस्तुत किया, प्रदेश की जनता को मालूम हो गया कि आपने 43 लाख रुपए पर्यटन विकास के लिए दिया है।

मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। पर्वतीय क्षेत्र में फूलों की घाटी है। इसके विकास के लिए आपने क्या किया? जो प्रकृति ने दिया है, वही है, उसमें आगे तो सुन्दरता आपको लानी चाहिए थी। रानीखेत में पहले से ही जैसा था, वैसा ही है। अब आपने वहाँ पर मकान बनाए हैं, एक टूरिस्ट गृह भी बनाया है, हालाँकि अभी वह चालू नहीं हुआ है। एक पिंडारी ग्लैशियर है। वहाँ पर कलकत्ता से पश्चिम बंगाल से ज्यादातर लोग जाते हैं। उनको पहले लखनऊ आना पड़ता है। व्यवस्था ऐसी है कि रास्ते में ही उनकी जेब कट जाती है। लखनऊ के चारबाग में ही वे लूट लिए जाते हैं। उनके साथ मजबूरी यह है कि उनको यहाँ पर गाड़ी बदलनी पड़ती है। अगर आप सीधे गाड़ी काठगोदाम तक कर दें तो ऐसा न हो। अगर आप ऐसी व्यवस्था करें कि वे सीधे ही पिंडारी ग्लैशियर पहुंच जायं, तो बहुत अच्छा हो। उनको पहले दिल्ली जाना पड़ता है या लखनऊ आना पड़ता है और फिर वे काठगोदाम जाते हैं। वहाँ से बस ढूंढ़ते हैं, बसें ऐसी हैं परिवहन विभाग की कि कोई भरोसा नहीं। टैक्सी अगर करें तो बागेश्वर से कच्ची रोड है। कम से कम 5–6 दिन लग जाते हैं पैदल जाने में और रास्ते में कहीं ठहरने की व्यवस्था नहीं है। मैंने सुझाव दिया था कि आप छोलदारियाँ दे दें वहाँ के नौजवानों को। जो पढ़े लिखे लड़के इस काम को करना चाहते हैं, उनको सुविधा दी जाय। वे 10–10, 15–15 कि0मी0 में छोलदारियाँ, पलंग, बिस्तर आदि की व्यवस्था करेंगे। जिससे कि टूरिस्ट कम भाड़े में वहाँ पर रुक सकें और उन लड़कों को रोजगार भी मिलेगा।

कई माननीय सदस्य दक्षिण भारत भी गए हैं, सेतुबन्ध रामेश्वरम् गए हैं, गोवा गए हैं। अपने प्रदेश के बारे में जब वहाँ के लोगों ने बताया तो उनका सिर शर्म से झुक गया। क्या कारण है कि आप इस तरफ ध्यान नहीं देते। कुछ भी ऐसी व्यवस्था कीजिए। बहुत से लोग विदेशों में जाते हैं। हमारे जो संसदीय कार्य मन्त्री हैं, यह तो यूरोप के कई चक्कर लगाते हैं। क्या उत्तर प्रदेश सरकार भारत सरकार जो उनको विदेशों में भेजती है तो क्या केवल अपनी बीवियों को घुमाने के लिए भेजती है, या सीख कर आने के लिए भेजती है। मैं जानना चाहता हूं कि आपने 37 वर्षों में यह चीज तो पैदा कर लेनी थी कि उत्तर प्रदेश में कम से कम जेब नहीं कटेगी और आने वाले टूरिस्टों को सुख सुविधा मिलेगी। सुन्दरता तो आपको प्रकृति ने दे रखी है। अल्मोड़ा में एक स्थान है मोरमौल। मैं वहाँ पर गया था, श्री के0सी0 पन्त भी गये थे। वहाँ से हिमालय बिल्कुल नजदीक दिखाई देता है। कार्बेट में शिकार खेलने जाते थे। वहाँ पर जिला परिषद् का एक डाक बंगला है। वहाँ के चौकीदार ने बंगले की भूमि अपने नाम से कर ली। कारण क्या है? कारण यह है कि इन्होंने टूरिस्ट प्लेस के नाम पर उसका प्रचार नहीं किया। यह दो तीन जगह पर प्रचार करते हैं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय विष्ट जी, बहुत से सदस्य ऐसे हैं जो आपकी मदद करना चाहते हैं सुझाव देकर। अच्छा होगा यदि आप भी उनकी मदद कर दें, उनको एक मौका देकर। आपको फिर भी मौका मिलेगा, अब आप समाप्त करें।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

ऊर्जा के बारे में भी कुछ दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं देख रहा हूं कि ऊर्जा की कमी आप को नहीं है।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट—

मैं ऊर्जा के बारे में एक सुझाव देता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान है। मैदानी क्षेत्र में लकड़ी के अभाव के कारण लोग गोबर को जलाते हैं। बहुत दिनों से सरकार की ओर से गोबर गैस का प्रचार चल रहा है लेकिन यह प्रचार ही करते हैं खाली। जैसे हाथी के दाँत दिखाने के और होते हैं,

खाने के और। वैसे ही ये काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश में गोबर के कंडों से बहुत जगह खाना बनाया जाता है। जिससे करोड़ों टन गोबर बरबाद हो जाता है अगर यह खेतों में इस्तेमाल होता तो बरबाद न जाता। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहता हूं कि आपको जो धन मिला है तो आप उससे कितने गोबर गैस प्लान्ट लगायेंगे?

हमारे क्षेत्र में हाईफन योजना बनाने का प्रस्ताव था परन्तु धन के अभाव में वह बन्द हो गयी। गोबर गैस जोकि बहुत अच्छी चीज निकली थी, मैं पहली बार जब बम्बई गया तो वहां गैस के कारखाने को देखा। मैंने पूछा कि यह कैसे होता है तो वहाँ मुझे बतलाया गया कि सारे बम्बई की जो टट्टी आती है, उससे इस गैस को बनाते हैं। इससे बिजली भी जल रही थी। यदि आप इसे गाँव में भी बनाने का प्रयास करते तो क्या देश उन्नति नहीं कर सकता था?

आज हमारे देश में गाँव की महिलाएं रात के समय बाहर टट्टी के लिए जाती हैं, उनको सड़क के किनारे टट्टी के लिए जाना पड़ता है। जिस देश की प्रधान मन्त्री महिला हैं, उस देश की महिलाओं के लिए यह व्यवस्था है? आप बहुत चिल्लाते हैं कि हम महिलाओं का बहुत ध्यान रखते हैं। यदि आप उनका ध्यान रखते तो आज उनके साथ बलात्कार न होते और न रात में उन्हें बाहर सड़क के किनारे टट्टी के लिये जाना पड़ता। आप सरकार से पहले रुपये लें, उसके बाद कैसे सही मानों में गाँव का उत्थान होगा उसकी व्यवस्था करें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बाद में कह लीजिएगा। अभी समाप्त करें।

*श्री काशीनाथ मिश्र—

अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय शिवनाथ सिंह कुशवाहा ने जो टूरिज्म का बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं। मैंने बड़े ध्यान से सुना। माननीय मन्त्री जी की जो योजनाएं हैं पर्यटन के सम्बन्ध में, उसको बड़े विस्तार के साथ उन्होंने यहाँ पर रखा है। सही माने में विभाग का जो लक्ष्य है, उसके अनुरूप उनकी योजना थी। साथ ही साथ मैं माननीय मन्त्री जी से यह कहना चाहता हूं कि बहुत से माननीय सदस्यों के दिमाग में यह बात शायद होगी कि आधुनिक समय का अंग है। लेकिन मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि पर्यटन हमारी भारतीय संस्कृति का बहुत प्रचीन अंग रहा है। पर्यटन के उद्देश्य से ही हमारे पुराणों ने चारोधाम की व्यवस्था की थी। चारों धाम में हमारे समक्ष बद्रीनाथ का भी नाम आता है। बलिया से बद्रीनाथ तक के विस्तार का बहुत महत्व है। बलिया में भृगु का क्षेत्र है उसका महत्व इतना जबरदस्त है, जो प्राचीन इतिहास पढ़े होंगे वे जानते होंगे कि भृगु आदि ऋषि थे दक्षिण में। बाला जी तिरूपति के मन्दिर में जहाँ पर बाला जी की मूर्ति है, उसी के पास भृगु को भी स्थान मिला है। मैं कहता हूं कि इस विभाग का काम देश को एक कोने से दूसरे कोने तक जोड़ने का है। मैं मन्त्री जी की प्रशंसा करता हूं कि उन्होंने ऐसी योजना बनाई है। मेरा विचार है कि अयोध्या वन मार्ग जो चित्रकूट, श्रृंगबेरपुर, भारद्वाज आश्रम और बाल्मीकि आश्रम को जोड़े, बना दिया जाये और नासिक पंचवटी होते हुए रामेश्वर को चला जाय। इससे हमारे देश की एकता मजबूत होगी और उसकी एकता को बल मिलेगा। रामचन्द्र जी ने भारत की एकता की कल्पना की थी। उसको हमारा पर्यटन विभाग अयोध्या से लंका तक मार्ग बना कर सरकार कर सकती है। आज हमें इस विभाग पर ध्यान देना होगा, यह मार्ग बन जाय और इन स्थानों को जोड़ते हुए गाड़ियाँ भी चलें तो बहुत सराहनीय कार्य होगा।

मैं बताना चाहता हूं कि हमारे देश की संस्कृति घूमने की रही है, जो धार्मिक स्थल हैं, उनके भ्रमण करने की रही है। आज हमारे देश में विदेशी लोग आते हैं, विदेशी पर्यटक आते हैं, उनको आकृष्ट करने के लिए 5 सितारा होटल बनाए जाते हैं। इस विभाग की नैतिक जिम्मेदारी है कि मथुरा, वृन्दावन, अयोध्या आदि स्थानों का विकास करें और उनका सही रूप में संचालन करें। जो विदेशी लोग आते हैं ब

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

5 सितारा होटल देखने के लिए नहीं आते हैं, इस तरह के 5 सितारा होटल तो उन्होंने बहुत देखें हैं। वह हमारे देश में हमारी प्राचीन संस्कृति और सभ्यता को देखने के लिए आते हैं। मेरा सुझाव है कि आप धार्मिक स्थान पर पर्यटकों के रहने के लिए होस्टल बनायें, धर्मशालायें बनायें, जो सस्ते दर पर यात्रियों को सुलभ हो सकें और उनके ठहरने की कोई दिक्कत न हो। किसान मज़दूर और गरीब जो धार्मिक स्थलों पर जाते हैं, उनके ठहरने के लिए समुचित व्यवस्था नहीं है। सबसे पहली चीज यह है कि ऐसे स्थानों पर होस्टल या धर्मशालाएं बनाई जायें जो सस्ते दर पर यात्रियों को उपलब्ध हो सकें। बक्सर के पास उजियार घाट जो गंगा नदी के तट पर है, यहाँ पर राम चन्द्र जी ने ताड़ुका वध किया था, यहाँ पर टूरिस्ट गाँव बनाए जायें।

(श्री कुंवर सिंह नेगी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री अधिष्ठाता—

नेगी जी, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

*श्री कुंवर सिंह नेगी—

मान्यवर, मैं अपनी बात दो मिनट में ही समाप्त करता हूं। मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात समाप्त करता हूं। मान्यवर, हमारे यहाँ पर लोग धार्मिक यात्रा पर आते हैं और पर्वतारोहण के लिए सैलानी बनकर आते हैं। यहाँ पर देश विदेश के लोग आते हैं परन्तु उनको किसी प्रकार की सुविधा नहीं मिल पाती है और उनको कोई मदद नहीं मिल पाती है, इस कारण हम टूरिस्ट को आकृष्ट नहीं कर पाते हैं।

मान्यवर, मेरा एक सुझाव है कि पर्वतीय क्षेत्र में बद्रीनाथ और केदारनाथ के लिए लाखों की संख्या में यात्री जाते हैं। आप यात्रियों को ऋषिकेश से गाड़ी में बिठाकर वहाँ पर ले जाते हैं और फिर वापस वहीं पर ऋषिकेश में ले आते हैं। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि जब आप यात्रियों को बद्रीनाथ ले जायें तो वापस आते वक्त दूसरे रास्ते से उन्हें लायें। बद्रीनाथ से केदारनाथ, ऊखीमठ, तिलवाड़ा, कुमायूं, गढ़वाल और कोटद्वार के रास्ते यात्रियों को वापस लायें। इससे आने जाने में जो परेशानी होती है, वह भी दूर हो जायगी और दूसरी तरफ पर्यटक वहाँ की बहुत सी चीजों को देख भी सकते हैं। इसलिए विभिन्न मार्गों से आप पर्यटकों को ले जायं। उससे विभिन्न चीजों की जानकारी भी उन्हें हो जायगी।

पर्वतीय क्षेत्र में ऐसे दर्शनीय और पर्यटक स्थलों के लिए रास्ते बहुत खराब भी हैं और लम्बे भी हैं। ऐसा करने पर आपको भी सुविधा हो जायगी और लोगों को विभिन्न चीजों की जानकारी भी हो जायगी। वहाँ पर यातायात के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम की गाड़ियाँ हैं। उनसे आप पैकेज टूर प्रोग्राम बना सकते हैं। कुछ निश्चित स्थान हैं। जहाँ वे इधर-उधर से घुमाकर जो दर्शनीय स्थान हैं, वहाँ ले जा सकते हैं। उसके बारे में किसी को जानकारी नहीं होती। वैसे भी इस प्रदेश में जितने ऐसे दर्शनीय स्थान हैं, उनकी आपके विभाग द्वारा कोई पब्लिसिटी नहीं होती। हमारे यहाँ कुछ छोटे-छोटे स्थान हैं—जैसे बेदनी, बुग्याल, कुंवारी बुग्याल, पंवाली कांठा आदि फूलों की घाटियाँ हैं। बहुत सुन्दर स्थान हैं। अगस्त, सितम्बर के माह में यहाँ पर बहुत किस्म के फूल होते हैं। जोकि पर्यटक के लिए आकर्षण का केन्द्र बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त पिंहारी ग्लेशियर है, सहस्र धारा है, अनकों ताल हैं जैसे—रूपकुंड, ब्रह्मताल है, सहस्र ताल है। कितने ही ताल हैं, जिनके बारे में किसी को जानकारी नहीं है। इस पर आप एक डाक्यूमेंटरी फिल्म बनायें और उसको केवल इस देश में ही नहीं अपितु विदेशों में भी दिखाएं ताकि लोगों को जानकारी हो और ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट आकर्षित हों।

माननीय मन्त्री जी ने ताजमहल के बारे में कहा। अलीगढ़ विश्वविद्यालय में भारतीय वैज्ञानिकों की एक गोष्ठी हुई थी। उसमें यह कहा गया कि ताजमहल को प्रदूषण की वजह से खतरा पैदा हो गया है और यह सरकार उसको बचाने की कोशिश

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नहीं करेगी तो यह जो एक ऐतिहासिक महत्व की चीज है वह नष्ट हो जायगी। मेरा निवेदन है कि आप इस ओर ध्यान दें। माननीय मन्त्री जी ने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र में होटल बनाये जायं। मेरा कहना है कि यदि आप पर्यटन को उद्योग मानते हैं तो होटल व्यवसाय को भी ऐक उद्योग माना जाय। यदि आप पर्यटन को उद्योग के रूप में विकसित करना चाहते हैं तो होटल व्यवसाय को भी उद्योग मानें। केन्द्र सरकार ने तो होटल को उद्योग माना है परन्तु प्रदेशीय सरकार नहीं मान रही है। पर्वतीय क्षेत्र के परिपेक्ष्य में छोटे-छोटे होटलों को उद्योगों का दर्जा दिया जाय और और औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में जो सुविधायें दी जाती हैं, वह इस होटल व्यवसाय को मिलनी चाहिए।

श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस बजट पर बोलने का अवसर दिया . . .

(व्यवधान)

श्री विद्यासागर नौटियाल—

मान्यवर, आज दो विभाग थे और महत्वपूर्ण विभाग थे। उन पर साल में केवल एक बार बोलने का मौका मिलता है। तब हम दो मिनट में कैसे बोल सकते हैं। आप समय बढ़ा दें।

श्री अधिष्ठाता—

जो समय निर्धारित है उस समय तक तो पहुंचनें दे। उसके बाद सदन की इच्छा होगी तो वह पूरी की जायगी।

*श्री ईश्वर शरण विद्यार्थी—

मैं माननीय मन्त्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बेरोजगार योजना के अन्तर्गत यातायात और तमाम दूसरी चीजों की तरफ ध्यान दिया है। मैं समय न होने के कारण अपने क्षेत्र में कौशाम्बी की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। जहाँ पर देश और विदेश के पर्यटक आते हैं यह राष्ट्रीय ऐतिहासिक एवं धार्मिक महत्व का स्थान है और पर्यटकों के लिए एक आकर्षक स्थान है। लेकिन माननीय अधिष्ठाता महोदय मैं बताना चाहता हूं कि वहाँ के बारे में जिला स्तर की बैठक में भी उसके विकास के लिए कोई योजना नहीं दी गयी है और उसे इनके विभाग के लोग भूल गए हैं और उसका जिक्र तक इस बजट में नहीं किया गया है और उसके विकास के लिए कोई रुपया नहीं दिया गया हैं। लाखों रुपया इलाहाबाद विश्वविद्यालय की तरफ से इतिहास विभाग को इससे पहले दिया गया था, वहाँ पर खुदाई का काम करने के लिए। लेकिन वह बीच में ही रोक दिया गया है जिसके कारण वह जंगल के रूप में पड़ा हुआ है। वहाँ के लिए देश और विदेश के पर्यटक एम्बसेडर कार में जाते हैं लेकिन तीन कि0मी0 दूर उनको गाड़ी खड़ी करनी पड़ती है और पैदल कौशाम्बी नगर जाना पड़ता है। लेकिन वहाँ पर सूचना चिह्न नहीं लगा है कि वहाँ पर यह कौशाम्बी नगर है और उसके लिए कहाँ से रास्ता जाता है। मैं बताना चाहता हूं कि पर्यटन विभाग ने ऐसी जगहों को ले लिया है जिसकी कोई जानता नहीं है और उसके लिए लाखों करोड़ों रुपया खर्च किया जा रहा है। लेकिन कौशाम्बी की तरफ ध्यान नहीं दिया गया है। अतः कौशाम्बी को भी कुशीनगर जैसे स्थानों का जिस प्रकार विकास किया जा रहा है, इसका भी विकास किया जाय। यह भी उसी तरह बौद्धों का धार्मिक स्थान है जैसे कुशीनगर है। कौशाम्बी में सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर मार्गीय सुविधाएं और आवासीय सुविधा देकर सौंदर्यीकरण किया जाय।

इसी प्रकार एक अलवरा झील है, जो बहुत लम्बी है। मैं चाहूंगा कि अलवरा झील का सौंदर्यीकरण किया जाय। इसका विस्तार किया जाय और यहाँ के मार्गों को राष्ट्रीयकृत मार्ग घोषित किया जाय। जिससे उनका ठीक से निर्माण हो सकेगा और आने-जाने वालों को सुविधा मिलेगी। इससे कानपुर, लखनऊ और दूसरे तीर्थ स्थानों को जोड़ा जाय। मेहवाघाट में

*वक्ता न भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यमुना नदी पर जो राजापुर और चित्रकूट को जोड़ता है, एक पुल का निर्माण किया जाय। कौशाम्बी नगर में मेले और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाय। जिससे देश विदेश के पर्यटक यहाँ आयें और यहाँ के बारे में उनको जानकारी हो जाये। मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया।

श्री गोपीनाथ वर्मा—

मान्यवर, मैं दो तीन बिन्दुओं पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, पर्यटन विभाग काफी महत्वपूर्ण विभाग है और इस विभाग के लिए जो बजट आज प्रस्तुत किया गया है, वैसे तो उसका समर्थन करना चाहिए था लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियाँ हैं और कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से उसका समर्थन नहीं किया जा सकता है। जो रुपया इनको विगत वर्षों में दिया गया है, उसका ठीक से उपयोग नहीं हुआ है और जहाँ-जहाँ योजनाएं थीं, वह पूरी नहीं हुई। हमारे यहाँ अयोध्या और भरतकुण्ड के लिए भी आवास योजना थी वह पूरी नहीं हुई। अयोध्या जैसे पवित्र नगरी का सौन्दर्यीकरण किया जाय। हमारे फैजाबाद में इनका पर्यटन कार्यालय है, वहाँ पर एक टूरिस्ट आफिसर हैं, जिसका नाम याबर हुसैन जैदी है। वह कभी कार्यालय में नहीं बैठता है। वह पूरी तरह से राजनैतिक व्यक्ति तथा भ्रष्ट कार्य कर्त्ता है और वहाँ के एक साँसद हैं, उन्हीं के साथ हर समय रहता है। उसको वहाँ पर कई वर्ष हो गये। और वहाँ पर दलाली का काम करता है। इसकी जानकारी पर्यटन निदेशालय लखनऊ को है लेकिन कोई कार्यवाही उसके विरुद्ध नहीं होती है। जिससे विभाग में भ्रष्टाचार पनप रहा है। कई बार उसका स्थानान्तरण किया गया लेकिन उन्हीं स्थानीय साँसद के बल पर उसका स्थानान्तरण रोक दिया जाता है। मैं चाहता हूं कि ऐसे लोगों का जो विभाग को बदनाम करने के साथ-साथ भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, उनका स्थानान्तरण कर देना चाहिए, जिनको भी काफी दिन एक ही स्थान पर हो गए हैं।

आपके लखनऊ शहर में जो आपने गोमती होटल बना रखा है, वह पर्यटन विभाग का सबसे बड़ा होटल है और वहाँ का मैनेजर एक अयोग्य व्यक्ति है। जिसको शासन ने किसी के दबाव में आकर नियुक्त कर दिया। इसलिए मन्त्री जी इसकी जाँच करवायें और यदि अयोग्य पावें तो उसको वहाँ से हटायें और योग्य व्यक्ति की नियुक्ति करें। जिससे प्रदेश से जो पर्यटक यहाँ आते हैं उनको असुविधा न हो और अपने यहाँ लौट कर जाने पर उत्तर प्रदेश की गलत चर्चा न करें।

मान्यवर, अब मैं कहना चाहता हूं कि सौन्दर्यीकरण में जो इनके विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगे हैं, उसमें मन्त्री जी बजट को व्यवस्थित ढंग से खर्च के लिए ध्यान दें और अयोध्या के सौन्दर्यीकरण की योजनाएं बनायें।

*श्री राम नारायण पाठक—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे, जो मन्त्री जी ने बजट रखा है, उसके समर्थन में बोलने के लिए और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करने के लिए समय दिया। अधिष्ठाता महोदय, मैं पूरे सदन को एक ऐसी घटना बताना चाहता हूं जिसमें इधर और उधर दोनों पक्ष के सदस्यों का सर शर्म से झुक जायगा।

मान्यवर, 1947 के बाद आज तक ऐसी घटना इस देश में हुई है जिसका जिक्र मैं करना चाहता हूं कि 1947 के बाद इतनी सरकारें बनी लेकिन किसी ने कोई प्रयत्न नहीं किया कि बिठूर के बारे में कुछ सोचें। सिर्फ गोविन्द बल्लभ पन्त जी ने जरूर विचार किया था कि बिठूर ऐसा स्थान है, जहाँ 31 ऐतिहासिक घटनायें हुई हैं। आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि आजादी की पहली लड़ाई 1857 में बिठूर से नाना राव पेशवा और तात्या टोपे ने लड़ी और बहादुर लोगों ने देश को आजाद कराने की कोशिश की। उस ऐतिहासिक घटना के स्थान को जो "ब्रह्मवर्त" माना जाता है, दुनिया का केन्द्र बिन्दु माना जाता है। इतिहास में लिखा है कि वहाँ पूजा चढ़ाया

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जाता है। इस पृथ्वी का केन्द्र बिन्दु ब्रह्मवर्त है और वहाँ सीता का बनवास, लवकुश की लड़ाई आदि घटनाओं को देखें। जिसमें बाल्मीकि रामायण लिखी गयी, इस तरह की तमाम घटनायें वहाँ हुई हैं। वहाँ अश्वमेघ यज्ञ हुआ है। तो मैं कहना चाहता हूं कि 1959, 1969, 1973 में कई बार विदेशों में गया और इंग्लैन्ड, जर्मनी, फ्रांस स्काटलैन्ड और स्विटजरलैन्ड के लोगों ने कहाँ कि जो आजादी की पहली लड़ाई हुई वह कहाँ हुई, यह पर्यटन की लिस्ट में देखने को नहीं मिलता। मैं आभारी हूं कि जब मैंने मन्त्री जी को बताया कि कितने मन्त्री आये और गये पर्यटन के, लेकिन उनके कान पर जूं तक नहीं रेंगी और अधिकारियों से मैं कहना चाहता हूं कि उनको अपने मुंह में कालिख पोत लेना चाहिए। जब मैं मन्त्री था तो उस समय लिखकर भेजा, विश्वास दिलाया गया कि यह काम करेंगे लेकिन कुछ नहीं किया।

मैं आपके माध्यम से अखबार वालों से निवेदन करूंगा कि वह इस बात की जानकरी करें कि 1857 की लड़ाई इसी स्थान पर हुई। मन्त्री जी से धन के लिए नहीं कह रहा हूं और जो दूसरे माननीय सदस्य बोले हैं, वह खर्चा बढ़ाने के लिए कह रहे हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पर्यटन की लिस्ट में बिठूर का स्थान जोड़ दें कि यहाँ स्वतन्त्रता की प्रथम लड़ाई लड़ी गयी थी। तब आप देखें कि दुनियाँ के लोग वहाँ आकर देखने आते हैं कि नहीं।

यह मैं मन्त्री जी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उसमें धन खर्च नहीं होगा, बल्कि आपको धन मिलेगा। यदि आप पर्यटन क्षेत्र में उसका नाम जोड़ देंगे। आपके इस कार्य से दुनिया को मालूम हो जायगा कि स्वतन्त्रता की पहली लड़ाई भारतवर्ष में सर्वप्रथम वहाँ पर लड़ी गयी थी। मेनावती जो कानपुर में जिन्दा घसीट कर लाई गयी थी और वहीं पर जलाकर मार डाली गयी थी। उसकी तरफ भी दुनिया के लोगों का ध्यान गया है। इसके बारे में भी हम लोगों को और दुनिया को मालूम होना चाहिए। उसका भी उस स्थान पर पर्यटन की लिस्ट में कोई नाम नहीं है। मेरा अनुरोध है कि पहले आप उसका पर्यटन की लिस्ट में नाम जोड़ दें, अन्य धन आदि की बात आप बाद में करें। मैं साथ ही अपने अखबार वाले भाइयों से भी कहूंगा कि वह इस बात को इतने जोरदार तरीके से निकाल दें, जिससे सदन के दोनों तरफ के लोगों का सिर जो अब तक शर्म से झुका रहा है, वह ऊंचा हो जाय।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

श्रीमन, मैं आपका अत्यन्त अनुगृहीत हूं। बहुत थोड़े समय में मैं अपने कुछ सुझाव देकर अपना स्थान ग्रहण करूंगा। हमारे भारत वर्ष में नैमिष क्षेत्र का महत्व किसी व्यक्ति से छिपा नहीं है। चारों धामों की यात्रा करने के बाद जब तक तीर्थयात्री नैमिष यात्रा पूरी नहीं कर लेता है, तब तक उसकी यात्रा पूरी नहीं मानी जाती है। बिना उसकी यात्रा और दर्शन के वह चारों धाम यात्रा के पुण्य का भागी नहीं होता है। नैमिष वह पवित्र स्थल है, जहाँ पर एक समय 88 हजार ऋषियों ने बैठकर तपस्या की थी। अपनी कान्फ्रेंस की थी और उसके बाद जो सूत्र और सिद्धान्त निर्धारित किए थे, वह भारत के लिए ही नहीं सम्पूर्ण विश्व के लिए मार्गदर्शक सिद्धान्त हैं। उसमें पर्यटन की दृष्टि से कुछ किया जाय और जो किया गया है, उसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन उसके पास ही एक अन्य पुण्य स्थल मिश्रिख तीर्थ भी है। जहाँ पर विश्व कल्याण के लिए महर्षि दधीचि ने अपनी अस्थियों का दान किया था। महर्षि दधीचि जो पुष्कर तीर्थ के रहने वाले थे, ने धर्म की रक्षा के लिए जब अपनी अस्थियों को दान देने का निश्चय किया तो उन्होंने इस कार्य के लिए सबसे श्रेयस्कर स्थान भारतवर्ष में ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व जगत पर सबसे उत्तम स्थान मिश्रिख को ही पाया। जहाँ पर उन्होंने देवताओं का मनोबल बढ़ाने के लिए अपने शरीर को गायों से चटा दिया और उसके बाद देवताओं को अपनी अस्थियों का दान दिया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ऐसे पुण्य और पवित्र स्थल के सौन्दर्यीकरण के लिए, विकास व प्रचार के लिए आज तक किसी सरकार के पर्यटन विभाग द्वारा कोई काम नहीं किया गया है। मिश्रिख जो विश्व का अनुपम स्थान है, उसके सौन्दर्यीकरण और जीर्णोद्धार के लिए यह सरकार प्रयास करे ।

इसके साथ मैं एक शिकायत की अपनी बात कहना चाहता हूं। मैं सीतापुर से आता हूं, वहाँ पर 4 सुविधाएं उनकी पुस्तिका में प्रकाशित हुई हैं। दाउदपुर मार्गीय सुविधा, व्यास गद्दी का सुदृढ़ीकरण, हरगाँव मार्ग सुविधा और परिक्रमा मार्ग (नीमसार) का सुधार। लेकिन मैं आपके माध्यम से शासन को जानकारी देना चाहता हूं कि चाहे आप इस पुस्तिका में भी देख लें। वर्ष 83–84 में वहाँ पर इन चार स्थानों पर एक पैसे का काम भी नहीं किया गया है। जहाँ तक दाउदपुर का सम्बन्ध है, जैसे ही हम नदी पार करते हैं, 'श्री विश्वनाथ प्रताप के नाम का एक पत्थर लगा है। वह चले गए तो शायद सरकार ने उनके नाम का पत्थर उखड़वा दिया। वहाँ पर कोई किसी किस्म का काम नहीं हुआ है। वहाँ पर शिलान्यास हो चुका है। मुझे बताया गया कि कोई स्थान नहीं मिल रहा है। यदि स्थान नहीं मिल रहा था तो उस स्थान को चुनकर भूतपूर्व मुख्य मन्त्री से शिलान्यास क्यों कराया गया। अब कह रहे हैं कि स्थान परिवर्तन करने की आवश्यकता है। उसमें भी मुझे कोई आपत्ति नहीं है। फिर से स्थान का चयन करके उसका कार्य शीघ्र प्रारम्भ कराया जाना चाहिए। अन्त में मैं फिर कहूंगा कि करोड़ों लोगों के श्रद्धा केन्द्र मिश्रिख के सौन्दर्यीकरण और जीर्णोद्धार से अधिक महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं होगा। आप इसे जरूर करायें।

*श्री सुन्दर सिंह—

अधिष्ठाता जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने टूरिज्म के बजट पर मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं मन्त्री जी के बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, मैं अधिक समय न लेकर अपने जनपद बहराइच के बारे में कहना चाहता हूं। वहाँ पर श्रावस्ती नामक ऐतिहासिक स्थान है, जहाँ महात्मा बुद्ध ने चौमासा बिताया था और इसके साथ साथ वहाँ पर जैनियों का भी एक प्रमुख तीर्थ स्थान है, जहाँ पर एक प्रमुख ऋषि का जन्म हुआ था। तो मैं जानना चाहता हूं कि उस स्थान के लिए पर्यटन विभाग का जो एक मास्टर प्लान स्वीकृत हुआ था उसका क्या हुआ। मैं माननीय मन्त्री जी से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि उस पर शीघ्र कार्यवाही की जायगी क्योंकि काफी तीर्थ यात्री वहाँ पर आते हैं।

मान्यवर, एक मेरी माँग यह है कि माननीय काशीनाथ जी का जो क्षेत्र है, उसे तथा नैपाल में जो एक भगवान शंकर जी का बहुत बड़ा तीर्थ स्थान है, उसे हमारे यहाँ के जनपद से जोड़ दिया जाय। लखनऊ जनपद से हमारे क्षेत्र में होता हुआ सीधा मार्ग, जो करीब 125 किलोमीटर का होगा, उसे राष्ट्रीय मार्ग घोषित कर दिया जाय और उसे बनारस तक जोड़ा जाय ताकि यात्रियों को सुविधा हो सके। इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

श्री यदुनाथ सिंह—

मान्यवर, माननीय विष्ट जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, मैं उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। वाराणसी में सारनाथ का विशेष महत्व है। सारनाथ का पर्यटन की दृष्टि से जितना विकास होना चाहिए था, वह नहीं हुआ है, वहाँ और अधिक विकास होना चाहिए, क्योंकि जो भी यात्री बनारस जाते हैं वे सारनाथ अवश्य जाते हैं। उसका अपना एक विशेष एतिहासिक महत्व है। माननीय मन्त्री जी ने इस विभाग का जो बजट रखा है, वह बहुत कम है। इसलिए मैं कटौती का क्या प्रस्ताव रखूं, इसे तो और बढ़ाया जाना चाहिए हमारे प्रदेश के बजट का एक परसेंट भी इस पर्यटन विभाग के लिए धनराशि नहीं रखी गयी है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, चुनार से दिल्ली के लाल किले तक के महत्वपूर्ण सुरंग गयी है। चुनार का अपना एक विशेष एतिहासिक महत्व है। इसलिए उस स्थान को पर्यटन केन्द्र बनाना चाहिए और उसका विकास करना चाहिए। जितना महत्व दिल्ली के लाल किले का एतिहासिक दृष्टि से है, उससे कम महत्व चुनार का नहीं है। इस-लिए इस क्षेत्र का विकास कर इसे सुन्दर एवं आकर्षक पर्यटन केन्द्र बनाया जाना चाहिए।

पर्यावरण के बारे में भी मैं यह कहना चाहता हूं कि आपने जिस प्रकार ताजमहल को पर्यावरण के प्रभाव से रोकने के लिए कई प्रकार के उद्योग लगाने पर प्रतिवन्ध लगा रखा है, उसी प्रकार पर्यावरण रोकने के लिए यह भी आवश्यक है कि उसके जो बाई-प्रोडक्ट्स वाले उद्योग है उन पर भी रोक लगाई जानी चाहिए। साथ ही चुनार के पास जो सीमेंट फैक्ट्री है, उसको भी पर्यावरण में ले लेना चाहिए। उसके कारण भी उस क्षेत्र में काफी पर्यावरण होता है। सीमेंट निगम को चाहिए कि वह उसको देखें।

साथ-साथ वैकल्पिक ऊर्जा में बहुत से वैज्ञानिकों को मैं जानता हूं जो उत्तर प्रदेश में हैं। उदाहरण स्वरूप डिप्टी चीफ इंजी-नियर साहूपुरी, वाराणसी में राममूर्ति को मैं बताना चाहता हूं। उनका सहयोग वि-भाग को लेना चाहिए, लेकिन सहयोग नहीं लिया जा रहा है। बहुत से इनके वैकल्पिक इनर्जी में शोध के आइडिया हैं। वह बनारस यूनिवर्सिटी के प्रोडेक्ट हैं और मैकेनिकल इन्जीनियर हैं, लेकिन उनका सोलर इनर्जी, जो वैकल्पिक इनर्जी का पार्ट है, और हवाई चक्की जो गाजीपुर में विदेशों से जर्मनी और हालैण्ड के एक्सपर्ट्स आते हैं, उनसे वह कम ज्ञान नहीं रखते। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहुत से वैज्ञानिक और इंजीनियर हैं। लेकिन शासन इन प्रतिभाओं को प्रश्रय देने में रुचि नहीं रखती। जो विज्ञान और पर्यावरण विभाग हैं, जो इस समय इंजी-नियर और वैज्ञानिक हैं, कार्य कर रहे हैं, वे अपने मन को उत्साहित रखें। जिससे कि इस विभाग का आगे फलदायी प्रभाव रहे। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बोलने के लिए अवसर दिया। मान्यवर, मैं बजट का समर्थन करता हूं। मान्यवर, बजट इतना स्वल्प है कि इस पर कटौती का प्रस्ताव पेश करना न्याय संगत नहीं होगा। मैं बनारस से आता हूं, जो दुनिया का सबसे प्राचीनतम नगर है। दूसरी बात यह है कि प्राचीनतम नगर के साथ-साथ यह बुद्धिष्टों का दुनियाँ में सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है।

(इस समय 4 बजकर 58 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

देश में शायद ही दो-एक इससे बड़े पर्यटक केन्द्र हों। पर्यटन की दृष्टि से यह अपना पहला स्थान रखता है, क्योंकि यह हिन्दूओं क धार्मिक स्थान तो है ही साथ ही बौद्ध धर्म का सबसे बड़ा केन्द्र हैं। महात्मा बुद्ध ने सारनाथ से ही अपने प्रथम पाँचों शिष्यों को दीक्षा दी थी। इसलिए यह स्थान दुनिया के बुद्ध धर्म के मानने वालों के लिए सबसे बड़ी आस्था का स्थान है। तीसरी और जैन धर्म के मानने वाले के लिए भी माउन्ट आबू के बाद चन्द्रावती जो गंगा के किनारे बसा है, यह दूसरा स्थान है। इसकी ओर भी सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इसका भी उद्धार ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है।

श्रद्धेय डाक्टर सम्पूर्णानन्द के बाद किसी ने भी सारनाथ की ओर दृष्टिपात नहीं किया। स्वर्गीय जवाहर लाल नेहरू के निर्देश पर डाक्टर सम्पूर्णानन्द ने इसका जीर्णोद्धार किया था। दुनिया का सबसे बड़ा विश्व-विद्यालय काशी हिन्दू विश्वविद्यालय है। जिसके सम्बन्ध में प्रसिद्ध वैज्ञानिक स्वर्गीय डाक्टर एस0एस0 भटनागर ने कहा है कि

"मधुर मनोहर अतीव सुन्दर, यह सर्व विद्या की राजधानी।"

स्वर्गीय सम्पूर्णानन्द के दिवंगत होने के बाद शासन ने कभी भी इस ऐतिहासिक नगर पर दृष्टिपात नहीं किया है। मैं गंगा के घाटों की ओर आपका ध्यान ले

जाना चाहता हूं। सारनाथ का सौन्दर्यीकरण पर्यटन की दृष्टि से अत्यन्त आवश्यक है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ जब वाराणसी के घाटों का निरीक्षण कर रही थीं, तो वहाँ की सीढ़ियों पर बैठे हुए जन-समुदाय को देखकर उन्होंने कहा था कि दुनिया का इतना बड़ा आडिटोरियम मैंने नहीं देखा है।

माननीय मन्त्री जी आपने काशी के 20 घाटों के जीर्णोद्धार की बात कही है तथा उनको सुन्दर बनाने के लिए शौचालय बनाने के लिए, कपड़ा बदलने के स्थान की व्यवस्था करने की बात कही है। आपके बजट को देखते हुए यह कहा जा सकता है कि इस बजट से उन घाटों की सफाई तो हो नहीं सकती है, उसमें जीर्णोद्धार कहाँ तक हो सकता है। माननीय मन्त्री जी आप एस्थेटिक सेंस के हैं। आपका ध्यान ऐतिहासिक स्थानों की तरफ गया है, इसके लिए मैं आपको साधुवाद देता हूं। मान्यवर, देश के सभी भागों से स्त्रियाँ और पुरुष वहाँ स्नान करने आते हैं, पर वहाँ घाटों पर कपड़े बदलने तक का स्थान नहीं है। गन्दगी की भी सीमा नहीं है। कृपया इसकी सचारु व्यवस्था अविलम्ब कराने की कृपा करें। इसके साथ ही अनुरोध है कि जो बजट रखा है, वह बहुत कम है। इसके लिए और बजट का प्राविधान किया जाय। मान्यवर, बनारस में चन्द्र प्रभा स्थान है, जो वाइल्ड लाइफ सेंचुअरी है, का विकास नहीं किया गया। उसका विकास होना चाहिये। इन शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री अध्यक्ष ——

दो मिनट से ज्यादा समय नहीं लेंगे। 5 बजे इसे समाप्त हो जाना चाहिए था। इसमें समय लग रहा है। इसलिए 2 मिनट से अधिक समय नहीं लेंगे।

श्री बिहारी लाल——

समय बढ़ा दीजिए।

श्री अध्यक्ष——

अभी विष्ट जी बोलेंगे, मन्त्री जी बोलेंगे।

आज का एम०एल०ए० राम अवतार नामक फिल्म के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष——

एक सूचना सदन को देनी है। दिनाँक 27 मार्च को माननीय अध्यक्ष, विधान सभा ने आदेश दिए थे कि सदन के माननीय सदस्यों को "आज का एम0एल0ए0' नाम की फिल्म 31 मार्च, 84 को दिखाने की व्यवस्था की जाय। तदनुसार 31 मार्च, 84 को रविन्द्रालय में सायंकाल 7—00 बजे से उक्त फिल्म का प्रदर्शन करने की व्यवस्था कर दी गयी है। माननीय सदस्यों को अवगत कराया जा रहा है, कि वह निश्चित समय पर वहाँ पहुंचें।

श्री कुबेर भण्डारी——

31 को तो हम रहेंगे नहीं।

श्री अध्यक्ष——

कल सायंकाल है। कल तो विधान सभा हो रही है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष——

नियम 51 के अन्तर्गत 7 सूचनाएं प्राप्त हुई है। विमल प्रसाद तिवारी की सूचना जो प्रदेश की विभिन्न मंडियों में विशेषकर फर्रुखाबाद में आलू के मूल्य के गिरावट के सम्बन्ध में है जिसमें और लोगों के नाम शामिल किए गये हैं, शंकर सिंह और राजेन्द्र अग्निहोत्री का है, स्वीकार किया है और बाकी को अस्वीकार किया है।

श्री सरदार सिंह——

सूचना क्या है?

श्री अध्यक्ष——

प्रदेश के विभिन्न मंडियों में विशेषकर फर्रुखाबाद में आलू के मूल्य में गिरावट।

1984–85 के आय-व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग तथा अनुदान संख्या 55–विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग (क्रमागत)

*श्री विद्यासागर नौटियाल––

जो बजट पेश किया गया है, दोनों विभाग का एक साथ है। पर्यटन के बारे में निवेदन करना चाहता हूं कि पहाड़ में या तो पर्यटन का विकास हो सकता है या तो बड़े-बड़े बाँध बनाए जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पहाड़ जिन्दा रहें, पर्यटन जिन्दा रहे तो आप जो बड़े-बड़े बाँध बना रहे हैं, इसको रोकिए। जो पुस्तिका आपने दी है, पर्यटन विभाग की, इसके पृष्ठ 24 पर 37 नम्बर पर्यटन विश्राम गृह चन्द्र नगर, टिहरी गढ़वाल लिखा है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है। 50 साल से मैं वहाँ रह रहा हूं। मुझे पता नहीं है, यह स्थान कहाँ है ? 30–31 पर पर्वतीय क्षेत्र में निर्माणाधीन पर्यटन की योजनाएं हैं। इसमें से एक भी योजना हमारे जिले में नहीं है। टेहरी में एक भी नहीं है। ऐसा क्यों कर रहे हैं ? मान्यवर, हमारे यहाँ देव प्रयाग में, माननीय मन्त्री जी. . .

श्री अध्यक्ष––

जिस मन्त्री का बजट चल रहा हो, उनके पास कोई सदस्य न बैठें।

श्री विद्यासागर नौटियाल––

मान्यवर, हमारे यहाँ देव प्रयाग में चक्रधर जोशी ने एक बहुत बड़ी वेधशाला बनाई थी। आज उसको देखने वाला कोई नहीं रह गया है। मेरा निवेदन है कि आप उस वेधशाला को अपने नियन्त्रण में ले लें। क्योंकि वह हमारी राष्ट्रीय सम्पत्ति है। हमारे यहाँ पहाड़ पर जो आपकी तरफ के टूरिस्ट हाउसेज बन रहे हैं, उसको बन्द करें और स्थानीय व्यक्तियों को सहायता दीजिए। जिसके जरिए से एक दो कमरे का बने। उसमें खर्च कम आयेगा। इस समय सारा रुपया आपका इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च किया जा रहा है। मंसूरी में एक यूथ होस्टल की माँग की जा रही है। यूथ होस्टल का निर्माण करा दें। धन्यवाद।

श्री निर्मल खत्री––

मान्यवर, पर्यटन बजट के सम्बन्ध में अयोध्या की कुछ योजनाओं के बारे में मन्त्री जी का और शासन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। आज से तीन वर्ष पहले अयोध्या में एक आधुनिक मनोरंजन गृह, एक तरह का होटल बनाने की योजना थी। पर्यटन विभाग ने होटल योजना स्वीकार किया। उसका शिलान्यास तत्कालीन पर्यटन मन्त्री द्वारा किया गया। लेकिन अब तक इस पर कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है। इसमें राजकीय निर्माण निगम का कहना है कि पूरी राशि इस सिलसिले में मिलनी चाहिए तभी उस कार्य को आरम्भ करेंगे और राशि का आवंटन विभाग द्वारा आधा ही किया गया है।

मैं माननीय मन्त्री जी से अनुरोध करूंगा कि जो योजना तीन वर्ष से लम्बित है, उस पर निर्माण कार्य करायें। साथ ही साथ तीर्थ यात्री योजना अयोध्या के लिए स्वीकृत हुई। जिसके लिए भूमि का चयन हुआ, फिर भूमि अधिगृहीत की गयी। उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बारे में कहा गया था कि जमीन उपयुक्त नहीं है। नदी के कटाव के कारण प्रभावी हो गयी है। उस भूमि का सदुपयोग करने के लिए पार्क के रूप में बनाने का प्रस्ताव आया। तो मैं आपके माध्यम से मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि पार्कों की अयोध्या में बहुत कमी है। इसको देखते हुए इस भूमि को पार्क के रूप में स्वीकृत करें। इसी तरह से मणि पर्वत का सौन्दर्य, भरतकुण्ड का सौन्दर्य गुप्तार घाट सौन्दर्यीकरण तमाम योजनाएं लम्बित हैं। तो मेरा आपसे सुझाव है कि इन सब चीजों को देखते हुए शासन द्वारा उसको सारा धन तत्काल न देना, स्वीकृत योजनाओं का लागू न होना, इस तरह की चीजें हैं, इनको देखते हुए मैं समझता हूं कि मन्त्री जी जो योजनाएं तत्काल लागू हैं उनको तत्काल लागू करेंगे और जो लम्बित हैं उनको शीघ्रातिशीघ्र पूरा करायेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

माननीय अध्यक्ष महोदय, दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों ने अपने उत्तम सुझाव दिए। माननीया सुमनलता दीक्षित बार-बार खड़ी हो रही थी। मैं चाह रहा था उनको भी समय मिल जाय...

श्री अध्यक्ष--

खड़ी हो रही थीं तो आपको क्यों जलन हो रही थी?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

बड़े उत्तम सुझाव देना चाहती थीं।

श्री अध्यक्ष--

आप उनकी कीमत क्या समझें?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट--

पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों ने जो अपने सुझाव दिये, जो विचार व्यक्त किए, वह सराहनीय हैं। उनकी सराहना की जानी चाहिए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात जो कही जाती है पर्यटन विभाग में, वह यह है कि वहां व्यवहार कुशल लोग बहुत कम हैं। जबकि पर्यटन विभाग में व्यवहार कुशल अधिकारियों को और कर्मचारियों को होना चाहिए। जो उनसे बात करे, उसके साथ बड़े शिष्टाचार से बात होनी चाहिए। विनम्रता के साथ उनसे बात करनी चाहिए। तो ऐसा नहीं है? मैं चाहूंगा कि माननीय मन्त्री जी से कि वह इस ओर अपना ध्यान दें। इसके अलावा जिन्होंने पर्यटन का प्रशिक्षण ले रखा है, ऐसे लड़कों को विभाग में लेना चाहिए। वह नहीं लिए गये हैं और अप्रशिक्षित लोगों को लिया गया है। मैं चाहूंगा कि प्रशिक्षित लोगों को लिया जाय। इसके अतिरिक्त इनके यहां कर्मचारी भी बहुत कम हैं। 33 राजपत्रित और 413 अराजपत्रित अधिकारी हैं।

मान्यवर, यह हमारा बहुत बड़ा प्रदेश है और अल्मोड़ा में मैंने देखा कि इसका अभी जो कार्यालय खुला, उसमें बहुत कम लोग हैं। इसी तरह से माननीय सदस्यों ने सभी जगहों के बारे में अपने सुझाव दिए और वास्तव में पर्यटन विकास की दृष्टि से हमारा प्रदेश बहुत अच्छा है। अभी हमारे माननीय निर्मल खत्री जी ने अयोध्या की बात कही। वह एक तीर्थ स्थान है। श्री राम चन्द्र जी की जन्म स्थली है। उसकी काफी धार्मिक और ऐतिहासिक महत्ता है, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया। उसी तरह से नेमिषारण्य है, वहां चक्रतीर्थ का सौन्दर्यीकरण किया गया है। वहां पर प्राकृतिक पानी आता है। उसमें पहले पानी निकलने के लिए छोटे छेद थे, जिनसे पत्तियां निकल जाया करती थीं। लेकिन अब सौन्दर्यीकरण के नाम पर छोटे-छोटे छेद कर दिए है, जिससे पत्तियां निकल नही पातीं और वहीं सड़ जाती हैं। मैं माननीय मन्त्री जी से कहना चाहूंगा कि उसको देख लें। मैं दो तीन चीजें कहना चाहता हूं। हमारे राम नगर के पास नेशनल कार्बेट पार्क हैं। वहां मुरादाबाद से, दिल्ली से, कलकत्ता से लोग आते हैं। उधर छोटी लाइन है। वहां जाने के लिए मुरादाबाद की तरफ से रामनगर जाना पड़ता है। इसके बारे में वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार को पहले ही केन्द्रीय सरकार से कहना चाहिए था, कि उसको बड़ी लाइन में परिवर्तित कर दें। आज आजादी के 37 वर्ष हो गये, लेकिन वहां लाइन नहीं बदली जा सकी। मैं चाहता हूं कि माननीय मन्त्री जी इस सम्बन्ध में पहल करें। मुरादाबाद से रामनगर पक्की लाइन बनवायें, जैसाकि मैंने लखनऊ मे काठगोदाम पक्की लाइन बनाने के लिए कहा। जिससे वहां आने-जाने में सुविधा हो।

उसी तरह से रामनगर में पर्यटन विभाग बना दिया है, इसके लिए धन्यवाद, लेकिन वहां सुविधाएं नहीं हैं। प्रचार भी ज्यादा नहीं हो रहा है। बाहर के पर्यटक उसको ठीक से नहीं जान पा रहे हैं। अतः प्रचार हो और पर्यटकों को सुविधाएं दें। इसके अलावा टूरिस्ट प्रशिक्षण भी ज्यादा से ज्यादा लोगों को देना चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा धन दें और लोगों को नियुक्त करें। जितने टूरिस्ट स्थल हैं चाहे बुन्देलखण्ड में हों, पूर्वांचल में हों और चाहे उत्तरांचल में, जहां भी हों, उनकी खोज हो और अखबारों में और किताबों पर उनका प्रचार हो। हमारे प्रचार माध्यम घटिया हैं। उनमें सुधार करें। आप युवकों को

टूरिस्ट होटल बनाने के लिए 50 हजार रुपया स्वीकृत करते हैं। उसमें पहले तो स्वीकृति मिलने में ही कठिनाई होती है। फिर जो नक्शा वगैरह देते हैं तो उस नक्शे के हिसाब से उन रुपयों में बिल्डिंग नहीं बन सकती है। सरकार उसकी धनराशि बढ़ाए और जो होटल बनाने के इच्छुक हैं, उनको सुविधाएं दे। इसमें लोग परेशान हो जाते हैं। 4–5 वर्ष से परेशान हैं। आपने होटल के लिए पैसा नहीं दिया और उनका अपने पल्ले से और पैसा खर्च हो गया। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

कुंवर विश्वनाथ सिंह कुशवाहा—

श्रीमन्, मुझे प्रसन्नता है, कि करीब-करीब सभी माननीय सदस्यों ने इस प्रदेश में विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए अपने सुझाव दिए हैं, विशेषकर कटौती का प्रस्ताव जो माननीय जसवन्त सिंह विष्ट जी ने पेश किया है, वह पहाड़ों के रहने वाले हैं। उन्होंने अपने को पहाड़ों तक ही सीमित रखा है।

मेरे सामने यह स्थिति है कि पर्यटन विभाग से सम्बन्धित जो कार्यकलाप हैं, पर्वतीय क्षेत्र में पर्वतीय विकास निगम उसे देखता है। उसमें हमारा पर्यटन विभाग का किसी प्रकार से कोई दखल नहीं है। हम चाहते हैं कि इसमें कोई नीति विषयक फैसला लिया जाय। हम प्रयास कर रहे हैं कि इसमें सामंजस्य स्थापित हो सके। पर्वतीय क्षेत्र के विकास मैदानी क्षेत्रों के विकास से अलग होते हैं, जैसे आवागमन और विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं। वे एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते हैं, उनमें असमानता होती है। हमारा प्रयास इस बात का है कि पर्वतीय विकास निगम की योजनाओं को पर्यटन विभाग में शामिल किया जाय ताकि इसमें एक-रूपता हो सके। और हम उसे विधिवत् कायदे से चला सकें। मुश्किल यह होती है कि हमारे जो विदेशी पर्यटक आते हैं और जो हमारे देश के अन्य विभिन्न प्रान्तों से पर्यटक आते हैं, उन्हें हम समुचित सुविधाएं उपलब्ध नहीं करा पाते हैं, और हमारे पास कोई साधन भी नहीं है और न ही किसी प्रकार की जानकारी है। इसलिए हम यह प्रयास कर रहे हैं कि इसमें एक रूपता आए और शासन इस पर एक नीति-विषयक फैसला करे।

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने तमाम सारे प्रदेश के महत्वपूर्ण स्थानों के बारे में बताया और उनके विकास के बारे में अपने महत्वपूर्ण सुझाव दिए। हम उनका विशेष रूप से आदर करते हैं। परन्तु आप सभी माननीय सदस्य जानते हैं कि इस विभाग के पास बहुत ही सीमित साधन हैं। इसका बजट न के बराबर है। विभाग का सिर्फ एक कार्यालय है। माननीय श्री खत्री जी ने निर्माण से सम्बन्धित कार्यों के बारे में कहा। माननीय श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त जी ने निर्माण से सम्बन्धित कार्यों के बारे में कहा। परन्तु हमारे विभाग के पास एक भी इंजीनियर नहीं है, जो वहां जाकर उन निर्माण कार्यों को देख सके। आज जो हम कार्य कराते हैं, वह सिंचाई विभाग के जरिए, सार्वजनिक निर्माण विभाग के जरिए, राजकीय निर्माण विभाग के जरिए और विद्युत विभाग के जरिए, हम अपने निर्माण के कार्यों को सम्पन्न कराते हैं। जब बसारस के घाटों की बात आई तो हम लोगों ने स्वयं आपत्ति उठाई। हम उसे स्वयं बनाना चाहते थे, उसका जीर्णोद्धार करना चाहते थे। इन पर धन तो हमारे विभाग के द्वारा खर्च हो जाता है, किन्तु रख-रखाव ठीक न होने के कारण, इनम व्यवस्था ठीक से नहीं हो पाती है। मान लिया हमने भवन बना दिया, किन्तु नगर विकास विभाग उसको सफाई नहीं कराता है और उसमें रोशनी नहीं करता है, तो हमारा पैसा बरबाद चला जाता है। क्योंकि वह विभाग हमसे सहयोग नहीं कर रहा है। इसके बावजूद भी हम अपने विभाग में इस बात का प्रयास कर रहे स्वयं अपनी देख-रेख में हम अपनी योजनाओं को चलायें। अभी अयोध्या के बारे में कहा गया। निर्माण विभाग जान-बूझ कर शरारत कर रहा है। तमाम पैसा वह स्वयं लेना चाहते हैं। पहले जो पैसा उनको दिया गया है, उसे वह खर्च करें, फिर हमसे पैसा लें, अन्यथा कार्य बन्द करें। वह जानबूझकर इस प्रकार की शरारत करता है। हमारा प्रयास है कि हम इस तरह की व्यवस्था करें ताकि कायदे से हम अपने निर्माण कार्यों को चला सकें।

माननीय श्री काशीनाथ मिश्र जी ने भी कुछ सुझाव दिए। इसमें कोई शक नहीं है। हम स्वयं कहते हैं कि हमारे विभाग के पास मोटर, बड़े होटल बनाने की अधिक जरूरत नहीं है और हमारा प्रचार का कार्य भी व्यापक नहीं है। जबकि यह सारा कार्य पर्यटन विभाग से ही सम्बन्धित है। हमारे देश की आबादी लगभग 70 करोड़ है। विभिन्न धर्मों के अनुयायी यहाँ पर रहते हैं। हमारे यहाँ पुराने जमाने में जगह-जगह तीर्थ-स्थानों पर सराय व चट्टियाँ, धर्मशालाएं बनी हुई थीं। वहाँ पर जन-साधारण को तमाम सुविधाएं उपलब्ध हो जाती थीं। हमारे देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ज्यादातर हमारे देश में गरीब आदमी हैं। लगभग 27 करोड़ आदमी गरीबी की रेखा से नीचे रहता है, उसके बाद भी उसमें धार्मिक मनोवृत्ति बहुत काफी है, तमाम आदमी धार्मिक स्थान पर जाता है, उनको रहने की समुचित व्यवस्था देना कतई सम्भव नहीं है। चट्टियाँ और सराय ही काफी उपयोगी रहेंगे। हमारा प्रयास है कि जन-साधारण को समुचित व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए और उन्हें सहयोग प्रदान करने के लिए प्रभावकारी कदम उठाए जायेंगे।

हमारे प्रचार कार्य भी इसी प्रकार के हैं कि प्रचार कार्य देशी भाषाओं, गाँव की भाषा, प्रान्तीय भाषाओं, में न होकर, विदेशी भाषाओं में ज्यादा करते हैं, ताकि विदेशी पर्यटक को जानकारी हो सके। लेकिन अब यह प्रयास रहेगा कि जो हमारी प्रदेश की भाषाएं हैं, गाँव की जो भाषाएं हैं, उनके द्वारा प्रचार माध्यम से लोगों तक जानकारी पहुंचे, ताकि इसको किसी प्रकार हम उन तक भी पहुंच सकें।

श्री अध्यक्ष—

आप कितना समय और लेंगे?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

माननीय, बहुत जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। दूसरे माननीय, एक माननीय सदस्य ने जिक्र किया था कि हम एक ऐसा लिंक मार्ग बनायें कि एक रास्ते से जायें और दूसरे रास्ते से आयें। माननीय, इसकी बाबत मैं कहना चाहूंगा कि पर्यटन विभाग ने इसकी बाबत कुछ बसें खरीदी थीं, पर उसमें कानूनी अड़चनें आ गयीं, और अदालत के जरिए से विभाग को बसों का परमिट देना रोक दिया गया। हम चाहते हैं कि वह बसें चल जायें, ताकि सुगमता हो सके।

एक सदस्य—

आप उस रोक को हटवायें, शासन के माध्यम से।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

हम तो चाहते हैं कि यह तमाम तरह की रोक हटें और हम लोगों को यातायात और हर तरह की सुविधा देकर, उनको सुविधाएं उपलब्ध करा सकें, और हमारे विभाग की योजना कायदे से चलें। हमारा इस बात का भी प्रयास होगा कि जैसे बहुत से तीर्थ स्थलों पर लोग आते हैं, वहाँ उनको नोच-खसोट होती है। उनके तमाम सारे पैसे का अपव्यय होता है। वहाँ के तमाम सारे पुजारी, पण्डे लोग, गलत तिकड़म करके, उनसे पैसा लेते हैं और जो वहाँ तमाम सारे स्टाल रहते हैं जैसे जब आगरा में पर्यटक जाते हैं और वहाँ से कुछ ताजमहल का लिया, उसको यहाँ से बाहर ले गये और वहाँ वह टूट गया, तो प्रयास इस बात का करेंगे। इस प्रकार की व्यवस्था की जायगी कि बाहर के लोगों का विश्वास बना रहे, उनके मन में अविश्वास की स्थिति न उत्पन्न हो पाये। इसके लिए हम देखेंगे कि पुजारी पण्डे जो तिकड़म करते हैं, और दुकान वाले वहाँ के, उनके साथ तिकड़म करते हैं, उनको रोकने के लिए हम पूरा प्रयास करेंगे।

मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि तमाम योजनाएं हमारी अधूरी पड़ी हैं, साधन का अभाव है। तमाम सारे स्थल अयोध्या, नैमिषारण्य, मथुरा, आगरा की हैं आदि आदि यहां कुछ योजनाएं अधूरी हैं। इसके भी तमाम सारे कारण हैं। हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि इनको अतिशीघ्र पूरा करायें, साधनों को जुटाते हुए उन्हें पूरा करायें हमारे कुछ माननीय सदस्यों ने कुछ बातें इस विभाग के बारे में कही। पाठक जी ने विद्युत के बारे में कहा था। उसकी बाबत कहना है कि वहा का सर्वे

करा लिया गया है, उसकी योजनाएं बन रही हैं । गोबर गैस प्लांट के सिलसिले में कहा गया, तो कहना चाहूंगा कि अब तक 35 हजार गोबर गैस प्लांट स्थापित हो चुके हैं और 10-12 हजार प्लांट और लगाये जाने की योजना है । और स्थापित हो जायेंगे। सौर ऊर्जा की बाबत 16 काम्प-लेक्स खोले जा रहे हैं ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि जितने लगाये जा रहे हैं, जितने लग चुके हैं, उसमें कितने काम कर रहे हैं, कितने काम नहीं कर रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

यह किसी जमाने में बच्चे पैदा हुए थे, अब बुड्ढे होने जा रहे हैं, तो इसके लिए क्या किया जाये ? जो लगा है, वह खराब होगा ।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल–

मान्यवर, मंत्री जी भी कभी बच्चे थे, अब बुढ्ढे हुए हैं, तो मैं उनका अनुसरण कर रहा हूं । मेरा तो प्रश्न यह था कि जो लगे हुए हैं, उसमें कितने काम कर रहे हैं, कितने नहीं कर रहे हैं ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

यह ग्राम्य विकास करेगा ।

मान्यवर, मैं कह रहा था कि 10-12 हजार और गोबर गैस प्लांट लगाने की योजना है। सौर ऊर्जा की बाबत कहा कि 16 काम्पलेक्स खोले जा रहे हैं और लगभग 40 काम्पलेक्स और अन्य जनपदों में स्थापित करने की योजना है । जो खाना पकाने हेतु गैस तथा रोशनी उपलब्ध करायेंगे । ताजमहल के बारे में जिक्र किया गया । ताजमहल आगरा की पर्यावरणीय सुरक्षा की बाबत कहा गया । उसके बाबत शासन जागरूक है और कुछ कदम उठाये गये हैं। मथुरा रिफाइनरी के उत्प्रवाह पर समुचित नियंत्रण किया गया है । इसके अलावा आगरा के दो थर्मल पावर प्लांट को बंद कर दिया गया है । इसकी सुरक्षा के बाबत और भी प्रभावी कार्यवाही की जा रही है । उसमें किसी तरह की रुकावट या दिक्कत नहीं है । तो, इस प्रकार से माननीय सदस्यों ने जो सुझाव दिये हैं उनको मैं बड़ी गम्भीरता से देखूंगा और पूरा प्रयास करूंगा ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, कपिलवस्तु के बारे में कुछ नहीं कहा ।

मान्यवर, मेरे जिले में दो महत्वपूर्ण स्थान हैं और दोनों ही हिन्दुस्तान की जाति-गत राजनीति से, जातिगत भावना से ऊपर उससे परे, एक उद्देश्य देने वाले स्थान हैं । उसमें एक है मगहर और दूसरा है कपिलवस्तु जहां गौतम बुद्ध की राजधानी थी, इन दोनों के विकास के लिये माननीय मंत्री जी की ओर से क्या योजना है? कभी केन्द्र सरकार का बयान छप जाता है कि कपिल-वस्तु के विकास के लिये 50 गांव लेंगे। यहां के निवासियों में जो असुरक्षा की भावना घर कर गयी है, उसके बारे में जानना चाहता हूं ।

(कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, कुछ और माननीय सदस्य भी प्रश्न पूछना चाहते हैं, उन्हें भी पूछ लेने दें, फिर एक साथ उत्तर दे दें ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

ठीक है, मान्यवर ।

श्री कुबेर भण्डारी–

मैं जानना चाहता हूं कि हमारे यहां रामाधार ताल पर, भगवान बुद्ध की पावन नगरी पर पर्यटकों के स्थान के लिये कोई

झील नहीं है । क्या माननीय मंत्री जी इसके लिये कोई व्यवस्था करायेंगे ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय कुबेर भण्डारी जी बुद्ध की बात उठाते हैं, तो कुबेर का बुद्ध से क्या सम्बन्ध है ?

श्री अध्यक्ष—

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है, आप बैठें । हमारे पास इतना समय नहीं है ।

श्री कुबेर भण्डारी—

जैसा मैंने कहा हमारे यहां रामाधार ताल पर झील बनाकर क्या पर्यटकों के लिये कोई स्नान की व्यवस्था करेंगे ?

श्री गोपी नाथ वर्मा—

होटल गोमती, लखनऊ का जो मैनेजर है, वह बिल्कुल गलत व्यक्ति की नियुक्ति हुई है, क्या आप इसकी जांच करायेंगे? दूसरी बात, फैजाबाद का टूरिस्ट आफिसर बिल्कुल भ्रष्ट व्यक्ति है, क्या इसकी जांच करायेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल—

मान्यवर, होली हिन्दुओं का बहुत बड़ा त्यौहार है । हिरण्यकश्यप का जन्म हरदोई में हुआ था और वहीं पर होलिका दहन हुआ था । जहां पर हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था, वह स्थान जर्जर अवस्था में है । क्या उसके लिये भी टूरिस्ट डिपार्टमेण्ट किसी नीति या कार्यक्रम पर विचार कर रहा है ?

श्री बिहारी लाल—

कई बार उठक-बैठक के बाद मौका नहीं मिला । नैनीताल एक ऐसी जगह है, जहां पर कि पूरे हिन्दुस्तान से टूरिस्ट [illegible] है । वहा पर टूरिस्ट का वह हालत हो जाती है कि उनके लिये रानी खेत, कौसानी आदि जगहों पर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है । जो बसें चलती हैं, उनकी हालत खराब है । टूरिज्म के बारे में काफी कुछ कहना चाहता था, लेकिन मौका नहीं मिला । टूरिस्ट के दिल्ली से नैनीताल जाने की आप व्यवस्था करें क्योंकि नैनीताल में कोई फैक्टरी इत्यादि नहीं है, केवल टूरिस्ट के आने से जो आमदनी होती है, वही है ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय—

माननीय सदस्य श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल ने कहा कि हरदोई में हिरण्यकश्यप का जन्म हुआ था । माननीय सदस्य की भावनाओं का स्वागत करते हुए क्या माननीय मंत्री जी, हिरण्यकश्यप के वंशज जो हरदोई में मिलते हैं, उनका पता लगाकर कुछ करेंगे ?

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा—

तमाम माननीय सदस्यों ने विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्यों के बारे में सुझाव दिये, जानकारी दी । मैं पहले ही कह चुका हूं कि विभाग के पास साधन सीमित हैं । इनके रहते तमाम योजनाओं को एक साथ लेना, और उनमें विकास कार्य करना, निर्माण कार्य करना, सौन्दर्यीकरण करना बड़ा मुश्किल काम है । अब तक शासन की ओर से जो योजनाएं लायी जा चुकी है, अगर वह ही परी की जायं तो तीन साल लग जायेंगे । उसके बाद कहीं इनका नम्बर आयेगा । परन्तु हमें खुशी है कि केन्द्रीय सरकार से हमें पर्याप्त धन व सहयोग मिल रहा है, और उससे हम यह निर्माण कार्य करा रहे हैं। लेकिन और जो अन्य संसाधन हैं, उन्हें जुटा कर यदि सम्भव होगा तो हम इसे करने का प्रयास करेंगे । जो कि तमाम माननीय सदस्यों ने यहां पर अपनी भावनाएं रखी हैं, उसे कार्यान्वित करने का प्रयास करेंगे ।

इसके साथ ही मैं चाहूंगा कि जसवन्त सिंह विष्ट जी अपने कटौती के प्रस्ताव को

वापस ले लें और पर्यटन विभाग के बजट को तहेदिल से पास करें ।

श्री अध्यक्ष–

विष्ट जी, क्या आप अपने प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं ?

श्री जसवन्त सिंह विष्ट–

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, यहां पर सेन्ट्रल हाल चालू हो गया है । मैंने बहुत प्रयत्न कर लिया हर तरह से । आप का विभाग अगर इसको चलाये तो इसका इन्तजाम आप ले लें । यह तो मैं आपके विभाग की आमदनी करा रहा हूं । आप अपने लोगों में इसकी बात कर लें, अपने विभाग वालों को अपने कक्ष में बुला कर मीटिंग कर लें कि उनको यह काम करना चाहिये । इस संबंध में मेरी मुख्य मंत्री जी से बातचीत हुई थी । जो लास इसमें आयेगा, उसे वे सब-सीडाईज करेंगे । आप मुख्य मंत्री जी से भी इसके बारे में बात कर लें और अपने विभाग से भी विचार-विमर्श कर लें और फिर हमको सूचित करें ।

कुंवर शिवनाथ सिंह कुशवाहा–

श्रीमन्, हमारा विभाग तो यह चाहता है कि वह विधान मण्डल में और जगहों में जलपान की व्यवस्था करे और लन्च की व्यवस्था करे और आवश्कतानुसार हमें इसका प्रबन्ध मिले । लेकिन होता यह है कि हमको अलग कर दिया जाता है और फायदा दूसरा कोई ले जाता है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, इनको अपनों से बड़ी शिकायत है । इनकी आप सहायता कर दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं तो आपको परमानेन्ट काम दे रहा हूं । आमदनी की बात करने के बाद आप मुझे बतायेंगे ।

अब प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग के सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 32–पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 43, 28,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाए ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 55-विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग में सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1985 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 55-विज्ञान एवं प्रोद्योग विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1, 38, 31, 000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

प्रदेश के वकीलों पर पुलिस तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा हो रहे अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में वक्तव्य

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद लखनऊ के थाना इटौंजा की पुलिस द्वारा

हरिजन वर्ग के अधिवक्ता श्री सी0 के0 रावत को अकारण प्रताड़ित किये जाने की बात सही नहीं पायी गयी। वस्तु-स्थिति इस प्रकार है कि ग्राम सरायदामू जनपद लखनऊ के निवासीगण सर्वश्री भग्गा, राम कुमार तथा कालीचरण जो धारा 396 भा0 दं0 वि0 तथा धारा 394/397 भा0 दं0 वि0 के दो मुकदमों में वांछित अभियुक्तगण है की तलाश व गिरफ्तारी हेतु पुलिस दिनांक 15-2-84, 29-2-84 तथा 4-3-84 को उक्त गांव में गई थी और अभियुक्तगण के घरों में नियमानुसार दविश दी थी। अभियुक्त भग्गा श्री सी0 के0 रावत एडवोकेट का सगा साला है और अभियुक्तगण रामकुमार व कालीचरन उनके पट्टीदार है जिसके कारण श्री सी0 के0 रावत ने पेश बन्दी में थाना इटौंजा के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को भेजा था। इस प्रार्थना-पत्र की जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, फिर भी इस घटना की जांच विशेष जांच शाखा द्वारा की जा रही है।

2—नरही के अधिवक्ता श्री चौहान के घर में अनियमित ढंग से पुलिस के घुसने से संबंधित प्रकरण की जांच अपराध शाखा, अपराध अनुसंधान विभाग द्वारा की गयी। जांच से ज्ञात हुआ कि श्री एस0 एस0 चौहान, अधिवक्ता का मुंशी हजारी लाल थाना मड़ियांव पर पंजीकृत एक डकैती के अभियोग अपराध सं0 5/84 धारा 395/397 भा0दं0वि0 में वांछित अभियुक्त था। दिनांक 20-2-84 को लगभग 20-15 बजे हजारी लाल तथा एक अन्य व्यक्ति श्री बच्चू लाल एडवोकेट श्री चौहान के चैम्बर में उपस्थित थे जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने वांछित बल प्रयोग करके उन्हें गिरफ्तार किया। इस गिरफ्तारी के दौरान श्री चौहान के चैम्बर का दरवाजा जो साधारण लकड़ी का है का एक किवाड़ क्षतिग्रस्त हो गया। अभियुक्त हजारी लाल को थाना हजरतगंज में बपरदा बन्द किया गया और श्री बच्चू लाल को घटनास्थल से ही मुक्त कर दिया गया था। अपराध शाखा की जांच से अभियुक्त हजारी लाल की गिरफ्तारी उचित पायी गयी है और पुलिस के विरुद्ध किसी दुराचरण या कदाशयता आदि की पुष्टि नहीं हुई है।

3—शाहाबाद (हरदोई) के एस0 डी0 एम0 के अन्याय के विरुद्ध दिनांक 14-2-84 से अब तक वहां के वकीलों द्वारा लगातार हड़ताल किये जाने के विषय में प्राप्त आख्या के अनुसार मामला इस प्रकार है कि दिनांक 14-2-84 को परगना मजिस्ट्रेट शाहाबाद ने दो नायब तहसीलदारों की रिपोर्ट के आधार पर सर्वश्री दिनेश चन्द्र गुप्ता, हरिओम प्रकाश कटियार तथा सहावत उल्ला एडवोकेट के विरुद्ध शान्ति भंग होने की सम्भावना पर धारा 107/116 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही के आदेश पारित किये। नियमानुसार दो अधिवक्ताओं को जेल भेजा गया। इसके परिणाम स्वरूप दिनांक 15-2-84 से शाहाबाद व जनपद हरदोई के मुख्यालय के वकीलों ने न्यायालयों का बहिष्कार किया। दिनांक 16-2-84 को जिला अधिवक्ता संघ एवं जिला मजिस्ट्रेट हरदोई के बीच हुई वार्ता के फलस्वरूप धारा 116(3) दं0प्र0सं0 के अन्तर्गत पारित आदेश न्यायालय द्वारा वापस लिये गये और दोनों अधिवक्ताओं को उसी दिन जेल से रिहा कर दिया गया। दिनांक 16-2-84 को जिला अधिवक्ता संघ तथा जिला मजि-

क्या मंत्री जी उसके विरुद्ध कार्यवाही करने की हिम्मत रखते हैं? जो सरकार के अच्छे काम हैं, उनमें मैं सहयोग देने के लिए तैयार हूं। 8 दिन हो गये हैं परन्तु वह भ्रष्ट अधिकारी वहीं पर बना हुआ है। क्या आप इस बात पर कार्यवाही करेंगें कि जिलाधिकारी ने आप के रेडियोग्राम पर कार्यवाही क्यों नहीं किया? क्या आप उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इससे माननीय गुप्त जी ने और दीक्षित जी ने अवगत कराया था, लेकिन मैं निश्चित रूप से कहता हूं कि यह रेडियोग्राम गया है । उनको शाहाबाद से हटा दिया और यदि माननीय सदस्य निश्चित रूप से यह सूचित करते हैं कि आज की तारीख तक उनको नहीं हटाया गया है तो यह गलत बात है । इसके बावजूद भी मैं पता लगाउंगा कि किन परिस्थितियों में आदेशों का पालन नहीं किया गया है। उसके बाद जो व्यक्ति दोषी होंगे उनके ऊपर निश्चित रूप से कार्यवाही की जायेगी।

श्री राम आतार दीक्षित–

अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस वक्तव्य का प्रश्न है, जैसा कि गुप्ता जी ने कहा इस वक्तव्य को वहां के अधिकारियों ने बहुत ही तोड़ मरोड़ कर बनाया है। मान्यवर, घटना इस प्रकार है कि 107/17 में वही परगना अधिकारी उन लोगों को बन्द करता है और फिर 11 बजे इन दोनों वकीलों को जेल में बन्द कर दिया जाता है। ऐसा आज तक इतिहास में कभी नहीं हुआ होगा कि स्वयं परगाधिकारी जाय और जेल खुलवाकर रात में उन्हें बन्द करवा दे। इसके लिये केवल स्थानांतरण काफी नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उसके खिलाफ और क्या कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार –

मान्यवर, इस सम्बन्ध में सभी प्रकरणों को मैं दिखवा लूंगा और कार्यवाही करूंगा।

श्री रियासत हुसैन–

श्रीमन् वक्तव्य के पहले पैराग्राफ में लिखा है कि श्री सी0 के0 रावत ने पेश बन्दी में थाना इटौंजा के विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र पुलिस उप महानिरीक्षक, लखनऊ परिक्षेत्र को भेजा था। इस प्रार्थना पत्र की जांच से आरोपों की पुष्टि नहीं हुई, फिर भी इस घटना की जांच विशेष जांच शाखा द्वारा की जा रही है। यह जो पेशबन्दी की बात थी और जो प्रार्थना पत्र दिया था, जिसका सबूत नहीं हुआ और फिर उसकी जांच के आदेश कब दिये गये आपके एस0 आई0 द्वारा?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, वह पत्र बहुत लम्बा है और अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं पढ़कर सुना दूं ।

श्री अध्यक्ष–

संक्षेप में बता दें ।

श्री प्रमोद कुमार –

मान्यवर, वह पत्र 1-3-84 को दिया गया था । उसमें लिखा है–माननीय डी0आई0जी0 महोदय, लखनऊ रेन्ज, प्रार्थी का विनम्र निवेदन इस प्रकार है– कि प्रार्थी ग्राम सरायदामू थाना इटौंजा, जिला लखनऊ का स्थायी निवासी है तथा अब लखनऊ में अपना घर बनाकर रह रहा है और सन् 1973 से वकालत कर रहा है प्रार्थी की खेती बाड़ी व पुश्तैनी घर गांव में ही है और वहां

पर उसकी वृद्धा मां तथा दो छोटे-छोटे भाई जो कि होमगार्ड के सिपाही हैं, रहते हैं । डयूटी के समय डयूटी करते तथा बाकी समय में प्रार्थी की व अपनी खेती बाड़ी करते हैं ।

(2) यह कि दिनांक 14-2-1984 को भुरहरी रात करीब 5 बजा था इंटौजा के दरोगा परिहार व तिवतिया तथा 6-7 सिपाही प्रार्थी के गांव गये और भूतपूर्व उप-प्रधान परमेश्वर तथा राम कुमार को तथा प्रार्थी के छोटे भाई मन्ना लाल रावत जो 10 साल से होम-गार्ड में सिपाही है, उसे घर में घुस कर पकड़ लाये तथा प्रार्थी के भाई को 3 बजे दिन थाने में रोक कर छोड़ दिया ।

मान्यवर, सारांश यह है कि पुलिस उनके घर में जबरदस्ती घुस गई और उनके भाई और साले को मारा । यह बात सत्य है कि पुलिस उनके घर गई लेकिन जिसको पुलिस पकड़ने के लिये गई थी वह हिस्ट्री शीटर है ।

श्री रियासत हुसैन–

मेरा प्रश्न यह था कि एक शिकायत की दरख्वास्त हुई । पेश बन्दी में हुई और उसकी आपके किसी पुलिस वाले ने जांच की होगी । जिसमें आपने कहा कि वह दरख्वास्त निराधार पायी गई ।

फिर भी उसे दुबारा जांच के लिए भेज दिया गया । तो हमारा प्रश्न यह है कि पहले जांच किसने की थी और इस जांच से कौन सैटिसफाई नहीं हुए जो दुबारा जांच करायी गयी है ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, साधारणतया ऐसे मामलों में सी0ओ0 जांच करते हैं । सी0ओ0 मड़यांउ ने की और क्षेत्राधिकारी ने जांच के बाद आरोप सत्य नहीं पाये और चूंकि हरिजन द्वारा दरख्वास्त दी गयी थी, इसलिए समझा गया कि हरिजन सेल द्वारा ही जांच कराई जाय ताकि वह संतुष्ट हो जायं ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय –

माननीय मंत्री जी के उत्तर से संबंधित उन्होंने अपने उत्तर में कहा है दिनांक 20-2-84 को लगभग 20.15 बजे हजारी लाल तथा एक अन्य व्यक्ति श्री बच्चू लाल एडवोकेट चौहान के चैम्बर में उपस्थित थे । जिसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने वांछित बल प्रयोग करके गिरफ्तार किया । मान्यवर, फौजदारी मुकदमे वाले मामलों में संबंधित व्यक्ति को वकील के चैम्बर में लीगल एड के लिए जाने का प्राविजन है । चाहे वह अभियुक्त हो या पैरोकार हो । वहां पर पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर सकती है । पुलिस को अगर गिरफ्तार करना है तो बाहर चारों तरफ घेर ले और उसके बाद बाहर आने पर उसे पकड़ा जाय । पुलिस को वकील के चैम्बर में जाना नहीं चाहिये था क्योंकि अभियुक्त को लीगल एड पाने का हक है । पुलिस के चैम्बर से पकड़े जाने की बात उन्होंने स्वीकार की है । तो ऐसे दोषी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध विशेष कार्यवाही करेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, लीगल एड लेने का हक सब को है । ऐसे व्यक्ति जिसके खिलाफ 12 मुकदमें हैं । हजारी लाल जिनके विरुद्ध केस चल रहा हो तो ऐसे व्यक्तियों को पकड़ा नहीं जायेगा तो क्या पूजा की जायेगी ।

श्री ऊदल–

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि उस वक्त जब पुलिस के लोग वकील साहब के चैम्बर में पकड़ने के लिये गये, उस वक्त उन पर कोई मुकदमा दर्ज था, जिसके सम्बन्ध में पुलिस उनको पकड़ने के लिये गयी ?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एक नहीं तीन चार मुकदमें दर्ज थे। दफा 395, 397, 396 आदि के मुकदमें दर्ज थे।

श्री राजकुमार राय–

जब कोई मुल्जिम होगा तो किसी न किसी धारा से सम्बन्धित होगा। माननीय मंत्री जी एक अच्छे नौजवान वकील हैं। यह जो सारी चीजें सदन में आयी हैं, इनको मद्देनजर रखते हुए आदेश जारी करेंगे कि पुलिस वकील के चैम्बर में किसी अभियुक्त के साथ इस तरह का बर्ताव न करे और चैम्बर में न पकड़े?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इस प्रकरण में वकील साहब मौजूद नहीं थे। इसलिए लीगल एड का प्रश्न नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष–

(मद संख्या 11 पुकारने पर और श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल के खड़े होने पर) माननीय मंत्री जी, अग्रवाल साहब को अपने कमरे में बुलाइये और इन्हें चाय पिलाइये। अब मैंने मद संख्या 11 ले ली है।

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत कस्बा शिकोहाबाद के मुहल्ला रूकनपुर में तीन बहनों की हत्या किये जाने के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

श्री अध्यक्ष–

क्या इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ?

श्री रियासत हुसैन–

पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है सबकी राय है, पढ़ा मान लिया जाय।

(इस समय 5 बजकर 50 मिनट पर अधिष्ठाता, श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त पीठासीन हुए।)

सूचना राज्य मंत्री (श्री प्रमोद कुमार)–

[प्राप्त सूचना के अनुसार दिनांक 11-3-84 को श्रीमती रफीकन पत्नी श्री निजामुद्दीन ने थाना शिकोहाबाद पर इस आशय की सूचना अंकित करायी कि रईसुद्दीन जिसे वादिनी की लड़की बिलकीस ब्याही है, ने अपने भाइयों जमील, जलील तथा नवाब के साथ 10/11-3-84 की रात में जब वह अपनी लड़कियों तथा लड़के के साथ मकान में सो रही थी, मकान में घुस कर उसकी लड़कियों नफीस बानो, शबाना तथा सन्नो की हत्या कर दी तथा लड़के रियाजुद्दीन एवं अपनी पत्नी बिलकीस को घायल कर दिया।

2–उपरोक्त सूचना के आधार पर थाना शिकोहाबाद में अपराध अन्तर्गत धारा 307/302 भा0 द0 वि0 पंजीकृत हुआ। अब तक की विवेचना से यह प्रकाश में आया है कि अभियुक्त रईसुद्दीन वादिनी श्रीमती रफीकन की दूसरी लड़की नफीसा बानो को भी अपने पास रख कर श्रीमती रफीकन की जायदाद पर कब्जा करना चाहता था। श्रीमती रफीकन तथा उसके लड़के द्वारा स्पष्ट रूप से मना कर देने के फलस्वरूप यह घटना घटी।

3–इस अभियोग के नामांकित अभियुक्त रईसुद्दीन, जमील तथा जलील दिनांक 21-3-84 को हाजिर अदालत गया।

नोट:–[ ]यह अंश पढ़ा हुआ माना

होकर जेल भेजे गये तथा अभियुक्त नवाब के विरुद्ध दिनांक 22-3-84 को धारा 82/83 जा0 फौ0 की कार्यवाही की जा चुकी है। विवेचना अभी प्रचलित है।

4—जनपद एटा में हाल में सामूहिक हत्या की कोई घटना घटित नहीं हुई है।

5—जनपद कानपुर देहात में दिनाक 24-1-84 को प्रातः 10 बजे वादी श्री ओम प्रकाश पुत्र श्री बाबू लाल यादव, निवासी ग्राम गुरैनी, थाना चौबेपुर, जिला कानपुर देहात ने थाने पर सूचना दी कि उसी दिन प्रातः 8 बजे जब वह अपने परिवारजनों के साथ बैठा घर पर चाय पी रहा था तभी (1) रामशंकर (2) अविनाश (3) हरद्वारी (4) मिश्रीलाल (5) प्रताप पुत्रगण भगवानदीन यादव (6) जयराम सिंह (7) राज नरायण (8) लालू सिंह ठाकुर (9) लालू गड़रिया तथा (10) राजू ने यह कहते हुए घर घेर लिया कि सब को जान से मार दो ताकि झगड़ा समाप्त हो जाय। मिश्री लाल ने घर के छप्परों में माचिस से आग लगा दी। जब यह लोग जान बचाने के लिये घर से बाहर भागे कि सभी अभियुक्तों ने मिलकर वादी के पिता बाबूलाल, मां विजय लक्ष्मी, भाई गोमा तथा ग्राम रतनपुर के देवीदीन को पकड़ लिया। अन्य लोग भाग निकलने में सफल रहे। देवीदीन द्वारा प्रार्थना करने पर अभियुक्तों ने उन्हें छोड़ दिया किन्तु वादी के पिता, मां तथा भाई की हत्या कर लाशों को जलते हुए मकान में फेंक दिया तथा धमकी देते हुए चले गये।

6—उपरोक्त सूचना पर अपराध अंतर्गत धारा 148/149/302/436 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गयी। विवेचना से अभियुक्त लालूसिंह की नामजदगी गलत पायी गयी शेष अन्य नौ नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र दिनांक 17-3-84 को न्यायालय भेजा जा चुका है। पांच अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया तथा 4 अभियुक्तों ने न्यायालय में आत्मसमर्पण किया।

7—विवेचना से ज्ञात हुआ कि मृतक बाबू लाल एवं अभियुक्त रामशंकर व उसके भाइयों के बीच एक कत्ल तथा भूमि के मुकदमें चल रहे थे। घटना आपसी रंजिश के कारण होना पायी गया।]

8—उपरोक्त घटनाओं के कारण जनता में भय, असुरक्षा एवं असंतोष की भावना का व्याप्त होना नहीं पाया गया।

श्री रियासत हुसैन—

श्रीमन्, आप वक्तव्य में देखें।

श्री राजकुमार राय—

मान्यवर, कोरम का अभाव है।

श्री अधिष्ठाता—

ठीक है। श्री रियासत हुसैन जी, आप बैठ जायं।

(कोरम के लिये घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर)

श्री रियासत हुसैन—

मान्यवर, इसमें जो लड़कियों के मर्डर का कारण लिखा हुआ है, उसमें कहा गया है कि वह अपनी सास की जमीन के ऊपर कब्जा करना चाहता है। इसलिये उसने तीनों लड़कियों को जान से मार दिया और अपनी बीबी को घायल किया। मंत्री जी क्या इसमें गम्भीरता को देखते हुए सी0 आई0 डी0 से जांच करायेंगे? क्योंकि उसका

लड़का मौजूद है, तो लड़कियों से जमीन और जायदाद का क्या वास्ता है, लड़कियों को क्यों मारा गया?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, इसमें नामजद रिपोर्ट है। जो वादी है वह कहती है कि यह-यह मुल्जिम हैं तो उनको हम गिरफ्तार कर रहे हैं। यदि सी0 आई0 डी0 से जांच के लिये कहेंगे तो मैं उसके लिये तैयार हूं किन्तु इससे चार्जशीट लगने में देर होगी और अभियुक्तों को बचने का मौका मिलेगा।

श्री रियासत हुसैन–

जो एफ0 आई0 आर0 लिखायी है, हमको नहीं पता है क्या है ? लेकिन जो काज और मोटिव लिखा है, वह यह है कि अपनी सास की जमीन पर कब्जा करना चाहता था। जबकि उसका साला मौजूद है। तो पहले कत्ल साले का करना चाहिये था और बाद में लड़कियों का, लेकिन साला मौजूद है। इसलिये लड़कियों को हो सकता है कि रोकने में चोट लगी हो। परन्तु उसका मुख्य उद्देश्य यदि जमीन जायदाद का होता तो वह पहले साले का मर्डर करता, इसमें बतायें?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, एफ0 आई0 आर0 में नहीं लिखा है कि इसलिये मर्डर किया गया। जैसा श्री रियासत हुसैन जी कह रहे हैं। दूसरी बात किस लिए किया गया, इतनी छोटी सी बात है जिसकी पुलिस जांच कर लेगी। सी0 आई0 डी0 की जांच की आवश्यकता नहीं है। नामजद रिपोर्ट है। मुल्जिम अदालत में जा चुके हैं, इससे जल्दी हो जायेगी। लेकिन सी0 आई0 डी0 से जांच के लिये कहेंगे तो हम तैयार हैं किन्तु केस लम्बा खिंचेगा, चार्जशीट लगने में देर होगी और दोषी अभियुक्तों को बचने का मौका मिलेगा।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, साधारणतया पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करके भेज दिया, हो सकता है कि पुलिस का इसमें हाथ हो। जल्दी लिखकर चार्जशीट लगाकर अदालत में भेज दिया और वह जेल चले गये। मान्यवर, उस एफ0 आई0 आर0 के मुताबिक चलेंगे तो केस में दम नहीं रहेगी। फार दि सेक आफ जस्टिस जिस चीज की एफ0 आई0 आर0 में मोटिव लिखा है कि वह जमीन और जायदाद पर कब्जा करना चाहता है। यह मोटिव आपका इससे सूट नहीं कर रहा है, यह मिसगाइडिंग रिपोर्ट लिखायी गयी है, चाहे जिसकी तरफ से, चाहे जिसके प्रेशर से लिखायी गयी हो, इसमें कोई तथ्य नहीं है। आप इसका उत्तर दे दें?

श्री प्रमोद कुमार–

जिसकी तीन जवान बेटियां मारी गयी है, लड़का गम्भीर घायल हुआ है और जिसमें केवल नामजद रिपोर्ट लिखायी गयी है, वह गलत क्यों लिखायेगी? मैं रियासत साहब की नीयत पर कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन कोई अगर मुल्जिमों को बचाना चाहता है, वही ऐसी बात कहेगा। वही सी0 आई0 डी0 को टालना चाहेगा। इसमें नामजद मुल्जिम है और अभियुक्तों को सजा मिलनी चाहिए।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

वक्तव्य में लिखा है—उपरोक्त सूचना पर अपराध अन्तर्गत धारा 148/149/302/436 भा0 द0 वि0 पंजीकृत कर विवेचना की गयी। विवेचना से

अभियुक्त लालूसिंह की नामजदगी गलत पायी गयी। शेष अन्य नौ नामजद अभियुक्तों के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 17-3-84 को न्यायालय भेजा जा चुका है। तो इस पर सी0 आई0 डी0 को भेजने की प्रार्थना . . .

(श्री उपाध्याय बैठ गये।)

श्री अधिष्ठाता–

आपने जानकारी दी, लेकिन कोई सवाल तो पूछा नहीं। आखिर आप क्या जानना चाहते हैं?

(श्री उपाध्याय के पुनः न खड़े होने पर)

श्री विमल प्रसाद तिवारी–

अधिष्ठाता महोदय, इस प्रकरण में निश्चित रूप से यह सिद्ध होता है, जैसा अभी मंत्री जी कह रहे थे कि मुल्जमों को बचाना है तो सी0 आई0 डी0 की रिपोर्ट मांगी जाये, लेकिन मुल्जमों को बचाने की नीयत तो एफ0 आई0 आर0 में ही निहित कर दी गयी है। अतः सी0 आई0 डी0 की जांच इसमें आवश्यक है, ताकि वास्तविक मुल्जिम बचने न पाये? क्योंकि यह मामला जब अदालत जायेगा तो मुल्जिम छूट जायेंगे। जब यह मामला इस मोटिव के साथ अदालत में जाएगा। क्या आप इसको देखते हुए सी0 आई0 डी0 को जांच देने का कष्ट करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

एक मंत्री के रूप में और एक वकील के रूप में मैं इतना जरूर जानता हूं कि जब कुल्हाड़ी से मारा गया है, उससे चोट लगी है जिसके बाद वह जिन्दा है, उसने घटना के समय और आदमियों को जरूर देखा होगा कि किसने मारा है? चोटिहल आदमी मौजूद है, उनके बयान से सजा नहीं होगी तो फिर किसके बयान से सजा होगी?

श्री ऊदल–

रिपोर्ट किसने लिखायी है? क्या लिखकर दिया है या जुबानी दिया है? और रिपोर्ट किसने लिखी है?

श्री प्रमोद कुमार–

यह बयान जुबानी वादी है।

श्री अकबर हुसैन–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। जैसा मंत्री जी ने कहा है कि उसने नामजद रिपोर्ट करायी है और इसके दूसरे हिस्से में जो नामजद अभियुक्त हैं उसमें से लालू सिंह का नाम पुलिस ने अपनी विवेचना में निकाल दिया है, तो पुलिस ने किस आधार पर उसका नाम निकाल दिया है?

श्री प्रमोद कुमार–

कभी-कभी जुबानी वादी या एफ0 आई0 आर0 में इसलिए पुलिस विवेचना होना आवश्यक होता है कि कहीं पर किसी शक के बिना पर या दुश्मनी के बिना पर किसी को फंसाने के लिये तो किसी का नाम नहीं दे दिया गया है? तो विवेचना करने पर उसका नाम निकाल दिया गया।

श्री रियासत हुसैन–

बात बहुत स्पष्ट हो गयी, जिसकी तीन लड़कियां मारी गयी हैं, लड़का जख्मी है, उसकी रिपोर्ट जबानी है। स्पष्ट रूप से इसमें यह बात सही सिद्ध होती है कि दरोगा जी ने जो रिपोर्ट लिखी है और उसमें उस औरत से अंगूठा लगवा लिया। इन मुल्जमान को बचाने के लिये। इसको देखते हुए क्या मंत्री जी सी0 आई0 डी0 से जांच करवायेंगे ताकि सही तथ्य सामने आ सकें?

श्री प्रमोद कुमार–

माननीय, एफ0 आई0 आर0 जबानी भी लिखवायी जाती है और लिखित भी। अगर माननीय रियासत हुसैन भाई की बात मान ली जाये, तब तो प्रक्रिया दण्ड संहिता को ही बदलना पड़ेगा। (व्यवधान) विवेचना से एक ऐसा तथ्य भी सामने आया कि यह जो बहनोई थे यह अपनी सालियों को नाजायज ढंग से अपने साथ रखना चाहते थे। (व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने कहा था कि यदि शिकायतकर्ता की तरफ से कोई प्रार्थना पत्र सी0 आई0 डी0 से जांच कराने का आयेगा तो करा ली जायेगी। क्या मंत्री जी अगर कोई प्रार्थना-पत्र उनकी तरफ से आता है तो सी0 आई0 डी0 से जांच करवायेंगे ?

श्री प्रमोद कुमार–

यह मामला बिलकुल स्पष्ट है। सी0 आई0 डी0 से जांच कराने के आदेश मैं कतई नहीं दूंगा।

(शोर-व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा–

माननीय मंत्री जी ने अभी अपने बयान में कहा है कि यदि सी0 आई0 डी0 की मांग होगी तो वे करायेंगे। अब कैसे कहते हैं कि नहीं करायेंगे? यह उनके दोनों कथन में कितना विरोधाभास और अन्तर है? (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

मैं कार्यवाही देख लूंगा, अगर विरोधाभास होगा तो निकाल दिया जायेगा... (शोर-व्यवधान)

श्री गोपीनाथ वर्मा–

जब माननीय रियासत हुसैन साहब ने पहले अपना सवाल पूछा था कि क्या मंत्री जी सी0 आई0 डी0 से इसकी जांच करायेंगे? तो उसका जवाब मंत्री जी ने यह स्पष्ट दिया था कि हमें सी0 आई0 डी0 से जांच कराने में कोई आपत्ति नहीं है, अगर कोई ऐसा प्रार्थना-पत्र दिया जायेगा तो करा लेंगे। अब कहते हैं नहीं करायेंगे, (शोर-व्यवधान) [* * *]

(शोर-व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

सदन में उत्तेजना के समय माननीय गोपीनाथ वर्मा जी ने "झूठ" शब्द का इस्तेमाल किया है, इसे कार्यवाही से निकाल दिया जायेगा।

श्री गोरेलाल शाक्य–

प्रैक्टिस में कोई भी एफ0 आई0 आर0 जबानी नहीं लिखाता है। 99 परसेंट लिखित ही, एफ0 आई0 आर0 लिखायी गयी। इससे सन्देह होता है। इसलिये क्या मंत्री जी इसकी जांच सी0 आई0 डी0 से करायेंगे?

श्री अधिष्ठाता–

उसके लिये तो उन्होंने मना कर दिया, कोई और प्रश्न आप पूछ सकते हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

यह कहा गया कि जबानी रिपोर्ट लिखायी गयी। तो क्या इस सम्बन्ध में किसी ने कोई शिकायती पत्र इस आशय का दिया कि रिपोर्ट गलत लिखी गयी है?

श्री रियासत हुसैन–

माननीय, 11 तारीख को रिपोर्ट हुई है और एकदम जुबानी रिपोर्ट हुई है। इतनी जल्दी जांच होकर मामला कोर्ट में चला गया है। कई-कई सालों तक मुकदमों की जांच होती है। इतनी जल्दी से सारी चीजें हैं

नोट–[***] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

गयीं। यह शक पैदा करती हैं कि कोई गड़बड़ी या घपला किया गया है। हमारे इस्लाम में भी है कि दो सगी बहनों को एक घर में नहीं रखा जाता है। तो मैं जस्टिस और न्याय की दृष्टि से फिर यह मांग करता हूं कि क्या आप इसकी सी0 आई0 डी0 से जांच करवाने की कृपा करेंगे?

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, पुलिस ने इतनी जल्दी जांच करके चार्जशीट भेज दिया तो इसकी तो तारीफ करनी चाहिये। इनाम देने की संस्तुति करनी चाहिये। मान्यवर, दो चीजें हैं, एक चीज तो यह है कि चूंकि नकल जबानी वादी है इसलिए रियासत भाई को शिकायत है। मान्यवर, जिसने रिपोर्ट लिखायी उसको कोई शिकायत नहीं है।

श्री रियासत हुसैन–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जानबूझकर इस मामले को सी0 आई0 डी0 इन्क्वायरी से बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि इसमें पुलिस का ही हाथ नहीं राजनीतिक हाथ भी है। इसलिये जनता पार्टी सदन का त्याग करती है।

(श्री रियासत हुसैन अपने दल के साथ सदन त्याग कर चले गये।)

श्री प्रमोद कुमार–

मान्यवर, अगर राजनीतिक हाथ है तो उधर से होगा इधर से नहीं है।

श्री कुबेर भंडारी–

मान्यवर,

श्री अधिष्ठाता–

यह आखिरी सवाल होगा।

श्री गोपीनाथ वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी सी0 आई0 डी0 की जांच नहीं करा रहे हैं। इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप मालूम होता है। इसलिये हम सदन का त्याग करते हैं।

(श्री गोपीनाथ वर्मा भी सदन से चले गये।)

श्री कुबेर भंडारी–

मान्यवर, इसमें राजनीतिक हस्तक्षेप है। मैं सदन का त्याग करता हूं।

(श्री कुबेर भंडारी भी सदन त्याग कर चले गये।)

श्री अधिष्ठाता–

अब हम उठते हैं, कल 11 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन 6 बजकर 8 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

30 मार्च, 1984

भाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

अनुबंध "क"

(देखिए तारांकित प्रश्न संख्या–16 का उत्तर पीछे पृष्ठ 17 पर)

संलग्नक–1

वर्ष 1952 में राजकीय कोषाध्यक्ष एवं कैश शाखा के कर्मचारियों को अनुमन्य नियत वेतन के अनुपात का विवरण

क्रमांक	सम्बन्धित कैश कर्मचारी	जिन राजकीय कोषाध्यक्षों की प्रतिभूति 50,000 रु0 से कम है उनके वेतन से अनुपात का विवरण		जिन राजकीय कोषाध्यक्षों की प्रतिभूति 50,000 रु0 या उससे अधिक परन्तु 75,000 रु0 से कम है उनके वेतन से अनुपात का विवरण		जिन राजकीय कोषाध्यक्षों की प्रतिभूति 75,000 रु0 से अधिक है उनके वेतन से अनुपात का विवरण	
		बैंकिंग	नान-बैंकिंग	बैंकिंग	नान-बैंकिंग	बैंकिंग	नान-बैंकिंग
1	2	3	4	5	6	7	8
1	तहबीलदार	5:1	5.8:1	5.8:1	6.6:1	6.6:1	इस श्रेणी में उस समय कोई कोषागार उपकोषागार नहीं आते थे।
2	मनीटेस्टर या स्टाम्प वेंडर	6:1	7:1	7:1	8:1	8:1	
3	चपरासी	12:1	14:1	14:1	16:1	16:1	

संलग्नक–2

वर्तमान में राजकीय कोषाध्यक्षों को अनुमन्य नियत वेतन तथा कैश शाखा के कर्मचारियों को अनुमन्य वेतनमान में प्राप्य औसत वेतन से अनुपात का विवरण—

(कैश कर्मचारियों को अनुमन्य विभिन्न वेतनमानों में प्राप्य औसत वेतन के आँगणन हेतु प्रयोग किया गया समीकरण—

(प्रारम्भिक वेतन + 2/3) (अन्तिम वेतन—प्रारम्भिक वेतन)

क्रमांक	सम्बन्धित कैश कर्मचारी	जिन राजकीय कोषाध्यक्षों की प्रतिभूति की धनराशि 50,000 से कम है उनके वेतन से अनुपात का विवरण		जिन राजकीय कोषाध्यक्षों की प्रतिभूति की धनराशि 50,000 और उससे अधिक परन्तु 75,000 से कम है उनक वेतन से अनुपात का विवरण	जिन राज0को0 की प्रतिभूति धनराशि 75,000 और उससे अधिक है, परन्तु 1 लाख से कम है उनके वेतन से अनुपात का विवरण	जिन राजकीय कोषाध्यक्षों की प्रतिभूति धनराशि 1 लाख और उससे अधिक है उनके वेतन से अनुपात का विवरण
		बैंकिंग उपकोषागार/ कोषागार हेतु	नान बैंकिंग उपकोषागार/उप कोषागार हेतु			
1	2	3	4	5	6	7
1	तहबीलदार	1.2:1	1.3:1	1.5:1	1.8:1	2.06:1
2	मनी टेस्टर या स्टाम्प वेंडर।	1.3:1	1.4:1	1.7:1	2.04:1	2.2:1
3	चपरासी	1.6:1	1.7:1	2.1:1	2.4:1	2.7:1

नत्थी "ख'

(देखिए अतारांकित प्रश्न संख्या–69 का उत्तर पीछे पृष्ठ 48 पर)

आवंटियों की सूची

क्रमांक	आवंटी का नाम	भूखण्ड सं0	क्षेत्रफल	विवरण
1	2	3	4	5
	सर्वश्री			
1	मथुरा सुत सुखी सा0 रसूलपुर	99 मि	0–10–0	
		102	0–4–7	
		104	0–1–8	
		3	0–15–15	
2	लक्षिमन सुत राम आसरे सा0 रसूलपुर	155	0–5–10	
3	रामसमुझ सुत पंचमसा0 रसूलपुर	884	0– 1– 0	
		1631	0– 0 –9	
		2 किता	0 –1 –9	
4	पंचम सुत बुद्धी सा0 रसूलपुर	962	0–12–17	
		966	0–15 –7	
		2 किता	1 –8 –4	
5	गंगा सुत सीताराम सा0 रसूलपुर	2252 मि	1– 5 –0	
6	मो0 हकीम सुत करमअली	1656 मि	0–18 –0	
7	मो0 हनीफ सुत इमामदीन सा0 रसूलपुर ।	1021	0–5 –0	
		1074	0–1–10	
		2 किता	0–6–10	
8	घुन्नू सुत शमशेर सा0रसूलपुर	853	0–13–7	
		1767	0–10–0	
		2 किता	1–19–7	

1	2	3	4	5
	सर्व श्री			
9	इमामबख्श सुत मंगरे सा0 रसूलपुर	1359 मि		0–10–2
		1328		0–14–6
		1479		0–1–0
			3	1–5–8
10	रियासत सुत मली खां सा0 रसूलपुर	1519		0–3–4
11	नूर मोहम्मद सुत रहमत उल्ला सा0 रसूलपुर	450		1–2–17
12	रियासत सुत सुलेमान सा0 रसूलपुर	1359 मि0		1–6–0
13	सद्दीकी सुत कासिम सा0 रसूलपुर	1446		0–8–13
14	अब्दुल लतीफ सुत करम अली सा0 रसूलपुर	1459		0–13–13
		1460		0–6–6
			2 किता	0–19–19
15	वली मोहम्मद सुत दीन मोहम्मद सा0 रसूलपुर	1566		0–12–11
		1583		0–5–7
		1584		0–6–6
			3 किता	1–4–4
16	माशूक सुत आशिक सा0 रसूलपुर	1634		0–8–16
		1635		0–5–12
		2168		0–2– 0
			3 किता	0–16–8
	योग	29 किता		13–19–8

पी0एस0वाय0पी0—एल0 86 वि0सभा (123)—1985—8131